हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा

2019–20

जारीकर्ता:

अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

2020

प्रकाशन संख्या 1226
www.esaharyana.gov.in पर उपलब्ध

हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा

2019–20

जारीकर्ता:
अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
योजना भवन, सैक्टर–4, पंचकूला

विषयवस्तु

हरियाणा एक दृष्टि में (i-ii)

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	हरियाणा अर्थव्यवस्था की स्थिति	
अध्याय–1	हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य	1–10
अध्याय–2	लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण, वित्तीय समावेश तथा आबकारी एवं कराधान	11–29
	विभागों/बोर्डों/निगमों की उपलब्धियां	
अध्याय–3	कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	31–66
अध्याय–4	उद्योग, विद्युत, सड़कें तथा परिवहन	67–88
अध्याय–5	शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी	89–108
अध्याय–6	स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास	109–128
अध्याया–7	पंचायती राज, ग्रामीण तथा शहरी विकास	129–142
अध्याय–8	सामाजिक क्षेत्र	143–166
	अनुलग्नक	167–172

हरियाणा एक दृष्टि में

मदें		अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति हरियाणा	स्थिति भारत
प्रशासनिक ढांचा		फरवरी, 2020	संख्या		
(क) मण्डल				6	
(ख) जिले				22	
(ग) उप–मण्डल				74	
(घ) तहसीलें				94	
(ड) उप–तहसीलें				49	
(च) खण्ड				140	
(छ) कस्बे		जनगणना, 2011		154	
(ज) गांव (गैर आबाद सहित)		जनगणना, 2011		6,841	
जनसंख्या		जनगणना, 2011			
(क) कुल			संख्या	2,53,51,462	1,21,05,69,573
(ख) पुरूष			संख्या	1,34,94,734	62,31,21,843
(ग) स्त्रियां			संख्या	1,18,56,728	58,74,47,730
(घ) ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत			संख्या	1,65,09,359 65.12	83,34,63,448 68.85
(ड) शहरी			संख्या	88,42,103	37,71,06,125
(च) जनसंख्या घनत्व			प्रति वर्ग कि.मी.	573	382
(छ) साक्षरता दर	पुरूष		प्रतिशत	84.1	80.9
	स्त्री			65.9	64.6
	कुल			75.6	74.0
(ज) लिंग अनुपात			हजार पुरूषों पर स्त्रियां	879	943
स्वास्थ्य आंकडे					
(क) जन्म दर		2017	प्रति हजार		
(i) इक्टठी				20.5	20.2
(ii) ग्रामीण				21.9	21.8
(iii) शहरी				18.2	16.8
(ख) मृत्यु दर		2017	प्रति हजार		
(i) इक्टठी				5.8	6.3
(ii) ग्रामीण				6.3	6.9
(iii) शहरी				5.0	5.3

मदें	अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति हरियाणा	स्थिति भारत
(ग) बाल मृत्यु दर (आई.एम.आर.)	2017	प्रति हजार		
(i) इक्टठी			30	33
(ii) ग्रामीण			32	37
(iii) शहरी			25	23
(घ) मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.)	2015–17	1 लाख जीवित जन्म के ऊपर मृत्यु	122	98
भूमि उपयोग	2017–18			
(क) निवल बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,508	उपलब्ध नहीं
(ख) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,041	उपलब्ध नहीं
(ग) कुल बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	6,549	उपलब्ध नहीं
(घ) निवल बोया गया क्षेत्र का एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र		प्रतिशत	86.69	उपलब्ध नहीं
चालू जोतें	कृषि गणना 2010–11			
(क) चालू जोतों की संख्या		संख्या हजार	1,617	1,37,757
(ख) चालू जोतों के अधीन क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,646	1,59,180
(ग) जोतों का औसत आकार		हैक्टेयर	2.25	1.16
विद्युत	2018–19			
(क) स्थापित कुल उत्पादन क्षमता		मेगावाट	11,751	उपलब्ध नहीं
(ख) उपलब्ध विद्युत		लाख किलोवाट	5,15,733	उपलब्ध नहीं
(ग) बेची गई विद्युत		लाख किलोवाट	4,07,090	उपलब्ध नहीं
(घ) बिजली उपभोक्ता		संख्या	65,77,058	उपलब्ध नहीं
राज्य आय (चालू कीमतों पर)	2018–19 (द्रुत अनुमान)			
(क) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)		करोड़ रूपये	7,34,163	1,89,71,236
(ख) सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.)		करोड़ रूपये	6,16,643	1,71,39,961
(ग) कृषि एवं सहबद्व क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन		करोड़ रूपये	1,16,028	29,22,846
(घ) उद्योग क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन		करोड़ रूपये	1,92,692	49,56,781
(ड) सेवा क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन		करोड़ रूपये	3,07,924	92,60,334
(च) प्रति व्यक्ति आय		रूपये	2,36,147	1,26,521

***

हरियाणा अर्थव्यवस्था की स्थिति

1

हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य

भारत 2025 तक पांच ट्रिलीयन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है। यद्यपि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा राज्य है इसके बावजूद स्थिर (2011–12) कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2018–19 के द्रुत अनुमानों के अनुसार 3.8 प्रतिशत योगदान देने का अनुमान है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

1.2 अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करता है। वर्ष 2019–20 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, चालू कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 8,31,610.21 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जोकि वर्ष 2018–19 की वृद्वि दर 13.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019–20 में 13.3 प्रतिशत की वृद्वि को दर्शाता है। वर्ष 2018–19 में वृद्वि दर 7.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019–20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों (2011–12) पर 7.7 प्रतिशत की वृद्वि से 5,72,239.70 करोड़ रूपये पहुंचने की उम्मीद है। वर्ष 2019–20 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि 7.7 प्रतिशत दर्ज की गई है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद चालू व स्थिर (2011–12) कीमतों पर **तालिका 1.1** में दिया गया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्ष दर वर्ष (वाई.ओ.वाई.) वास्तविक वृद्वि दर **आकृति 1.1** में दर्शायी गई है।

1.3 वर्ष 2016–17 के दौरान वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्वि 9.8 प्रतिशत दर्ज की गई जो कि वर्ष 2017–18 के दौरान घट कर 7.8 प्रतिशत रह गई और आगे वर्ष 2018–19 में घटकर 7.3 प्रतिशत रह गई।

तालिका1.1–हरियाणा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद

(करोड़ रूपयें)

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	
	चालू भावों पर	स्थिर भावों (2011–12) पर
2011–12	297538.52	297538.52
2012–13	347032.01	320911.91
2013–14	399268.12	347506.61
2014–15	437144.71	370534.51
2015–16	495504.11	413404.79
2016–17	561610.05	456659.35
2017–18	649591.77	494068.03
2018–19 (द्रु:)	734162.82	531085.19
2019–20 (अग्र:)	831610.21	572239.70

द्रु.: द्रुत अनुमान, अग्र.: अग्रिम अनुमान

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

आकृति 1.1–हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2011–12) कीमतों पर वृद्वि

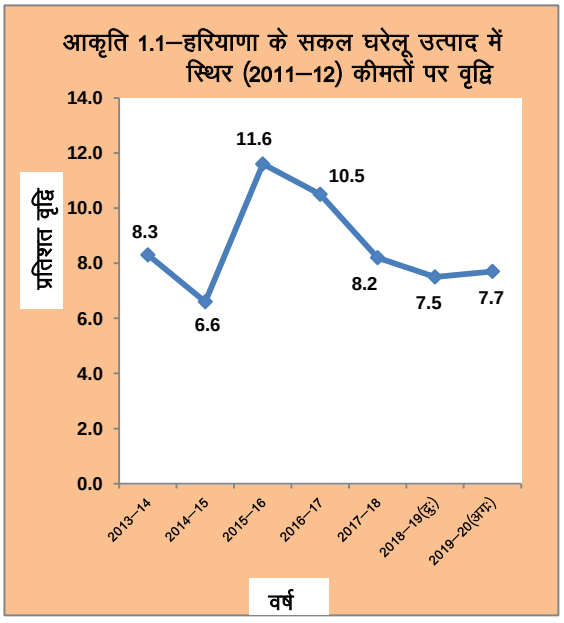

वर्ष 2018–19 की वृद्धि दर में गिरावट का मुख्य कारण उद्योग क्षेत्र में 7.0 प्रतिशत की कम वृद्धि दर है फिर भी वर्ष 2019–20 के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन थोड़ा सा सुधरकर 7.4 प्रतिशत हो गया। वर्ष दर वर्ष (वाई.ओ.वाई.) सकल राज्य मूल्य वर्धन में वास्तविक वृद्धि दर **तालिका 1.2** तथा **आकृति 1.2** में दर्शाई गई है।

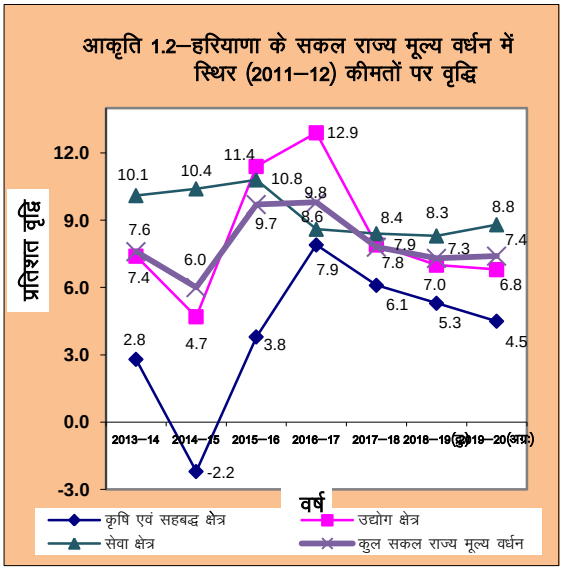

राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

1.4 हरियाणा राज्य के गठन के समय, राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरूआती वर्ष (1969–70) में स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र (फसलें, पशुधन, वन एवं मत्स्य पालन) का सबसे अधिक योगदान (60.7 प्रतिशत) रहा, इसके बाद सेवा क्षेत्र (21.7 प्रतिशत) तथा उद्योग क्षेत्र (17.6 प्रतिशत) का योगदान रहा है।

1.5 चौथी और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य के 37 वर्षो (1969–70 से 2006–07) की अवधि के दौरान उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों ने कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है जिसके कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अंश में वृद्धि हुई तथा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश कम हुआ। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश 1969–70 में 60.7 प्रतिशत से घटकर 2006–07 में 21.3 प्रतिशत रह गया जबकि उद्योग क्षेत्र का अंश 1969–70 में 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 2006–07 में 32.1 प्रतिशत हो गया। सेवा क्षेत्र का अंश इसी अवधि के दौरान 21.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.6 प्रतिशत हो गया।

तालिका 1.2–सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि दर स्थिर (2011–12) मूल्यों पर।

(प्रतिशत)

क्षेत्र	हरियाणा							अखिल भारत
	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (द्व:)	2019–20 (अग्र:)	2019–20 (अग्र:)
कृषि एवं सहबद्ध	2.8	–2.2	3.8	7.9	6.1	5.3	4.5	2.8
उद्योग	7.4	4.7	11.4	12.9	7.9	7.0	6.8	2.5
सेवा	10.1	10.4	10.8	8.6	8.4	8.3	8.8	6.9
सकल राज्य मूल्य वर्धन	7.6	6.0	9.7	9.8	7.8	7.3	7.4	4.9

तालिका 1.3–प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	प्रति व्यक्ति आय (रूपये) हरियाणा		प्रति व्यक्ति आय (रूपये) अखिल भारत	
	चालू भावों पर	स्थिर भावों (2011–12) पर	चालू भावों पर	स्थिर भावों (2011–12) पर
2011–12	106085	106085	63462	63462
2012–13	121269	111780	70983	65538
2013–14	137770	119791	79118	68572
2014–15	147382	125032	86647	72805
2015–16	164963	137818	94797	77659
2016–17	185050	150241	104880	83003
2017–18	211526	159892	115293	87828
2018–19 (द्व:)	236147	169409	126521	92085
2019–20 (अग्र.)	264207	180026	135050	96563

द्व.: द्रुत अनुमान अग्र.: अग्रिम अनुमान,
स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा एवं सी.एस. ओ., नई दिल्ली।

1.6 11वीं पंचवर्षीय योजना से राज्य अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन की गति ज्यों की त्यों जारी रही। इस अवधि में तथा इसके बाद सेवा क्षेत्र में दूसरे अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में अधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2019–20 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन में इसका अंश बढ़कर 50.6 प्रतिशत हो गया जबकि कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का अंश घटकर 16.6 प्रतिशत रह गया। राज्य अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अंश **आकृति 1.3** में दर्शाया गया है।

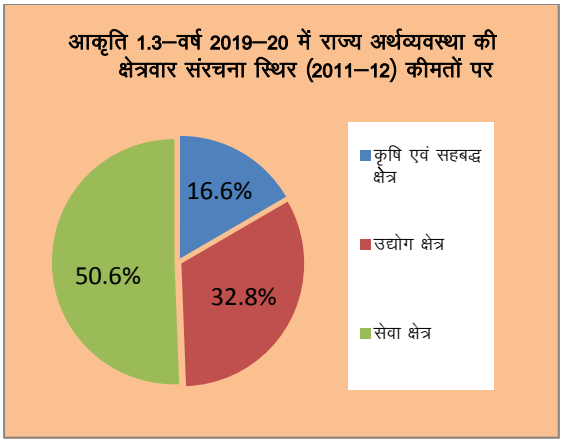

प्रति व्यक्ति आय

1.7 प्रति व्यक्ति आय प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कमाई गई आय का औसत है। हरियाणा राज्य के गठन 1966 के समय चालू कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 608 रूपये थी। तब से, राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कई गुणा वृद्धि हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय और इसकी वृद्धि दर को **तालिका 1.3** और **आकृति 1.4** में प्रस्तुत किया गया है।

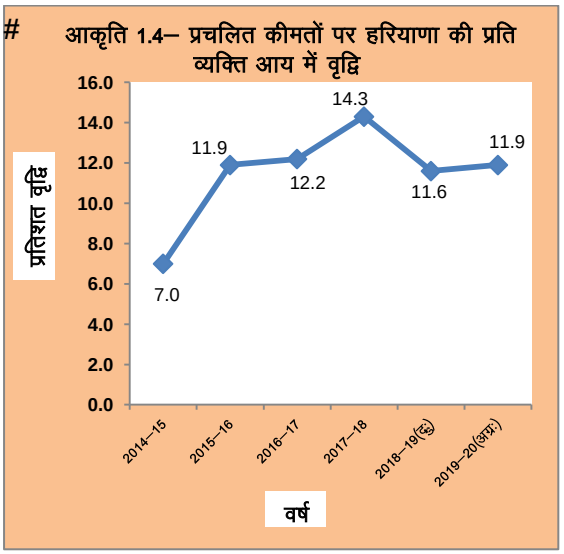

1.8 राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर भावों (2011–12) पर 2019–20 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 1,80,026 रूपये पंहुचनें की उम्मीद है जोकि वर्ष 2018–19 की वृद्धि दर 6.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019–20 में 6.3 प्रतिशत की बढ़ौतरी को दर्शाती है। चालू कीमतों पर, राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019–20 में 2,64,207 रूपये होने की संभावना है जो कि वर्ष 2018–19 की वृद्धि दर 11.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019–20 में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। वर्ष 2019–20 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय चालू तथा स्थिर दोनों भावों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 1,35,050 रूपये और 96,563 रूपये की तुलना में अधिक रही है।

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

1.9 कृषि हमारी राज्य अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जनसंख्या के अधिकांश लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं। राज्य के गठन 1 नवम्बर, 1966 से ही कृषि क्षेत्रों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। राज्य में मजबूत बुनियादि सुविधाएं जैसे पक्की सडकें, ग्रामीण विद्युतीकरण, नहरों का जाल, मंडियों का विकास इत्यादि के बनने से कृषि के विकास में अति वांछनीय तरक्की हुई है। इन सुविधाओं के निर्माण के साथ–साथ कृषि अनुसंधान के पक्ष और कृषि कार्य से सम्बन्धित सूचनाओं को किसानों के पास पहुंचाने वाले उच्च स्तरीय नेटवर्क के कारण वांछित परिणाम मिले हैं। भोजन की कमी वाला राज्य खाद्य अधिशेष राज्य में परिवर्तित हो गया है।

1.10 कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि राज्य अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुए संरचनात्मक परिवर्तन के कारण वर्ष 2019–20 के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों का योगदान स्थिर कीमतों (2011–12) पर कम होकर मात्र 16.6 प्रतिशत

रह गया है। राज्य का आर्थिक विकास पिछले कुछ वर्षो में उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों की विकास दर पर ज्यादा निर्भर रहा है परन्तु हाल के अनुभवों से ज्ञात होता है कि कृषि क्षेत्र के लगातार व तेज विकास के बिना सकल राज्य मूल्य वर्धन की विकास दर में वृद्धि राज्य में मुद्रा स्फीति का कारण बन सकती है जो लम्बी विकास प्रक्रिया को खतरे में डाल देगी। इसलिए राज्य अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण विकास में कृषि और सहबद्व क्षेत्र का निरंतर विकास एक महत्वपूर्ण घटक रहेगा।

1.11 कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में कृषि, वानिकि एवं लोगिंग व मत्स्य पालन उप–क्षेत्र शामिल है। कृषि क्षेत्र में फसलों की खेती व पशुपालन मुख्य घटक हैं, इनका कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में 93 प्रतिशत योगदान है। कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वानिकी और मत्स्य पालन उप–क्षेत्रों का योगदान मात्र क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत है जिससे इन दो उप–क्षेत्रों का कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

1.12 कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का स्थिर (2011–12) मूल्यों पर विभिन्न वर्षों में दर्ज विकास दर **तालिका 1.4** में दर्शाई गई है। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र के विकास अनुमानों अनुसार वर्ष 2015–16 में 3.8 प्रतिशत वृद्वि से वर्ष 2016–17 में 7.9 प्रतिशत की वृद्वि हुई परन्तु यह घटकर वर्ष 2017–18 में 6.1 प्रतिशत तथा वर्ष 2018–19 में 5.3 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2019–20 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन 4.5 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 83,174.62 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। वर्ष 2019–20 में कृषि क्षेत्र फसल एवं पशुपालन सहित का सकल राज्य मूल्य वर्धन 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 78,677.16 करोड़ रूपये आंका गया जबकि इसी वर्ष के दौरान वानिकी व लोगिंग और मत्स्य उप क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन क्रमशः 1.1 तथा 8.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,834.46 करोड़ रूपये तथा 1,663 करोड़ रूपये आंका गया।

कृषि सूचकांक

1.13 राज्य में फसलों के अधीन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उत्पादन और उपज के सूचकांक वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक (आधार त्रैवर्षान्त 2007–08=100) दर्शाते हैं कि फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक 2017–18 में 111.45 था जो कि वर्ष 2018–19 में बढ़कर 113.94 हो जाएगा। कृषि उत्पादन सूचकांक 2017–18 में 119.90 था जो कि वर्ष 2018–19 में बढ़कर 120.67 होने का अनुमान है जबकि इस अवधि में कृषि उपज का सूचकांक वर्ष 2017–18 में 107.57 से घटकर वर्ष 2018–19 में 105.91 हो जाएगा। अनाज खाद्यान्नों का उत्पादन सूचकांक वर्ष 2017–18 में 128.09 से घटकर वर्ष 2018–19 में 127.48 हो जाएगा जबकि अखाद्यान्नों का सूचकांक वर्ष 2017–18 में 102.34 से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 106.07 होने का अनुमान है।

तालिका 1.4– कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) भावों पर

(करोड़ रूपयें)

क्षेत्र	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (द्रु:)	2019–20 (अग्र:)
फसल व पशुपालन	59785.53	58589.94 (-2.0)	60492.59 (3.2)	58778.74 (-2.8)	61034.66 (3.8)	67212.87 (10.1)	71238.09 (6.0)	75280.85 (5.7)	78677.16 (4.5)
वानिकी तथा लोंगिग	3894.90	3772.16 (-3.2)	3677.45 (-2.5)	3897.24 (6.0)	3984.38 (2.2)	2871.81 (-27.9)	2830.99 (-1.4)	2803.16 (-1.0)	2834.46 (1.1)
मत्स्य	858.43	902.89 (5.2)	855.10 (-5.3)	900.64 (5.3)	1003.17 (11.4)	1178.37 (17.5)	1567.81 (33.0)	1537.18 (-2.0)	1663.00 (8.2)
कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र	64538.86	63264.99 (-2.0)	65025.14 (2.8)	63576.61 (-2.2)	66022.21 (3.8)	71263.06 (7.9)	75636.89 (6.1)	79621.19 (5.3)	83174.62 (4.5)

द्रु: द्रुत अनुमान, अग्र: अग्रिम अनुमान

*कोष्ठक में लिखी गई फिगर पिछले साल से प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है।

स्रोत: अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

तालिका 1.5– औद्योगिक क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (द्रु:.)	2019–20 (अग्र.)
खनन व उत्खनन	118.82	91.94 (-22.6)	272.40 (196.3)	330.90 (21.5)	695.23 (110.1)	1191.15 (71.3)	1012.63 (-15.0)	762.34 (-24.7)	905.85 (18.8)
विर्निमाण	53286.09	63311.66 (18.8)	67459.01 (6.6)	72320.84 (7.2)	84936.38 (17.4)	97151.63 (14.4)	104306.35 (7.4)	111503.49 (6.9)	119420.24 (7.1)
बिजली, गैस, जलापूर्ति अन्य सेवाएं	3446.04	3375.07 (-2.1)	2917.19 (-13.6)	3267.77 (12.0)	2960.61 (-9.4)	3559.34 (20.2)	4386.61 (23.2)	4854.80 (10.7)	5413.92 (11.5)
निर्माण	29759.66	27614.98 (-7.2)	30686.76 (11.1)	30146.78 (-1.8)	29581.79 (-1.9)	31519.99 (6.6)	34265.43 (8.7)	36869.60 (7.6)	38786.82 (5.2)
उद्योग	86610.61	94393.65 (9.0)	101335.36 (7.4)	106066.30 (4.7)	118174.01 (11.4)	133422.12 (12.9)	143971.02 (7.9)	153990.23 (7.0)	164526.83 (6.8)

द्रु: द्रुत अनुमान अग्र: अग्रिम अनुमान *कोष्ठक में लिखी गई फिगर पिछले साल से प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।
स्त्रोत: अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

उद्योग क्षेत्र

1.14 विभिन्न वर्षो के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का उप–क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन तथा इसकी विकास दर को स्थिर (2011–12) मूल्यों पर **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है। वर्ष 2017–18 के अनुसार 1,43,971.02 करोड़ रूपये के सकल राज्य मूल्य वर्धन के विरूद्व वर्ष 2018–19 के द्रुत अनुमानों में राज्य का सकल मूल्य वर्धन 1,53,990.23 करोड़ रूपये आंका गया तथा वर्ष 2017–18 की 7.9 प्रतिशत विकास दर की तुलना में वर्ष 2018–19 में 7.0 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई। वर्ष 2019–20 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,64,526.83 करोड़ रूपये आंका गया जो पिछले वर्ष से 6.8 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

1.15 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) एक चयन किए गए आधार वर्ष पर एक समय अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। इस समय राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा आधार वर्ष 2011–12 पर तैयार किये जा रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की मुख्य क्षेत्रों में वृद्वि व उपयोग आधारित श्रेणियां वर्ष 2014–15 से 2015–16 तक **तालिका 1.6** में दी गई है।

तालिका 1.6–हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2011–12=100)

औद्योगिक समूह	सूचकांक	
	2014–15	2015–16
विनिर्माण	120.3 (4.9)	128.7 (7.0)
विद्युत	119.5 (9.0)	92.5 (-22.6)
उपयोग आधारित वर्गीकरण		
क – प्राथमिक वस्तुएं उद्योग	122.8 (9.6)	96.7 (-21.2)
ख – पूंजीगत वस्तुएं उद्योग	115.4 (4.9)	115.4 (0.0)
ग – मध्यवर्ती वस्तुएं उद्योग	117.8 (-1.7)	109.7 (-6.9)
घ – आधार संरचना, निर्माण उद्योग	112.0 (-0.6)	109.8 (-2.0)
ड – उपभोक्ता स्थिर वस्तुएं	124.6 (3.3)	142.1 (14.0)
च – उपभोक्ता अ– स्थिर वस्तुएं	124.9 (19.2)	152.8 (22.3)
औद्योगिक उत्पादन सामान्य सूचकांक	120.3 (5.2)	126.1 (4.8)

स्त्रोत: अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.16 आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2014–15 में 120.3 से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 126.1 हो गया जिसमें 4.8 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज हुई है। विनिर्माण क्षेत्र का सूचकांक वर्ष 2014–15 के 120.3 से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 128.7 हो गया जो गत वर्ष की तुलना में 7.0 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र का सूचकांक वर्ष 2014–15 के 119.5 से घटकर वर्ष 2015–16 में 92.5 हो गया जोकि गत वर्ष की तुलना में –22.6 प्रतिशत नकारात्मक वृद्वि दर्शाता है।

1.17 प्राथमिक वस्तु के उद्योगों जैसे आर्गन गैस, नाईट्रोजन लिकविड, आक्सीजन लिकविड, यूरिया, बिटूमन, एल.पी.जी. सिलेण्डर ऑफ आयरन तथा स्टील, विद्युत इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2014–15 में 122.8 से घटकर वर्ष 2015–16 में 96.7 हो गया, जिसमें –21.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

1.18 पूंजीगत वस्तु के उद्योगों जैसे कनवेयर बैल्ट, दन्त चिकित्सा, मोटर, फैन, डायमंड टूल्स, कल्टीवेटर्स, सिपरिंग पिन, एयर ब्रेक सेट, एक्सल, ट्रैकस, रेलवे/ट्रामवे इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2014–15 में 115.4 की तुलना में वर्ष 2015–16 में कोई भी वृद्वि या गिरावट दर्ज नही की गई।

1.19 मध्यवर्ती वस्तु के उघोगों जैसे मड/मौलासिस वेस्ट, प्लाईवुड बोर्ड, एल्यूमिनियम इनगोट, कास्ट आयरन, मशीन सिकरू आयरन तथा स्टील, गियर केस एसेंमबली, मेडिकल सर्जीकल लैबोरेट्री स्टरलाईजर इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2014–15 में 117.8 से घटकर वर्ष 2015–16 में 109.7 हो गया, जोकि –6.9 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

1.20 उपभोक्ता संरचनात्मक वस्तुओं जैसे पेंट, सीमेंट, पोर्टलैंड, केबल, इन्सूलेटिड पी.वी.सी., स्क्रेप कास्ट आयरन, सीमेंट, अन्य उत्पाद केबल, इन्सूलेटिड रबड़, सीरैमिक टाईल्स इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2014–15 में 112.0 से घटकर वर्ष 2015–16 में 109.8 हो गया, जोकि –2.0 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

1.21 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे की कॉटन, कार्डिड या कौम्बड, कॉटन फैबरिक्स, फैबरिक्स, कॉटन कम्बल, गारमेन्टस कपडे, हैंडबैग, कृत्रिम फर, अन्य सपोर्टस फुटवियर, स्केटिंग बूट के अतिरिक्त, किताबें, रेक्सिन, आडियो सी.डी./डी.वी.डी. प्लेयर, रबड़ कपडा/सीट, कैमपिंग, पैन बाडी प्लास्टिक, स्टैपलर, हथकरगा/साजोसमान के फैन्सी आईटम इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2014–15 में 124.6 से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 142.1 हो गया, जोकि 14.0 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है।

1.22 उपभोक्ता अस्थिर वस्तुएं जैसे सूखी सब्जियां, दूध, बासमती चावल, चीनी, बिस्कुट, ब्लैक चाय, रैक्टीफाईड स्पिरिट, चबाने का तम्बाकू तथा पेय फिल्टर्स इत्यादि का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2014–15 में 124.9 से बढकर वर्ष 2015–16 में 152.8 हो गया जोकि 22.3 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है।

सेवा क्षेत्र

1.23 सेवा क्षेत्र के महत्व का अंदाजा अर्थव्यवस्था के सकल राज्य मूल्य वर्धन में इसके योगदान को देखकर लगाया जा सकता है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2019–20 में स्थिर (2011–12) मूल्यों पर बढ़कर 50.6 प्रतिशत हो गया। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है और यह एक विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियादि घाटकों के नजदीक ले जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में 12.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र की यह विकास दर इसी अवधि की कृषि और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर से काफी तेज थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के पहले चार वर्षों (2012–13 से 2015–16) की अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र में अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में तेज एवं तुलनात्मक रूप से स्थिर विकास का रूझान जारी रहा। इसके पश्चात सेवा क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से धीमी गति से वृद्वि हुई है। वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के दौरान सेवा क्षेत्र मे क्रमशः 10.6, 10.1, 10.4 और 10.8 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज की गई थी।

1.24 वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान सेवा क्षेत्र में क्रमशः 8.6 और 8.4 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज की गई। वर्ष 2017–18 के सकल राज्य मूल्य वर्धन 2,15,615.36 करोड़

रूपये के विरूद्व वर्ष 2018–19 में द्रुत अनुमानों अनुसार 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2,33,476.65 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। अग्रिम अनुमान 2019–20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में वर्ष 2018–19 की तुलना में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ मूल्य वर्धन 2,54,135.78 करोड़ रूपये होने की संभावना है। इसमें परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण सम्बन्धी सेवाओं (4.9 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं (5.6 प्रतिशत) और लोक प्रशासन (6.4 प्रतिशत) क्षेत्र में धीमी विकास दर के कारण वर्ष 2019–20 में तुलनात्मक कम वृद्वि दर्ज की गई (तालिका 1.7)।

सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप–क्षेत्रों का विकास

व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेन्ट

1.25 वर्ष 2018–19 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वर्ष 2017–18 में यह वृद्वि 11.7 प्रतिशत थी। अग्रिम अनुमान वर्ष 2019–20 में इस उप–क्षेत्र की विकास दर 11.5 प्रतिशत होने की संभावना है।

तालिका 1.7– सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर।

क्षेत्र	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (द्रु:)	2019–20 (अग्र:)
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट	33107.42	36239.29 (9.5)	38434.40 (6.1)	43097.44 (12.1)	50324कृ65 (16.8)	55984.01 (11.2)	62512.56 (11.7)	67780.29 (8.4)	75572.52 (11.5)
परिवहन, भण्डारण, संचार, वित्त बीमा और प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं	17276.89	18744.22 (8.5)	20469.79 (9.2)	22937.61 (12.1)	24381.94 (6.3)	24363.66 (–0.1)	25405.83 (4.3)	26952.91 (6.1)	28280.93 (4.9)
वित्त वास्तविक सम्पदा एवं व्यवसायिक सेवाएं	52584.59	59475.62 (13.1)	68666.72 (15.5)	74026.89 (7.8)	81917.61 (10.7)	89807.03 (9.6)	95085.52 (5.9)	103957.31 (9.3)	112990.76 (8.7)
सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	19956.26	21482.82 (7.6)	22127.24 (3.0)	25264.26 (14.2)	26587.59 (5.2)	28721.93 (8.0)	32611.45 (13.5)	34786.14 (6.7)	37291.57 (7.2)
कुल सेवाएं	122925.16	135941.93 (10.6)	149698.16 (10.1)	165326.20 (10.4)	183211.78 (10.8)	198876.63 (8.6)	215615.36 (8.4)	233476.65 (8.3)	254135.78 (8.8)

द्रु: द्रुत अनुमान अग्र: अग्रिम अनुमान।

* कोष्ठक में लिखी गई फिगर पिछले साल से प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सम्बन्धी सेवाएं

1.26 वर्ष 2018–19 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस उपक्षेत्र में वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि वर्ष 2017–18 में यह 4.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2019–20 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इन उप–क्षेत्र की वृद्धि दर 4.9 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

वित्तीय, वास्तविक सम्पदा एवं व्यवसायिक सेवाएं

1.27 वर्ष 2017–18 व 2018–19 के दौरान इन उपक्षेत्रों में वृद्धि दर क्रमशः 5.9 एवं 9.3 प्रतिशत रही है। वर्ष 2019–20 के अग्रिम अनुमानों पर इस उप–क्षेत्र में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त होने की सम्भावना है।

सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं

1.28 वर्ष 2017–18 व 2018–19 के दौरान इन उपक्षेत्रों में वृद्धि दर क्रमशः 13.5, एवं 6.7 प्रतिशत रही है। वर्ष 2019–20 के अग्रिम अनुमानों पर इस उप–क्षेत्र में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है।

सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.29 अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता काफी हद तक पूंजी निर्माण पर निर्भर करती है यानि अधिक पूंजी संचय, अर्थव्यवस्था की उच्च उत्पादन क्षमता। अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा प्रचलित एवं स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान जैसेकि उद्योगों के उपयोग, संस्थानों के प्रकार एवं परिसम्पतियों के प्रकार तैयार करता है।

प्रचलित भावों पर राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2016–17 के दौरान 78,423 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2017–18 के दौरान 86,061 करोड़ रूपये अनुमानित किए गए। जिसमें 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2016–17 के 41,463 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2017–18 में 44,442 करोड़ रूपये अनुमानित किए गए जिसमें वर्ष 2017–18 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान तथा वृद्धि प्रतिशतता **तालिका 1.8** व **आकृति 1.5** में दर्शाये गये हैं।

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.30 सकल स्थाई पूंजी निर्माण में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश स्थिर (2004–05) भावों पर वर्ष 2004–05 में 9.3 प्रतिशत था। उसके बाद वर्ष 2016–17 में यह 13.2 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2017–18 में बढ़कर 14.2 प्रतिशत हो गया।

तालिका 1.8–हरियाणा मे सकल स्थाई पूंजी निर्माण

(करोड़ रूपये)

वर्ष	सकल स्थाई पूंजी निर्माण	
	चालू भावों पर	स्थिर (2004–05) भावों पर
2011–12	47948	30958
2012–13	53158	32041
2013–14	59134	33584
2014–15	65357	36158
2015.16	71116	38851
2016–17	78423	41463
2017–18 (अ:)	86061	44442

अ: अनन्तिम अनुमान

स्रोत: अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

उद्योग क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.31 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में उद्योग क्षेत्र का अंश स्थिर (2004–05) भावों पर वर्ष 2004–05 में 55.5 प्रतिशत था तथा वर्ष 2016–17 में 52.2 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2017–18 में बढ़कर 52.8 प्रतिशत हो गया।

सेवा क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.32 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में सेवा क्षेत्र का अंश स्थिर (2004–05) भावों पर वर्ष 2004–05 में 35.2 प्रतिशत था उसके पश्चात् यह वर्ष 2016–17 में 34.6 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2017–18 में घटकर 33 प्रतिशत रह गया।

आकृति 1.5–हरियाणा के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में स्थिर (2004-05) कीमतों पर वृद्धि

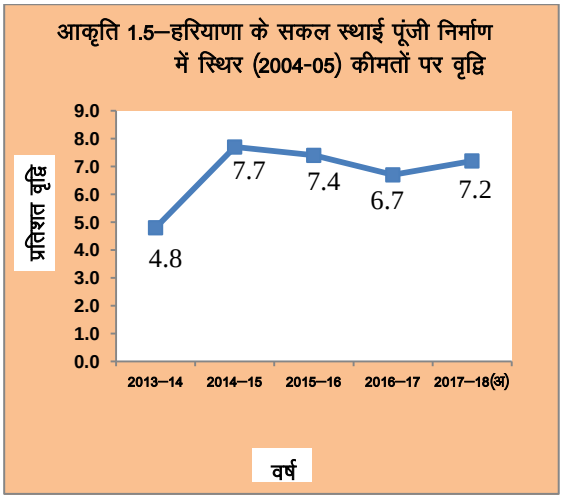

कीमतों की स्थिति

1.33 राज्य में कीमतों की स्थिति का आंकलन करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से साप्ताहिक/मासिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं के थोक व खुदरा भाव एकत्रित करता है और ग्रामीण व श्रमिक वर्ग के लिये क्रमशः थोक मूल्य सूचकांक व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करता है।

1.34 थोक मूल्य सूचकांकः राज्य की 20 चयनित कृषि वस्तुओं (आधार वर्ष कृषि 1980–81=100) के थोक मूल्य सूचकांक को वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक को **तालिका 1.9** में दिखाया गया है। जो वर्ष 2017–18 में 1384.9 से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 1,437.3 हो गया जोकि 3.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है जबकि यह वृद्धि वर्ष 2016–17 और वर्ष 2017–18 में पिछले वर्ष की तुलना से क्रमशः 2.5 एवं 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

तालिका 1.9– हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का वर्षवार थोक मूल्य सूचकांक

वर्ष	सूचकांक कृषि आधार वर्ष (1980–81=100)
2014–15	1279.7
2015–16	1317.5
2016–17	1349.8
2017–18	1384.9
2018–19	1437.3

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग,हरियाणा।

1.35 मास–वार थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2019 तक को **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है। थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2018 में 1,425.3 से बढ़कर दिसम्बर, 2019 में 1521.2 अंक हो गया जोकि 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मूलतः अनाजों, दालों, तेल के बीज, कपास, गुड व अन्य फसलों के भावों में वृद्धि के कारण हुई।

1.36 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण): एक अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। इस सूचकांक की गणना का मुख्य उद्देश्य सामान्य स्तर पर उन परिवर्तनों की गति को मापना है जो कि राज्य में एक औसत ग्रामीण परिवार के द्वारा खुदरा कीमतों पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर खर्च की जाती हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के 24 गांवों से, पाक्षिक कीमतें एकत्रित की जाती है।

तालिका 1.10–हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का माहवार थोक मूल्य सूचकांक

मास	सूचकांक आधार वर्ष (1980–81=100)
दिसम्बर, 2018	1425.3
जनवरी, 2019	1431.2
फरवरी, 2019	1439.3
मार्च, 2019	1448.2
अप्रैल, 2019	1454.2
मई, 2019	1471.2
जून, 2019	1473.2
जुलाई, 2019	1482.2
अगस्त, 2019	1496.3
सितम्बर, 2019	1500.3
अक्तूबर, 2019	1513.3
नवम्बर, 2019	1520.1
दिसम्बर, 2019	1521.2

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग,हरियाणा।

1.37 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण): खाद्य वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण में वर्ष 2017–18 में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2018–19 में 5.3 प्रतिशत रही तथा सामान्य वर्ग में यह वर्ष 2017–18 में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2018–19 में 4.6 प्रतिशत रही। राज्य में वर्ष-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018-19 तक को **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11–हरियाणा में वर्षवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1988–89=100)

वर्ष	खाद्य सूचकांक	सामान्य सूचकांक
2014–15	708	654
2015–16	741	690
2016–17	766	711
2017–18	787	733
2018–19	829	767

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा ।

1.38 वर्ष के दौरान राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) की गति का मासवार दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2019 तक **तालिका 1.12** में प्रस्तुत किया गया है जिसका अध्ययन करने से पता चलता है कि यह दिसम्बर, 2018 में 759 अंक था जो कि दिसम्बर, 2019 में बढ़कर 816 अंक हो गया, जो कि 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 1.12–हरियाणा में माहवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

मास	सूचकांक
दिसम्बर, 2018	759
जनवरी, 2019	769
फरवरी, 2019	770
मार्च, 2019	774
अप्रैल, 2019	780
मई, 2019	782
जून, 2019	786
जुलाई, 2019	792
अगस्त, 2019	795
सितम्बर, 2019	800
अक्तूबर, 2019	807
नवम्बर, 2019	810
दिसम्बर, 2019	816

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.39 श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निश्चित समय में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर एक औसत श्रमिक वर्ग के परिवार द्वारा आधार वर्ष के संदर्भ में उपभोग की गई सापेक्षिक कीमतों

के परिवर्तनों को मापता है। यह छः केन्द्रों नामतः सूरजपूर पिन्जौर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार और बहादूरगढ़ के मासिक भारित औसत सूचकांको को ध्यान में रखकर संकलित किया जा रहा है। राज्य के श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2015 से 2019 तक को **तालिका 1.13** में प्रस्तुत किया गया है।

1.40 श्रमिक वर्ग के लिये वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हरियाणा (आधार वर्ष 1982=100) में वर्ष 2018 में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2019 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2019 में केन्द्रवार बहादुरगढ के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा (6.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि हिसार में सबसे कम (6.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

तालिका 1.13–हरियाणा के श्रमिक वर्ग का वर्षवार औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

वर्ष	सूचकांक
2015	1016
2016	1068
2017	1094
2018	1141
2019	1215

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

तालिका 1.14–हरियाणा में श्रमिक वर्ग का माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

मास	सूचकांक
दिसम्बर, 2018	1163
जनवरी, 2019	1177
फरवरी, 2019	1179
मार्च, 2019	1186
अप्रैल, 2019	1198
मई, 2019	1202
जून, 2019	1209
जुलाई, 2019	1221
अगस्त, 2019	1226
सितम्बर, 2019	1232
अक्तूबर, 2019	1242
नवम्बर, 2019	1251
दिसम्बर, 2019	1257

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.41 राज्य में मास-वार श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गति के आंकलन को दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2019 तक को **तालिका 1.14** में प्रस्तुत किया गया है। दिसम्बर, 2018 में श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) 1,163 अंक था जो कि दिसम्बर, 2019 में बढ़कर 1,257 अंक हो गया, जिसमें 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

***

2

लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण, वित्तीय समावेश तथा आबकारी एवं कराधान

भारत वर्ष में हरियाणा एक बहुत ही प्रगतिशील राज्य है। हरियाणा राज्य राजकोषीय सुधार करने और अपना राजकोषीय प्रबन्धन करने के हिसाब से देशभर में प्रथम स्थान पर है। लोक वित्त का सम्बन्ध सरकार द्वारा उन लोगों से कर संग्रहण करना है जो सार्वजनिक माल के उपयोग का लाभ लेते हैं और उस संग्रह किए गए कर का सार्वजनिक माल के निर्माण व वितरण की दिशा में उपयोग करते हैं। संसाधन निर्माण, संसाधन वितरण एवं व्यय प्रबन्धन (संसाधन उपयोग) लोक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के आवश्यक घटक हैं। लोक वित्त के दायरे में नामतः तीन घटक सम्मिलित हैं; संसाधनों का कुशल वितरण, आय का वितरण तथा समष्टि अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण।

2.2 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक की तय अवधि के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत रखा था। वर्ष 2019–20 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य के राजकोषीय घाटे का अनुमान 22,462 करोड़ रूपये लगाया गया जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.86 प्रतिशत बनता है तथा उक्त निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत के अन्तर्गत आता है। वर्ष 2019–20 के बजट अनुमानों अनुसार ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 22.86 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया जो पूर्व निर्धारित सीमा 25 प्रतिशत के अन्तर्गत आता है।

आकृति 2.1– राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय

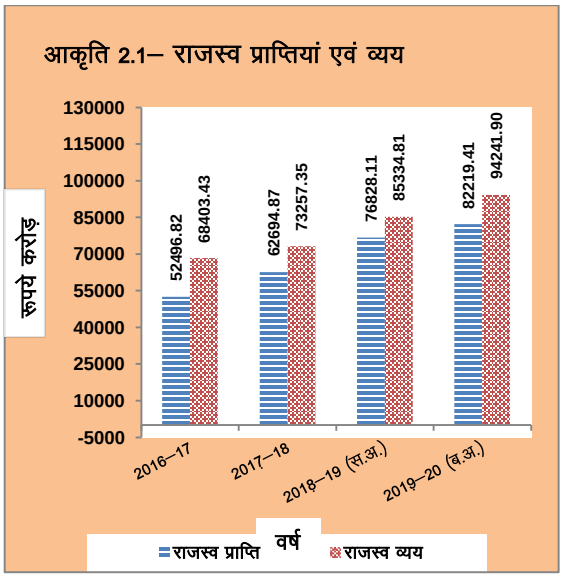

राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय

2.3 वर्ष 2016–17 से 2019–20 (ब.अ.) तक राज्य की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय को **आकृति 2.1** व **अनुलग्नक 2.1 से 2.3** में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वयं के कर व गैर कर राजस्व के रूप में, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी तथा केन्द्रीय सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। वर्ष 2019–20 बजट अनुमानों के अनुसार, हरियाणा सरकार के व्यय 94,241.90 करोड़ रूपये के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियाँ 82,219.41 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है, जोकि 12,022.49 करोड़ रूपये के घाटे को दर्शाता है। वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 62,694.87 करोड़ रूपये थी जबकि इसी अवधि में व्यय 73,257.35 करोड़ रूपये था

तथा इस अवधि में 10,562.48 करोड़ रूपये का घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2016–17, में 52,496.82 करोड़ रूपये रही जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय 68,403.43 करोड़ रूपये था जो कि 15,906.61 करोड़ रूपये का घाटा दर्शाता है।

कर

2.4 वर्ष 2016–17 से 2019–20 (ब.अ.) तक करों की स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शाई गई है। कुल कर में i) राज्य का स्वयं कर राजस्व (ओ.टी.आर) तथा ii) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा (एस.सी.टी.) शामिल है। राज्य का कुल कर वर्ष 2016–17 में 40,623.16 करोड़ रूपये (34,025.71 करोड़ रूपये ओ.टी.आर.+ 6,597.45 करोड़ रूपये एस.सी.टी.) से बढ़कर वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में 62,321.64 करोड़ रूपये (51,105 करोड़ रूपये ओ.टी.आर. + 11,216.64 करोड़ रूपये एस.सी.टी.) रहने का अनुमान है।

कर राजस्व

2.5 बिक्री कर से कर राजस्व वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में 10,900 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2018–19 (स.अ.) में यह 11,290 करोड़ रूपये था। वर्ष 2018–19 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में बिक्री कर में 3.45 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है, जिसका कारण राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) को लागू करना रहा। वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में राज्य वस्तु एवं सेवा कर से कर राजस्व 22,750 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2018–19 (स.अ.) में 23,760 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2018–19 (स.अ.) से वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में 4.25 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में राज्य उत्पाद शुल्क से कर राजस्व 7,000 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2018–19 (स.अ.) में 6,450 करोड़ रूपये था, जो कि वर्ष 2018–19 (स.अ.) से वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में 8.53 प्रतिशत की बढौतरी दर्शाता है। स्टाम्प व पंजीकरण से वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में 6,500 करोड़ रूपये कर राजस्व प्राप्ति का अनुमान है जबकि वर्ष 2018–19 (स.अ.) में इस मद से 6,000 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी **(अनुलग्नक 2.1)**।

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

2.6 केन्द्र से हस्तान्तरण मुख्यतया केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय वित्त आयोग के पुरस्कार के तहत अनुदान व अन्य अनुदान के रूप में होती है। राज्य में वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से कुल सम्भावित प्राप्तियां 11,216.64 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2018–19 (स.अ.) में 8,254.60 करोड़ रूपये थी जोकि यह दर्शाता है कि केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी में वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में वर्ष 2018–19 (स.अ.) की तुलना में 35.88 प्रतिशत की वृद्वि अनुमानित है।

तालिका 2.1– राज्य की कर स्थिति

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	राज्य का स्वयं कर राजस्व (ओ.टी.आर.)	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी (एस.सी.टी.)	कुल कर
2016–17	34025.71	6597.45	40623.16
2017–18	41099.38	7297.52	48396.90
2018–19 (स.अ.)	50946.00	8254.60	59200.60
2019–20 (ब.अ.)	51105.00	11216.64	62321.64

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डाक्यूमेंट

सहायता अनुदान

2.7 राज्य में सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है। केन्द्रीय करों से प्राप्त सराहनीय राशि के अतिरिक्त वित्त आयोग ने राज्यों को विशेष प्रयोजन हेतू सहायता अनुदान की भी सिफारिश की है। राज्य को वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में 9,872.82 करोड़ रूपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्ति का अनुमान है जबकि इसी मद में वर्ष 2018–19 (स.अ.) में यह राशि 8,507.35 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार वर्ष 2018–19 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में सहायता अनुदान राशि में 16.05 प्रतिशत की वृद्वि की सम्भावना है।

तालिका 2.2–केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्राप्त राशि
2016–17	5677.57
2017–18	5185.12
2018–19 (स.अ.)	8507.35
2019–20 (ब.अ.)	9872.82

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान
प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डाक्यूमेंट

पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत व्यय

पूंजीगत प्राप्तियाँ

2.8 वर्ष 2016–17 से 2019–20 (ब.अ.) तक राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को **आकृति 2.2** तथा **अनुलग्नक 2.1 व 2.2** में दर्शाया गया है। पूंजी प्राप्तियों को तीन भागों में बांटा जाता है नामतः (1) ऋणों की वसूली (2) विविध पूंजी प्राप्तियाँ एवं (3) उधार तथा अन्य ऋण। पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में 29,689.43 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि वर्ष 2018–19 (स.अ.) में यह 25,950.98 करोड़ रूपये थी।

पूंजीगत व्यय

2.9 पूंजीगत व्यय में पूंजी परिव्यय एवं उधार ऋण (ऋण और अग्रिम के संवितरण) सम्मिलित होते हैं तथा पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध सम्पति निर्माण से है। राज्य का पूंजी व्यय वर्ष 2016–17 में 11,378 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में 17,666.94 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जैसा कि **अनुलग्नक 2.2** में दर्शाया गया है।

2.10 कुल विकासात्मक व्यय जिसमें सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, श्रम व रोजगार इत्यादि व आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, बिजली, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास इत्यादि पर खर्च सम्मिलित हैं। वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में विकासात्मक व्यय 74,971.65 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2018–19 (स.अ.) में यह 71,588.27 करोड़ रूपये था। इस प्रकार इसमें 4.73 प्रतिशत की वृद्धि की सम्भावना है।

आकृति 2.2– पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय

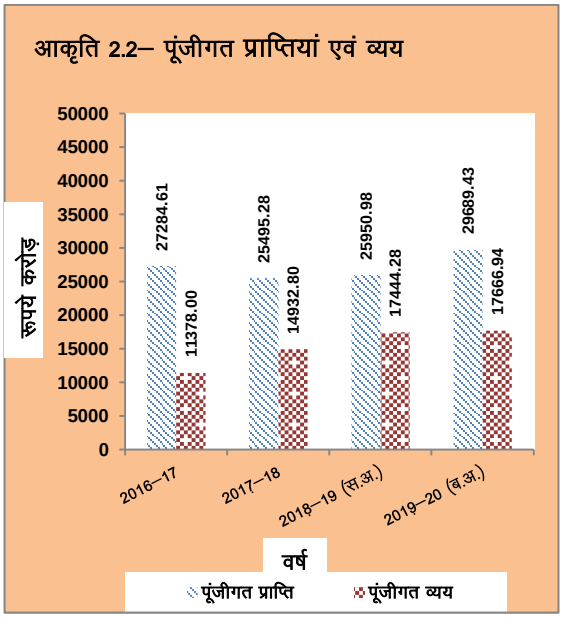

2.11 कुल गैर–विकासात्मक व्यय जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, सरकार के अंग, वित्तीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, पैंशन व विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित है, पर वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में व्यय का अनुमान 36,937.19 करोड़ रूपये है, जो कि वर्ष 2018–19 (स.अ.) में 30,965.10 करोड़ रूपये था। कुल गैर–विकासात्मक व्यय में वर्ष 2018–19 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में 19.29 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

वित्तीय स्थिति

2.12 राजस्व खाते में वर्ष 2017–18 में 10,562.48 करोड़ रूपये घाटे के विरूद्व वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में 12,022.49 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान है। वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि की निवल जमा में 453 करोड़ रूपये का अधिशेष अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2018–19 (स.अ.) में 802 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.3)**।

आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार राज्य सरकार का बजट व्यय

2.13 सरकार के बजट में आम तौर पर व्यय का ब्यौरा विभागावार दिया जाता है ताकि उस पर वैधानिक नियन्त्रण रखा जा सके, प्रशासकीय जवाबदेयी हो तथा किसी भी प्रकार के खर्च का लेखा–परीक्षण हो सके। सरकारी बजटीय लेन–देन तभी अभिप्रायपूर्ण होता है जब उसे अर्थ पूर्ण आर्थिक श्रेणियों जैसे उपभोग व्यय, पूंजीनिर्माण आदि में वर्गीकृत किया जाये, इसीलिये इसे चुनने पुनः वर्गीकृत करने तथा पुनः श्रेणियों में बांटने का कार्य किया जाता है। मोटे तौर पर बजट को प्रशासनिक विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में बांटा जाता है। प्रशासकीय विभाग सरकारी एजैन्सी हैं जो सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपकम अन–इनकारपोरेटिड उद्यम है जिन पर सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है तथा यह सीधे तौर पर सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

2.14 बजट का आर्थिक वर्गीकरण जो बजटीय लेन–देन को अर्थ–पूर्ण आर्थिक श्रेणी में बांटता है, के अनुसार 2019–20 (ब.अ.) में कुल व्यय 1,10,615.01 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2018–19 (स.अ.) में 1,03,631.83 करोड़ रूपये था जोकि 6.74 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है **(अनुलग्नक 2.4)**।

2.15 राज्य सरकार का उपभोग व्यय वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में 38,094.01 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2018–19 (स.अ.) में 34,327 करोड़ रूपये था। उपभोग व्यय में 2019–20 (ब.अ.) में वर्ष 2018–19 (स.अ.) से 10.97 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.16 राज्य सरकार की सकल पूंजी निर्माण यानि भवन, सड़कें तथा अन्य निर्माण, वाहन, मशीनरी तथा उपकरण की खरीद पर प्रशासकीय विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निवेश वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में 9,925.63 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि वर्ष 2018–19 (स.अ.) में 9,956.98 करोड़ रूपये था। सकल पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पूंजी हस्तान्तरण, कर्जे एवं अग्रिम तथा वित्तीय परिसम्पतियों की खरीद के द्वारा भी पूंजी निर्माण करती है **(अनुलग्नक 2.4)।**

संस्थागत वित्त

2.17 संस्थागत वित्त किसी भी प्रकार के विकास कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार की भूमिका बैंकिंग संस्थाओं को कृषि एंव सहबद्ध क्षेत्र, विशेषतया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को अधिक महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करना है। वाणिज्यक बैंकों, सहकारी बैंकों और अवधि ऋण संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत वित्त उपलब्ध करवाकर राज्य के बजटीय संसाधनों के भार को कम करना है।

2.18 राज्य में सितम्बर, 2019 को वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 4,915 थी। वाणिज्यक बैंकों और ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशि सितम्बर, 2019 तक बढकर 4,06,174 करोड़ रूपये हो गई। इसी प्रकार बैंकों के अग्रिम ऋण की राशि भी सितम्बर, 2019 को बढ़कर 2,66,936 करोड़ रूपये हो गई थी। ऋण–जमा (सी.डी.) अनुपात राज्य के आर्थिक विकास के लिये उपलब्ध ऋण का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। सितम्बर, 2019 में ऋण–जमा अनुपात कुछ घटकर 66 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह अनुपात 69 प्रतिशत था।

राज्य वार्षिक ऋण योजना

2.19 राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2019–20 के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 62,196 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान करने का है। गत वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में सितम्बर, 2019 तक का लक्ष्य 6 प्रतिशत अधिक है। राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2019–20 के अन्तर्गत सितम्बर, 2019 तक कुल उपलब्धि 56,574 करोड़ रूपये रही जो कि 62,196 करोड रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 91 प्रतिशत था (**तालिका–2.3**)।

2.20 बैंकों की कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण उधार उपलब्धि संतोषजनक है। वार्षिक लक्ष्य 39,143 करोड़ रूपये के विरूद्ध इनकी उपलब्धि सितम्बर, 2019 तक 30,645 करोड़ रूपये थी जो वार्षिक लक्ष्य का 78 प्रतिशत है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में उपलब्धि काफी संतोषजनक रही। बैंकों ने इन उद्योगों के लिए 14,992 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 20,351 करोड़ रूपये जारी किए जोकि लक्ष्य का 136 प्रतिशत है। अन्य प्राथमिक क्षेत्र में बैंकों ने 8,061 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 5,578 करोड़ रूपये जारी किए जो वार्षिक लक्ष्य का 69 प्रतिशत है।

वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंकवार उपलब्धि

2.21 राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2019–20 के अन्तर्गत वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सितम्बर, 2019 तक 50,243 करेाड़ रूपये के ऋण दिये जबकि लक्ष्य 53,326 करोड़ रूपये था। जोकि लक्ष्य का 94 प्रतिशत है। वर्ष 2019–20 में इन बैंको द्वारा दिया गया ऋण **तालिका–2.4** में दिया गया है।

2.22 वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र के अन्तर्गत सबसे अधिक 24,918 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये। उसके बाद सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत 20,103 करोड़ और अन्य प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत 5,222 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये। फिर भी लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि की प्रतिशतता के मामले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक 143 प्रतिशत, कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र में 79 प्रतिशत और इसके बाद अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 69 प्रतिशत रही।

सहकारी बैंक

2.23 सितम्बर, 2019 तक हरियाणा राज्य सहकारी बैंकों ने 8,083 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 6,211 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 77 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका–2.3 हरियाणा की वार्षिक ऋण योजना 2019–20.

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2019–20	उपलब्धियां (30–9–2019 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	39143	30645	78
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	14992	20351	136
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	8061	5578	69
कुल	**62196**	**56574**	**91**

तालिका – 2.4 हरियाणा में वर्ष 2019–20 में वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2019–20	उपलब्धियां (30–9–2019 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	31614	24918	79
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	14104	20103	143
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	7608	5222	69
कुल	**53326**	**50243**	**94**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.5– हरियाणा में वर्ष 2019–20 में सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2019–20	उपलब्धियां (30–9–2019 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	7149	5698	80
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	506	168	33
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	428	345	81
कुल	**8083**	6211	**77**

तालिका 2.6– वर्ष 2019–20 में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा दिए अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2019–20	उपलब्धियां (30–9–2019 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	375	29	8
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	27	7	26
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	24	1	4
कुल	**426**	**37**	**9**

तालिका 2.7– वर्ष 2019–20 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा दिये गये अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2019–20	उपलब्धियां (30–9–2019 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	0	0	0
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	348	56	16
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	0	0	0
कुल	**348**	**56**	**16**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2.24 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) ने सितम्बर, 2019 तक 426 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 37 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 9 प्रतिशत है। वर्ष 2019–20 के दौरान हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रवार उपलब्धि **तालिका 2.6** में दी गई है।

लघु उद्योग विकास बैंक

2.25 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सितम्बर, 2019 तक 348 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 56 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 16 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.7** में दिया गया है।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2.26 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक लि0 की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हुई थी। बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे, अब इनकी संख्या बढकर 71 हो गई है। अब इन प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको में सम्मिलित कर दिया गया है और तहसील तथा उप–तहसील स्तर पर कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं विकास बैंक इन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको की शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

2.27 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 ने 01–04–2019 से 30–11–2019 तक 3,320.67 लाख रूपये के ऋण वितरित किये है। हरियाणा राज्य सहकारी

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रवार उपलब्धियां **तालिका 2.8** व **2.9** में दर्शाई गई हैं।

2.28 बैंक ने 01–03–2019 से सभी परम उधारकर्ताओं से वसूल किये जाने वाले ब्याज की वार्षिक दर पुनः निर्धारित कर 13 प्रतिशत वार्षिक कर दी है। इससे पहले, यह ब्याज दर 13.50 प्रतिशत वार्षिक थी। जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने मुनाफा 1.75 प्रतिशत वार्षिक रखा जबकि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने अपना मुनाफा 2.45 प्रतिशत वार्षिक रखा है।

तालिका 2.8– हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 की क्षेत्रवार उपलब्धियां

(लाख रूपये)

क्रं0 स0	क्षेत्र व स्कीम	अनुमानित लक्ष्य वर्ष 2019–20	अग्रिम ऋण (1–4–19 से 30–11–19 तक)
1	लघु सिंचाई	6000	1126.95
2	कृषि मशीनीकरण	400	21.50
3	भूमि विकास	2000	354.00
4	डेयरी विकास पशुगृह	1100	143.50
5	बागवानी/कृषिवानिक	1500	309.80
6	ग्रामीण आवास योजना	800	108.55
7	गैर कृषि क्षेत्र	1800	1063.92
8	भूमि खरीदने हेतु	500	26.00
9	ग्रामीण भण्डारण	200	0.00
10	अन्य	700	166.45
	कुल	**15000**	**3320.67**

स्त्रोतः हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0।

तालिका 2.9– हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 की क्षेत्रवार उपलब्धियाँ

(लाख रूपये)

क्षेत्र व स्कीम	अग्रिम ऋण									
	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि
लघु सिंचाई	1357	4990.67	1840	6747.04	990	3831.48	726	3265.76	161	694.66
कृषि मशीनीकरण	146	333.65	329	667.60	129	308.25	74	210.65	01	4.00
भूमि विकास	499	1533.20	683	2363.35	390	1381.40	211	827.85	45	158.60
डेयरी विकास पशुगृह सहित	412	1027.84	389	1121.06	202	642.05	106	356.68	34	140.48
बागवानी एवं कृषिवानिक	364	1681.40	415	1836.55	231	1144.05	136	720.95	33	191.50
ग्रामीण आवास योजना	207	431.23	425	892.08	201	509.90	106	268.42	27	84.85
गैर कृषि क्षेत्र	677	2216.40	626	2228.07	381	1387.80	440	1756.51	266	1251.75
भूमि खरीदने हेतु	58	312.22	64	342.40	44	237.00	13	85.50	11	61.50
ग्रामीण भण्डारण	2	12.00	1	6.00	9	40.50	1	6.00	00	1.50
अन्य	158	542.73	256	637.62	128	349.15	68	223.00	14	54.75
कुल	**3880**	**13081.54**	**5028**	**16841.77**	**2705**	**9834.58**	**1881**	**7721.32**	**592**	**2643.59**

स्त्रोतः हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 की निम्न योजनाएं प्रचलन में हैः–

1. ग्रामीण आवास योजना;
2. कृषि भूमि की खरीद;
3. कम्मबाईन हारवैस्टर;
4. स्ट्रारीपर;
5. स्ट्रॉबैरी की खेती;
6. स्वयं रोजगार हेतु वाणिज्यिक डेयरी;
7. कृषि स्नातको के लिए कृषि–क्लीनिक व कृषि–व्यापार केन्द्र स्थापित करने हेतू योजना;
8. किसानों को दो पहिया वाहन;
9. पशुगृह योजना;
10. औषधीय एवं सुगन्धित पौधों के लिए ऋण;
11. सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ऋण;
12. ग्रामीण भण्डारण;
13. ग्रामीण शिक्षा के लिए ढांचागत संरचना विकास हेतु ऋण;
14. विवाह समारोह स्थल, सभी प्रकार की सूचना प्रौधोगिकी सम्बन्धित गतिविधियां व अन्य सेवाए;
15. बेकार बन्द टयूबवलों की जगह नए सबमर्सिबल टयूबवैल लगाने हेतु ऋण;
16. जैविक खाद तैयार करने हेतु ऋण।

2.29 समय पर ऋण अदा करने पर ब्याज माफी योजनाः वर्ष 2009 में राज्य सरकार ने समय पर ऋण अदा करने पर ब्याज माफी योजना पेश की है। इस योजना के अन्तर्गत 31–12–2009 तक 17,951 किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज माफी के रूप में 5.66 करोड़ रूपये के ब्याज में राहत प्रदान की गई है। इस योजना को 5 प्रतिशत ब्याज राहत के साथ आगे 31–03–2018 तक बढ़ा दिया गया था जिसमें 1,24,671 ऋणी किसानों को 82.38 करोड़ रूपये की राशि ब्याज राहत के रूप में 01–01–2010 से 24–08–2014 तक प्रदान की जा चुकी है। इस योजना में 25–08–2014 से ब्याज की दर सहमति से ब्याज में दिये जाने वाले फायदे को बढाकर 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कर दिया था। इस योजना के तहत 25–08–2014 से 30–06–2019 तक 77,852 ऋणी किसानों को 70.33 करोड़ रूपये का लाभ प्रदान किया गया है।

2.30 वसूली सम्बन्धित प्रोत्साहन योजना (एक मुश्त योजना)–2019ः यह योजना जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के उन चुककर्ता ऋणियों के लिये लागू की गई है जो अपने मूलधन की किस्तों एवं ब्याज का भुगतान निश्चित कारणों से 31–08–2019 तक नहीं कर सके। इस योजना के नियमानुसार, कोई भी चुककर्ता ऋणी 31–08–2019 तक के कुल ब्याज दायित्व अतिदेय ब्याज राशि सहित 50 प्रतिशत छूट का अधिकारी होगा। 2 प्रतिशत वार्षिक दर से लगाया गया दंडस्वरूप ब्याज बैंक द्वारा वहन किया जाता हैं। यह योजना भूमि खरीदने पर लिये गए ऋण को छोड़कर बाकि सभी उद्देश्य के ऋणों पर लागू होती है। यह योजना 31–01–2020 तक कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 01–09–2019 से 28–01–2020 तक 10,003 चुककर्ता ऋणियों को 7,844.20 लाख रूपये की राशि का लाभ दिया गया है और 28–01–2020 तक 1,651.20 लाख रूपये का दंडातमक ब्याज माफ किया जा चुका है।

हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड

2.31 हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड राज्य की अर्थ–व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लघु अवधि सहकारिता ऋण ढांचा तीन स्तरों पर कार्यरत है जिसमें राज्य स्तर पर हरको बैंक, जिसकी चण्डीगढ़ व पंचकूला में 13 शाखाएं व 2 विस्तार कांउटर है तथा जिला मुख्यालयों पर 19 केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं, जिनकी 594 शाखाएं हैं तथा 725 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जोकि अधिकतम हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 11.93 लाख सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं। राज्य में बैंक स्वयं या अपने सदस्यों की तरफ से विभिन्न उच्च वित्तपोषण एजैन्सियां जैसे आर.बी.आई/

नाबार्ड, राज्य सरकार, एन.सी.डी.सी. इत्यादि से जमा को जुटा कर, फंडस को बढ़ाकर/उधार लेकर अपने सदस्यों को कृषि, विपणन एवं प्रंस्सकरण, उपभोग, निर्माण, व्यापार, भवन, परिवहन, वितरण एवं स्टोकिंग इत्यादि उद्देश्यों के लिये ऋण उपलब्ध करवाने की विभिन्न गतिविधियाँ करता है और अपने जमाकर्ताओं की 53 वर्षों से सेवा कर रहा है। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने नवम्बर, 1966 में छोटे बैंक के रूप में कार्य आरम्भ किया था जोकि अब अपनी बकाया ऋण पात्रता की वजह से एक मजबूत वित्तीय संस्था के रूप में उभरा है। दिसम्बर, 2019 तक बैंक की कार्यशील पूंजी 9,282.08 करोड़ रूपये है (**तालिका 2.10**)। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पिछले पाँच वर्षो के दौरान दिए गए अग्रिम ऋणों की फसलवार तुलनात्मक स्थिति **तालिका 2.11** में दर्शायी गई है।

तालिका 2.10–हरको बैंक की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपये)

क्र0स	विवरण	2014–15	2015–16	-12016–17	2017–18	2018–19	दिसम्बर, 2019
1	हिस्सा पूंजी	132.61	137.99	143.21	172.57	245.36	245.36
2	निजि कोष	566.45	756.53	800.34	850.05	949.84	949.83
3	अमानतें	2179.55	3104.91	3740.28	3397.93	2682.70	3894.54
4	उधार राशि	4425.04	4025.27	4300.99	4719.83	4663.96	4295.80
5	ऋण दिये	6748.60	7608.07	7397.17	7541.99	7313.05	6318.27
6	बकाया ऋण	5904.08	6318.60	5564.17	6771.73	6748.65	7099.21
7	लाभ/हानि	16.23	23.80	31.96	35.65	31.88	–
8	वसूली प्रतिशत	99.95	99.96	99.95	99.96	–	–
9	अतिदेय व ऋण अनुपात प्रतिशत	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	–
10	एन.पी.ए. प्रतिशत	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	–
11	कार्यशील पूंजी	7698.09	8029.50	9127.83	9039.39	8834.21	9282.08

स्त्रोतः हरको बैंक।

तालिका 2.11– केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा फसलवार अग्रिम ऋण

(i) खरीफ फसल

(करोड़ रूपये)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2015	4194.00	201.00	4395.00	4369.58	211.26	4580.84
2016	4600.00	227.00	4827.00	4558.40	206.83	4765.23
2017	4875.00	243.00	5118.00	4749.14	233.79	4982.93
2018	5121.00	271.30	5392.30	4978.87	245.00	5223.87
2019	5285.00	300.00	5585.00	4928.53	256.23	5184.58

(ii) रबी फसल

(करोड़ रूपये)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2014–15	4175.00	305.00	4480.00	4310.25	250.59	4560.84
2015–16	4483.00	305.00	4788.00	4523.94	361.06	4885.00
2016–17	4704.00	396.00	5100.00	4082.05	296.91	4378.96
2017–18	4731.00	414.00	5145.00	4620.06	297.79	4917.85
2018–19	5237.47	418.00	5655.47	5172.20	312.76	5484.96
2019–20	5678.12	459.65	6137.77	3187.41	252.20	3439.61 (31–12–2019 तक)

स्त्रोतः हरको बैंक।

रिवोल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपोजिट गारंटी स्कीम

2.32 किसानों के हितों के लिए मार्च, 2019 तक 11.93 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं तथा किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का शत–प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। किसानों की सभी प्रकार की गैर–कृषि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 7 लाख रूपये तक की सीमा निर्धारित की गई है। ग्रामीण निवासियों के हित के लिए 1 नवम्बर, 2005 से पैक्स के लिए जमा राशि गारन्टी योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रूपये की जमा के समान बैंक अपने प्रत्येक सदस्य की गारन्टी देता है।

भारत सरकार की ब्याज राहत योजना

2.33 जिन किसानों ने फसली ऋण लिया है और अपने ऋण का निर्धारित तिथि या उससे पूर्व भुगतान कर दिया है उन्हें भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज राहत प्रदान की गई है, इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए 01–04–2009 से फसली ऋण की प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में समय पर अदायगी करने वाले लगभग 5 लाख किसानों को 95.41 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्रदान की गई।

राज्य ब्याज राहत योजना

2.34 राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत की दर से वर्ष 2018–19 के दौरान समय पर फसली ऋण की अदायगी करने वाले लगभग 5 लाख किसानों को 127.88 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्रदान की गई जैसेकि भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज राहत समय पर अदायगी करने वाले किसानों को प्रदान की जा रही है। इस प्रकार समय पर अदायगी करने वाले किसानों के लिए फसली ऋण पर प्रभावी ब्याज दर 0 प्रतिशत रही (अर्थात 7 प्रतिशत–4 प्रतिशत–3 प्रतिशत) यह योजना अभी भी जारी है।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

2.35 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 'व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना' वर्ष 2009 से लागू की गई है। वर्ष 2018–19 के दौरान कार्ड धारकों का मात्र 5.60 रूपये के अंशदान पर 50,000 रूपये तक का बीमा किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 2 रूपये का अंशदान देना है तथा शेष 3.60 रूपये का अंशदान केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वहन किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2019–20 में भी जारी रहेगी।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन/भत्ते योजना

2.36 सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पैंशन/भत्ते वितरित करने का कार्य सौंपा गया है। जिसके तहत उक्त बैंकों की शाखाओं द्वारा अब तक 3.58 लाख पैंशनधारकों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं और लाभार्थियों को इन बैंकों के माध्यम से पैंशन वितरित की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में पैक्स के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से भी पैंशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। राज्य में सहकारी बैंकों ने सभी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों के मध्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

कोर बैंकिंग समाधान (सी.बी.एस.) तथा उपभोक्ताओं को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

2.37 हरको बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान लागू कर दिया गया है। कोर बैंकिंग समाधान के अंतर्गत बैंक शाखायें अपने ग्राहकों को आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. व एस.एम.एस. एलर्ट और डी.बी.टी. सेवायें प्रदान कर रही हैं। हरको बैंक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा रूपे डेबिट कार्ड व किसान क्रेडिट कार्ड (ए.टी.एम. कार्ड) भी दिये जा रहे हैं। हरको बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों में ए.टी.एम. मशीनें स्थापित की गई हैं। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सभी सक्रिय ऋणी सदस्यों को ऋण

सुविधा प्राप्त करने के लिए रूपे किसान कार्ड भी दिये जा रहे हैं। हरको बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ग्राहकों को माइक्रो ए.टी.एम. की सुविधा भी दी जा रही है। राज्य के सभी 19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स स्तर पर पी.ओ.एस. मशीनें लगाई गई हैं। हरको बैंक में मोबाईल बैंकिंग सेवाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं।

2.38 हरको बैंक तथा सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पैंशन योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजनाओं से सम्बन्धित सेवायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

2.39 वित्त विभाग ने हरियाणा सरकार के कार्यालयों, बोर्डों तथा निगमों के कर्मचारियों के वेतन खाते खुलवाने हेतू हरको बैंक को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों सहित तथा तीन अन्य बैंकों को पैनल में ले लिया है। हरको बैंक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको ने 7,000 से ज्यादा वेतन खाते खोल दिये हैं और यह उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2019–20 के अंत तक 10,000 से ज्यादा वेतन खाते खोल दिये जाएंगे।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों हेतू एक मुश्त अदायगी योजना–2019

2.40 राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के उन ऋणी सदस्यों को एक अवसर प्रदान करने के लिए जो किन्हीं कारणों से अपना बकाया ऋण चुका पाने में सक्षम नहीं हैं और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चूककर्ता हैं, उन्हें अपना बकाया ऋण चुकाने में राहत प्रदान करने हेतु एक मुश्त अदायगी योजना बनाई गई है। यह योजना 01–09–2019 से आंरभ होकर 31–12–2019 तक प्रचलन में थी तथापि राज्य सरकार द्वारा इस योजना को 31–01–2020 तक बढ़ा दिया गया है और 27–01–2020 तक 3,215.30 करोड़ रूपये कुल अतिदेय राशि में से 1,264.65 करोड़ रूपये (39.33 प्रतिशत) वसूल कर लिये गये हैं। इस योजना के अनुसार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सभी ऋणी सदस्य जिनका 31–08–2019 को ऋण अतिदेय है वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगें। इस योजना के अतंर्गत जो सदस्य समस्त मूलधन राशि अदा करते हैं उनका पूरा देय ब्याज माफ किया जाता है। इस योजना अनुसार जो भी पात्र सदस्य मूलधन अदा करता है वह पुनः ऋण लेने हेतू पात्र होगा। राज्य सरकार ऐसे ऋणियों के ब्याज दायित्व का 5.50 प्रतिशत साधारण ब्याज अदा करेगी। शेष ब्याज दायित्व (दंडात्मक ब्याज सहित) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा वहन किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना में न केवल किसान बल्कि अन्य जैसे ग्रामीण दस्तकार, छोटे दुकानदार इत्यादि भी सम्मिलित होगें।

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको हेतू एक मुश्त अदायगी योजना–2019

2.41 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको का एन.पी.ए. कम करने तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको के उन उधारकर्ताओं जो किन्हीं कारणों से अपना ऋण अदा करने के योग्य नहीं हैं को अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना लागू की है। राज्य सरकार का दायित्व माफ किये जाने वाले ब्याज का 10 प्रतिशत तक ही सीमित है तथा शेष 90 प्रतिशत दायित्व जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों का होगा। इस योजना के अंतर्गत 27–01–2020 तक कुल 31,749 पात्र ऋणियों में से 7,138 सदस्यों ने योजना का फायदा उठाया है। कुल 607 करोड़ रूपये देय राशि में से 27–01–2020 तक 155.76 करोड़ रूपये की वसूली की गई है। अब योजना को संशोधित किया गया है कि जो ऋणी सदस्य जिन्हें अपने ऋण के कुल निपटान राशि के लिये अधिक समय की आवश्यकता है उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया हैं और ऐसे ऋणी सदस्य योजना की समापन तिथि तक 25 प्रतिशत का भूगतान कर सकते है और शेष राशि 10 मासिक किस्तों में 10 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ जमा करवा सकेगें।

खजाना एवं लेखा

2.42 वर्तमान में राज्य में 23 जिला स्तरीय खजाने तथा 82 उप खजाने कार्य कर रहे हैं जो कि संचय निधि से सम्बंधित प्राप्तियाँ तथा अदायगियों के खाते तथा राज्य के सार्वजनिक लेखों का विवरण प्रत्येक मास में 2 बार प्रधान महालेखाकार हरियाणा को भेजते हैं। खजाना एवं लेखा विभाग अधीनस्थ लेखा सेवा (एस.ए.एस.) काडर का नोडल विभाग है तथा इसके अंतर्गत अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा मुख्य लेखा अधिकारी शामिल हैं। विभाग का लेखा प्रशिक्षण संस्थान पंचकूला समय–2 पर राज्य सरकार के विभागों, बोर्डो एवं निगमों के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में विभिन्न विभागों के लगभग 9,504 आदान तथा वितरण अधिकारी खजाना विभाग के परामर्श से राज्य की संचयनिधि से निकासी व जमा का कार्य करते हैं। विभाग द्वारा विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

ऑनलाईन बजट आवंटन नियंत्रण तथा विश्लेषण प्रणाली (ओ.बी.ए.एम.ए.एस)

2.43 यह सॉफ्टवेयर 01–04–2010 से कार्यान्वित किया गया है जो सफलता पूर्वक चल रहा है। इसके अन्तर्गत बजट से सम्बंधित सभी कार्य जैसे कि बजट की तैयारी, आवंटन एवं वितरण आदि ऑनलाईन किए जा रहे हैं। अब सभी डी.डी.ओ/विभाग, वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सीमा के तहत ही खर्चो का वहन कर सकते हैं। जिसकी वजह से व्यय को व्यवस्थित किया गया है।

ई–बिलिंग

2.44 ई–बिलिंग सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के बिलों को तैयार करने के लिए राज्य भर में 01–04–2013 से कार्यन्वित किया गया था। सभी प्रकार के बिलों को बनाने व खजाना में भेजने की प्रकिया पूर्णतया स्वचालित हो गई है। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप डी.डी.ओ. एवं खजाना स्तर पर कार्यालयी कार्यों की कुशलता में सुधार हुआ है। इस प्रणाली से लगभग सभी डी.डी.ओ. द्वारा प्रति मास 1.60 लाख के करीब बिल तैयार किए जाते हैं। कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए अब भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे तौर पर जमा किया जाता है। नकद व्यवहार निषेध किये गये हैं। सभी डी.डी.ओ. को ऑन लाईन ई–टी.डी.एस. रिर्टन भरने हेतू ई–बिलिंग में चार्टड एकाउटेंट (सी.ए.) की मदद के बिना फाईल तैयार करने की सुविधा दी गई है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार (सी.ए.जी.) ने राज्य सरकार को मनुअल वाउॅचर को डिजिटल वाउॅचर (ई–वाउॅचर) में तबदील करने की मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ तथा पंचकूला खजाना कार्यालयों के सभी आदान तथा वितरण अधिकारियों के यहां वाउॅचरों का पाईलेट अंकरूपण सफलतापूर्वक 01–12–2019 से लागू किया है। अब राज्य सरकार ने समस्त राज्य में वॉउचर का अंकरूपण जरूरी करने का निर्णय लिया है। राज्य में चंडीगढ़ तथा पंचकूला खजाना कार्यालयों में वेतन भुगतान हेतू कागज रहित वाउॅचर आंरभ किये गये हैं।

ई–ग्रास

2.45 जनवरी, 2014 से राज्य भर में राजकीय प्राप्ति लेखांकन प्रणाली (ई–ग्रास) लागू की गई। विभागों द्वारा सभी प्रकार के ई–चालान सृजित किए जाते हैं तथा आम जनता इस इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, सैट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आई.डी.बी.आई. बैंक को अधिकृत किया गया है। अब राज्य सरकार ने तीन बैंकों नामतः स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक और आई.डी.बी.आई. बैंक के साथ पैमेंट एग्रीगेटर सेवा (पैमेंट गेटवे) लागू की है और प्रत्येक एग्रीगेटर के साथ लगभग 56 बैंको को संबद्ध किया गया है। राज्य सरकार ने ई–बिलिंग व ई–ग्रास के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई–कुबेर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इन दो प्रणालियों का एकीकरण प्रक्रियाधीन है।

ऑनलाईन खजाना सूचना प्रणाली (ओटिस)

2.46 सभी खजानों और उप–खजानों में दिनांक 01–07–2013 से वैब ओटिस लागू किया गया और सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी तीनों हितधारकों नामतः खजानों/उप–खजानों, खजाना बैंक शाखाओं तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय का इस प्रणाली के साथ एकीकरण किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से खजानों के लेखों को स्वचालित रूप से तैयार किया जाता है और एक महीने में दो बार प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है।

ई–पोस्ट

2.47 विभिन्न विभागों द्वारा मांगे जाने वाले नये पदों जिसमें मौजूदा पदों के समर्पण को सम्मिलित करते हुए नए पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए राज्य भर में 23–05–2014 से ई–पोस्ट स्वीकृति मॉडल लागू किया गया और अब सभी विभागों को इस प्रणाली के माध्यम से पदों के सृजन प्रस्ताव को भेजने की सुविधा दी गई है। सभी विभागों के मौजूदा कार्यरत कर्मचारियों का विवरण इसमें दर्ज किया जा चुका है।

ई–पैंशन

2.48 ई–पैंशन सॉफ्टवेयर 01–10–2012 से लागू किया गया। सभी पैंशन धारक जिनके पी.पी.ओ. 01–10–2012 के बाद प्राप्त हुए हैं, अपने सम्बंधित बैंक खातों में पैंशन हर महीने की पहली तारीख को पैंशन वितरण शैल (पी.डी.सी.) द्वारा ई–पैंशन प्रणाली के प्रयोग से एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 1.18 लाख पैंशनर, पैंशन वितरण शैल/खजानों/उप–खजानों से अपनी पैंशन प्राप्त कर रहे हैं। जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट) के प्रस्तुत करने के बाद अब पैंशनधारक वर्ष में एक बार नवम्बर माह में किसी भी खजाना/उप–खजाना में जीवन प्रमाण पत्र नवीनीकृत करवा सकते हैं।

ई–स्टैंपिंग

2.49 हरियाणा में ई–स्टैंपिंग प्रणाली को दिनांक 01–03–2017 से लागू किया गया। इस प्रणाली के माध्यम से कोई भी नागरिक 100 रूपये से अधिक कीमत का (गैर–न्यायिक) स्टाम्प पेपर तैयार कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 5,045 करोड़ रूपये के कुल 21,61,586 स्टाम्प पेपर जनरेट किये गये।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.)

2.50 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली वह साफ्टवेयर है जिसमें सभी नियमित कर्मचारियों का पूरा डाटा यानि सेवा पुस्तिका, एसीआर, पदोन्नति ब्यौरा, छुट्टियों का ब्यौरा और स्थानातंरण इत्यादि के बारे मे सूचनाएं दर्ज की जाती हैं। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली जून, 2016 को लागू की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी नियमित कर्मचारियों का सम्पूर्ण ब्यौरा दर्ज कर दिया गया है। इस प्रणाली को ई–सैलरी से जोड़ दिया गया है। अवकाश का अपडेशन तथा ए.सी.पी. के मामले भी एच.आर. एम.एस. के माध्यम से किए जा रहे हैं। सरकार ने स्थानातंरण के मामलों को भी इस प्रणाली के माध्यम से करने का निर्णय लिया है।

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस)

2.51 भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के बजट और व्यय के बहाव पर नियंत्रण रखने के लिए एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना तथा निर्णय सहायक प्रणाली के रूप में लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। राज्य सरकार ने भी राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई और जिला परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन कर दिया है। सरकार ने राज्य खजानों/उप–खजानों को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली से एकीकरण का कार्य सम्पूर्ण कर लिया है और भारत सरकार के साथ व्यय की भागीदारी की जाती है व सभी हितधारकों के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली पर दर्शाये गये हैं। राज्य की कुछ स्कीमों को भी इस प्रणाली के तहत लागू किया जा रहा है।

आबकारी व कराधान

2.52 आबकारी व कराधान विभाग राज्य का प्रमुख राजस्व सृजन विभाग है। विभाग वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, हरियाणा वैट अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम तथा पंजाब आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम राजस्व संग्रहण के लिये प्रतिबद्ध है। आबकारी व कराधान विभाग इन अधिनियमों का प्रबंधन कर रहा है।

2.53 राज्य में वस्तु एवं सेवाकर के तहत कुल 4,66,127 पंजीकृत डीलर हैं इनमें से 2,70,542 राज्य के अधिकार क्षेत्र तथा 1,95,585 केन्द्र के अधिकार क्षेत्र के अधीन आते हैं। राज्य में वस्तु एवं सेवा कर की वर्षवार संग्रहण की स्थिति **तालिका 2.12** में दी गई है।

2.54 व्यापारियों / निर्माताओं / सेवा प्रदाताओं को बीमा योजनाएँ प्रदान करने हेतू हरियाणा सरकार ने दो स्कीमें (i) मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना (एम.वी.एस.एन.डी.बी.वाई.) (ii) मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (एम.वी.के.बी.वाई.) 11–09–2019 को शुरू की हैं।

तालिका 2.12– राज्य में वस्तु एवं सेवा कर की वर्षवार संग्रहण स्थिति।

(करोड़ रूपये)

वर्ष	आई.जी.एस.टी. समाधान से पहले एस.जी.एस.टी.	आई.जी.एस.टी. अंतरिम समाधान	एस.जी.एस.टी. के अंतर्गत कुल राज्य संग्रहण	प्राप्त क्षतिपूर्ति	प्राप्त तदर्थ आई.जी.एस.टी.	कुल एस. जी.एस.टी.
2017–18	8537.14	1641.63	10178.77	1199.00	667.00	12044.77
2018–19	12689.54	3876.65	16566.19	2820.00	2476.10	21862.29
2019–20 (जनवरी, 2020 तक)	11567.17	4179.68	15746.85	4837.00	513.91	21097.76

स्त्रोतः आबकारी व कराधान विभाग, हरियाणा।

(i) एम.वी.एस.एन.डी.बी.वाई.:इस योजना में निजी दुर्घटना पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना के कारण जीवन हानि और स्थायी अंपगता होने पर मालिकों, सांझेदारी फर्मों के सांझेदारों, सीमित दायित्व वाली सांझेदारी फर्मों तथा प्राईवेट लिमिटिड कंपनियों के निदेशकों को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया गया है। यह योजना 30–09–2018 को पंजीकृत कुल 3.13 लाख करदाताओं को कवर करती है। इस योजना के अंतर्गत कुल 30.86 लाख लाभार्थी हैं।

(ii) एम.वी.के.बी.वाई.: इस योजना के अंतर्गत आग, सेंधमारी, बाढ़ तथा भुकम्प से स्टॉक, फर्नीचर व फिक्सचर के नुकसान पर पंजीकृत करदाताओं को बिक्री के आधार पर 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता हैं। यह स्कीम 30–09–2018 को पंजीकृत कुल 3.13 लाख करदाताओं को कवर करती हैं। दोनों स्कीमों में लाभार्थियों की और से कुल प्रीमियम का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मैसर्ज युनाईटेड इण्डिया इन्श्युरेंस कंपनी को बीमा कवर हेतू दोनों योजनाओं के लिए चयन किया गया है। सरकार द्वारा कुल 36.13 करोड़ रुपये प्रीमियम का भुगतान किया गया हैं। दोनों योजनाओं की समयावधि 18–09–2019 से 17–09–2020 तक रहेगी।

2.55 रिटर्न दाखिल करने के भार को कम करने के उद्धेश्य से छोटे करदाताओं व सुक्षम, छोटे व मध्यम प्रतिष्ठानों (एम.एस.एम.ई.) को जिनकी वार्षिक बिक्री 2 करोड़ रुपये तक है उन्हें वित वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए वार्षिक रिटर्न फार्म जी.एस.टी.आर.–9 भरने को स्वैछिक बना दिया है। इसी प्रकार कम्पोजीशन करदाताओं को वार्षिक रिटर्न जी.एस.टी.आर–9ए भरने से छूट दी गई है।

2.56 वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत रिफंड प्रदान करने की प्रक्रिया को पूर्णतया ऑनलाईन कर दिया गया है। रिफंड प्रक्रिया के सुधार हेतू केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर दोनों के लिए एकल वितरण प्राधिकरण बनाया गया है। आबकारी एवं कराधान विभाग वस्तु एवं सेवा कर के सभी रिफंडों का भुगतान एक निर्धारित समयावधि

60 दिन के अंदर कर रहा है। विभाग ने अब तक वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत 10,300 आवेदकों के 1,643 करोड़ रुपये के रिफंडों का निस्तारण कर दिया है।

2.57 वस्तु एवं सेवा कर के अतंर्गत वस्तु आपूर्ति के व्यापार के लिए पंजीकरण की प्रारंभिक सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है। वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 4,09,128 करदाताओं में से 47,160 करदाताओं की वार्षिक बिक्री 20 लाख रुपये से 40 लाख रूपये के मध्य है जोकि कुल करदाताओं का 12 प्रतिशत बनती है। ऐसे छोटे करदाता जिनकी सेवा आपूर्ति व्यापार की सालाना बिक्री 20 लाख रुपये से कम है उनको अर्न्तराज्य सेवा आपूर्ति व्यापार के आवश्यक पंजीकरण से मुक्त कर दिया गया है चाहे वे सेवाओं की अर्न्तराज्य आपूर्ति कर रहे हों।

2.58 कम्पोजीशन स्कीम अपनाने वालों की बिक्री की उपरी सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई थी और अब 01–04–2019 से 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है। जिन करदाताओं की बिक्री 1 करोड़ रुपये से 1.5 करोड़ रुपये के मध्य है उनकी संख्या 5 प्रतिशत है। राज्य में कुल पंजीकृत 4,50,279 करदाताओं में से 28,584 करदाताओं ने कम्पोजीशन स्कीम को अपनाया है। वस्तुओं की आपूर्ति का व्यापार करने वाले कम्पोजीशन करदाताओं को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष या उनके पिछले वित वर्ष के टर्नओवर का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

2.59 चमड़ा, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, मुद्रण, हस्तशिल्प इत्यादि जैसे छोटे–मोटे कामों पर वस्तु एवं सेवा कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है। 20 लाख तक की अर्न्तराज्य बिक्री करने वाले हस्तशिल्प करदाताओं को पंजीकरण और कर भुगतान से छूट दी गई है।

आम जनता के लिए राहत

2.60 (i) हरियाणा सरकार ने डीजल तथा पैट्रोल की बढ़ती कीमतों से जनसाधारण को राहत देने के लिए दिनांक 04–10–2018 से डीजल पर वैट दर 17.22 प्रतिशत से घटा कर 13.90 प्रतिशत तथा पैट्रोल पर 26.25 प्रतिशत से घटा कर 23.37 प्रतिशत कर दी है। हरियाणा सरकार ने राजस्व को संरक्षित करने हेतु पैट्रोल पर 14.96 रुपये प्रति लीटर (14.25 रुपये + 0.71 रुपये अधिभार) अथवा 23.37 प्रतिशत (5 प्रतिशत अधिभार सहित) जो भी अधिक हो तथा डीजल पर एक मुश्त कर राशि 8.56 रुपये प्रति लीटर (8.15 रुपये + 0.41 रुपये अधिभार) अथवा 13.90 प्रतिशत (5 प्रतिशत अधिभार सहित) जो भी अधिक हो की कर दर को स्थिर दर के रूप में अधिसूचित कर दिया है।

(ii) सरकार द्वारा व्यापार एवं उधोग के हित/कल्याण को ध्यान मे रखते हुए पाईप्ड नैचुरल गैस (पी.एन.जी) की वैट दर 12.5 प्रतिशत से कम करके 6 प्रतिशत कर दी गई है। यद्यपि सी.एन.जी. एवं पाईप्ड नैचुरल गैस के घरेलू इस्तेमाल की वैट दर पहले के ही समान 5 प्रतिशत रखी गई है।

(iii) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना को प्रोत्साहित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा विमानन टरबाईन ईंधन की वैट दर 21 प्रतिशत से कम करके 1 प्रतिशत कर दी गई है।

(iv) वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से पहले वैट के बकाया की वसूली के लिए सरकार द्वारा "हरियाणा वन टाईम सैटलमेंट स्कीम फार रिकवरी ऑफ आउटस्टैडिंग डयूज 2017" लागू की गई थी और इस स्कीम के माध्यम से 2,328.36 करोड़ रुपये बकाया की वसूली की जा चुकी है।

(v) डैवल्पर/बिल्डर के बकाया देय की वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने संशोधित "हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालन स्कीम फार कन्ट्रैक्टर" दिनांक 02–06–2017 से डैवल्पर/बिल्डर के लिए लागू की है जिन्होंने पुरानी स्कीम नहीं चुनी थी।

इस योजना के तहत 201 व्यापारियों से 833.31 करोड़ रूपयों की वसूली की जा चुकी है।

(vi) सरकार ने राज्य में व्यापारी कल्याणबोर्ड का गठन किया है। बोर्ड व्यापारियों की समस्याओं और मुददों का पता करने और उनका समाधान करने के लिए सरकार और व्यापारियों के बीच एक सेतू का काम करेगा।

(vii) राज्य में व्यापार सुगम बनाने के लिए विभाग ने ठेकों के ऑनलाईन टैंडरिग, ऑनलाईन परमिट और पास, संपूर्ण राज्य ऑनलाईन अपील मोडयूल तथा ऑनलाईन शिकायत निवारण सुविधा भी प्रदान की है।

वित्तीय समावेश स्कीमें

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.)

2.61 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वर्तमान जटिल भुगतान प्रकिया को सुलभ करने हेतू आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी, 2013 से भारत सरकार का उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। डी.बी.टी. दिए जाने वाले लाभों को सही लोगों तक उचित समय पर पहुँचाना सुनिश्चित करने का एक अच्छा प्रयास है। डी.बी.टी. में दिए जाने वाले सरकारी लाभ जैसे कोई भुगतान, ईंधन अनुदान, खाद्यान अनुदान इत्यादि सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने, त्वरित भुगतान करने, लाभों का रिसाव रोकने तथा वित्तीय समावेश को बढ़ाने का एक सहरानीय कदम है। डी.बी.टी. की सीधे और समयबद्ध हस्तांतरण प्रणाली सरकार को आधार से जुड़े हुए व्यक्तिगत बैंक खातों में लाभ पहुँचाने के लिए सक्षम करती है। आधार नम्बर या बायोमैट्रीक इनपुट अपने आप में अनूठा है जो सरकार के डाटा बेस में ड्यूप्लीकेट/झूठे लाभार्थियों को रोकता है। परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2017–18 में 295.28 करोड़ रूपये की बचत हुई। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018–19 में 263.96 करोड़ रूपये की बचत हुई। वर्षवार सरकार की वित्तीय समावेश स्कीमों से हुई बचत को **आकृति 2.3** में दर्शाया गया है। वर्ष 2018–19 में वित्तीय समावेश स्कीमों के कुल लाभार्थियों की संख्या 1,99,26,909 थी तथा वर्ष 2019–20 (अक्तुबर, 2019 तक) 1,73,94,566 है। वर्षवार वित्तीय समावेश स्कीमों के कुल लाभार्थियों की संख्या को **आकृति 2.4** में दर्शाया गया है। राज्य डी.बी.टी पोर्टल सितम्बर, 2017 से कार्यरत है। राज्य के विभागों द्वारा राज्य और केन्द्र प्रायोजित (हिस्सा आधारित) योजनाओं के लाभार्थियों और उनसे सम्बन्धित लेनदेन के डाटा को डी.बी.टी. पोर्टल पर अपलोड करने की प्रकिया जारी है। 31–10–2019 तक, 139 राज्य/केन्द्र प्रायोजित योजनाएं राज्य डी.बी.टी. पोर्टल पर अपलोड की गई हैं और इन

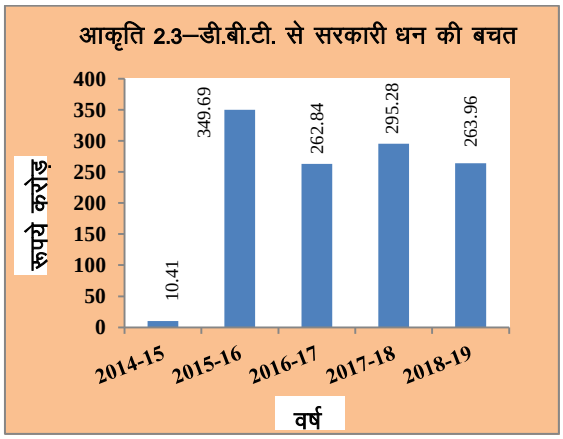

योजनाओं में से 74 राज्य योजनाएं और 65 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं।

स्टैंड अप इंडिया

2.62 यह योजना अप्रैल, 2016 से शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापना के लिये ऋण लेने और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए समय–समय पर मिलने वाली अन्य आवश्यक सहायता को प्राप्त करने में सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर आधारित है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक बैंक की हर शाखा द्वारा कम से कम एक ऋण 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये तक प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थी को दिया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत 01–04–2019 से 30–09–2019 तक राज्य में 151 बैंक शाखाओं

द्वारा 7,272 लाख रूपये के ऋण 326 उद्यमियों (92 एस.सी./एस.टी. और 234 महिलाओं) के लिए मंजूर किए गए हैं।

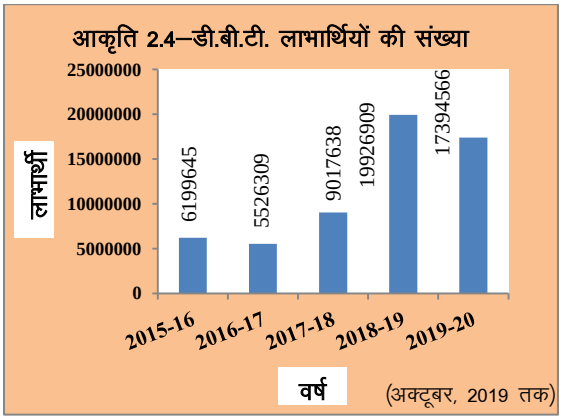

प्रधानमंत्री जन धन योजना

2.63 इस योजना को 28 अगस्त, 2014 को शुरू किया गया था। राज्य में सितम्बर, 2019 तक 70.85 लाख बैंक खाते खोले गए और 63.79 लाख रूपे कार्ड जारी किए गए हैं जो खोले गए कुल खातों का 90.04 प्रतिशत है **(तालिका 2.13)**#।

तालिका 2.13–पी.एम.जे.डी.वाई. के तहत खोले गए खाते, आधार सिडींग और जारी किए गए रूपे कार्ड

विवरण	30–09–2019 तक
खोले गए बैंक खाते	70,84,903
आधार सिडींग	62,73,885
जारी किए गए रूपे कार्ड	63,79,341

स्त्रोतः वित्त विभाग, हरियाणा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

2.64 सूक्ष्म इकाई एवं विकास पुर्नवित एजैंसी लिमिटेड (मुद्रा) विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के छोटे सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के कारोबार में लगे हुए वित्तीय मध्यस्थों जैसे बैंक, एन.बी.एफ.सी. और एम.एफ.आई. इत्यादि को विकसित और पुर्नवित प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना 8 अप्रैल, 2015 को एक नई वित्तीय इकाई के रूप मे शुरू की गई है। उसी दिन जिन उद्यमों के पास कोषों की कमी है उनको औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने और सस्ती दर पर ऋण देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना "फंड दा अनफन्डीड" लागू की गई। यह महसूस किया गया कि बहुत सी ऐसी इकाईयाँ जो वर्तमान में औपचारिक ऋण से बाहर हैं उनको मिशन मोड पर बैंक वित्त के लिए एक विशेष बढ़ावा देने की जरूरत है। यह खण्ड मुख्य रूप से उन विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में लगे हुए गैर कृषि उद्योगों के लिए है जिनकी ऋण आवश्यकताएँ 10 लाख रूपये से कम है। मुद्रा ऋण को शिशु, किशोर और तरूण में वर्गीकृत किया गया है। मुद्रा योजना का यह प्रभाव होगा कि ऋण का कम से कम 60 प्रतिशत राशि शिशु वर्ग इकाईयों में तथा बाकी राशि किशोर व तरूण वर्ग की इकाईयों को जाएगी। मुद्रा ऋण की प्रगति **तालिका 2.14** में दर्शाई गई है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

2.65 यह स्कीम एक साल के लिए है जिसे साल दर साल नवीनीकरण करवाना होता है। दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना मृत्यु और दुर्घटना की वजह से हुई विकलांगता के लिए 2 लाख रूपये बीमा की पेशकश करती है। यह स्कीम 9 मई, 2015 को शुरू हुई जो सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कम्पनियों व अन्य सामान्य कम्पनियों के माध्यम से प्रस्तावित/प्रशासित की जा रही है। 18 से 70 वर्ष आयु समूह के सभी बचत बैंक खाताधारक अपने आप को साल दर साल 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम से इस स्कीम में सम्मिलित कर सकते हैं। 31–03–2019 तक बैंकों द्वारा 32,64,993 व्यक्तियों को इस स्कीम में शामिल किया गया है और 30–09–2019 तक यह संख्या बढ़कर 32,79,692 हो गई है। इस योजना के अंतर्गत 30–09–2019 तक 5,549 लाख रूपये के कुल 2,799 दर्ज दावों में से 4,730 लाख रूपये के 2,384 दावों का भुगतान किया जा चुका है।

तालिका 2.14– पी.एम.एम.वाई. के तहत खातों की संख्या व जारी की गई राशि

योजना	ऋण सीमा रूपये में	1–4–2019 से 30–09–2019 तक	
		खातों की कुल संख्या	जारी की गई राशि (लाख रूपयें)
शिशु	50000 तक	1,89,855	53,587
किशोर	50001–500000	27,269	46,672
तरूण	500001–1000000	5,836	38,832
कुल		**2,22,960**	**1,39,091**

स्त्रोतः वित्त विभाग, हरियाणा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

2.66 यह स्कीम 1 जून, 2015 से लागू हुई है। इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम/अन्य बीमा कम्पनियां जो समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ तैयार हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ टाईअप कर लिया है के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु के सभी बचत खाता धारक 330 रूपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर अपने आप को इस योजना के लाभ उठाने के लिए नामांकन करवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत, इसके प्रत्येक सदस्य को किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर 2 लाख रूपये भुगतान किए जाएंगें। 31–3–2019 तक बैंकों ने 9,89,007 व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत दर्ज किया है और 30–09–2019 तक यह संख्या बढ़कर 9,91,009 हो गई है। 30–09–2019 तक 9,908 लाख रूपये के कुल 4,954 दर्ज दावों में से 9,110 लाख रूपये के 4,555 दावों का निपटारा कर दिया गया है।

अटल पैंशन योजना (ए.पी.वाई.)

2.67 गरीब मजदूरों की बुढ़ापा आय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अपनी सेवानिवृति तक बचत करने में सक्षम बनाने व इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को स्वैच्छा से दीर्घावधि जोखिम को कम करने व सेवानिवृति पर स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2015 से अटल पैंशन योजना लागू की गई है। सभी बैंक खाता धारक जो भारत के नागरिक हैं और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है वे अटल पैंशन योजना में सम्मिलित हो सकते हैं और अंशदान भुगतान पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। अटल पैंशन योजना के तहत 1,000 रूपये से 5,000 रूपये तक मासिक पैंशन की गारंटी ग्राहकों को उनके भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम व स्कीम में प्रवेश की आयु पर निर्भर करती है। यदि ग्राहक 18 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो 1,000 रूपये से 5,000 रूपये के बीच में मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए प्रतिमास 42 रूपये से 210 रूपये तक मासिक प्रीमियम अदा करना होगा। इसी प्रकार 40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो 1,000 रूपये से 5,000 रूपये मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए भुगतान किए जाने वाला प्रीमियम 291 रूपये से 1,454 रूपये के बीच रहेगा। 31–3–2019 तक बैंकों ने 2,99,620 व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत शामिल किया है जो 30–09–2019 तक बढ़कर 3,35,342 हो गई है।

मुख्य मंत्री परिवार समृद्धि योजना (एम.एम.पी.एस.वाई.)

2.68 इस योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र परिवारों को जीवन बीमा/दुर्घटना बीमा/फसल बीमा कवर, पैंशन लाभ इत्यादि के माध्यम से सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध करवाना है।

2.69 यह स्कीम उन परिवारों के लिए है जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये या इससे कम तथा परिवार की कृषि जोत भूमि 5 एकड या उससे कम हो (यानि 2 हैक्टेयर) एवं, (ii) एक फैमिली आई.डी./परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) नम्बर हो। इस योजना के अन्तर्गत हर लाभार्थी परिवार को 6,000 रूपये वार्षिक दिये जायेंगे

जोकि जीवन बीमा, दुर्घटना एवं फसल बीमा का प्रीमियम, पैंशन अंशदान के भुगतान तथा शेष राशि यदि कोई होगी वह नकद अथवा परिवार भविष्य निधि में निवेश की जायेगी जैसाकि लाभार्थी चाहेगा।

2.70 मुख्य विशेषताएं:– एम.एम.पी.एस.वाई. के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार बीमा एवं पैंशन से सम्बन्धित निम्नलिखित 6 विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिनका विवरण नीचे दिया गया है। नकद/परिवार भविष्य निधि का सीधा लाभ प्राप्त करेंगे। यह योजना निम्नलिखित बीमा योजनाओं को कवर करती है:–

(क) बीमा योजनायें

(i) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना– प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत परिवार के 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी पात्र लाभार्थियों का 330 रूपये प्रत्येक सदस्य के हिसाब से वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में 2 लाख रूपये का लाभ मिलेगा।

(ii) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना–प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत परिवार के 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी पात्र परिवार के सदस्यों का 12 रूपये प्रत्येक सदस्य के हिसाब से वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति की दुर्धटना में मृत्यु होने पर या पूर्ण दिव्यांगता के मामले में 2 लाख रूपये एवं आंशिक दिव्यांगता होने की दशा में 1 लाख रूपये का लाभ मिलेगा।

(iii) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना–प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, यदि लागू हो, किसान द्वारा लाभार्थी अंशदान के रूप में भुगतान किये जाने वाले समस्त या आंशिक प्रीमियम की राशि का भुगतान पात्र किसान परिवार को या उसकी तरफ से किया जायेगा।

(ख) पैंशन योजनायें

लाभार्थी की आयु के आधार पर 55–200 रूपये प्रतिमाह की सीमा में पैंशन लाभार्थियों का अंशदान नामित योजनाओं:– (i) प्रधान मंत्री श्रम योगी मान–धन योजना (ii) प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान–धन योजना (iii) प्रधान मंत्री किसान मान–धन योजना के अतंर्गत 18–40 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों को दिया जायेगा। प्रत्येक लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रूपये पैंशन का हकदार होगा। पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य को पैंशन का विकल्प देना होगा।

(ग) नकद/परिवार भविष्य निधि

सामाजिक सुरक्षा इत्यादि विकल्पों के प्रीमियम/अंशदान की पूर्ण राशि घटाने के बाद शेष राशि, यदि कोई हो, वह लाभार्थी परिवार द्वारा नकद प्राप्त की जा सकती है या परिवार का मुखिया इसे परिवार भविष्य निधि में निवेश का विकल्प चुन सकता है। इस विकल्प के अन्तर्गत परिवार को परिवार भविष्य निधि में निवेश के लाभ मिलेंगे।

***

विभागों / बोर्डों / निगमों की उपलब्धियां

3

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

राज्य में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। मजबूत बुनियादि सुविधाएं, कृषि अनुसंधान तथा बेहतरीन कृषि के तरीकों सम्बन्धी जानकारियों का किसानों में प्रसारण होने से कृषि का यह विकास सम्भव हुआ है। हरियाणा खाद्य अधिशेष राज्य हो गया है।

3.2 हरियाणा, उत्तरी भारत में स्थित है। यह 27°39′ से 30°35′ अक्षांश व 74°28′ से 77°36′ देशांतर के बीच स्थित है। हरियाणा गर्मियों में अत्यंत गर्म (45°C/113°F के आसपास) व सर्दियों में सौम्य सर्द रहता है। मई व जून सबसे गर्म तथा दिसम्बर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते है। राज्य में माहवार हुई वास्तविक वर्षा व सामान्य वर्षा का विवरण **तालिका 3.1 व 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.1– राज्य में जुलाई, 2018 से दिसम्बर, 2018 के दौरान हुई वास्तविक वर्षा व सामान्य वर्षा।

(मि.मी.)

जिला	जुलाई, 2018		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर		नवम्बर		दिसम्बर	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
अम्बाला	225.0	259.7	291.6	238.5	207.0	156.0	3.6	25.5	9.3	6.0	11.0	16.5
भिवानी	92.0	111.3	27.0	104.6	112.6	63.9	0.0	9.6	0.0	2.8	0.0	3.5
चरखी दादरी	77.2	168.1	19.4	191.8	67.8	94.5	0.0	35.6	0.0	1.6	0.0	3.3
फरीदाबाद	326.0	192.7	76.0	167.3	112.3	123.6	0.0	23.7	1.0	2.4	0.0	6.6
फतेहाबाद	71.0	101.4	15.6	94.9	51.3	62.3	0.0	10.2	0.0	1.4	4.6	6.3
गुरूग्राम	138.4	167.6	89.4	158.0	107.0	103.6	0.0	18.1	3.0	2.2	0.0	4.8
हिसार	85.3	114.2	14.3	115.6	57.3	71.8	0.0	13.2	0.0	3.1	0.0	6.1
झज्जर	147.7	117.2	67.8	119.0	155.0	71.4	0.0	11.9	1.6	2.4	0.0	3.4
जींद	124.1	149.2	62.6	169.8	154.0	97.6	0.0	13.1	0.0	3.8	10.0	6.0
कैथल	157.0	139.4	80.0	142.2	179.0	99.3	0.0	14.3	0.0	2.4	0.0	7.7
करनाल	264.0	204.3	135.8	235.7	214.2	131.2	0.0	28.9	0.0	4.4	3.5	9.9
कुरूक्षेत्र	243.6	186.1	125.0	165.4	178.3	122.2	5.2	17.8	5.3	3.7	26.3	10.9
महेन्द्रगढ़	182.4	149.7	51.0	186.9	107.2	85.8	17.5	28.1	0.0	1.2	0.0	5.3
नूंह	238.2	164.0	189.0	176.0	98.6	104.8	0.0	19.0	4.5	2.7	0.0	5.4
पलवल	169.2	163.7	73.2	153.3	68.5	108.1	0.0	18.4	1.2	1.8	0.0	4.8
पंचकूला	112.0	296.8	96.6	350.1	111.2	167.6	6.4	29.9	3.8	12.5	3.8	8.3
पानीपत	133.0	176.9	133.5	180.4	149.0	112.9	0.0	18.3	0.0	3.4	0.0	8.3
रेवाड़ी	177.4	128.6	81.8	146.3	147.0	84.0	0.0	13.0	3.1	2.8	0.0	3.5
रोहतक	59.0	145.9	28.7	137.0	69.0	97.9	0.0	12.7	3.0	2.2	1.0	6.1
सिरसा	80.2	88.7	28.2	80.7	67.2	58.6	0.0	8.4	0.0	2.1	1.0	6.4
सोनीपत	391.0	160.0	96.1	160.7	135.2	100.1	0.0	16.4	0.0	2.8	2.0	7.3
यमुनानगर	382.6	258.4	301.0	255.2	206.0	157.7	37.1	27.1	1.5	5.3	3.5	12.4

वाः वास्तविक, साः सामान्य स्त्रोतः भू–लेखा विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.2– राज्य में जनवरी, 2019 से जून, 2019 के दौरान हुई वास्तविक वर्षा व सामान्य वर्षा।

(मि.मी.)

जिला	जनवरी, 2019		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
अम्बाला	25.3	41.1	43.0	42.7	17.7	25.0	59.7	11.1	15.3	17.8	21.0	75.5
भिवानी	10.4	11.4	8.2	9.6	7.0	6.4	5.6	2.9	19.4	6.6	17.6	28.5
चरखी दादरी	8.8	16.5	8.4	10.7	3.6	12.3	2.2	1.1	20.2	10.2	19.8	35.0
फरीदाबाद	34.3	20.5	21.3	17.1	13.3	12.9	10.7	10.1	4.3	8.7	3.3	52.8
फतेहाबाद	5.0	13.0	5.3	12.4	5.3	11.5	6.3	6.1	7.3	8.2	14.3	30.4
गुरूग्राम	16.8	14.2	13.2	13.2	8.0	8.1	7.5	4.7	22.0	7.7	4.4	36.4
हिसार	10.1	15.6	1.6	13.7	2.3	11.8	2.3	7.1	24.3	11.5	34.3	35.1
झज्जर	6.8	10.9	13.6	10.3	2.4	6.1	7.2	3.5	25.8	6.8	8.1	28.3
जींद	10.3	14.9	22.3	13.8	4.8	8.2	5.8	4.2	12.5	11.0	22.2	31.3
कैथल	31.3	23.4	30.0	19.5	17.7	16.2	16.7	10.3	17.7	10.2	10.7	48.5
करनाल	20.8	33.9	19.6	24.8	8.8	18.1	7.0	9.3	15.4	10.2	11.8	51.1
कुरूक्षेत्र	13.0	30.2	37.0	28.7	14.3	17.7	14.0	10.0	27.3	9.5	29.0	55.0
महेन्द्रगढ़	5.2	9.0	2.6	10.1	5.4	7.0	10.3	5.3	1.7	18.7	20.6	37.0
नूंह	32.8	13.3	7.2	12.4	8.6	9.8	15.2	4.8	15.4	9.9	6.6	40.0
पलवल	18.0	12.5	4.5	11.2	11.5	8.9	10.0	4.5	4.5	8.0	1.8	38.6
पंचकूला	10.6	51.2	22.6	38.2	9.0	30.3	20.8	3.2	6.6	25.3	11.0	62.7
पानीपत	15.7	23.5	16.0	19.3	4.5	13.5	0.8	8.7	9.5	10.7	6.8	47.7
रेवाड़ी	3.2	9.5	9.4	11.1	5.6	6.9	13.6	2.9	14.4	8.0	21.4	31.2
रोहतक	8.0	16.6	11.5	14.8	3.8	11.4	1.8	6.8	14.0	10.1	6.0	38.5
सिरसा	9.5	11.4	7.2	10.6	7.0	9.4	28.3	4.4	12.5	7.7	27.5	29.5
सोनीपत	9.7	21.3	20.5	15.9	7.0	12.4	3.3	5.3	25.5	10.7	22.8	42.7
यमुनानगर	29.1	42.4	42.0	36.6	15.5	19.9	24.3	8.6	12.2	18.6	5.8	80.3

वाः वास्तविक, साः सामान्य स्त्रोतः भू–लेखा विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.3 –मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र।

("000" हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास	तिलहन	कुल बोया गया क्षेत्र
1966–67	743	192	3520	150	183	212	4599
1970–71	1129	269	3868	156	193	143	4957
1980–81	1479	484	3963	113	316	311	5462
1990–91	1850	661	4079	148	491	489	5919
2000–01	2355	1054	4340	143	555	420	6115
2005–06	2303	1047	4311	129	584	736	6509
2010–11	2504	1243	4702	85	493	521	6499
2011–12	2531	1234	4581	95	602	546	6489
2012–13	2497	1206	4302	101	593	568	6376
2013–14	2499	1244	4361	101	567	549	6471
2014–15	2628	1277	4479	96	647	495	6502
2015–16	2576	1353	4451	93	615	526	6502
2016–17	2542	1386	4537	102	571	522	6502
2017–18	2530	1422	4533	115	669	559	6549
2018–19 (अ)	2553	1447	4558	109	708	625	6550

अः अनन्तिम स्त्रोतः भू–लेखा विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

3.3 राज्य में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र **तालिका 3.3 व आकृति 3.1** में दर्शाया गया है। राज्य में 1966–67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हैक्टेयर था। यद्यपि वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य में सकल बोया गया क्षेत्र 65.49 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 2017–18 में राज्य में बोये गये कुल क्षेत्र में गेहूं और धान की फसलों के अर्न्तगत क्षेत्र का योगदान 60.34 प्रतिशत था। वर्ष 2018–19 के दौरान चावल के अधीन 14.47 लाख हैक्टेयर क्षेत्र था। व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास तथा तिलहन के अधीन क्षेत्र में प्रतिवर्ष उतार चढ़ाव रहा है।

आकृति 3.1– हरियाणा में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

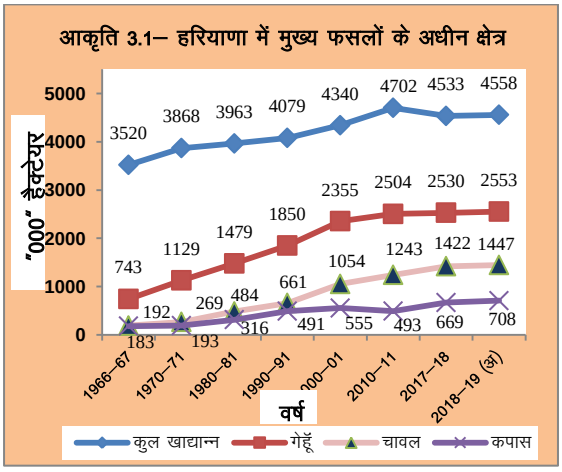

मुख्य फसलों का उत्पादन

3.4 राज्य में मुख्य फसलों का उत्पादन **तालिका 3.4 व आकृति 3.2** में दर्शाया गया है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966–67 के दौरान 25.92 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 181.44 लाख टन के प्रभावशाली स्तर को छू चुका है जोकि सात गुणा से भी अधिक वृद्धि को दर्शाता है। कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने में गेहूं और धान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। चावल का उत्पादन वर्ष 2018–19 में 45.16 लाख टन था। इस प्रकार वर्ष 2018–19 में गेहूं का उत्पादन 125.73 लाख टन था। वर्ष 2018–19 में तिलहन तथा गन्ना का उत्पादन क्रमशः 12.77 लाख टन तथा 85.05 लाख टन था। वर्ष 2018–19 में कपास का उत्पादन 20.13 लाख गांठें होने का अनुमान था। हरियाणा केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्न का मुख्य भागीदार है। बासमती चावल का 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात राज्य से होता है।

मुख्य फसलों की पैदावार

3.5 वर्ष 2016–17 के दौरान हरियाणा में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 4,842 व 3,214 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी। राज्य में वर्ष 2018–19 में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 4,925 तथा 3,121 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है **(तालिका 3.5)**।

आकृति 3.2– हरियाणा में मुख्य फसलों का उत्पादन

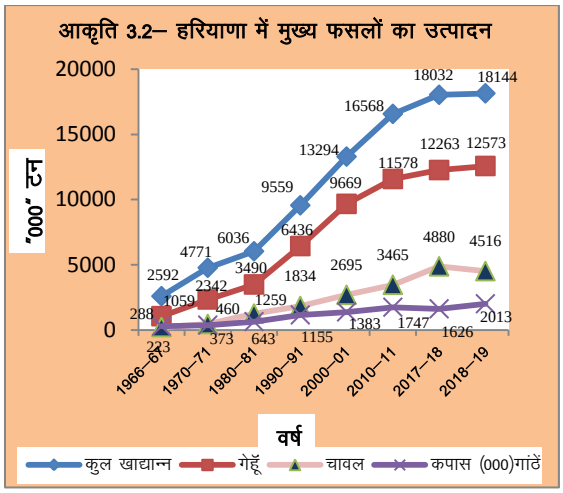

मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

3.6 राज्य में वर्ष 2019–20 में मुख्य फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज के लक्ष्य **तालिका 3.6** में दर्शाये गए हैं।

फसल विविधीकरण

3.7 फसल विविधीकरण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप–योजना है और यह टिकाऊ कृषि के लिए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने तथा उत्पादकता व आय में वृद्धि के वैकल्पिक चयन के लिए किसानों को सक्षम करती है। यह योजना/कार्यक्रम न केवल भूजल के क्षरण की समस्या का सामना करने में मदद करता है बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है और कृषि पर्यावरण प्रणाली की गतिशीलता का संतुलन बनाए रखता है। इस कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का,

तालिका 3.4–मुख्य फसलों का उत्पादन ।

('000' टन)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास ('000' गांठे)	तिलहन
1966–67	1059	223	2592	5100	288	92
1970–71	2342	460	4771	7070	373	98
1980–81	3490	1259	6036	4600	643	188
1990–91	6436	1834	9559	7800	1155	638
2000–01	9669	2695	13294	8170	1383	571
2005–06	8853	3194	13006	8310	1502	830
2010–11	11578	3465	16568	6042	1747	965
2011–12	13119	3757	18390	6953	2616	758
2012–13	11117	3941	16146	7500	2378	972
2013–14	11800	4041	16970	7427	2027	899
2014–15	10457	3989	15340	7035	1939	729
2015–16	11350	4142	16330	6992	995	841
2016–17 (सं)	12310	4451	17877	8167	2046	956
2017–18	12263	4880	18032	9633	1626	1121
2018–19	12573	4516	18144	8505	2013	1277

सं: संशोधित स्त्रोतः–कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.5– हरियाणा तथा समस्त भारत में गेहूं तथा चावल की फसलों की औसत उपज

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	हरियाणा		भारत	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2000–01	4106	2557	2708	1901
2005–06	3844	3051	2619	2102
2010–11	4624	2788	2988	2339
2011–12	5183	3044	3177	2393
2012–13	4452	3268	3117	2462
2013–14	4722	3248	3075	2424
2014–15	3981	3113	2750	2391
2015–16	4407	3061	3034	2400
2016–17	4842	3214	3200	2494
2017–18	4847	3432	3371*	2578*
2018–19	4925	3121	–	–

*: अनन्तिम

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.6– मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

फसल	क्षेत्र (000 हैक्टेयर)	उत्पादन (000 टन)	औसत उपज (कि0ग्रा0 प्रति हैक्टेयर)
चावल	1200	4097	3414
जवार	78	44	564
मक्की	46	131	2848
बाजरा	560	1092	1950
खरीफ दालें	62	56	903
कुल खरीफ खाद्यान्न	**1946**	**5420**	**2785**
गेहूं	2523	13271	5260
चना	104	140	1346
जौ	46	170	3696
रबी दालें	10	26	2600
कुल रबी खाद्यान्न	**2683**	**13607**	**5072**
व्यवसायिक फसलें:			
गन्ना	119	9006	75681
कपास (गांठे)*	661	2691	692
तेल बीज	10	9	900
रबी बीज	636	1173	1844

* कपास का उत्पादन गांठों में प्रत्येक 170 कि.ग्र.। स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

दलहन, खरीफ मूंग/समर मूंग, ढैंचा आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए ढ़ैंचा बीज के वितरण के माध्यम से साइट विशिष्ट गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन अन्य वैकल्पिक फसलों से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए धान के विविधीकरण, मिट्टी की उर्वरकता बहाली, कृषि प्रसंस्करण, फसल उत्पाद का मूल्य संवर्धन से कृषि को लाभकारी उद्यम बनाने के लिए किसानों को जागरूक करने के लिये किया जा रहा है। राज्य सीडीपी जिलों के अलावा अन्य जिलों में भी राज्य योजना 'हरियाणा में फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना' लागू करके फसल विविधिकरण को बढ़ावा दे रहा है।

फसल बीमा योजना

3.8 केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–02–2016 द्वारा प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने खरीफ 2016, रबी 2016–17 और खरीफ 2017 व रबी 2017–18, खरीफ 2018, रबी 2018–19, खरीफ 2019, रबी 2019–20 सीजन में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का कपास और रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौ तथा सूरजमुखी को इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है। यह योजना किसानों को नवीन, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने तथा आय को स्थिर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत भुगतान किए जाने वाले प्रिमियम में किसानों का हिस्सा रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत, खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत तथा बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत है। शेष हिस्सा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर के अनुपात में वहन किया जाएगा। एक मौसम की सभी फसलों के लिए एक बार प्रीमियम भुगतान किया जाएगा। किसानों के हित में राज्य सरकार ने कपास की फसल के मामले में जोकि एक वाणिज्यिक फसल है तथा जो 5 प्रतिशत प्रीमियम वर्ग में आती है, किसानों से केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम लेने का निर्णय किया है। शेष 3 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत फसली सीजनवार प्रगति **तालिका 3.7** में दी गई है।

तालिका 3.7– प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना की फसली सीजनवार प्रगति

(रूपये लाख में)

सीजन	कवर किए गए किसान	लाभान्वित किसानों की संख्या	प्रीमियम			कुल प्रीमियम	दावा राशि
			किसान का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	केन्द्र सरकार का हिस्सा		
खरीफ 2016	738795	150881	12735.62	8332.42	4616.37	25684.41	23423.05
रबी 2016–17	597298	62606	6994.67	1892.81	1892.81	10780.29	5702.64
खरीफ 2017	641562	240144	12674.31	11489.05	6201.65	30365.01	79704.32
रबी 2017–18	697977	77215	8224.34	3384.38	3384.38	14993.10	8530.02
खरीफ 2018	722953	322574	13908.27	26084.97	18099.62	58092.86	79729.23
रबी 2018–19	774947	80721	10236.94	8526.07	8526.07	27289.08	12705.24
कुल	**4173532**	**934141**	**64774.15**	**59709.70**	**42720.90**	**167204.75**	**209794.50**

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

3.9 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरूआत पोषक तत्वों की कमी के समाधान और मृदा परीक्षण आधारित पोषक प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19–05–2015 को सूरतगढ़, राजस्थान से की गई थी। इस योजना के तहत राज्य में दो वर्षों के काल चक्र में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने है। यह योजना राज्य में अप्रैल, 2015 से शुरू की गई थी। इस योजना के प्रथम चरण 2015–16 और 2016–17 के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 13.42 लाख मिट्टी के नमूनों का लक्ष्य दिया गया। सभी नमूनों का परीक्षण किया गया और किसानों को 45.21 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी कर दिये गए हैं। योजना का दूसरा चक्र (2017–18 व 2018–19) मई, 2017 से शुरू हो चुका है। वर्ष 2017–18 व 2018–19 के दौरान लगभग 13.55 लाख मृदा नमूने एकत्र किए गए हैं। इनमें से 36.36 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जा चुके है और शेष प्रगति पर है। विभिन्न जिलों से प्राप्त सफलता के आधार पर, किसानों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरक की मात्रा को लागू किया, इससे इनपुट लागत में कमी आई है और उपज में वृद्धि हुई है। इस योजना पर आज तक 3,487.62 लाख रूपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा वर्ष 2019–20 के दौरान एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत ब्लॉक वार गांवों का चयन करके 22 जिलों में 122 ब्लॉक से 122 गांवों के मिट्टी के नमूने लिए जाने हैं। इस पायलट प्रौजेक्ट के तहत अब तक 25,567 मृदा नमूने एकत्र करके परीक्षण किए गए हैं और 11,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

3.10 आर.के.वी.वाई.–रफ्तार का उद्धेश्य किसानों के प्रयासों को मजबूत करने, जोखिम कम करने और कृषि–व्यापार उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए सामान्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें उपयोजनायें तथा एस.सी.एस.पी. शामिल है, के अर्न्तगत 137.65 करोड़ रूपये का आंवटन किया गया है जिसको 60:40 (केन्द्र : राज्य) के नये सांझा पैटर्न के आधार पर बांटा गया है। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 31–05–2018, 24–09–2018 तथा 13–03–2019 को राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें वर्ष 2018–19 के लिए 261.54 करोड़ रूपये की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सामान्य, एस.सी. एस.पी. तथा उपयोजना के प्रौजेक्ट स्वीकृत किए गए थे। जिसमें से भारत सरकार द्वारा 105.27 करोड़ रूपये की कुल राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सामान्य तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एस.सी.एस.पी. के अर्न्तगत जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने वर्ष 2018–19 में उपयोग हेतू 76.13 करोड़

रूपये पिछले सालों (2016–17 तथा 2017–18) की बकाया राशि पुनः जारी कर दी है। इस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में दिनांक 31 मार्च, 2019 तक कुल 181.40 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी गई। जिसके विरूद्ध 116.04 करोड़ रूपये खर्च कर दिए गए हैं। इसके इलावा भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त किश्त की राशि 17.38 करोड़ रूपये (केन्द्र का हिस्सा) दिनांक 25–03–2019 को जारी की जिसकी स्वीकृति 2018–19 में वित्त विभाग द्वारा नहीं दी गई। वर्ष 2019–20 की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (एस.एल.एस.सी.) की बैठक दिनांक 13–03–2019 को आयोजित की गई थी। जिसमें 305.91 करोड़ रूपये की योजना के प्रौजेक्ट आर.के.वी.वाई. सामान्य तथा 30.57 करोड़ के प्रौजेक्ट आर.के.वी.वाई. एस.सी. एस.पी. के लिए स्वीकृत किए गए थे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 5.03 करोड़ रूपये उपयोजना सी.डी.पी., 1.66 करोड़ रूपये आर.पी. एस. तथा 1.83 करोड़ रूपये पशुओं की सेहत से सम्बन्धित उपयोजना के लिए स्वीकृत किए थे। वर्ष 2019–20 में हरियाणा सरकार ने 350 करोड़ रूपये आर.के.वी.वाई. सामान्य के लिए तथा 20 करोड़ रूपये आर.के.वी.वाई. एस.सी. एस.पी. के लिए प्रावधान किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2019–20 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंव उपयोजना के लिए 114.13 करोड़ रूपये (93.67 करोड़ रूपये आर.के.वी.वाई. सामान्य + 20.46 करोड़ रूपये आर.के.वी.वाई. एस.सी.एस.पी.) का प्रावधान किया है। प्रथम किश्त की राशि 42.58 करोड़ रूपये (25.55 करोड़ रूपये केन्द्रीय हिस्सा + 17.03 करोड़ रूपये राज्य हिस्सा) आर.के.वी.वाई. सामान्य तथा 10.23 करोड़ (6.14 करोड़ रूपये केन्द्रीय हिस्सा + 4.09 करोड़ रूपये राज्य हिस्सा) आर. के.वी.वाई. एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने 12 जुलाई, 2019 को जारी कर दी। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा 81.27 करोड़ रूपये (सामान्य + एस.सी.एस.पी.) पिछले साल की बकाया राशि जारी कर दी गई है। इस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक कुल राशि 114.95 करोड़ रूपये आर.के.वी.वाई. सामान्य तथा 19.13 करोड़ रूपये आर.के.वी.वाई., एस.सी.एस.पी. के लिए जारी कर दी गई। जिसके विरूद्ध 113 करोड़ रूपये खर्च कर लिए गए हैं। इसके इलावा भारत सरकार से दूसरी किश्त की राशि 36.67 करोड़ भी प्राप्त हो चुकी है जिसकी स्वीकृति वित्त विभाग से मिलनी अभी बाकी है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)

3.11 भारत सरकार ने रबी 2007–08 से राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत दो फसलों गेहूं और दालों को शामिल किया गया है। उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना की गई है जो अधिक संभाव्यता वाले हैं लेकिन कम उत्पादक हैं। राज्य के सात जिलों अम्बाला, यमुनानगर, भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुरूग्राम, रोहतक और झज्जर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ के तहत कवर किया गया है। दालों के मामले में पांच जिलों को 2007–08 से 2009–10 के दौरान कवर किया गया था। वर्ष 2010–11 से सभी जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन के तहत कवर किया गया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के चिन्हित् जिलों में स्थायी रूप से क्षेत्रीय विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वर्ष 2014–15 में पांच जिलों झज्जर, हिसार, भिवानी, नारनौल तथा रिवाड़ी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मोटे अनाज तथा वाणिज्यिक फसलें, गन्ना व कपास के लिए गन्ना व कपास उत्पादक जिलों में शामिल किया गया। भारत सरकार ने चल रही मुख्य योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में वर्ष 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषण अनाज व ओ.एस. तथा ओ. पी. नाम की दो योजनाओं को शामिल किया। यहां यह वर्णन करना उचित होगा कि भारत सरकार ने दो नये जिलों पंचकूला व सिरसा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाज में शामिल

किया है तथा दो जिलों नारनौल व रिवाड़ी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाज योजना से बाहर कर दिया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 के दौरान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज में 9 जिलों भिवानी, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, रिवाड़ी तथा रोहतक को शामिल किया गया है। शामिल नई योजनाओं ओ.एस. व ओ.पी. को वर्ष 2018–19 से समस्त राज्य में कियान्वित किया जायेगा। इसके अलावा गन्ने के साथ दलहन को भी गन्ना उत्पादक जिलों में एन. एफ.एस.एम.–वाणिज्यिक फसल (गन्ना) के अर्न्तगत लाया गया है। यह योजना वर्ष 2015–16 से 60:40 केन्द्र और राज्य आधार पर लागू की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रगति **तालिका 3.8 (क), (ख) तथा (ग)** मे दर्शाई गई है।

तालिका 3.8 (क)– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) की प्रगति गेहूँ

(वित्तीय लाख रूपये)

अंतक्षेप	इकाई	लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य	
		2018–19		2018–19		2019–20	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1. उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	हैक्टेयर	4773	429.57	4773	181.35	4773	429.57
2. फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन	हैक्टेयर	1227	184.05	1227	123.60	1227	184.05
3. प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	18408	306.80	18408	88.50	18408	306.80
4. समेकित पोषण प्रबन्धन	हैक्टेयर	11100	80.50	11100	26.48	11100	80.50
5. एकीकृत कीट प्रबन्धन	हैक्टेयर	29920	149.60	29920	57.59	29920	149.60
6.संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिक उपकरण	संख्या	3096	27.48	3096	12.64	2580	27.48
7. कुशल जल आवेदन उपकरण							
क छिड़काव सैट	संख्या	1500	150.00	1500	74.20	1250	150.00
ख पानी ले जाने के लिए पाईप	मीटर	400800	200.40	400800	9.27	1000	150.00
8. फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण	संख्या	40	5.60	40	5.60	40	56.00
9. विविध				0	0	0	0
वित्तीय योग			**1534.00**		**579.23**		**1534.00**

तालिका 3.8 (ख) – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) की प्रगति–दहलन

(वित्तीय लाख रूपये)

अंतक्षेप	इकाई	लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य	
		2018–19		2018–19		2019–20	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1. उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	हैक्टेयर	1317	118.53	460	41.40	1283	115.47
2. फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन	हैक्टेयर	338	50.70	110	16.50	323	48.45
3. प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	3572.6	169.20	2539	57.98	3479	163.97
4. समेकित पोषण प्रबन्धन	हैक्टेयर	7510	42.30	3535	20.40	7487	41.93
5. एकीकृत कीट प्रबन्धन	हैक्टेयर	8460	42.30	7282	36.86	8000	40.00
6.संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिक उपकरण	संख्या	3357	35.97	2125	21.13	2680	34.39
7. कुशल जल आवेदन उपकरण							
क छिड़काव सैट	संख्या	966	96.60	450	35.00	947	94.70
ख पानी ले जाने के लिए पाईप	मीटर	0	0	0	0	0	0
8. फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण	संख्या	60	8.40	60	8.40	54	7.56
9. विविध		166	166.00	166	11.15	0	0.00
वित्तीय योग			**730.00**		**248.82**		**546.48**

तालिका 3.8 (ग) – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें

(वित्तीय लाख रूपये)

अंतक्षेप	इकाई	लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य	
		2018–19		2018–19		2019–20	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1 सुधार पैकेज का प्रदर्शन बाजरा, जौ, मक्का	हैक्टेयर	400	24.00	400	24.00	397	23.82
2 मिश्रित फसलों पर प्रदर्शन मक्का+जौ, बाजरा+ मक्का	हैक्टेयर	200	12.00	200	12.00	170	10.20
3. प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	1918	19.18	1918	19.18	441.70	14.58
वित्तीय योग			**55.18**		**55.18**		**48.60**

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

जल प्रबंधन

3.12 जल प्रबंधन न केवल राज्य के कृषि विभाग के लिए जरूरी है बल्कि राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण जरूरत है। जल बचत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ''खेत–जल प्रबंधन'' कार्यक्रम पर पूरा जोर दिया गया है। विभाग किसानों को कपास व गन्ने की फसलों मे भूमिगत पाईप लाइन, फव्वारा सिंचाई प्रणाली और ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने पर सहायता प्रदान कर रहा है। ये पानी की बचत प्रणालियां, कृषि जलवायु परिस्थितियों के काफी अनुकूल पाई गई हैं जिसमें फव्वारा सिंचाई प्रणाली रेतीली मिट्टी जिसमें स्थलाकृति होती है, के लिए अनुकूल है। यद्यपि कपास व गन्ने की फसलों मे यू.जी.पी.एल. को सिंचाई प्रणाली में सबसे अधिक व्यवहार्य पाया गया है जिसको पायलट आधार पर पहली बार वर्ष 2010–11 में लिया गया। जल प्रबंधन की प्रगति **तालिका 3.9** में दर्शाई गई है।

छिड़काव सिंचाई प्रणाली

3.13 राज्य के विशेष तौर पर दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र में छिड़काव सिंचाई प्रणाली की भारी मांग है। अब तक, राज्य में 1,75,903 छिड़काव सैट स्थापित किए जा चुके हैं जिन पर 262.93 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में खर्च किए गए है। वर्ष 2017–18 के दौरान उपरोक्त अनुदान राशि में से 1,244.13 लाख रूपये अनुदान राशि से 23,014 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है। राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सह योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी,अनुसूचित जाति व सीमांत किसानों को 85 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान की जा रही है।

भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली

3.14 राज्य में भूमिगत जल संसाधन की निगरानी के अध्ययन से पता चला है कि करनाल, कैथल, कुरूक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर जिलों में धान व गेंहूँ की लगातार बुआई के कारण पानी के जलस्तर में लगातार गिरावट आई है। गहन फसलों की प्रणाली (फसल की तीव्रता 182 प्रतिशत) के कारण 1999 से 2016 तक जमीन में पानी के जलस्तर में औसत गिरावट 9.3 मीटर हो गई है। इसके अलावा, राज्य का लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्र खराब गुणवत्ता वाले भूमिगत जल (खारा) से प्रभावित है जो कि फसल उत्पादन और उत्पादकता में गिरावट का कारण है। ऐसे क्षेत्रों में यूजीपीएल प्रणाली बिछाने से अच्छी गुणवत्ता वाले पानी के स्त्रोत से सिंचाई जल के परिवहन के लिए फसल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। समय की मांग है कि सिंचाई हेतू भूमिगत पाईप लाईन द्वारा पानी के कुशल व उचित उपयोग से भूमिगत जल भंडार के क्षरण को रोका जा सकें। भूमिगत पाईपलाइन परियोजना आर.के.वी.वाई के तहत ली गई विभाग की एक प्रमुख परियोजना है और कार्यक्रम को पूरे राज्य में किसानों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। भूमिगत पाईप लाईन परियोजना आर.के.वी.आई. के तहत ली गई विभाग की एक प्रमुख परियोजना है और कार्यक्रम को पूरे राज्य में किसानों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। भूमिगत पाईपलाईन प्रणाली बिछाने से पानी के नुकसान को कम किया गया है, उर्जा बचाई गई है जिससे अतिरिक्त क्षेत्र को खेती के तहत लाया गया है। अभी तक 2,02,336 हैक्टेयर क्षेत्र को 321.79 करोड़ रूपये की राशि का उपयोग कर इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है। भूमिगत पाईपलाईन के तहत सहायता का पैटर्न 50 प्रतिशत की लागत से 25,000 प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अधिकतम 60,000 रूपये प्रति लाभार्थी के रूप में है।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली

3.15 ड्रिप सिंचाई प्रणाली कपास व गन्ने की फसलों में प्रोत्साहित की जा रही है। अब तक, राज्य में 19.30 करोड़ रूपये अनुदान का उपयोग करके 3,721 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है। उपरोक्त में से 169.59 लाख रूपये का अनुदान वर्ष 2017–18 में 348.60 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए इस प्रणाली के अधीन दिया गया है।

तालिका 3.9– छिड़काव सिंचाई प्रणाली, भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का विवरण

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां		किसानों को दी गई सब्सिडी (लाख रूपये)
	भौतिक (है0/नं0)	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक (है0/नं0)	वित्तीय (लाख रूपये)	
1. छिड़काव सिंचाई प्रणाली					
2017–18	30000	35000.00	23014	1244.13	6220
2018–19	20000	2845.98	8152.23	1061.13	5304
2. भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली					
2017–18	45000	6000.00	20248	5218.93	9063
2018–19	8000	2000.00	9135.21	1610	4384
3. ड्रिप सिंचाई प्रणाली					
2017–18	2470	2700.00	348.60	169.59	137
2018–19	2000	1374.92	743.14	549.44	503

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना

3.16 वर्ष 2018–19 के लिए प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना के घटक 'पर ड्रोप मोर क्रोप' के अन्तर्गत 1,374.92 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान करके 2,000 हैक्टेयर भूमि को कवर करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। इस योजना में सम्पूर्ण राज्य के अर्न्तगत सामान्य श्रेणी किसानों, अनुसूचित जाति किसानों, छोटे और सीमान्त किसानों को 85 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान की है।

प्रधान मंत्री किसान योजना

3.17 प्रधान मंत्री किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रूपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता 2,000 रूपये प्रति किस्त के आधार पर प्रदान की जा रही है। अब तक 13,86,364 किसानों को पहली किस्त, 13,49,149 किसानों को दूसरी किस्त तथा 11,09,047 किसानों को तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है।

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना

3.18 प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना के तहत राज्य सरकार मुख्यमंत्री परिवार समृद्वि योजना (एम.एम.पी.एस.वाई.) के माध्यम से 1.80 लाख रूपये से कम वार्षिक आमदनी वाले 3.36 लाख किसानों की किस्त का हिस्सा वहन कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र अनुदान पर दिये गये हैं। इनका विवरण **तालिका 3.10** में दिया गया है।

इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन

'इन सीटू पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना'।

3.19 भारत सरकार द्वारा एक नई स्कीम पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा एन.सी.टी., दिल्ली के राज्यों में फसल अवशेष के इन सीटू प्रबंधन के लिए कृषि मैकेनाईजेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। वर्ष 2019–20 के दौरान हरियाणा राज्य को कार्यान्वयन के लिए 19,206 लाख रूपये प्रदान किये गए है। फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए पराली जलने पर अंकुश लगाने के लिए कुल 1,672 कस्टम हायरिंग सैंटर 80 प्रतिशत अनुदान पर स्थपित किये गये तथा पुआल के जलने के खतरों और फसल अवशेषों के प्रबंधन पर अंकुश लगाने के लिए 5,224 इन सीट फसल अवशेषों प्रबंधन इम्प्लीमेन्ट्स 50 प्रतिशत सब्सिडी पर व्यक्तिगत किसानों को प्रदान किये है। ग्रामीण स्तर कैम्प, ब्लॉक स्तर कैम्प, सोशल मिडिया, लेखन प्रतियोगिता, सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह, कठपुतली कार्यक्रम, सूचना रथ, सी.आर.एम. पखवाडा तथा 22 प्रदर्शन वैनों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया गया। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि यंत्रों के संचालन व रख रखाव हेतू प्रशिक्षित किया गया तथा फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रो का प्रदर्शन किसान के खेतों में किया गया। इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रमुख स्थानों में होर्डिंग/बैनर लगाये गये थे। इस योजना के अर्न्तगत लक्ष्य एवं उपलब्धियां **तालिका 3.11** में दर्शायी गई है।

तालिका 3.10– वर्ष 2019–20 में किसानों को अनुदान पर दिए गए कृषि यंत्र

क्रम सं0	कृषि यंत्रों के नाम	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)
1.	एसएमएस	225	122.15
2.	हप्पी सीडर	2473	1891.85
3.	धान स्ट्री चॉपर/ मुल्चर	2100	1785.00
4.	श्रुब मास्टर	175	39.16
5.	रेव। एम। बी। हल	1562	1249.60
6.	रोटरी स्लेशर	608	142.58
7.	टैक्टर	2905	784.35
8.	रोटोवेटर	3948	1974.00
9.	स्ट्रा बेलर	171	855.00
10.	टैक्ट्रर	899	1798.00
11.	डी.एस.आर.	4	0.80
12.	मल्टी क्राप प्लानर	6	1.50
13.	रीपर बांधने की मशीन	97	194.00
14.	धान ट्रसप्लांटर	1	5.00
15.	है रैक	25	35.00
लाभार्थियों की संख्या/कुल व्यय		**15199**	**10877.98**

तालिका 3.11– वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लक्ष्य व उपलब्धियां

विवरण	लक्ष्य 2018–19		उपलब्धियां 2018–19		लक्ष्य 2019–20		उपलब्धियां 2019–20	
	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)
फार्म मशीनरी बैंक या इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी का कस्टम हायरिंग सैन्टर की स्थापना।	1230	9400	1194	7431	1300	13061	1672	9000
कृषि मशीनरी तथा इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरण की खरीद।	5563	1950	3549	1911	7468	3396	5224	2500

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

3.20 राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि पहली मार्च, 2015 से बढ़ाकर 12 हजार रूपये प्रति एकड़ कर दी है तथा सभी हिस्सेदारों को भुगतान किया गया न्यूनतम मुआवजा 500 रूपये है। फसलों को बाढ़, जलभराव, अग्नि, बिजली की चिंगारी, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी–तूफान और कीटाणु हमला के प्रकोप आदि से होने वाले नुकसान का दायरा भी बढ़ाया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को वर्ष–वार प्रदान किये गये मुआवजे का विवरण **तालिका 3.12** में दिया गया है।

स्टैम्प एवं रजिस्ट्रेशन

- सरकार द्वारा पंजीकृत गौशाला, भूमि की खरीद पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत तक की कमी की गई है।
- हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत धर्मार्थ न्यासों, धर्मार्थ सोसाईटियों, कम्पनियों, जो लाभ के लिए नही हों, के बीच सम्पति के

हस्तान्तरण के लिए प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 5 से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है।

- सरकार ने किसानों के कृषि प्रयोजन हेतू 1.60 लाख रूपये तक के ऋण प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के ऋण करार पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया गया है।

मेवात विकास बोर्ड

3.21 मेवात विकास बोर्ड का गठन क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने एवं क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1980 मे किया गया। मेवात विकास अभिकरण का उद्देश्य क्षेत्र मे विकासात्मक गतिविधियों को तेज करना व क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार की गई लाभप्रद विकासात्मक गतिविधियों को लागू करना है। एकीकृत विकास व्यय का वर्षवार विवरण **तालिका 3.13** में दिया गया है।

तालिका 3.12– प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को वर्ष–वार प्रदान किये गये मुआवजे का विवरण

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	सूखा	बाढ/भारी वर्षा	ओलावृष्टि	कीटाणु हमला	आगजनी/लाईटिंग
2014–15	123.38	–	–	18.40	0.29
2015–16	1.08	21.96	1207.73	976.03	0.46
2016–17	17.85	0.11	25.38	28.45	0.17
2017–18	2.00	5.46	69.42	12.60	0.20
2018–19	–	164.74	16.97	–	2.83
2019–20	–	39.91	26.94	–	3.53
कुल	**144.31**	**232.18**	**1346.44**	**1035.48**	**7.48**

तालिका 3.13–एकीकृत विकास व्यय का वर्षवार विवरण

वर्ष	मेवात क्षेत्र का सघन विकास (सामान्य)	मेवात क्षेत्र का सघन विकास (एससीएसपी)	कुल व्यय
2014–15	1858.76	60.00	1918.76
2015–16	1890.51	2.16	1892.67
2016.17	2563.10	74.63	2637.73
2017–18	2193.03	246.31	2439.34
2018–19	2348.96	312.12	2661.08
2019–20	2700.00	300.00	3000.00

स्त्रोतः राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा।

हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

3.22 संस्था का मुख्य कार्य बीज अधिनियम–1966 की धारा–5 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई फसलों के बीजों/जातियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणित करना है। फसलवार निर्धारित मानकों का विवरण, केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानको में दिया हुआ है। प्रमाणीकरण का कार्यक्रम विभिन्न बीज उत्पादन करने वाली संस्थाओं जैसे हरियाणा बीज विकास निगम, हैफेड, हरियाणा भूमि सुधार व विकास निगम, उद्यान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, आई.एफ.एफ.डी.सी., कृभको एवं अन्य व्यक्तिगत बीज उत्पादकों/संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

3.23 यद्यपि एंजैंसी अपनी गतिविधियों के माध्यम से बीजों के प्रमाणीकरण के लिए कार्यक्रम को प्रोत्साहित करती है, तथापि राज्य की बीज उत्पादक/संस्थाओं द्वारा प्रमाणीकरण के लिए आफर किया गया क्षेत्र ही संस्था के कार्य का लक्ष्य बन जाता है। वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक संस्था द्वारा विभिन्न फसलों का किया गया निरीक्षण एवं प्रमाणित बीज की मात्रा का विवरण **तालिका 3.14** में दिया गया है।

तालिका 3.14–निरीक्षण किया गया क्षेत्र व प्रमाणित किये गए बीजों की मात्रा

वर्ष	निरीक्षण किया गया क्षेत्र (000 हैक्टयेर)	प्रमाणित किये गये बीजों की मात्रा (000 क्विंटल)
2014–15	75.73	2055.72
2015–16	89.46	2748.69
2016–17	103.27	3275.11
2017–18	94.83	2878.95
2018–19	90.78	2980.74

स्त्रोतः हरियाणा बीज प्रमाणीकरण संस्था।

3.24 वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं/उत्पादकों द्वारा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को लगभग 33.50 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 104 हजार हैक्टेयर क्षेत्र आफर किये जाने की सम्भावना है। वर्ष 2020–21 में अनुमानित आय 1,575.20 लाख व व्यय लगभग 1,560.20 लाख होगी।

3.25 वर्तमान में, राज्य में सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में 247 प्रसंस्करण संयंत्र कार्य कर रहे हैं जिन पर प्रमाणीकरण हेतू बीजों के संसाधन का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है। बीजों के संसाधन के उपरान्त, प्रत्येक लॉट से बीज का एक नमुना लेकर और उसे कृषि विभाग के अधीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला करनाल, सिरसा तथा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण प्रयोगशाला संस्था पंचकुला एवं रोहतक स्थित प्रयोगशाला में आवश्यक जांच के लिए भेजा जाता है तथा वहां से परिणाम प्राप्त होने के बाद अगर वह लॉट प्रमाणीकरण के सभी निर्धारित मानकों को पूरा करता है तो उसको नियमानुसार प्रमाणित कर दिया जाता है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के पिछले 5 सालों की आय व व्यय का विवरण **तालिका 3.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15–बीज प्रमाणीकरण संस्था की आय व व्यय का विवरण।

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय	व्यय
2014–15	818.18	701.00
2015–16	922.50	691.90
2016–17	1035.45	747.65
2017–18	1169.11	834.64
2018–19	1058.67	772.85

स्त्रोतः हरियाणा बीज प्रमाणीकरण संस्था।

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड

3.26 हरियाणा बीज विकास निगम किसानो के कल्याण के लिए कार्य करता है और निगम का मुख्य उद्धेश्य किसानों को नाममात्र लाभ पर गुणात्मक बीज प्रदान करना है। हरियाणा बीज विकास निगम एक मूल्य नियंत्रक के रूप में भी काम करता है ताकि राज्य में बीज की कीमतों पर रोक लगा सके। कभी–कभी सरकार को हरियाणा बीज विकास निगम की लागत के मुकाबले बीज की दरों को कम करना पड़ता है, जिससे राज्य के किसानों को लाभ देने के लिए निगम को नुकसान का सामना करना पड़ता है।

प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण

3.27 हरियाणा बीज विकास निगम ने वर्ष 2018–19 के दौरान खरीफ फसलों के प्रमाणित बीजों का 4,885 क्विंटल तथा रबी फसलों के प्रमाणित बीजों का 2,65,873 क्विंटल उत्पादन किया। किसानों को समय पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा बीज विकास निगम का सहकारी संस्थाओं जैसे मिनी बैंकों, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम इत्यादि के बिक्री केन्द्रों के अलावा अपने 77 बिक्री केन्द्रों का नेटवर्क है। निगम द्वारा जरूरत के अनुसार अस्थाई बीज बिक्री केन्द्र भी खोले जाते हैं। अधिकतम कृषि इनपुट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा बीज विकास निगम किसानों को खरपतवारनाशक, कीटनाशक एवं फफूंदीनाशक दवाईयां भी अपने बिक्री केन्द्रों से उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा बीज विकास निगम अपने माल की बिक्री अपने ब्रान्ड नाम 'हरियाणा बीज' से कर रहा है जो कि किसानों में बहुत ही

लोकप्रिय है। वर्ष 2019–20 के दौरान निगम ने 50,678 क्विंटल प्रमाणित बीज खरीफ–2019 की विभिन्न फसलों जैसे धान, दालें, ज्वार, बाजरा, हाईब्रिड मक्का आदि तथा 2,94,969 क्विंटल (अनुमानित) बीज जैसे गेंहू, दालें, तिल, जौ, बरसीम और जई रबी फसल 2019–20 में बेचे हैं।

3.28 हरियाणा बीज विकास निगम राज्य के किसानों को रियायति दर पर विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, एन.एम.ओ.ओ.पी. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फसल विविधिकरण योजना राज्य योजना तथा त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत बीज उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा बीज विकास निगम ने फसल विविधिकरण योजना के अर्न्तगत 10,048.88 क्विंटल हाईब्रिड मक्का की 100 प्रतिशत अनुदान पर तथा 31,474.86 क्विंटल ढैंचा बीज की 80 प्रतिशत अनुदान पर आपूर्ति की है व 2,980.94 क्विंटल मूंग के बीज की त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत 50 प्रतिशत अनुदान पर आपूर्ति की है। निगम ने वैकल्पिक फसलों के समूह प्रदर्शन (सी.डी.पी.–आर.के.वी.वाई.) के अन्तर्गत 60,000 बी.टी. काटन बीज के पैकेट किसानो को 80 प्रतिशत अनुदान पर वितरित किये। निगम ने रबी 2019–20 के दौरान, निगम के बीज केन्द्रों के माध्यम से बरसीम व जई जैसे चारे के बीज भी वितरित किये है। वर्ष 2014–15 से 2019–20 तक प्रमाणित बीजो की बिक्री प्रगति एवं वर्ष 2020–21 के लिए अनुमानित लक्ष्य **तालिका 3.16** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.16– निगम द्वारा बीजों की बिक्री

(क्विंटल में)

मौसम	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20 (अनुमानित)	2020–21 (लक्ष्य)
खरीफ	14669	11750	36363	37852	45852	50678	6980
रबी	229833	304650	279410	208290	266188	294969	254640
कुल	**244502**	**316400**	**315773**	**246142**	**312040**	**345647**	**261620**

स्त्रोतः हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटिड

3.29 हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटिड (एच.एल.आर.डी.सी.लि.) की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। निगम का मुख्य कार्य कल्लर भूमि का सुधार, कृषि उत्पादों, पौधा संरक्षण यंत्र की बिक्री एवं प्रमाणित बीज तैयार करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम (आर.के.वी.वाई), राष्ट्रीय मिशन ऑयलसीड एण्ड ऑयलपाम (नमूप) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन स्कीम (दलहन व तिलहन) (एन.एफ.एस. एम) के अर्न्तगत किसानों को जिप्सम 50 प्रतिशत अनुदान पर क्षारीय भूमि सुधार एवं सल्फर की कमी को पूर्ण करने के लिये उपलब्ध करवाई जाती है।

3.30 निगम द्वारा अपनी स्थापना के बाद से 28,35,985 मीट्रिक टन जिप्सम का वितरण करके 3,88,549 हैक्टेयर भूमि का सुधार किया जा चुका है। वर्ष 2019–20 के दौरान 30–09–2019 तक निगम द्वारा राज्य के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर 31,612 मी.टन जिप्सम उपलब्ध करवाई जा चुकी है। केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान (आई.सी.ए.आर.–सी.एस.एस. आर.आई.) करनाल के नवीनतम सर्वे के अनुसार हरियाणा राज्य में 1.71 लाख हैक्टेयर क्षारीय भूमि का सुधार और किया जाना है। निगम द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा को उक्त क्षारीय भूमि का आगामी 5 वर्षो में सुधार करने के लिये स्टेट प्लान स्कीम के अन्तर्गत उचित बजट उपलब्ध करवाने की मांग की हुई है। निगम के द्वारा अपने बिक्री केन्द्रों से खाद्य, दवाईयां, बीज एवं पौधा संरक्षण यंत्र इत्यादि का वितरण किया जाता है। निगम द्वारा वर्ष 2018–19 में 22,969 क्विटंल गेहूं का प्रमाणित बीज तैयार किया गया है तथा दिनांक 29–10–2019 तक 17,000 क्विंटल गेहूं का प्रमाणित बीज किसानों को वितरित किया जा चुका है।

बागवानी

3.31 पोषण सुरक्षा के लिए बागवानी प्रमुख विविधीकरणीय गतिविधि है। हरियाणा बागवानी क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ भारत का अग्रणी राज्य है। राज्य में अधिकतर सभी तरह के फल सब्जी, मसाले, मशरूम और फूल उगाए जाते हैं। बागवानी फसलों के कुल क्षेत्र के 85 प्रतिशत में सब्जी व बाकी में फल, मसाले व फूल इत्यादि हैं। बागवानी विभाग जलवायु और मिट्टी की स्थिति के अनुसार बेहतर फसल की खेती के लिए कलस्टर दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर रहा है। वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 का बागवानी बजट 34,498.07 लाख रूपये से काफी हद तक बढ़कर 52,388.12 लाख रूपये हो गया है।

विभाग की नीतियां एवं कार्यक्रम

3.32 विभाग द्वारा चलाई जा रही 24 योजनाओं में से 17 राज्य योजना, 7 केन्द्रीय योजना (हिस्सा आधारित) हैं। इन योजनाओं के माध्यम से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घटकों पर राज्य के किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इन योजनाओं में सहायता की उपलब्धता रेंज 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक घटकों के प्रकार पर निर्भर करती है।

बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र व उत्पादन

3.33 राज्य में 5.26 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अधीन है जो कि सकल फसल क्षेत्र का 7.99 प्रतिशत है। वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य में बागवानी फसलों का उत्पादन 86.38 लाख मीट्रिक टन था।

फल की खेती

3.34 वर्ष 2018–19 में 11.78 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल फल का क्षेत्र 67,165 हैक्टेयर था। वर्ष 2019–20 में 12.59 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 70,300 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है और नवम्बर, 2019 तक 4.70 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल फलों का क्षेत्र 4,261 हैक्टेयर है **(तालिका 3.17)**।

सब्जी की खेती

3.35 वर्ष 2018–19 में 73.05 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल सब्जी की खेती का क्षेत्र 4,43,598 हैक्टेयर था। वर्ष 2019–20 में 90.28 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 4,63,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है और नवम्बर, 2019 तक 23.77 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल सब्जियों का क्षेत्र 2,15,322 हैक्टेयर है **(तालिका 3.18)**।

तालिका 3.17– फलों की फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फलों के नाम	लक्ष्य 2018–19		उपलब्धियां 2018–19		लक्ष्य 2019–20		उपलब्धियां 2019–20 (नवम्बर, 2019 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) नींबू वर्गीय फसलें	22437	471468	20789	549332	21922	565259	1082	148280
2) आम	9982	119324	9563	116447	9660	118333	60	85301
3) अमरूद	13180	244311	12595	247449	13320	268178	670	81233
4) चीकू	1764	24387	1763	23239	1783	25867	29	16501
5) आंवला	2378	36065	2198	10747	2205	19844	0	2618
6) अन्य	21259	279445	20257	231701	21410	262139	2420	135743
योग	**71000**	**1175000**	**67165**	**1178915**	**70300**	**1259620**	**4261**	**469676**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.18– सब्जीय फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

सब्जियों के नाम	लक्ष्य 2018–19		उपलब्धियां 2018–19		लक्ष्य 2019–20		उपलब्धियां 2019–20 (नवम्बर, 2019 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) आलू	42320	1227280	34738	897846	35612	1053093	24153	141207
2) टमाटर	36254	911428	30173	650625	31117	746148	13304	323187
3) प्याज	37868	908832	32010	780150	32916	905267	16689	354266
4) बेल वाली सब्जी	78167	1073658	67835	938085	72262	1223499	30330	541296

5) फूल गोभी	44049	1101482	43615	931642	44712	1092826	25624	177091
6)पत्ते वाली सब्जी	38899	541640	39947	470784	41231	612513	19165	111076
7) मटर	17257	162329	15586	144678	16448	197489	6923	23502
8) बैंगन	20171	471955	16994	333950	18079	401626	7460	124048
9) अन्य	185015	2790111	162700	2157250	170623	2796039	71674	581435
योग	**500000**	**9188715**	**443598**	**7305010**	**463000**	**9028500**	**215322**	**2377108**

तालिका 3.19– मसालों का क्षेत्र एवं उत्पादन

मसालों के नाम	लक्ष्य 2018–19		उपलब्धियां 2018–19		लक्ष्य 2019–20		उपलब्धियां 2019–20 (नवम्बर, 2019 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) अदरक	343	6278	92	720	96	765	59	40
2) लहसुन	4728	59668	3293	42643	3609	46455	1049	26811
3) मैथी	4186	13700	2230	8832	2416	10330	1351	3680
4) अन्य	5743	40354	3563	18105	3879	22450	2649	5154
योग	**15000**	**120000**	**9178**	**70300**	**10000**	**80000**	**5108**	**35685**

तालिका 3.20– औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का क्षेत्र एवं उत्पादन

औषधीय एवं सुगंधित पौधों के नाम	लक्ष्य 2018–19		उपलब्धियां 2018–19		लक्ष्य 2019–20		उपलब्धियां 2019–20 (नवम्बर, 2019 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) एलोवेरा	.	.	136	856.1	248	9683	31	789
2) स्टीविया	.	.	15.4	42	22.5	69	6	41
3) अरन्डी	.	.	0	0	0	0	0	0
4) अन्य	.	.	163.6	189.9	3429.5	10248	121	220
योग	**470**	**3260**	**315**	**1088**	**3700**	**20000**	**158**	**1050**

तालिका 3.21– फूलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फूलों के नाम	लक्ष्य 2018–19			उपलब्धियां 2018–19			लक्ष्य 2019–20			उपलब्धियां 2019–20 (नवम्बर, 2019 तक)		
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	कट फलावर उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	कट फलावर उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	कट फलावर उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	कट फलावर उत्पादन (लाख)
ग्लोयो–लियस	200	0	298.31	192.2	0	91.66	228	0	134.22	3	0	0.62
गेंदा	7860	92184	0	5288.4	71470.4	0	6086	89445	0	1713	4374	0
गूलाब	265	1622.4	425.39	131	1322	72.46	225	1815	310.18	38	15	11.60
अन्य	285	193.6	876.30	350.4	2.6	289.51	461	140	498.11	495	0	198.19
योग	**8610**	**94000**	**1600**	**5962**	**72795**	**453.63**	**7000**	**91400**	**942.51**	**2249**	**4389**	**210.41**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.22– श्रेणी अनुसार संरक्षित/खडी खेती की प्रगति।

श्रेणी	उपलब्धियां 2018–19		लक्ष्य 2019–20	
	भौतिक (है0)	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक (है0)	वित्तीय (लाख रूपये)
1) पोली हाऊस/नेट हाऊस	909.61	30549.87	29.06	1441.03
2) उच्च मूल्य वाली सब्जियां	34.40	370.16	89.60	3124.00
3) कम सुरंग	319.37	688.01	96.40	193.20
4) मलचिंग	2973.08	422.59	700.00	112.00
5) बॉस स्टैकिंग	1780.56	949.14	1188.40	987.12
कुल	**6017.02**	**32979.77**	**2103.46**	**5857.35**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

मसाले

3.36 वर्ष 2018–19 में 0.70 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल मसालों का क्षेत्र 9,178 हैक्टेयर था। वर्ष 2019–20 में 0.80 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है और नवम्बर, 2019 तक 0.36 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल मसालो का क्षेत्र 5,108 हैक्टेयर है **(तालिका 3.19)**।

औषधीय एवं सुगन्धित पौधे

3.37 वर्ष 2018–19 में 0.01 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का कुल क्षेत्र 315 हैक्टेयर है। वर्ष 2019–20 में 0.20 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 3,700 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। माह नवम्बर, 2019 तक 0.01 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का कुल क्षेत्र 158 हैक्टेयर है **(तालिका 3.20)**।

फूलों की खेती

3.38 वर्ष 2018–19 में 0.73 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल फूलों का क्षेत्र 5,962 हैक्टेयर था। वर्ष 2019–20 में खुले क्षेत्र के फूल 0.91 लाख मीट्रिक टन व कट फलावर 942.51 लाख संख्या उत्पादन के साथ 7,000 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। माह नवम्बर, 2019 तक 0.04 लाख मीट्रिक टन खुले क्षेत्र के फूल व 210.41 लाख संख्या कट फलावर उत्पादन के साथ कुल फूलों का क्षेत्र 2,249 हैक्टेयर है **(तालिका 3.21)**।

मशरूम

3.39 वर्ष 2018–19 में खुम्ब का उत्पादन 10,580 मीट्रिक टन प्राप्त किया गया। वर्ष 2019–20 में 12,026 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया और नवम्बर, 2019 तक 4,260 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है।

संरक्षित/खड़ी खेती

3.40 रोग मुक्त पौधे, गैर मौसमी सब्जियों व कीटनाशक रहित सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए, हरित गृह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। सरकार द्वारा संरक्षित और खड़ी खेती को बढ़ाने के लिए सामान्य जाति के किसानों को 65 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2018–19 तक 1,780.56 हैक्टेयर क्षेत्र को बॉस स्टैंकिंग, 944.01 हैक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित संरचनाएं, 319.37 हैक्टेयर क्षेत्र को प्लास्टिक टयूनलस व 2,973.08 हैक्टेयर क्षेत्र को मलचिंग से कवर किया गया है। इसकी श्रेणी अनुसार प्रगति **तालिका 3.22** में दर्शायी गई है।

कम्यूनिटी टैंक

3.41 वर्ष 2018–19 में 304 सामुदायिक/कृषि तालाब बनाये गए जिन पर 2,609.41 करोड़ रूपये खर्च हुये। वर्ष 2019–20 में नवम्बर, 2019 तक 40 सामुदायिक व 108 व्यक्तिगत तालाब बनाये गए जिन पर 1,141.08 लाख रूपये खर्च हुए।

सूक्ष्म सिंचाई

3.42 सूक्ष्म सिंचाई योजना "पर ड्रोप मोर क्रोप" के अन्तर्गत मार्च, 2019 तक 3,874.45 हैक्टेयर क्षेत्र इस योजना के अधीन लाया जा चुका है। वर्ष 2019–20 में नवम्बर, 2019 तक 386.60 लाख रूपये खर्च के साथ 550.33 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।

बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना

3.43 बागवानी फसलों में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। दिनांक 06–04–2016 को माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री व माननीय मुख्य मंत्री हरियाणा द्वारा बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। एक अधिनियम पारित किया गया और वर्ष 2016–17 के दौरान 50 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया। स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी द्वारा करनाल के

अंगनथली में ''बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना'' परियोजना के लिए वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित लागत 486.59 करोड़ रूपये की संवैद्वातिक मंजूरी दी गई।

3.44 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर और एल.ओ.आई.

- सरकार ने कृषि और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग, आई.ओ.डब्लू.ए राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। फलों और सब्जियों में कटाई के उपरांत प्रबंधन केंद्र की स्थापना के लिए एक अमेरिकी फर्म के साथ एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो विशेष रूप से ''हरियाणा फ्रेश'' ब्रांड के उत्पादन की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन में मदद करेगा।
- सरकार ने कृषि और बागवानी अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए वैगनिन विश्वविद्यालय व अनुसंधान, नीदरलैंड के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए है।
- बागवानी विभाग ने विभागीय संस्थानों और केन्द्र में कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए बागवानी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के कृषि कौशल परिषद एन.एस.डी.सी. सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए 6 केन्द्रो को अधिसूचित किया गया है।
- बागवानी विभाग ने क्लीन कोल्ड चेन की तकनीक के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय (यू.के.) के साथ मामला उठाया है।
- सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में एक उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना कर रही है। करनाल, सिरसा, कुरूक्षेत्र, रोहतक, गुरूग्राम और पलवल में 8 केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं तथा दो अर्थात प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केन्द्र, अमरूद, भूना (फतेहाबाद) और एकीकृत बागवानी विकास केन्द सुन्द्रह (नारनौल) में उदघाटन किया जाना है। सोंधी (झज्जर) और एकीकृत बागवानी विकास केन्द्र, बरवाला (हिसार) में प्रत्येक दो अन्य केन्द्रों का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

किसान उत्पादक संगठन का गठन (एफ.पी.ओ.)

3.45 सरकार ने बागवानी उत्पाद के सामूहिक विपणन को बढ़ावा देने के लिए 22 जिलों के 75,581 किसानों को सम्मिलित करते हुए 754 किसान रूचि समूह (एफ.आई.जी.) के माध्यम से 409 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया है ताकि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत सीधा लाभ दिया जा सके। इन किसानो को तकनीकी, मौसम तथा विपणन जानकारी के सीधे हस्तांतरण के लिए किसान पोर्टल के साथ जोड़ा जायेगा।

फसल समूह विकास कार्यक्रम (सी.सी.डी.पी.)

3.46 नई योजना अर्थात फसल समूह विकास कार्यक्रम 510.36 करोड़ रूपये बजट के साथ शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अंर्तगत प्रत्येक क्लस्टर में विपणन ढांचा और फसल प्रबंधन सुविधाओं जैसे पैक हाउस, प्राथमिक संस्करण केंद्र, ग्रेडिंग–छंटनी मशीन, भंडारण की सुविधा, वाहन सुविधा इनपुट और गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादि सुविधाएं बागवानी उत्पादन के प्रभावी विपणन के लिए दी जाएंगी।

भावान्तर भरपाई योजना

3.47 सरकार द्वारा यह योजना दिनांक 30–12–.2017 को शुरू की जिसका मुख्य उद्धेश्य बागवानी फसल की थोक बाजार में कीमत कम होने पर बागवानी किसानों को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करना है और उन्हें कृषि से बागवानी की तरफ जाने को प्रोत्साहित करना है। पहले चरण में चार फसलों जैसे प्याज, टमाटर, आलू व फूलगोभी को लिया गया है। इन फसलों के लिए सुरक्षित कीमतें निर्धारित की गई है और यदि थोक बाजार के भाव इन सुरक्षित कीमतों से कम होते हैं तो किसानों के नुकसान को पूरा करने लिए भाव

के अन्तर का भुगतान सरकार के द्वारा किया जायेगा। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए किसानों को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की वेबसाईट भावान्तर भरपाई योजना पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। पहले चरण के दौरान दो फसलों (टमाटर व प्याज) के 10,789 एकड क्षेत्र के 4,435 किसानों को कवर किया गया। दूसरे चरण में दिनांक 21–01–2019 तक चार फसलों (आलू, फूलगोभी, टमाटर और प्याज) के 54,596 एकड क्षेत्र के 14,576 किसानों को कवर किया जा चुका है। तृतीय चरण में 15 सितंबर 2019 से अब तक 65,771 एकड़ क्षेत्र के लिए 23,692 किसानों को प्याज, टमाटर, आलू, फूलगोभी, गाजर, मटर व किन्नू के लिए पंजीकृत किया गया है। 1 जनवरी, 2020 तक 1,42,656 क्षेत्र में कुल 46,352 किसानों को पंजीकृत किया गया जिसमें से कुल 3,873 किसानों को 952.57 लाख रूपये राशि से लाभान्वित किया गया।

राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पहचान

3.48 उद्यान विभाग को 8 सितम्बर, 2016 को दूरदर्शी नीति पहल एवं महत्वूपर्ण उपलब्धियों के लिए 'वैश्विक कृषि नेतृत्व अवार्ड 2016' दिया गया।

बागवानी विजन दस्तावेज

3.49 सरकार ने अगले 15 वर्षों में बागवानी के क्षेत्र को दो गुणा व उत्पादन को तीन गुणा करने के लिए वर्ष 2030 तक का 'बागवानी विजन' तैयार किया है। इस परिकल्पना के अनुसार वर्तमान में बागवानी के अंतर्गत कुल खेती क्षेत्र का 7.57 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत क्षेत्र लाया जाएगा।

सिंचाई

3.50 हरियाणा, स्तही जल के किसी भी बारहमासी स्त्रोत के बिना और उसका पानी में हिस्सा विभिन्न अंतर्राज्यीय समझौते पर निर्भर होने के बावजूद सतही पानी का प्रबंधन इतने अच्छे तरीके से कर रहा है कि राष्ट्रीय खाद्यान्न भण्डारण में हरियाणा राज्य मुख्य योगदानकर्ता में से एक बन गया है। सिंचाई विभाग की विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य एवं उपलब्धियां **तालिका 3.23** में दर्शाई गई हैं।

3.51 हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग राज्य में नहर व जल निकासी प्रणाली के निर्माण, संचालन और रखरखाव के साथ–साथ सिंचाई, पीने का पानी, तालाबों के भरने और औद्योगिक व अन्य व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति करवाने के लिए जिम्मेवार है। हरियाणा द्वारा 14,085 कि.मी. लम्बाई की 1,461 चैनलों की व्यापक नहर प्रणाली का विकास किया गया है। भाखडा प्रणाली में कुल 5,961 कि.मी. की लम्बाई में कुल 522 नहरें हैं, यमुना प्रणाली में 4,422 कि.मी की लम्बाई में कुल 446 नहरें हैं व उठान प्रणाली में 3,702 कि.मी. की लम्बाई में 493 नहरें हैं। इसके अलावा, राज्य में 5,150 कि.मी. लम्बाई की लगभग 800 ड्रेनों की विशाल निकास प्रणाली है। राज्य में नहर प्रणाली बहुत पुरानी है और निरंतर चलने वाली प्रणाली के

तालिका 3.23– वर्षवार विभाग की विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

वर्ष	योजना/स्कीम का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत	
		भौतिक	वित्तीय (लाख रू0 में)	भौतिक	वित्तीय (लाख रू0 में)	भौतिक	वित्तीय
2014–15	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	89	26824.33	64	26824.33	72	100
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	355	12837.09	367	11780.53	103	92
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	16	12659.26	14	12458.69	88	98
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	36296820	4074.24	34872476	35959.78	97	97
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	9326526	1220.51	9270850	1206.58	99	99
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	180	11668.74	180	9379.61	100	80
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	50800	15751.47	49296	12266.47	97	78

2015–16	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	113	24132.27	103	23078.58	91	96
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	333	9385.21	318	5696.54	95	61
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	10	10543.27	7	7189.84	70	68
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	30997757	4006.68	461074 69	3657.85	149	91
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	7360879	660.50	738174 5	660.50	100	100
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	148	5736.02	148	5736.02	100	100
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	60000	17238.87	57610	17161.24	96	99
2016–17	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	104	20400.52	99	16332.38	95	80
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	517	19454.70	456	16267.08	88	84
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	6	4237.51	4	657.82	67	16
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	34723790	3957.97	330917 04	3894.73	95	98
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	17966063	1045.91	179241 01	1033.74	100	99
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	182	11114.39	176	10010.06	97	90
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	60000	20500.00	49223	13316.27	82	65
2017–18	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	159	38672.71	139	29182.20	87	75
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	440	17125.33	377	14134.84	86	83
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	9	4041.4	5	717.8	56	18
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	35263144	4464.07	335536 61	4451.92	95	100
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	13627408	1277.1	135931 88	1247.32	100	98
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	128	14268.49	124	8916.08	97	62
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	60000	22500.00	34963	10793.36	58	48
2018–19	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	156	46695.28	136	39989.70	87	86
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	358	14228.80	278	9922.38	78	70
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	27	3877.32	26	865.38	96	22
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	35140120	4612.43	331872 99	4335.64	94	94
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	15217675	1669.04	148276 49	1518.45	97	91
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	163	11764.68	150	9212.33	92	82
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	30000	10500.00	19719	8571.14	66	82

स्त्रोतः सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा।

कारण वाहक चैनलों की क्षमता कम हो गई है। इस कारण इसका पुर्नउद्धार करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार मौजूदा नहर प्रणाली की वाहक क्षमता बढाकर इसका पुर्ननिर्माण करने की योजना बना रही है जिससे मानसून ऋतु में अतिरिक्त पानी को राज्य में सिंचाई के अलावा संरक्षण के काम में लाया जा सके। सरकार के ध्येय यानि ''हर खेत को पानी'' को साकार करने के लिए विभिन्न पम्पों और जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई प्रणाली की विभिन्न नहरों की क्षमता को बढाने के लिए 145.52 करोड़ रूपये की लागत से पूरा हो चुका है।

3.52 2019 के मानसून सत्र में, जेएलएन फीडर में अधिकतम 3150 क्यूसिक पानी, लोहारू फीडर में 1000 क्यूसिक, महेन्द्रगढ़ नहर में 1250 क्यूसिक तथा जे.एल.एन. नहर में 780 क्यूसिक पानी का निष्कासन किया गया, जोकि वर्ष 2018 की तुलना में जे.एल.एन. फीडर में 3.27 प्रतिशत अधिक, लोहारू फीडर में

9 प्रतिशत अधिक, महेन्द्रगढ़ नहर में 19 प्रतिशत अधिक और जे.एल.एन. नहर में समान रहा।

3.53 वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान लगभग 220 चैनलों के पुनर्वास का कार्य 1,000 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से करने के लिए योजना बनाई गई है। 400 करोड़ रूपये की लागत से विभिन्न शाखाओं/ माईनरों के पुर्नउद्वार के कार्य प्राथमिता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 व 2020–21 में किये जायेगें। इसके अलावा दिनांक 10–01–2018 को नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.–23 के तहत 244.79 करोड़ रूपये की लागत से 52 चैनलों के पुर्नउद्वार के कार्य को स्वीकृत किया गया। दिसम्बर, 2019 तक 137.24 करोड़ रूपये की लागत से 26 योजनाओं पर कार्य पूरा किया जा चुका है तथा 19 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है शेष सभी योजनाओं पर कार्य मार्च, 2021 तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। नाबार्ड ने 300 करोड़ रूपये की लागत से 564 जलमार्गों के पुनर्वास के कार्य के लिए एक योजना को स्वीकृत किया। 359 जलमार्गों का कार्य दिसम्बर, 2019 तक पूरा कर लिया गया है व 77 जलमार्गों का कार्य 164.87 करोड़ रूपये की लागत से प्रगति पर है। शेष जलमार्गों का कार्य 31 दिसम्बर, 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा।

3.54 मानसून ऋतु के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए वाहक प्रणाली की क्षमता बढ़ाने की निम्नलिखित योजनाएं प्रगति पर हैः–

- आरडी 68220 (हमीदा हैड) से आरडी 190950 (इंद्री हैड) तक पश्चिमी जमुना नहर मेन लाईन लॉअर की क्षमता बढ़ाने के लिए जिसकी अनुमानित लागत 120.19 करोड़ रूपये है, इसमें से 71 करोड़ रूपये की निविदाओं का आबंटन कर दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2020 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
- डब्ल्यू.जे.सी. मेन ब्रांच की आरडी 0–154000 की क्षमता बढाने के लिए जिसकी अनुमानित लागत 202.10 करोड़ रूपये है, इसमें से 171.09 करोड़ रूपये का कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2020 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
- पी.डी. ब्रांच (पैरलल दिल्ली ब्रांच) की आरडी 0–145250 की क्षमता बढ़ाने के लिए 304 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से पुर्नउद्धार का कार्य नाबार्ड के अर्न्तगत स्वीकृत किया गया। इस कार्य की निविदाएं सम्बन्धित मामला उच्च मूल्य होने के कारण माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय में लम्बित है।
- जे.एल.एन. फीडर, जे.एल.एल. नहर, लोहारू नहर और महेन्द्रगढ़ नहर प्रणाली के विभिन्न पंप हाउसों के पंपों, मोटरों और इलैक्ट्रो मकैनिकल उपकरणों के पुर्नवास के लिए 83.44 करोड़ रूपये की लागत से 10–09–2019 को एक परियोजना स्वीकृत की गई। 28 करोड़ रूपये के टैण्डर स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा शेष कार्य के लिए टैण्डर जल्द ही स्वीकृत किए जाएंगे। कार्य 31–03–2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
- कुरूक्षेत्र में पवित्र ब्रहम सरोवर को ताजा पानी उपलब्ध कराने के लिए 16 करोड़ रूपये की लागत की एक योजना 30–11–2018 को पूर्ण कर दी गई है।
- चैनलों के संचालन के लिए बेहतरीन तकनीक वास्तविक हाईड्रोलॉजिक डाटा, 100 प्रतिशत केन्द्र संचालित स्कीम राष्ट्रीय जल परियोजना भारत सरकार द्वारा 50 करोड़ रूपये की लागत से स्वीकृत हो चुकी है। जिसके लिए डाटा सैंटर का निर्माण कार्य सिंचाई भवन, पंचकूला में ब्लॉक–ए, तीसरी मंजिल पर पूरा हो चुका है। मुख्य नहरों पर स्काडा प्रणाली स्थापित करके विभिन्न संपर्क बिंदुओं से वास्तविक समय डाटा प्राप्त करने के लिए कार्य प्रगति पर है। नहरों पर स्काडा और आर.टी.डी.ए. एस. प्रणाली की स्थापना के लिए निविदाएं मांगी गई है और मूल्यांकन जारी है।

3.55 वर्ष 2015–16 से 2020–21 के दौरान हरियाणा राज्य सूखा राहत बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा 983.42 करोड़ रूपये लागत से बाढ नियंत्रण व जल निकासी की 869 नई योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है।

3.56 हरियाणा में यमुना नदी के उपरी हिस्से में रेणुका, किशाउ और लखवार–व्यासी बांधों का निर्माण हरियाणा राज्य को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। दिनांक 28–08–2018 एवं 11–01–2019 को माननीय केन्द्रीय जल संसाधन विकास मंत्री की उपस्थिति में हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने लखवार बांध और रेणुकाजी बांध परियोजनाओं के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके पूर्ण होने पर हरियाणा को कुल जल भण्डारण का 47.81 फीसदी पानी मिलेगा।

3.57 अंतर–राज्य मामलों को पूरी ताकत के साथ उठाया जा रहा है। राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई जो कि पिछले 12 वर्षों से लंबित थी अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10–11–2016 को हरियाणा के पक्ष में निर्णय लिया गया। हरियाणा द्वारा यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, भारत के समक्ष दिनांक 25–07–2018 को उठाया गया जिन्होनें यह मामला रजिस्ट्रार (जुडिशियल) के समक्ष पेश करने के लिए कहा। माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा ने माननीय मंत्री, जल संसाधन मंत्रालय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के लिए संबंधित को उचित दिशा–निर्देश देने और पंजाब में एसवाईएल नहर के बचे हिस्से का जल्द ही निपटारा करने के लिए दिनांक 08–08–2018 को एक डी.ओ. पत्र लिखा। मामले की सुनवाई दिनांक 09–07–2019 को हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से अधिकारियों की एक कमेटी बनाने हेतु आग्रह किया ताकि मामले को केन्द्रीय सरकार की मदद से निपटाया जा सके। मामले की सुनवाई 03–09–2019 को हुई जिसमें अटॉर्नी जनरल ने न्यायालय को बताया कि मामले को निपटाने के लिए कुछ बैठकें की गई हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 माह बाद होगी। एसवाईएल नहर की तीसरी मीटिंग 06–12–2019 को तय हुई जिसमें दोनों राज्यों ने अपने विचार दिए लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प ने उम्मीद जताई है कि अगली सुनवाई से पहले दोनों राज्य एक समाधान खोजने का प्रयास करेंगे जो सभी के हित में हो।

3.58 राज्य में सिंचाई आपूर्ति के लिए जैसे कि जल संसाधन, वर्षा जल संचय, वितरण नेटवर्क, खेत आवेदन और नई तकनीकों/ सूचनाओं के विस्तार के लिए अग्रिम कार्य के रूप में 2016–17 में निश्चित किया जिसके लिए सभी जिलों में भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जिला सिंचाई योजना बनाई जा चुकी है। कृषि विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सभी गतिविधियों के लिए नोडल विभाग है।

3.59 100 प्रतिशत टेलों पर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग ने कुल 1,354 टेलों में से 41 विकट टेलों पर विशेष ध्यान देने के लिए एक अभियान शुरू किया। चोरी और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाकर 100 प्रतिशत टेलों तक पानी पहुंचाने के लिए पुलिस बल (सिंचाई एवं बिजली के लिए विशेष) को शामिल कर एक व्यापक योजना बनाई है। सरकार के ध्येय ''हर खेत को पानी'' को सुनिश्चित करने के लिए चोरी के मामले निपटाने के लिए इस बल को बुनियादी ढ़ांचे के साथ मजबूत किया जायेगा ताकि सभी टेलों तक पानी पहुंचाया जा सके।

3.60 सिंचाई विभाग द्वारा सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट की क्षमता 188.60 एमएलडी से 500 एमएलडी तक 0–26.247 (अंतिम छोर) किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए (गुरूग्राम शहर के सीवेज के पानी को ट्रीट करके जिला गुरूग्राम में गांव धनवापुर के सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट के माध्यम से) 84.99 करोड़ रूपये (52.70 करोड़ रूपये प्रथम चरण व

32.28 करोड़ रूपये द्वितीय चरण) की लागत से जिला गुरूग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांवों के किसानों को लाभान्वित करने हेतु एक परियोजना प्रस्तावित की है। इस परियोजना से सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट के कृषि कमान क्षेत्र में 15,300 एकड़ की वृद्धि होगी।

3.61 उठान नहर कमान को बढ़ाने के लिए 60 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से ''आउटलेट कम हॉदी'' तथा ''भूमिगत पाईपड वाटरकोर्स'' आधारित अवधारणा से एक प्रस्ताव बनाया गया है जिसमें दो चरण होगेंः–

- किसानों द्वारा पानी के उठान की सुविधा के लिए आउटलेट के नीचले हिस्से में हॉदी, जिसे आउटलेट कम हॉदी कहा जाता है, बनाने का प्रस्ताव है। प्रयोगात्मक चक के शेयरधारक को चक में उनके निर्धारित आकार के अनुसार पानी उठाने के लिए अपना समय स्लॉट मिलेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में उठान नहर कमान में ऐसी 200 इकाइयों का निर्माण करना प्रस्तावित है जिनकी लागत लगभग 6 करोड़ रूपये होगी।
- दूसरे चरण में भूमिगत पाईपलाईनों के लिए चकबंदी योजना तैयार की जाएगी। चक के कुछ क्षेत्र में छोटी हॉदियों का जिनका निर्माण होगा जहां किसानों द्वारा पानी उठाने की आवश्यकता है। प्रथम वर्ष में लगभग 54 करोड़ रूपये की लागत 75 ऐसे पाईपड वाटरकोर्स जिसमें प्रत्येक की लम्बाई लगभग 16,000 फीट होगी, बनाए जाएगें।

कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) हरियाणा

3.62 सूक्ष्म सिंचाई योजना को बढ़ावा देने के लिए ताकि उपलब्ध स्तही जल का उचित उपयोग हो सके, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना का पायलट प्रोजैक्ट 13 जिलों के 14 गांवों में काडा द्वारा स्थापित किया गया है। इस प्रोजैक्ट की कुल लागत 30.60 करोड़ रुपये है जो कुल क्षेत्र लगभग 2231 हैक्टयेर सिंचित करेगा। इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई ढांचा लगाकर किसानों के खेतों तक प्रेशर के रूप में भूमिगत पाइप लाइन द्वारा पहुंचाया जाएगा तथा सौर उर्जा एवं ग्रिड पावर द्वारा उर्जा दी जाएगी। हर खेत को पानी पहुंचाने व पानी की आपूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से एक परियोजना 3.78 करोड़ रूपये की लागत से 290 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए तैयार की गई है जिसमें कुरूक्षेत्र जिले के लाडवा, शाहाबाद व पेहेवा कस्बों के सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट से निकले व्यर्थ जा रहे पानी को किसानों के खेतों तक पहुंचाया जा चुका है। यह परियोजना सफलतापूर्व पूरी कर ली गई है और इस क्षेत्र के किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हरियाणा द्वारा तालाबों के फालतू पानी के उपयोग से 11 गांवों के 383 हैक्टेयर को कवर करके 4.89 करोड़ रूपये की लागत से एक ''पायलट परियोजना सौर ऊर्जा से संचालित सूक्ष्म सिंचाई'' को पूरा कर लिया गया है और ये सभी चालू हैं। अब 7.15 करोड़ रूपये की लागत से 55 गांवों के तालाबों पर 1,095 हैक्टेयर क्षेत्र की इनके फालतू पानी का उपयोग करने के लिए सौर ऊर्जा से संचालित गैर–दबाव बुनियादी ढ़ांचे की स्थपना करने की परियोजना अनुमोदन हेतु सरकार को भेजी गई है। नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार सी.ए.डी. और डब्ल्यू.एम. के कार्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत आने वाली अम्बरेला स्कीम आई.एस.बी.आई.जी. के अन्तर्गत किए जाएंगे तथा आई.एस.बी.आई.जी. की नवीनतम् दिशानिर्देशों/मापदंडों के अनुसार इस योजना के तहत राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 205 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है जिसमें काडा के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 100 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी केन्द्र सरकार की है व 105 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। काडा का मुख्य कार्य जलमार्गों की लाईनिंग करना है। वर्तमान में काडा द्वारा भाखड़ा नहर कमांड–II, पश्चिमी यमुना नहर–VI तथा जवाहर

लाल नेहरू–II नामक प्रोजैक्ट निष्पादित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा 38.72 लाख फीट की लम्बाई के 660 जलमार्गों को पक्का करने का कार्य स्वीकृत किया गया है जिसमें से 18.50 लाख फीट का कार्य अक्तूबर, 2019 तक पूरा हो चुका है।

वन

3.63 हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जिसमें करीब 81 प्रतिशत क्षेत्र कृषि के अधीन है। वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के केवल 3.62 प्रतिशत भाग पर विद्यमान है, कुल वन तथा सड़क, रेल तथा नहरों के किनारों पर पौधा रोपण के तहत क्षेत्र 7.1 प्रतिशत है। इस क्षेत्र की वृद्धि हेतू राज्य में वर्ष 2019–20 के दौरान 6,120 हैक्टेयर क्षेत्र में 94.76 लाख पौधे रोपित कर पौधा रोपण के अधीन लाया गया है। पिछले पांच वर्षो के भौतिक/वित्तिय लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को **तालिका 3.24** में दर्शाया गया है। वर्ष 2018–19 पौधागिरी नाम की एक नई योजना आरम्भ की गई है तथा यह चालू वर्ष में भी जारी है जिसके अन्तर्गत राज्य के 6वीं से 12वीं कक्षा के सभी विधार्थी अपने घरों में या बाहरी क्षेत्र में पौधे रोपित कर रहे हैं। इन विधार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत वन विभाग की पौधशालाओं से फलों व अन्य प्रजातियों के पौधे दिये गये है। प्रत्येक जीवित पौधे पर एक विधार्थी को शिक्षा विभाग द्वारा 6 महीने के अंतराल पर तीन वर्ष तक 50 रूपये मानदेय के रूप में दिये जायेंगे।

हर्बल पार्क

3.64 राज्य की जनता की परम्परागत औषधीय जड़ी बूटियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने व उनकी लुप्तप्राय औषधीय पौधों के संरक्षण में शामिल करने के लिए सम्पूर्ण राज्य में 59 हर्बल पार्क स्थापित किये गये हैं। उधर मोरनी हिल में पतंजलि योग पीठ के तकनीकी सहयोग से एक 'विश्व हर्बल वन' विकसित किया जा रहा है जो निकट भविष्य में औषधीय पौधों का एक बड़ा भंडार होगा। चालू वर्ष के दौरान, चार नये हर्बल पार्क मसूदपुर, खेड़ी लोचाब, धर्म खेड़ी और खांडा खेड़ी में बनाये जा रहे हैं। मोरनी में औषधीय पौधों की गुणवत्तापूर्ण पौधे बढ़ाने के लिए एक हाई टैक नर्सरी स्थापित की जा रही है।

3.65 वन विभाग ने सभी मुख्य शहरों की सड़कों के किनारे उपयुक्त प्रजातियों के उच्चे आकार के पौधे लगाकर हरित पटिट्यों को विकसित किया है। शिवालिक तथा अरावली के क्षेत्रों में मिट्टी और नमी संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज व कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। सर्दियों के मौसम के दौरान, वन विभाग द्वारा लगभग छोटे जल संचयन बांधों का कायाकल्प किया जा रहा है, जोकि शिवालिक तथा अरावली पहाड़ियों में लगभग 10 से 15 साल पहले सिंचाई तथा पानी के स्तर को बनाये रखने के लिए बनाये गये थे। के लिए इस वर्ष लगभग 10 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। इस तरह के बांध छोटे पैमाने पर सिंचाई प्रदान करते है और भूजल पुनर्भरण स्त्रोतों के रूप में कार्य करते है। छोटी नदियों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए छोटे चैक डैमों का भी निर्माण किया जा रहा है।

तालिका 3.24– वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां		प्रतिशत उपलब्धियां	
	भौतिक (हैक्टेयर में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हैक्टेयर में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक	वित्तीय
2014–15	23948	18562.88	25834	15834.23	107.88	85.30
2015–16	29904	18366.21	23560	16910.22	78.79	92.07
2016–17	20592	18357.21	18590	14627.29	90.28	79.68
2017–18	11934	25341.98	11523	12537.08	96.56	49.47
2018–19	10607	23740.08	9616	22241.38	90.66	93.69

स्त्रोतः वन विभाग, हरियाणा।

3.66 प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी हेतू वन विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक 800 गांवों में 1,990 स्वयं सहायता समूह गठित किये गये हैं। आय सृजन गतिविधियों को अपनाने से उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ये सदस्य वनीकरण, केंचुए की खाद, जैविक खेती, बालिका बचाओ आदि गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

3.67 कुशल मेहतरों के रूप में गिद्ध भौगोलिक परिस्थिति का संतुलन बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षो के दौरान इन पक्षियों की आबादी कम हो गई है। हरियाणा सरकार ने पिंजौर में बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से पिंजौर मे एक गिद्ध प्रजनन केन्द्र स्थापित किया है। जो देश में अग्रणी केन्द्र है और दुनिया भर के विज्ञानिकों को आकर्षित करता है। इन पक्षियों को पालने के लिए बन्द रखा जाता है तथा उन्हें जंगलों में छोड़ा जाता है। लगातार कई वर्षो के प्रयास के बाद फरवरी, 2020 तक छह गिद्धों का पहला बैच छोड़ने के लिए तैयार है।

प्रकृति शिक्षा एवं जागरूकता प्रोग्राम

3.68 यह प्रोग्राम राज्य में लागू किया जा रहा है। वानिकी और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने हेतू गांवों में किसान प्रशिक्षण शिविर, स्कूली बच्चों के लिए प्रकृति भ्रमण के लिए वन विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक आयोजित किये जाते हैं। वन विभाग, हरियाणा द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित दो ई–सेवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। इस द्वारा 'गैर वन भूमि हेतू अनापति प्रमाण' पत्र तथा पेड़ काटने सम्बन्धि अनुमति 'सरल' तथा एच.ई.पी.सी. के पोर्टल पर प्राप्त की जा रही है। सभी 'ब्लाक' वन क्षेत्रों के डिजीटाईजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अब सड़कों, नहरों, नालियों और रेलवे लाईनों के साथ 'स्ट्रीप' वनों के डिजीटाईजेशन का कार्य हारसैक की सहायता से मार्च, 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

3.69 वर्ष 2019–20 के दौरान वनीकरण/वृक्ष लगाने सम्बंधी सभी राज्य तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाएं वन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी। कुल 1.40 करोड़ पौधे लगाये और मुफ्त वितरित किये जायेंगे। औषधीय पौधों के अधीन और अधिक क्षेत्र लाने हेतू 'विश्व जड़ी बूटि वन' का और विकास किया जायेगा। वन, वन्य प्राणी तथा जैव विविधता के संरक्षण के प्रति ज्यादा लोगों को शिक्षित करने हेतू और अधिक सशक्त प्रयास किए जाएंगें। इन प्रयत्नों से गरीबी हटाने, रोजगार उपलब्ध करवाने तथा जलवायु परिवर्तन को रोकने में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य' को हासिल किया जा सकेगा।

पशुपालन एवं डेयरी

3.70 हरियाणा राज्य में पशुओं को पशुचिकित्सा स्वास्थ्य व पशु प्रजन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा हैं। राज्य में 1020 राजकीय पशु हस्पताल, 1820 राजकीय पशु औषधालय, 3 वीर्य उत्पादन केन्द्र, 7 पॉलीक्लीनिकस, एक राज्य रोग निदान प्रयोगशाला और एक पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं। इस प्रकार पूरे राज्य में प्रत्येक 3 गांवों के लिए एक पशु संस्था है। राज्य में वर्ष 2018–19 के लिए कुल वार्षिक दूध उत्पादन 107.26 लाख टन तक पहुँच गया है और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी बढ़कर 1085 ग्राम हो गई है, जो देश में दूसरे स्थान पर है और वर्ष 2019–20 के लिए दूध उत्पादन का लक्ष्य 117.13 लाख टन रखा गया है।

3.71 19वीं पशुगणना–2012 के अनुसार राज्य की पशुधन संख्या 89.98 लाख थी, जिसमें 18.08 लाख गायें, 60.85 लाख भैंस, 3.63 लाख भेड़, 3.69 लाख बकरियाँ, 0.37 लाख घोड़े एवं टट्टू, 9,000 खच्चर, 3,000 गधे,

19,000 ऊँट, 1.27 लाख सूअर तथा 1.07 लाख कुत्ते शामिल हैं। राज्य के 20वीं पशुगणना–2019 के अनुसार अनुमानित पशुधन संख्या 71.02 लाख है, जिसमें 19.24 लाख गायें, 43.67 लाख भैंस, 2.88 लाख भेड़, 3.35 लाख बकरियाँ, 11,000 घोड़े एवं टट्टू, 2,500 खच्चर, 800 गधे, 5,000 ऊँट, 1.07 लाख सूअर तथा 0.61 लाख कुत्ते शामिल हैं।

3.72 हरियाणा सरकार गायों व भैसों में एफ.एम.डी़+एच.एस. (संयुक्त टीकाकरण) प्रयोग करने वाला पहला राज्य है। अब तक पहले दौर के एफ.एम.डी़+एच.एस.संयुक्त टीकाकरण (रक्षा भौविक) के 60 लाख डोजिज से अधिक राज्य की पात्र गायों व भैसों में सफलतापूर्वक प्रशासित किया गया है और दूसरे दौर पर 54.42 लाख से अधिक पशुओं में मुफ्त टीकें लगाये जा चुके हैं।

3.73 राज्य के किसानों के पशुधन का बीमा "पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना" के अर्न्तगत समान्य श्रेणी के पशुपालक एक साल के लिए अपने पाँच बड़े पशुओं (गाय, भैस, घोडा, ऊँट आदि) का बीमा करवा सकते है प्रत्येक बड़े जानवर के लिए 100 रूपये, 50 रूपये छोटे पशुओं (भेड़, बकरी, सुअर आदि) के लिए 25 रूपये की दर से एक वर्ष के लिए बीमा करवा सकते हैं। इस योजना का कुल परिव्यय 7,179.50 लाख रूपये है और वर्ष 2018–19 में 60,143 पशुओं तथा 2019–20 में 1,43,934 से अधिक पशुओं का पहले ही बीमा किया जा चुका है। राज्य में कम से कम 10 लाख प्रजनन पशुओं का बीमा करने की योजना है जिसके लिए तेजी से व सही बीमा विवरण एकत्रित करने के लिए एक एप्प तैयार किया गया है।

3.74 हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणन और प्रजनन) अधिनियम, 2019, उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, बिक्री और वितरण के लिए प्रजनन पशुओं के उपयोग सहित पशु प्रजनन गतिविधियों को विनियमित करके पशुओं के कल्याण और आनुवंशिक सुधार के लिए राज्य द्वारा पारित किया गया है। ऐसा करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। राज्य में 10 लाख प्रजनन पशुओं को पंजीकृत करने का लक्ष्य है।

3.75 आवारा पशुओं विशेष तौर पर विदेशी व संकर नस्ल की गायों से निपटने के लिए विभाग द्वारा सैक्स सोर्टिड सीमन की 1.15 लाख डोजिज प्राप्त कर ली गई हैं और इनमें से 0.69 लाख डोजिज कृत्रिम गर्भाधान के लिए वितरित की जा चुकी हैं। दिसम्बर, 2019 तक इस सीमन से 12,442 कृत्रिम गर्भादान किए जा चुके हैं।

3.76 राज्य के 25 मास्टर ट्रैनरों को प्रशिक्षित करने के बाद राज्य के 4,000 कर्मचारियों (पैरावैटस/पशु प्रीचर) को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित किया जा चुका है, ताकि उपचार की पहली पसन्द धीरे–धीरे आयुर्वेद बन जाए, जो कि एलोपैथिक ना हो और एन्टी–माईक्रोबाईल प्रतिरोध की जाँच की जा सके।

3.77 हरियाणा सरकार ने राज्य में सभी जिलों के प्रत्येक राजकीय पशु हस्पताल, (जी. वी.एच.) पॉलीक्लिनिक्स और जिला रोग निदान प्रयोगशालाओं में पशु क्रूरता निवारण समिति (एस.पी.सी.ए.) की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पशु स्वास्थ्य कल्याण समितियों का गठन किया गया है।

3.78 प्रत्येक राजकीय पशु औषधालयों व हस्पतालों में आपातकालीन दवाईयाँ उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक सामान्य वेटेनरी दवाईयाँ भुगतान के आधार पर उपलब्ध हैं। पशुपालन आयुषी स्टोर चलाने वाली कार्यकारिणी समिति जो पशु स्वास्थ्य कल्याण समिति का एक हिस्सा है द्वारा किसान को अधिकतम खुदरा मूल्य पर 10 प्रतिशत कम पर दवाईयां प्रदान की जाती है।

3.79 देसी नस्ल की गायों के प्रदर्शन की रिकार्डिंग की जा रही है और अधिक दूध देने वाली गायों को पालने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु उनके मालिकों को दूध उत्पादन के आधार पर प्रति गाय 5 हजार रूपये से लेकर 20 हजार रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा

रही है। दिसम्बर, 2019 तक 1,600 गायों के मुकाबले 1,069 गायों की रिकार्डिंग की जा चुकी है।

3.80 वर्तमान स्कीम के अन्तर्गत श्रेणी 19–22 किलोग्राम, श्रेणी, 22–25 किलोग्राम व श्रेणी 25 किलोग्राम से अधिक में दूध दर्ज करवाने वाले मुर्राह भैंसों के मालिकों को क्रमशः 15,000, 20,000 तथा 30,000 रूपये नकद प्रोत्साहन के रूप में दिये जा रहे हैं। चालू वर्ष 2019–20 के दौरान अब तक 567 मुर्राह भैंसों की पहचान की जा चुकी है और इस वर्ष के लिए 850 भैसों की पहचान करने का लक्ष्य रखा गया हैं।

3.81 डेयरी विकास को स्वरोजगार का उपक्रम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2019–20 में 1,145 बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया।

3.82 समाज के वंचित वर्गों को अपनी जीविका कमाने हेतु पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों को डेयरी, सुअर, भेड़ व बकरी की यूनिटस स्थापित करने हेतु 50 प्रतिशत सब्सिडी का विशेष प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2019 तक 2,500 पशुपालन इकाईयाँ स्थापित करने के लक्ष्य के मुकाबले 1,400 पशुधन इकाईयाँ स्थापित की जा चुकी हैं। सरकार ने समान्य वर्ग के लाभार्थियों को भेड़ व बकरी इकाईयां स्थापित करने हेतु एक स्कीम स्वीकृत की हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में सामान्य जाति के लाभार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के हेतु सुअर पालन इकाईयों की स्थापित की योजना स्वीकृत की गई है।

3.83 राज्य में गौहत्या पर पूर्ण एवं प्रभावी प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार द्वारा ''हरियाणा गौवंश संरक्षण व गौसंर्वद्वन अधिनियम, 2015'' दिनांक 19–11–2015 से लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम के अंतर्गत, गौहत्या और उनकी अवैध तस्करी को रोकने के लिए कठोर प्रावधान बनाये गये हैं। अधिनियम के आवेदन को और अधिक सफल बनाने के लिए जुलाई, 2019 में अधिनियम में संशोधन किया गया।

3.84 राज्य में पशुगणना के साथ–साथ प्रत्येक पशु को मोबाईल एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल प्रारूप देकर "हर पशु का ज्ञान" नामक एक एप्लिकेशन द्वारा 1,990 पशु चिकित्सकों/पैरा पशु चिकित्सकों द्वारा राज्य के कोने–कोने से डाटा तैयार किया जाता है और 52 लाख से अधिक बड़े जानवरों का फोटो सहित पूरा विवरण एकत्रित किया गया है। "हर पशु का ध्यान" हरियाणा राज्य एक अन्य बहुत ही नवीन परियोजना पर भी कार्य कर रहा है, जो देश में अपनी तरह का पहला कार्य है, जहाँ पर "हर पशु का ज्ञान" के दौरान एकत्रित किए गए डाटा का उपयोग पशुपालकों को उनके घर द्वार पर बड़ी संख्या में सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जिसमें सीमन स्ट्रॉ की प्रमाणिकता जाँचने के लिए, कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं सजृन करने, आपातकालीन समय में उपचार की सहायता, टीकाकरण, कीड़ारहित, टैगिंग, पशु पंजीकरण, जिसमें दूरस्थ क्षेत्र में पंजीकरण रिकार्ड, पोषण परामर्श, किसानों की आवश्यकता के लिए पशु किसान कार्ड, प्रत्येक पशु के लिए बीमाकरण व विभिन्न अन्य सेवाएं शामिल हैं।

3.85 पशुपालकों को अच्छी गुणवत्ता वाले पशुओं को पालने हेतु प्रोत्साहित करने, आधुनिक पशुपालन प्रक्रियाओं और डेयरी उपकरणों के बारे में जागरूक करने के लिए राज्य में जिलावार पशु प्रदर्शनियाँ आयोजित करने का निर्णय लिया है और वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य में 22 जिला स्तरीय पशु प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा चुकी हैं।

मत्स्य

3.86 हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद हरियाणा राज्य अब नीली क्रांति की दहलीज पर है। राज्य के मत्स्य पालकों के बीच मछली पालन एक सहायक व्यवसाय के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। मत्स्य पालन देश में

सामाजिक व आर्थिक विकास तथा ग्रामीण क्षेत्र में आय व रोजगार सृजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्त्रोत माना जाता है। मत्स्य पालन विभाग मुख्य रूप से इस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु अधिक से अधिक उपलब्ध जलक्षेत्र मत्स्य पालन के अधीन लाने के लिए प्रयाय कर रहा है। हरियाणा ही देश का ऐसा राज्य है जहां भूमिबंद, जलमग्न एवं लवणीय भूमि में झीगां पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग मत्स्य किसानों को उत्तम गुणवत्ता का मछली बीज उपलब्ध करवाता है तथा सदन को यह जानकर और अधिक प्रसन्नता होगी की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा हरियाणा राज्य को "मछली रोग मुक्त राज्य" घोषित किया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान हरियाणा में लगभग 17,307.75 हैक्टेयर ग्रामीण जल निकायों मे सघन मत्स्य पालन किया गया, जिसको वर्ष 2019–20 में 1,565.44 लाख मत्स्य बीज संचित करते हुए 1,84,142.46 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया है जिसे बढ़ाकर 21,000 हैक्टेयर करने का लक्ष्य है जिसके परिणाम स्वरूप 2.41 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष मत्स्य उत्पादन किया जायेगा। विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 के अर्न्तगत 200 हैक्टेयर जल क्षेत्र में अतिरिक्त लवणीय भूमि को पालन के अधीन लाने की योजना बनाई है।

पुनः संचार जलीय कृषि प्रणाली (आर.ए.एस.)

3.87 मत्स्य किसानों की आय और मत्स्य उत्पादन को दोगुना करने के लिए विभाग पुनः संचार जलीय कृषि प्रणाली की नई अवधारणा को लागू कर रहा है। जोकि एक नियंत्रित जल मापदण्डों के साथ आन्तरिक तालों में उच्च संचय दर पर मछली पालन का एक नया और अनूठा तरीका है। वर्ष 2019–2020 के दौरान जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा राज्य में 15 पुनः संचार एवं कल्चर प्रणाली (आर.ए.एस.) स्थापित करेगा।

3.88 विभाग भी प्रस्तावित करता है कि बेहतर संसाधन प्रबन्धन और आधुनिक प्रोद्यौगिकी के प्रयोग के माध्यम से 11,000 कि.ग्रा./हैक्टेयर/वर्ष की दर से मत्स्य उत्पादन करते हुए हरियाणा राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2019–20 के दौरान हरियाणा राज्य में पहली बार जलमग्न क्षेत्र के विकास हेतू एकत्रीकरण किया गया है तथा इस क्षेत्र में मत्स्य पालको की आय में वृद्धि हुई है। वर्ष 2019–20 के अर्न्तगत एक आधुनिक मछली मण्डी की स्थापना की जायेगी तथा 935 लाख मत्स्य अंगुलिकाएं विभाग के 15 राजकीय मत्स्य बीज फर्मो में उत्पादन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 3,500 हैक्टेयर जलक्षेत्र को मत्स्य/झीगां पालन के अधीन लाया जाएगा तथा 3 मत्स्य फीड मिल इकाई स्थापित की जाएंगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पी.एम.यू.वाई.)

3.89 हरियाणा सरकार ने 1 मई, 2016 से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को 1,600 रूपये प्रति परिवार अनुदान पर एल.पी.जी. कनैक्शन दिये जाते हैं। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना एस.ई.सी.सी.–2011 की सूची अनुसार 7 में से कोई भी एक अभाव होने पर परिवार पी.एम.यू.वाई. के लिए पात्र बन जाता है। कुछ ऐसे परिवार हैं जो एस.ई.सी.सी.–2011 की राज्य की बी.पी.एल. सूची में नहीं है उन परिवारों के लिए अनुदान राशि राज्य सरकार ने अपने द्वारा भुगतान करने का निर्णय लिया है तथा उनके लिए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 20 करोड़ रूपये एल.पी.जी. कनैक्शन जारी करने हेतु आंवटित किये हैं। दिनांक 31–12–2019 तक प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत 6,21,305 एल.पी.जी. कनैक्शन जारी किये गये हैं और 1,78,833 कनैक्शन राज्य कोष से जारी किये गये है।

अन्य वरीयता परिवारों के लिए एल.पी.जी. कनैक्शन अनुदान योजना

3.90 सरकार ने अन्य वरीयता परिवार जिनके पास एल.पी.जी. कनैक्शन नहीं हैं उनके के लिए एल.पी.जी. कनैक्शन अनुदान योजना लागू की है। इस योजना के अनुसार लाभार्थी विभिन्न खर्चों के लिए 633 रूपये वहन करेंगे

जबकि सरकार सिलैंडर और रैगुलेटर के लिए 1,600 रूपये का प्रतिभूति के तौर पर भुगतान करेगी। दिनांक 31–12–2019 तक इस योजना के अन्तर्गत 9,471 गैस कनैक्शन जारी किये जा चुके हैं।

कैरोसिन मुक्त हरियाणा

3.91 हरियाणा स्वर्ण जयंती दिवस 1 नवम्बर, 2016 को उत्सव के अवसर पर 8 जिलों नामतः गुरूग्राम, झज्जर, पानीपत, करनाल, कुरूक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर तथा पंचकुला को माननीय प्रधानमंत्री ने कैरोसिन मुक्त घोषित किया है। दिनांक 01–04–2017 से शेष हरियाणा राज्य को कैरोसिन मुक्त बनाया गया। शीर्ष 90–कैरोसिन मुक्त हरियाणा के लिए 36 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.)

3.92 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन अन्तोद्या अन्न योजना परिवारों को सम्मिलित करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को विशेष महत्व देना खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। राज्य में 2,50,702 ए.ए.वाई., 8,66,580 बी.पी.एल. व 15,79,782 ओ.पी.एच. परिवार है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू होने से अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक 50.05 लाख मीट्रिक टन गेहूं 2 रूपये प्रतिकिलो की रियायती दरों पर लाभार्थियो को पहले ही वितरित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

3.93 अधिनियम राज्य में पात्र परिवारों को दो श्रेणियों में विभाजित करता है अन्तोद्या अन्न योजना परिवार तथा प्राथमिक परिवार। अन्तोद्या अन्न योजना के लाभार्थियों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न हर महीने 2 रूपये प्रति किलो उच्च रियायती दर पर जारी रहेगा तथा प्राथमिक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं इसी दर पर प्राप्त होगा। पर्याप्त ढंग से जीर्ण कुपोषण को कम करते हुए गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की साहसिक पहल है। दाल रोटी योजना बन्द होने के बाद राज्य सरकार द्वारा दाल के स्थान पर 1 लीटर सरसों का तेल सभी बी.पी.एल. परिवारों को 20 रूपये की दर से जनवरी, 2018 से वितरित किया जा रहा है। जून, 2018 से इसे 1 लीटर से बढाकर 2 लीटर प्रति परिवार कर दिया गया है। जनवरी, 2018 से बी.पी.एल. परिवारों को 1 किलो चीनी भी प्रति राशन कार्ड दी जा रही है। वर्तमान में राज्य में लगभग कुल 8 लाख बी.पी.एल. परिवार है।

खरीद

3.94 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा खाद्यान्न/मोटे अनाजों की खरीद करता है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके तथा उपज को कम भाव पर बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। वर्ष 2012–13 से 2019–20 तक राज्य में खरीद व न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का ब्यौरा **तालिका 3.25** में दिया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

3.95 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करना और उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना विभाग की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां है। राज्य के सभी जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित किए हुए है।

उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना

3.96 राज्य में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा के निदेशालय में उपभोक्ता हैल्पलाईन की स्थापना की जा चुकी है तथा इसका टोल फ्री नम्बरः 1800–180–2087 है। राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन दिनांक 12–08–2013 से कार्यरत है। हैल्पलाईन राज्य के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण हेतू मार्गदर्शन करने के लिए कार्यरत है। इसकी स्थापना के समय 12–08–2013 से 31–12–2019 तक लगभग 34,442 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से 34,427 (99.96 प्रतिशत) शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटान किया जा चुका है।

विधिक माप

3.97 भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओ के हित के लिए सही माप–तोल सुनिश्चित करने हेतू विधिक माप अधिनियम, 2009 लागू किया गया है ताकि व्यापार और वाणिज्य तथा अन्य वस्तुऐं जिनका विक्रय अथवा वितरण वजन, माप और संख्या में होता है के मानक नियत एवं प्रदत किए जा सकें। वर्ष 2018–19 के दौरान विधिक माप संगठन द्वारा 17.90 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 15.23 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2019–20 (31–12–2019 तक) के दौरान 14.22 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति की जा चुकी है।

ईंट–भटटे

3.98 सामान्य जन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य को प्रदुषण से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने ईंट भटटों में जिग–जैग तकनीक अपनाने हेतु दिनांक 28–07–2017 को एक नीति जारी की है। इस नीति के अनुसार राज्य के सभी ईंट भटटों को जिग–जैग तकनीक अथवा ई.पी.सी.ए./एच.एस.पी.सी.बी. से अनुमोदित अन्य उन्नत उत्सर्जन तकनीक के रूप में परिवर्तित करना होगा। लगभग 78 प्रतिशत ईंट–भटटे जिग–जैग तकनीक में परिवर्तित हो चुके हैं और शेष ईंट–भटटे जिग–जैग तकनीक में परिवर्तित किये जा रहे है और अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोई भी ईंट–भटटा जिग–जैग तकनीक के बिना चलने की अनुमति नहीं है।

नागरिक केन्द्रित सेवा

3.99 जनसाधारण को शीघ्र सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतू राशन कार्ड से सम्बंधित आठ सेवाओं जैसेकि नया राशन कार्ड, डुप्लीकेट राशन कार्ड, परित्याग प्रमाण–पत्र, नया सदस्य शामिल/काटने बारे, पता बदलने तथा उचित मूल्य की दुकान बदलने इत्यादि को समयबद्ध सीमा में निपटाने हेतू आदेश जारी किये गये हैं। आवेदन पत्रों को नए रूप में बनाकर उपरोक्त सेवाओं की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 07–05–2015 के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए सेवा के अधिकार अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत सेवाओं की समय सीमा अधिसूचित की है। उपरोक्त सेवाओं से सम्बंधित नए सरलीकृत आवेदन पत्र सभी क्षेत्रीय अधिकारियों एवं पी. आर. केन्द्रों पर उपलब्ध है।

भण्डारण

3.100 राज्य सरकार भण्डारण में क्षति को न्यूनतम करने और कवरर्ड भण्डारण क्षमता बढाने के प्रति काफी संवेदनशील है। दिनांक 31–12–2019 के अनुसार राज्य खरीद एजैन्सियों की कवर्ड भण्डारण क्षमता 87.21 लाख मी.टन है। राज्य की खरीद एजैन्सियों अनुसार भण्डारण क्षमता का विवरण: खादय, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, 3.81 लाख मी.टन, हैफेड 13.01 लाख मी.टन, एच.एस.डब्ल्यू.सी. 15.26 लाख मी.टन, एच.ए.आई.सी. 1.79 लाख मी.टन, एफ. सी.आई. 7.58 लाख मी.टन, सी.डब्ल्यू.सी. 4.55 लाख मी.टन, एच.एस.ए.एम.बी. 4.19 लाख मी. टन, पी.ई.जी. स्कीम 34.02 मी.टन. लाख तथा साईलो क्षमता 3 लाख मी.टन. है। खाद्य विभाग द्वारा भौरसेंदा (कुरूक्षेत्र) 26,380, खरखौदा (सोनीपत) 42,200, सैनमाजरा (अम्बाला) 15,600, शाजादपूर (अम्बाला) 2,340 व हिसार 40,656 मी.टन कुल 1,27,176 मी.टन क्षमता के कवर्ड गोदामों का निर्माण करवाया जा रहा है।

स्टील साईलों का निर्माण

3.101 भारत सरकार ने राज्य में तीन चरणों में 9.50 लाख मी.टन भण्डारण क्षमता के साईलो बनाने का लक्ष्य रखा है। इस क्षमता में 3 लाख मी.टन क्षमता के साईलो भारतीय खाद्य निगम द्वारा रोहतक, जीन्द, पलवल, पानीपत, भटटु व सोनीपत में प्रत्येक स्थान पर 50,000 मी.टन क्षमता के स्टील साईलो बनाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा पी.पी.पी. मोड पर अम्बाला 1,00,000, फरीदाबाद 50,000, भिवानी 50,000, रोहतक 50,000, जगाधरी 50,000, करनाल 75,000, तरावड़ी 75,000, हांसी 50,000, उचाना 50,000 व कुरूक्षेत्र

1,00,000 मी.टन के कुल 6.50 लाख मी.टन क्षमता के स्टील साईलों बनाएगी।

3.102 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आरम्भ से अन्त तक कम्प्यूट्रीकरण

- **सेवाओं का रख रखावः** परियोजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को जोडना, हटाना तथा संशोधन करना व अन्य डाटाबेस सेवाओं की सतत प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया 127 राशन कार्ड बनाने के केन्द्रों पर सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। ऑन–लाईन आंवटन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन से सम्बन्धित गतिविधियों का कम्प्यूट्रीकरण कर दिया गया है और इनकी देखरेख सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की समर्पित टीम द्वारा की जा रही है। राज्य की सभी उचि मूल्य की राशन की दुकानों में पी.ओ.एस. मशीने स्थापित कर दी है।
- **आई.टी. हस्तक्षेप द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता मे ंसुधारः** सभी लाभार्थियों को वस्तुओं की आपूर्ति आधार आधारित बायोमैट्रिक सत्यापन द्वारा की जा रही है।
- **उचित मूल्य की दुकानों पर कैशलेश मोडः** राज्य में पंजाब नैशनल बैंक का उचित मूल्य की दुकानों पर कैशलेश मोड लागू करने के लिए एक्वायर बैंक के रूप में चयन किया गया है। जिला पंचकुला में नमूने के तौर पर इसका कार्य प्रगति पर है। उक्त सेवायें हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल (http://saralharyana.gov.in) पर भी उपलब्ध है, जिनके माध्यम से लाभार्थी राशन कार्ड से सम्बन्धित सेवाओं हेतु अपने आपको पंजीकृत करते हुए आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी राशन कार्ड से सम्बन्धित सेवाओं के लिए सी.एस.सी., अटल सेवा केन्द्र तथा अन्तोदया सरल केन्द्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

फोर्टीफाईड आटे का विवरण

3.103 लोगों में कुपोषण के साथ विटामिन बी–12 की कमी की समस्याओं और फोलेट, आर.बी.सी. फोलेट की कमी की पीड़ा को दूर करने के लिए मार्च, 2018 से अम्बाला जिले के दो ब्लॉकों (बराडा व नारायणगढ़) में पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर फोर्टिफाईड आटे का वितरण शुरू किया गया था। मास फरवरी, 2019 से इस योजना का पूरे अम्बाला तथा करनाल जिलें में विस्तार किया गया। इस योजना में मास अक्तूबर, 2019 से तीन और जिले नामतः हिसार, यमुनागनर व रोहतक शामिल किये गये। वर्तमान में फोर्टिफाईड आटे का वितरण पांच जिलों (अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक व यमुनानगर) में किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार शीघ्र ही नूहँ (मेवात) जिले में तथा पूरे राज्य में एक वर्ष के अन्दर–अन्दर किया जायेगा।

प्याज का वितरण

3.104 प्याज के बढ़ते हुये दामों को नियंत्रित करने के लिये राज्य सरकार ने अक्तूबर–नवम्बर, 2019 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नेफेड से प्राईश स्पोर्टस स्कीम के तहत प्राप्त 1,139 मी.टन प्याज में से लगभग 1,096 मी.टन प्याज का वितरण 31 रूपये प्रति किलो की दर से उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों में बिक्री यंत्रों से आधार प्रमाणीकरण उपरान्त वितरित किया गया है।

चीनी का वितरण

3.105 भारत सरकार द्वारा ए.ए.वाई. परिवारों को प्रत्येक मास 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवारों (8,65,752) को प्रत्येक माह 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड 13.50 रूपये प्रति किलो की दर से जनवरी, 2018 से उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मास लगभग 2.50 करोड़ रूपये तथा वार्षिक 30 करोड़ रूपये वहन किये जा रहे हैं।

तालिका 3.25–राज्य में सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य

वर्ष	गेहूं खरीद (लाख टन)	गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 प्रति क्विटंल)	धान खरीद (लाख टन)	धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 प्रति क्विटंल)		बाजरा खरीद (लाख टन)	बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 प्रति क्विटंल)
				सामान्य	ए–श्रेणी		
2013–14	58.56	1350	35.87	1310	1345	-	1250
2014–15	65.08	1400	30.07	1360	1400	-	1250
2015–16	67.70	1450	42.59	1410	1450	0.05	1275
2016–17	67.54	1525	53.48	1470	1510	0.06	1330
2017–18	74.25	1625	59.57	1550	1590	0.31	1470
2018–19	87.57	1735	58.82	1750	1770	1.83	1950
2019–20	93.60	1840	64.34	1815	1835	2.67	2000

स्त्रोतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा।

तालिका 3.26- पेट्रोल पम्प और एल.पी.जी. डीलरों के निरीक्षण तथा की गई कार्यवाही ।

वर्ष	पैट्रोल पम्पों की संख्या	आई.एस.आई. विनिर्देशो से कम पाए गए नमूने		की गई कार्यवाही		एल.पी.जी. डीलरो की संख्या	डिफाल्टर डीलरों की संख्या	की गई कार्यवाही	
		पैट्रोल	डीजल	प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज	अन्य की गई कार्यवाही			आपूर्ति निलम्बित	प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज
2013–14	2325	0	0	0	3	383	3	2	1
2014–15	2419	0	0	0	2	387	1	0	1
2015–16	2218	0	0	0	0	397	10	0	0
2016–17	2633	0	0	0	0	477	1	0	0
2017–18	2796	0	0	0	0	538	0	0	0
2018–19	2960	0	3	3	0	610	0	0	1
2019–20 (सितम्बर, 2019 तक)	2964	0	0	0	0	614	0	0	0

स्त्रोतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा।

बाजरे का वितरण

3.106 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 26,97,120 परिवारों (1,19,62,989 सदस्यों) को मास नवम्बर, 2019 से जनवरी, 2020 तक 1 रूपये प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ (हैफेड)

3.107 हैफेड हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है। यह 1 नबम्वर, 1966 को हरियाणा के एक अलग राज्य के गठन के साथ अस्तित्व में आया। तब से यह भारत में हरियाणा के किसानों के साथ–साथ उपभोक्ताओं की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। महासंघ के मुख्य उद्वेश्य कृषि उत्पादन और सहबद्ध उत्पादों की खरीद, विपणन और प्रंसस्करण के लिए व्यवस्था करना, कृषि आदानों की आपूर्ति जैसे खाद, बीज व कृषि रसायन तथा सम्बद्ध सहकारी समितियों के कामकाज को सुविधाजनक बनाना है। हैफेड के पिछले 5 वर्षों की बिक्री व लाभ **तालिका 3.27** में दर्शाई गए हैं।

3.108 हैफेड की प्रमुख उपलब्धियां निम्न हैं:–धान की खरीदः खरीफ–2019 सीजन के दौरान हैफेड ने 19.79 लाख मी.टन धान की खरीद की, जो कि प्रदेश की सभी एजेन्सियों

तालिका 3.27– हैफेड की बिक्री व लाभ

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक बिक्री	लाभ
2014–15	8,501.00	20.31
2015–16	8,780.11	38.06
2016–17	8,940.90	107.96
2017–18	9,352.70	76.29
2018–19	12,307.00	41.47
2019–20	15,728.00	49.22

स्त्रोतः हैफेड।

द्वारा की जाने वाले कुल खरीद का लगभग 31 प्रतिशत है। हैफेड ने खरीफ–2018 के दौरान 18.06 लाख मी.टन और खरीफ–2017 के दौरान 19.38 लाख मी.टन धान की खरीद की थी।

बाजरे की खरीदः खरीफ–2019 में हैफेड ने 95,373 मी.टन बाजरे की खरीद की है। हैफेड ने खरीफ–2018 में 95,635 मी.टन बाजरे की खरीद की जबकि खरीफ–2017 में 25,114 मी.टन बाजरे की खरीद की थी।

गेहूं की खरीदः रबी–2019 के दौरान हैफेड ने 39.17 लाख मी.टन गेहूं की खरीद की जो कि प्रदेश की सभी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का लगभग 39.17 प्रतिशत है। हैफेड ने रबी–2018 के दौरान 35.28 लाख मी.टन गेहूं की खरीद की थी।

सूरजमुखी की खरीदः रबी–2019 के दौरान हैफेड ने नैफेड व राज्य सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 8,477 मी.टन सूरजमुखी खरीदी जबकि रबी–2018 में 4,926 मी.टन की सूरजमुखी की खरीद की थी।

उर्वरकों की आपूर्तिः हैफेड ने राज्य में समय पर यूरिया व डी.ए.पी. की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा राज्य में को–आपरेटिव नेटवर्क द्वारा यूरिया व डी.ए.पी. की बिक्री कृषि विभाग के निर्देशानुसार हैफेड ने वर्ष 2018–19 के दौरान समय पर राज्य में यूरिया व डी.ए.पी. की क्रमशः 1.92 व 0.86 लाख मी.टन बिक्री की थी। 31–12–2019 तक 0.90 लाख मी.टन यूरिया व 0.09 लाख मी.टन डी.ए.पी. हैफेड के पास उपलब्ध है।

चीनी मिल असन्धः पिराई सीजन 2018–19 के दौरान हैफेड चीनी मिल असन्ध ने 44.58 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की है तथा 9.64 प्रतिशत चीनी की रिकवरी की है।

गेहूं बीज के विपणनः हैफेड ने वर्ष 2018–19 के दौरान 62,922 क्विंटल गेंहू के बीज की बिक्री की है तथा 4 करोड रूपये का लाभ हुआ है जबकि वर्ष 2017–18 में गेहूं के बीज की बिक्री 58,666 क्विंटल तथा 2.89 करोड़ रूपये का लाभ हुआ था।

उपभोक्ता उत्पादों का विपणनः हैफेड द्वारा वर्ष 2018–2019 में 261.95 करोड़ रुपये के उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री की गई। वर्ष 2017–18 में उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री 161.65 करोड़ रूपये थी।

ई–खरीद और ई–शासनः निविदा प्रकिया में पार्दर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी गतिविधियों को ई–टेंडरिंग के नए पोर्टल पर (https://haryanaepreocurement.gov.in) पहले ही आरंम्भ की जा चुकी है। आईटी शासन की पहल "ऑनलाइन मुख्यमंत्री विंडोज" और "ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति" को हैफेड में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

3.109 हैफेड की प्रमुख कार्यक्रमों/गतिविधियों की पहल/पहचान–

- अपने खाने योग्य तेलो का फोर्टिफिकेशन (सोयाबीन व कपास तेल)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत हैफेड 18–20 लाख लीटर सरसों का फोर्टीफाईड तेल जो विटामिन ए व डी से युक्त है, कि आपूर्ति कर रहा है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत मासिक आधार पर हैफेड लगभग 78 हजार क्विंटल फोर्टीफाईड आटे की आपूर्ति कर रहा है।
- हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हैफेड जाटूसाना जिला रिवाड़ी में 50 टीपीडी क्षमता की आटा मिल स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- हैफेड ने आईएमटी, रोहतक में लगभग 179.75 करोड़ रूपये की परियोजना लागत से एक मेगा फूड प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। जिसके लिए हैफेड

द्वारा एच.एस.आई.आई.डी.सी. से 50 एकड़ जमीन 75 साल की लीज़ पर पहले से ही ली जा चुकी है और इसका अन्तिम अनुमोदन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार से दिनांक 21–02–2018 को प्राप्त हो चुका है।

- हैफेड ने अपनी निर्यात गतिविधि को पुनर्जीवित करने की भी योजना बनाई है और इस दिशा में कार्यवाई पहले से ही शुरू हो चुकी है।
- हैफेड व इसके जैसी अन्य सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए इनके उत्पादों की परस्पर बिक्री।

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

3.110 हरियाणा राज्य भण्डारण निगम एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना किसानों, सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक संस्थानों एवं व्यापारियों आदि को कृषि उत्पादों और अधिसूचित वस्तुओं की वैज्ञानिक भण्डारण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हुई है। इसके प्रारम्भ के समय स्वयं की केवल 7,000 मी.टन. भण्डारण की क्षमता थी। वर्तमान में 30–11–2019 तक निगम राज्य में 111 वेयरहाउस जिसमें से 105 अपने व 6 प्रबन्ध आधार पर संचालित कर रहा है जिनकी भण्डारण क्षमता 22.08 लाख मी. टन है जिसमें 19.71 लाख मी.टन क्षमता के कवर्ड गोदाम एवं 2.37 लाख मी.टन क्षमता के ओपन प्लिंथ सम्मिलित है। वर्ष 2018–19 के दौरान निगम ने कर से पहले 6,760.75 लाख रूपये तथा कर के बाद 4,413.54 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया है। निगम ने वर्ष 2017–18 के लिए कर के बाद लाभ का 15 प्रतिशत के रूप में राज्य सरकार को 3.52 करोड रूपये के लाभांश का भुगतान किया है। निगम की वित्तीय स्थिति **तालिका 3.28** में दर्शाई गई है।

स्टील साईलों का निर्माण

3.111 हरियाणा राज्य में भण्डारण निगम को स्टील साईलो के निर्माण के लिए नोडल एजैन्सी के रूप में नियुक्त किया है। केन्द्र सरकार ने सम्पूर्ण हरियाणा में 6 लाख मी.टन. क्षमता के स्टील साईलों का निर्माण करने हेतू आवंटित किया है। जिसकी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

विशिष्ट उपलब्धियां

3.112 निगम की कार्य क्षमता बढाने व कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए निगम द्वारा वेयर हाउस प्रबन्धन विधि को अपनाया गया है। जिसके द्वारा सभी लेन देनों को उनके वास्तविक समय के आधार पर प्रस्तावित किया जा सके। इसके अतिरिक्त टैली साफ्टवेयर को भी लागू किया गया है जिसे अगले रबी विपणन काल से पहले परिचालन में लाया जायेगा। निगम के सभी कैम्पसों में सी.सी.टी. वी. कैमरे तथा सौर उर्जा पैनल चरण बद्व तरीके से स्थापित किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त निगम में ऑनलाईन स्थानान्तरण नीति अपनाई है जिससे कर्मचारियों के स्थानान्तरण में पारदर्शिता आई है। निगम ने अपने कार्यों हेतु आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। निगम चरणबद्ध तरीके से अपने सभी परिसरों में सौर ऊर्जा पैनलो की स्थापना की प्रक्रिया में है।

इन्लैन्ड कन्टेनर डिपो

3.113 निगम द्वारा रिवाड़ी में, हरियाणा व इसके आस पास के क्षेत्र के आयातकों व निर्यातकों को आयात एवं निर्यात सुविधा प्रदान करने के लिए एक इन्लैंड कन्टेनर डिपो (आई.सी.डी.) सह–कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी.एफ. एस.) चलाया जा रहा है, यद्यपि, कोनकोर के साथ रणनीतिक गठबंधन समझौते के तहत 01–11–2008 से डिपो आई.सी.डी.–सह–सी.एफ. एस. का संचालन कोनकोर (एक भारतीय रेलवे की सहायक) के द्वारा किया जा रहा है। 18–12–2009 से इन्लैंड कन्टेनर डिपो, रिवाड़ी को इलैक्ट्रोनिक डाटा इंटर चेंज (ई.डी.आई.) प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन विश्व से जोड़ा गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान इन्लैंड कन्टेनर डिपो ने 88.14 लाख रूपये, वर्ष 2019–20 (30–11–2019 तक) में 48.23 लाख रूपये की आमदन की है।

तालिका 3.28– निगम की वित्तीय स्थिति

(रूपये लाख में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (बगैर लेखा परीक्षण)
अधिकृत पूंजी	620	620	620	620
भुगतान की गई पूंजी (सी.डब्ल्यू.सी. तथा राज्य सरकार प्रत्येक का 50 प्रतिशत हिस्सा)	584	584	584	584
कुल टर्नओवर	272467	319978	371601	482773
लाभ कर से पहले	3143	4414.44	7140.20	6760.75
लाभ कर के बाद	2345	2863.90	4687.36	4413.54

स्त्रोतः हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन।

कृषि विपणन

3.114 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी) का गठन 1 अगस्त, 1969 को राज्य में मार्केट कमेटियों के नियन्त्रण तथा संचालन के उद्धेश्य से किया गया था। बोर्ड के गठन से अब तक 113 मुख्य यार्ड, 168 सब यार्ड तथा 196 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने 31–10–2019 तक 13,886 कि.मी. लम्बाई की 5,378 ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया है।

विकास कार्य

3.115 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अनाज व सब्जी मण्डियों के विकास/उत्थान, सम्पर्क सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर 2520.26 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। चालू वित वर्ष 2019–20 के दौरान दिनांक 31–10–2019 तक विकास कार्यों पर कुल 378.63 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। शीर्षानुसार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

मण्डी कार्यः हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने नई अनाज/सब्जी मण्डियों के विकास तथा मौजूदा मण्डियों के उत्थान के लिए 733.15 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। 212.39 करोड़ रूपये के विकास कार्यो से मण्डियों में उक्त सभी सुविधाएं प्रदान करने के कार्य प्रगति पर हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने हाल ही में राज्य में कई प्रमुख मंडियों का विकास किया है। कई प्रमुख मंडियों के विकास कार्य प्रगति पर है और वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग 150 करोड़ रूपये की लागत से पूरा होने की सम्भावना है।

- **नई सम्पर्क सड़कों का निर्माण** वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 2,780 कि.मी. लम्बाई की 998 सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य 928.62 करोड़ रूपये की लागत से पूरा किया गया है। विभिन्न स्तरों पर 1,536 कि.मी. लम्बाई की 589 सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य 494.23 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से प्रगति पर है।

- **सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मत** हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कों की मरम्मत का कार्य वास्तविक जरूरत के अनुसार किया जाता है। अब तक 4,612 कि.मी. लम्बाई की 1,615 सड़कों की विशेष मरम्मत के कार्य 805.80 करोड़ रूपये की लागत से पूरे किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1302.45 कि.मी. लम्बाई की 884 सड़कों की विशेष मरम्मत के कार्य 136.66 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से विभिन्न स्तरों पर प्रगति में हैं।

मार्केट फीस

3.116 चालू वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 850 करोड़ रूपये की मार्केट फीस एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसके तहत अब तक 533 करोड़ रूपये मार्केट फीस के रूप में एकत्रित किए जा चुके हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी की पहल

3.117 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने ई–नैम, ई–खरीद, मण्डी के गेटों पर धर्मकांटे लगाने तथा प्लॉट व प्रापर्टी मैनेजमेंट (पी.पी.एम.) जैसी अनेक विपणन सुधार प्रणालियां शुरू की हैं।

ई–नैम

3.118 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नैम) कृषि उत्पादों हेतु एक इलैक्ट्रोनिक ट्रेडिंग पोर्टल के रूप में मौजूदा मार्केट कमेटियों व मंडियों के लिए वैश्विक बाजार उपलब्ध करवाने का माध्यम है। देश के 18 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें 54 मडिंयों को ई–नैम के तहत जोड़ दिया है। भारत सरकार ने दिनांक 03–01–2019 को 27 अतिरिक्त मंडियों को ई–नैम पोर्टल से जोडने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। हरियाणा राज्य की प्रगति को इस तथ्य द्वारा मापा जा सकता है कि हरियाणा राज्य ने 28,260.54 करोड़ रूपये मूल्य के 1,150 लाख क्विंटल उत्पाद का व्यापार इस परियोजना के अंतर्गत किया है। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसने चरखी दादरी में ई–नैम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान करने की शुरूआत की। हरियाणा राज्य देश में अधिकतम आनॅलाईन भुगतान बिल जारी करने में पहले नम्बर पर है तथा 31–10–2019 तक 35.73 करोड़ रूपये मूल्य के 18,907 बिल जारी कर 5,639 किसानों को लाभ पहुंचाया गया।

ई–खरीद

3.119 अनाज की खरीद प्रक्रिया में सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने के उद्धेश्य से हरियाणा सरकार ने "ई–खरीद" के माध्यम से ई–गर्वेन्स का एक क्रांतिकारी कदम उठाने की पहल की है, जिसके तहत व्यापारियों को सुगम व्यवसाय तथा किसानों को सुदृढ करने हेतु वास्तविक सूचना व समय पर भुगतान की सुविधा मिलेगी। ई–खरीद प्रणाली हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, विभाग की संयुक्त पहल है। दिनांक 31–10–2019 तक इस पोर्टल के द्वारा 37,000 करोड़ रूपये की फसलों का व्यापार हो चुका है।

धर्म कॉटे

3.120 हरियाणा सरकार ने राज्य की ई–नैम के अन्तर्गत 26 मण्डियों को चिन्हित किया गया जिनमें 27.10 करोड़ रूपये की लागत से 140 धर्मकांटे लगाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। अब तक 61 धर्मकांटों का कार्य पुरा हो चुका है तथा 17 धर्मकाटों का कार्य प्रगति पर है। इस पर दिनांक 31–10–2019 तक कुल 10.76 करोड़ रूपये की राशि खर्च हो चुकी है। यह कार्य 31–12–2020 तक पूरा होने की सम्भावना है।

किसान बाजार

3.121 बोर्ड द्वारा किसानों को बिचौलियों के हस्तक्षेप के बिना उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उदेश्य से सैक्टर–20 पंचकूला, सोनीपत व गुरूग्राम की मण्डियों में किसान बाजार की स्थापना की गई है। इस बाजार का अन्य उद्वेश्य उपभोक्ताओं को ताजे फल तथा सब्जियां उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। विभाग द्वारा 78.33 एकड भूमि पर पिंजौर में नई सेब, फल व सब्जी मण्डी बनाने की भी योजना है।

***

4

उद्योग, विद्युत, सड़कें एवं परिवहन

औद्योगिकरण किसी भी देश या राज्य के तेजी से विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक राज्य में आर्थिक विकास को तेज करता है और राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र के योगदान को बढ़ाता है, रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन शामिल है। इस प्रक्रिया के प्रभाव से एक समाज पूर्व–औद्योगिक स्तर से औद्यागिक स्तर में परिवर्तित होता है। राज्य को पूर्व–प्रचलित निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने और सतत विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार ने उद्यमशीलता का पोषण करने और रोजगार के अवसरो का सृजन करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी और कौशल विकास का एक व्यापक स्तर अपनाया है।

उद्योग और वाणिज्य

4.2 वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य के विकास को अगले स्तर तक ले जाने के लिए एक अग्रणी एंटरप्राईज प्रमोशन पॉलिसी–2015 (ईपीपी) लागू की। यह पॉलिसी 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'स्किल इंडिया' के अभियान रेखांकित किया गया है और राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रोत्साहन प्रदान करती है।

4.3 राज्य सरकार का पहला और महत्वपूर्ण एजैंडा राज्य के कारोबार के माहौल को मजबूत करना है, जिससे एक वैश्विक गंतव्य विकल्प के रूप में बनी है। सरकार नियामक बोझ को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सुधारों को लागू करके इस लक्ष्य की दिशा में लगातार काम कर रही है।

4.4 हरियाणा सरकार एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है जिससे राज्य में न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन द्वारा निर्देशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ई.ओ.डी.बी.) करना सुगम हो और जो कि सर्वोतम वैश्विक मानकों के अनुरूप हो।

4.5 2015 में, जब भारत सरकार ने राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग शुरू की तो हरियाणा 14वें स्थान पर था। व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के महत्व को महसूस करते हुए, राज्य प्रमुख विनियामक सुधारों को लाया गया, जिसने 2016 में राज्य को 6वें स्थान पर ला दिया, जिससे हरियाणा देश में एक प्रमुख सुधारक बन गया। हरियाणा ईज आफ डूइंग बिजनैस 2017–18 की रैकिंग में तीसरे स्थान पर है तथा भारत सरकार की औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग की रैंकिंग द्वारा उत्तर भारत में हरियाणा को पहला स्थान दिया गया है। राज्य 3 स्थान ऊपर पहुंच गया है। राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार प्रमुख सुधार कार्य किये जा रहे हैः–

- राज्य सरकार उद्योग भौगोलिक संविधान के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास पर जोर देने के साथ ग्रीनफिल्ड निवेश द्वारा रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए पथप्रदर्शक सुधारों और उपायों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।
- इसके अलावा उद्योग और वाणिज्य विभाग ने हरियाणा में उद्योग लगाने की लागत को कम करने के लिए एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग, टैक्सटाईल, वेयर हाउसिंग–लोजस्टीक रिटेल फार्मास्यूटिकल और एम.एस.एम.ई में जैसी पॉच विशिष्ट नीतियों की शुरूआत निवेशकों को वर्ग

प्रोत्साहन में सर्वश्रेष्ठ पेशकश करने के लिए की है। हमारा ध्यान निवेश आकर्षित करना और हरियाणा के लोगों का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इन नीतियों का जमीनी तौर पर कार्यान्वयन पर होगा। राज्य डाटा सेंटर नीति और इलैक्ट्रिकल व्हीकल नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

- राज्य सरकार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए एम.एस.एम.ई. सैक्टर की सहायता के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखती है। सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भारत सरकार की कलस्टर विकास योजना के तहत सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए रणनीति अपनाई है। इस योजना के तहत 13 एम.एस.ई.सी.डी.पी. क्लस्टर कार्यान्वयन के लिए विभिन्न चरणों में है। हमारा ध्यान मौजूदा शासन के दौरान कुछ और एम.एस.ई.सी.डी.पी समूहों की पहचान के साथ–साथ जल्द से जल्द इनका कार्य शुरू करना है।
- राज्य सरकार की मिनी क्लस्टर योजना के तहत 23 मिनी क्लस्टर स्वीकृत किए गए, जोकि कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। हमारा ध्यान वर्तमान शासन में कुछ और छोटे समूहों की पहचान के साथ–साथ इन समूहों के कामकाज को शुरू करना है।
- इसके अलावा हरियाणा सरकार नॉन कन्फर्मिंग जोन में स्थित उद्योगों के लिए साक्ष्य आधारित नीति बनाने और मुख्यधारा में लाने के लिए औद्योगिक सर्वेक्षण (जी.पी.एस. आधारित) करवा रही है और औद्योगिक सर्वेक्षण गतिविधि का काम इस वर्ष जून तक पूरा हो जाएगा।
- औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और रोजगार प्रदान करने में नियोजित औद्योगिक बुनियादी ढ़ांचे की उपलब्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। के.एम.पी. एक्सप्रेसवे के साथ पंचगाव परियोजना इस प्रकार के पिछले कार्यकाल के दौरान शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। यह दूरदर्शी अवधारणा लगभग 5 शहरों के विकास की परिकल्पना करती है। जिसे हर एक शहर में 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है।

4.6 इसके अलावा इन्टीग्रेटिड अवेशन हब के हिस्से के रूप में आई.ए.एच हिसार में 4,000 एकड़ से अधिक भूमि का उपयोग औद्योगिक विकास के लिए किया जाएगा जैसाकि वेयर हाउसिंग, कार्गो, एम.आ.ओ./एफ.बी.ओ. सुविधाएँ, प्रशिक्षण और सिमुलेशन केन्द्र, एयरोस्पेस युनिवर्सिटि और एयरोस्पेस/रक्षा विनिर्माण जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा सके। इसके अलावा फिक्सड बेस्ड ऑप्रेशन (एफ.बी.ओ) एम.आर.ओ. की स्थापना और इंटरनैशनल कार्गो और पैसेंजर एयरपोर्ट की योजना बनाई जाएगी।

4.7 अगले 5 वर्षों में अन्य प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें नांगल चौधरी, नारनौल और गुरूग्राम में ग्लोबल सिटी 1,200 एकड़ में विकसित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मानेसर शहर का 1,000 एकड़ से अधिक का हिस्सा दिल्ली, मुम्बई औद्योगिक गलियारे के उपक्षेत्र में विकास परिसर शामिल है। खेरकीधौला टोल को पंचगाव चौक पर स्थानांतर करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

4.8 प्राकृतिक संसाधनों की कमी और समूद्री बंदरगाहों से राज्य की दूरी के बावजूद निर्यात के मोर्चे पर राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है। वर्ष 1967–68 के दौरान आई.एन.आर. 4.5 करोड़ के निर्यात से शुरू होकर राज्य आज 2018–19 में लगभग 98,570.24 करोड़ रूपये का निर्यात हुआ। निर्यात के मामले में हम देश में 5वें स्थान पर है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना

4.9 इस योजना का मुख्य उद्देश्य माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम एंटरप्राईजेज में उद्योग स्थापित करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 15 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के आवेदक को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा और परियोजना लागत का 10 प्रतिशत सामान्य श्रेणी लाभार्थी द्वारा इक्विटी भागीदारी के रूप में योगदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में

परियोजना लागत का 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, पूर्व सैनिक, महिला, शारीरिक रूप से विकलांग सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा और 5 प्रतिशत को लाभार्थी द्वारा इक्विटी भागीदारी के रूप में परियोजना लागत का योगदान दिया जाना चाहिए। लक्ष्य और उपलब्धियां **तालिका 4.1** में दर्शायी गई है:–

तालिका 4.1– वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां		प्रतिशत उपलब्धियां	
	भौतिक (परियोजना की संख्या)	वित्तीय (रूपये लाख में)	भौतिक (परियोजना की संख्या)	वित्तीय (रूपये लाख में)	भौतिक	वित्तीय
2014–15	970	1086.54	603	1238.49	62.16	113.98
2015–16	670	1338.96	594	1152.67	88.66	86.09
2016–17	674	1348.53	614	1178.76	91.10	87.41
2017–18	754	1508.84	905	1889.16	120.03	125.21
2018–19	770	1976.44	1149	2394.14	149.22	121.13
2019–20 (13–12–2019 तक)	815	2521.29	534	1108.39	65.52	43.96

स्त्रोतः उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, हरियाणा।

हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड

4.10 हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा सरकार की जारी अधिसूचना दिनांक 01–02–1969 द्वारा पंजाब खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1955 की धारा 3 (1) के अधीन हुई। बोर्ड सामान्य रूप से खादी व ग्रामोद्योग आयोग के कार्यो को क्रियान्वयन करने, खादी एवं ग्रामोद्योगों को उन्नत करने और इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बोर्ड के उद्धेश्यों में दक्षता सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन व तकनीक का हस्तांतरण, लोगों में आत्म निर्भरता लाने के लिए ग्रामीण औद्योगिकरण और एक सुदृढ़ ग्रामीण समुदाय का निर्माण करना सम्मिलित है। अन्य उद्धेश्य निम्न प्रकार से है:–

- योग्य ऋण धारकों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करवाना।
- खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में सेवारत व इस क्षेत्र में रोजगार की तलाश करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में विकास।
- खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री एवं विपणन का बढ़ावा।

प्रधान मन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

4.11 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नये ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) की उद्घोषणा की। कार्यक्रम को एक मुश्त मार्जिन मनी सहायता के साथ बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत् अधिकतम 25 लाख रूपये तक की परियोजना के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) सामान्य जाति हेतू और 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/महिला/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक तथा अल्प–संख्यक समुदाय के लाभार्थी इत्यादि को प्रदान किया जाता है।

4.12 वर्ष 2018–19 में बोर्ड द्वारा 570 परियोजनाओं के लिए 1,484.25 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसमें से 658 परियोजनाओं, जिसमें 1,684.92 लाख रूपये मार्जिन मनी (सब्सिडी) निहित है, पूरी की गई। वर्ष 2019–20 के दौरान बोर्ड द्वारा 611 परियोजनाओं के लिए 1,890.96 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बोर्ड ने 358

केसों, जिसमें 871.52 लाख रूपये मार्जन मनी (सब्सिडी) निहित है, को दिनांक 29–01–2020 तक प्राप्त कर लिया है।

खादी व ग्रामोद्योग बिक्री केन्द्र

4.13 हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यालय, पचंकूला में वित्तपोषित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पाद की बिक्री के लिये एक बिक्री केन्द्र 1 नवम्बर, 2018 से खोला गया है। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में बिक्री केन्द्र खोलने बारे कार्यवाही की जा रही है। दूसरा बिक्री केन्द्र भी अक्तूबर, 2019 में झज्जर जिलें में खोला गया है।

खान एवं भू–विज्ञान

4.14 खान एवम् भू–विज्ञान राज्य में सतत विकास के सिद्वांत अनुसार उपलब्ध खनिज सम्पदा के गवेक्षण व दोहन कार्य के लिये उत्तरदायी है। हरियाणा राज्य में बड़े खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं तथा इसके खनन कार्य मुख्यतः लघु खनिजों जैसे कि पत्थर, रेत, बजरी आदि जो निर्माण कार्य में प्रयोग होती है तक ही सीमित है।

4.15 खान एवम् भू–विज्ञान विभाग निम्न विधानों के अनुरूप शासन प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी हैः–

- खान एवम् खनिज (विकास एवम् विनियमन) अधिनियम–1957: यह एक केन्द्रीय अधिनियम है जो कि देश में खनन के सतत विकास एवम् खनिज रियायत के लिये प्रावधान प्रदान करता है।
- खनिज रियायत नियम 1960: केन्द्र सरकार द्वारा बड़े खनिजों के खनन के लिए रियायत दिये जाने के लिये बनाया गया है।
- ''हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टॉकिंग, परिवहन एवम् अवैध खनन निवारण नियम, 2012'' बनाए, जो कि 20–06–2012 को अधिसूचित किए गए। लघु खनिजों में खनिज रियायत को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले से प्रचलित नियमों नामतः 'पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964 को निरस्त करते हुए केन्द्रीय अधिनियम, 1957 की धारा 15 एवं 23 सी के अधीन नये नियमों का गठन किया।
- हरियाणा खनिज (निहित अधिकार) अधिनियम, 1973
- हरियाणा विनियमन एवं क्रैशर नियन्त्रण अधिनियम, 1991 (सामान्यतः पत्थर क्रैशरों के लिए अधिनियम 1991) के संचालन को विनियमित करने के लिये उक्त अधिनियम व इसके अन्तर्गत नियम हैं।
- हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017

4.16 खनन कार्य करने की अनुमति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पर्यावरण आंकलन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 14–09–2006 के अनुसार पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड से संचालन की सहमति लेने उपरांत ही दी जा रही हैं। वर्तमान में जिला महेन्द्रगढ़ में सक्षम पदाधिकारी से पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति लेने व राज्य प्रदूषण बोर्ड से संचालन की सहमति प्राप्त करने उपरांत जिला महेन्द्रगढ़ में खनन कार्य गांव बखरिजा, अमरपुरजोराशी, बायल, मुसनोता, नारनौल, गढ़ी एवं मुकुन्दपुरा में मान्य खनन पट्टे के अंतर्गत किया जा रहा है। सम्बन्धित प्राधिकारी नियमों व विनियमनों की अनुपालना एवं पर्यावरण को कोई क्षति ना हो, सुनिश्चित करने हेतू क्षेत्रों पर निरन्तर निगरानी रखते हैं।

4.17 लघु खनिज रियायत प्रदान करने हेतू जिस प्रक्रिया कि शुरूआत वित्त वर्ष 2016–17 में की गई थी, इस वित्त वर्ष 2019–20 में भी जारी है जिसके तहत विभाग द्वारा कई खनिज रियायत प्रदान किए गए हैं। खनिज अनुदान छोटे आकार की खनन ईकाईयों/खण्डों के तौर पर प्रदान करने की

नीति बनाई गई ताकि न केवल खनन व्यापार में रूचि रखने वाले लघु व्यवसायी/व्यक्ति खनन कार्य में प्रवेश कर सकें बल्कि कुछ एक की मिली भगत को भी रोका जा सके। इसी नीति का अनुसरण वित्त वर्ष 2019–20 में भी किया जा रहा है। अक्टूबर, 2019 तक कुल 119 लघु खनिज खदानों में से 76 के खनिज अनुदान प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा प्रदान किए गए हैं। गांव खानक, जिला भिवानी की एक पत्थर की खान एच.एस.आई.आई.डी.सी., हरियाणा सरकार के एक उपक्रम, को नियमों में छूट देते हुए प्रदान की गई है। इन प्रदान किए गए खनिज अनुदानों में से 51 खदानों में खनन कार्य सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान करने उपरांत शुरू हो चुका है। 52 खदान खाली पड़े हैं। इसका विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

4.18 अवैध खनन की घटनायें

- राज्य में किसी भी खनिज का संगठित अवैध खनन नहीं है हालांकि खनिज चोरी की छुटपुट घटनायें सामने आती है जिन्हें कानून सख्ती से निपटा जाता है। इस तरह की घटनायें जिनमें साथ लगते अन्य प्रदेशों से बिना वैध बिल/भार पर्ची खनिजों का परिवहन भी शामिल है, को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1957 की धारा 21(5) प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाकर निपटाया जाता है। इसके अतिरिक्ति जो लोग अवैध खनन से लिप्त पाए जाते है उनके विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की जाती है।
- सरकार ने प्रत्येक जिले में अवैध खनन रोकने/जांच तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना हेतु सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य हैं। इन टास्क फोर्स द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा राज्य स्तरीय टास्क फोर्स जोकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है, द्वारा की जाती है।
- खान एवं भू–विज्ञान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरक्त अन्य सम्बन्धित विभागों जैसेकि वन, राज्य प्रदूषण बोर्ड परिवहन तथा पुलिस द्वारा अवैध खनन रोकने हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।
- हालांकि राज्य में कहीं भी संयोजित अवैध खनन नहीं है, फिर भी छिट–पुट अवैध खनन/खनिजों के अवैध परिवहन के मामले संज्ञान में आते हैं जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ.ऐ. संख्या 668/2018– सुरेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य में पारित आदेश दिनांक 23–04–2019 के अनुसार अवैध खनन/परिवहन में संलिप्त वाहनों से रॉयल्टि, खनिज की कीमत एवं पैनल्टि के अतिरिक्त वाहन की शोरूम कीमत के कम से कम 50 प्रतिशत राशि भी वसूल की बनती है। 28–08–2019 से 31–12–2019 तक पकड़े गए वाहनों की सूची **तालिका 4.3** में दर्शायी गई है।
- खान एवं भू–विज्ञान विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा/देखरेख पुलिस विभाग व खान एवं भू–विज्ञान विभाग में सर्वोच्च स्तर पर की जाती है। विगत नौ वर्षो में अवैध खनन/खनिज चोरी/बिना वैध बिल खनिज परिवहन के मामलों का विवरण **तालिका 4.4** में दर्शाया गया है।
- हरियाणा राज्य अवैध खनन को शून्य स्तर पर लाने के लिए प्रयासरत है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के किसी भी भाग में कोई अवैध खनन ना हो, आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह वास्तविका से परे है कि राज्य में जिला महेन्द्रगढ़ सहित खनन माफिया पनप रहा है।

तालिका 4.2–राज्य में खानों का जिलावार विवरण

संख्या	जिला	खानों की कुल संख्या	आबंटित खानों की कुल संख्या	वर्तमान में खाली / खाली आबंटित खानों की कुल संख्या	खानों की संख्या जिनमें खनन कार्य जारी है।
1.	पंचकुला	18	08	10	04
2.	अंबाला	10	03	07	02
3.	यमुनानगर	33	27	06	22
4.	कुरूक्षेत्र	01	00	01	00
5.	करनाल	04	01	03	01
6.	पानीपत	03	03	00	01
7.	सोनीपत	15	10	11	04
8.	फरीदाबाद	02	01	01	00
9.	पलवल	02	00	02	00
10.	भिवानी	02	02	00	02
11.	चरखी दादरी	14	14	03	11
12.	हिसार	01	00	01	00
13.	रेवाड़ी	01	00	01	00
14.	महेन्द्रगढ़ (रेत)	03	00	03	00
15.	महेन्द्रगढ़ (पत्थर)	10	07	03	04
	कुल	**119**	**76**	**52**	**51**

तालिका 4.3– जिलावार पकडें गए वाहनों का विवरण

कमांक	जिलों के नाम	वाहनों कि संख्या (28.08.2019 से 31.12.2019 तक)
1	पानीपत एवं करनाल	32
2	फरीदाबाद / पलवल	55
3	सोनीपत	60
4	यमुनानगर	149
5	गुरूग्राम एवं नूह	19
6	महेन्द्रगढ़	47
7	अम्बाला	20
8	हिसार एवं फतेहाबाद	2
9	सिरसा	0
10	रोहतक एवं झज्जर	0
11	पंचकुला	28
12	चरखी दादरी	0
13	कुरूक्षेत्र	10
14	रेवाड़ी	1
15	भिवानी	0
16	जीन्द	4
	कुल	**427**

तालिका 4.4 अवैध खनन के सामने आये मामले व जिन पर कार्यवाही की गई

वर्ष	वैद्य दस्तावेजों के बिना अवैध खनन में सम्मिलित परिवहन वाहनों की संख्या	जुर्माना वसूल (रूपये लाखों में)	दर्ज की गई एफआईआर की संख्या
2011–12	1588	263.33	117
2012–13	2564	163.31	122
2013–14	4518	991.59	148
2014–15	5333	1451.71	245
2015–16	3912	838.55	78
2016–17	1963	435.34	121
2017–18	1748	480.73	228
2018–19	2009	484.08	252
2019–20 (सितम्बर, 2019 तक)	619	222.82	110
कुल	**24632**	**5467.24**	**1468**

स्त्रोतः खान एवम भू–विज्ञान विभाग,हरियाणा।

जिला खनिज प्रतिष्ठान

4.19 केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 को संशोधित किया। इन संशोधनों के अंतर्गत धारा 9(बी) जोड़ी गई, जिसके अनुसार खनन एवं इससे सम्बन्धित कार्यो की वजह से प्रभावित क्षेत्रों व लोगों के हित के लिए कार्य करने हेतु प्रत्येक जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान की स्थापना करना था। खनन क्षेत्रों की पुर्नस्थापना और पुर्नवास के लिए कार्यरत खाद्यानों द्वारा 10 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि खान एवं खनिज पुर्नस्थापना और पुर्नवास फण्ड मे जमा करवानी होती है तथा राज्य सरकार भी अपनी कमाई का 5 प्रतिशत हिस्सा इस फण्ड में जमा करती है। खनिज प्रभावित क्षेत्रों/जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित किए गए हैं, ये प्रतिष्ठान कार्य करेंगी तथा "प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना" भी लागू करेंगी, जिनका उद्देश्य निम्न प्रकार से है:

- खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण सम्बन्धी परियोजनाओं/कार्यक्रम लागू करना जिनमें राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही स्कीमों/परियोजनाओं को पूर्ण करना भी सम्मिलित है;
- खनन के दौरान तथा इसके पश्चात् खनन जिलों के लोगों पर पड़ने वाले पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामाजिक अर्थशास्त्र के असर को कम करना; तथा
- खनन क्षेत्रों में खनन प्रभावित लोगों के दीर्घकालीन आजीविका सुनिश्चित करने के लिए।

मुख्य नीतिगत लिए गए फैसले/प्रस्तावित फैसले तथा इनसे विभाग की गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव/सम्भावित प्रभाव

4.20 पहले विभाग लघु खनिज के रियायत खुली निलामी द्वारा प्रदान करता था। परन्तु अब विभाग ने ई–निलामी प्रकिया शुरू कर दी है, जोकि अधिक पारदर्शी है। लघु उद्यमियों/व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु विभाग ने बड़ी खनन ईकाईयों के ठेके देने की बजाय छोटी ईकाईयों/ब्लॉको के ठेके देने शुरू कर दिए है ताकि खनन व्यवसाय में रूचि रखने वाले छोटे उद्यमी/व्यक्ति खनन व्यवसाय में प्रवेश कर सकें।

नई पहल

4.21 विभाग ने ड्रोन की सहायता से जिला महेन्द्रगढ़ की एक पत्थर की खान बखरीजा–4 में नमूने के तौर पर सर्वेक्षण करवाया। इसी प्रकार की सर्वेक्षण सभी खदानों में किया जायेगा। विभाग हरियाणा स्पेश एप्लीकेशन सैंटर (हरसक) के साथ शीघ्र ही खदानों के सीमांकन और भू–संदर्भ मानचित्रण के लिए मैमोरेण्डम ऑफ अन्र्डरस्टेंडिंग निष्पादित करेगा।

ई–शासन

4.22 विभाग अपनी निम्नलिखित सेवाऐं एचईपीसी पोर्टल के माध्यम से प्रदान कर रहा है। विभाग ने विभागीय पोर्टल/एप्लीकेशन बनाने हेतु हारट्रोन को नियुक्त किया है।

- खनिज भण्डारण का लाईसैंस व नवीनीकरण;
- स्टोन क्रैशर का लाईसैंस व नवीनीकरण;
- ईंट मिट्टी की खुदाई का परमिट व नवीनीकरण;
- साधारण मिट्टी का परमिट व नवीनीकरण; तथा
- खनिज के निशतारण का परमिट।
- इससे खनिज रियायत क्षेत्रों से बाहर जाने वाले उन सभी वाहनों का विनियमन हो सकेगा जो खनिज परिवहन में संलिप्त है तथा खनिज उत्पादकता का सही आकलन भी हो सकेगा। इससे इस बात की भी संभावनाएं बढ जाएंगी की खनन कार्य वैज्ञानिक तौर पर तथा पर्यावरण के अनुकूल हो और विभिन्न खानों बारे

महत्वपूर्ण जानकारियां ई–मोड्यूल पर उपलब्ध होंगी। ई–शासन का प्रस्ताव हितधारकों की भूमिका, जिम्मेवारी एवं साधनों को साफ तौर पर परिभाषित करेगा।

- ई–रवाना प्रणाली सभी जिलों में 1 जनवरी, 2020 से शुरू कर दी गई है।

पत्थर/भवन सामग्री की मांग व आपूर्ति

4.23 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमे की वजह से जिला फरीदाबाद, गुरूग्राम एवं नूंह की अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन कार्य बंद पड़ा है। यद्यपि जिला महेन्द्रगढ़, चरखीदादरी एवं भिवानी में पत्थर का खनन कार्य जारी है परन्तु निर्माण सामग्री खासकर पत्थर की कमी के मध्यनजर मांग साथ लगते राज्यों से पूरी की जा रही है। राज्य की पत्थर खदानें निजी एवं सर्वाजनिक मांग का लगभग 60 से 65 प्रतिशत जरूरत ही पूरी कर पाती है। राज्य इस बात के सतत प्रयत्न कर रहा है कि और खनन क्षेत्रों में खनन कार्य शुरू हो सके, ताकि निर्माण सामग्री की जरूरत राज्य की खदानों से ही पूरी हो सके। सरकार ने आवश्यक कदम उठाए ताकि राज्य में खनन कार्य पुनः शुरू हो सके जिससे जनसाधारण को निर्माण सामग्री उचित मुल्यों पर उपलब्ध हो सके। खनन की बहाली के बाद अब अच्छे स्तर की सामग्री रोड़ी/बजरी/डस्ट 17–19 रूपये प्रति घन फुट की दर पर उपलब्ध है, जबकि यमुना रेत सोनीपत में 08–09 रूपये प्रति घन फुट और करनाल व इसके साथ लगते क्षेत्रों में 18–20 रूपये प्रति घन फुट की दर से उपलब्ध है।

खनन से राजस्व

4.24 वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्व प्राप्ति अपने रिकार्ड स्तर पर 712.87 करोड़ रूपये रही। राज्य में वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्व प्राप्ति 583.20 करोड़ रूपये रही जो **तालिका 4.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5 –वर्ष 2005–06 से खानों से राजस्व प्राप्तियों का विवरण

संख्या	वर्ष	आय (रूपये करोड़ में)
1	2005–06	153.24
2	2006–07	136.26
3	2008–09	195.42
4	2009–10	248.66
5	2010–11	78.38
6	2011–12	87.39
7	2012–13	70.83
8	2013–14	81.52
9	2014–15	43.89
10	2015–16	265.42
11	2016–17	494.16
12	2017–18	712.87
13	2018–19	583.20
14	2019–20 (नवम्बर, 2019 तक)	428.26
	कुल	**3795.31**

स्त्रोतः खान एवम भू–विज्ञान विभाग,हरियाणा।

विद्युत

4.25 ऊर्जा निरंतर आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका के अलावा, इसका राजस्व प्राप्ति, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सीधा और महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए वहन की जाने वाली कीमत पर बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति राज्य के प्रभावी विकास के लिए आवश्यक है। हरियाणा राज्य में ऊर्जा के प्राकृतिक स्त्रोतों की सीमित उपलब्धता है। राज्य में हाईड्रो जेनरेशन पोटेंशियल बहुत कम है। यहां तक कि कोयले की खानें भी राज्य से बहुत दूर स्थित है। यहां वन क्षेत्र बहुत सीमित है। विद्युत उत्पादन का

लाभ उठाने के लिए राज्य में वायु वेग भी पर्याप्त नहीं है। हालांकि, सौर तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन भूमि क्षेत्र सीमा बड़े पैमाने पर इस संसाधन के दोहन के रूप में अच्छी तरह से प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए, राज्य संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली परियोजनाओं से हाईड्रो पॉवर तथा राज्य के अन्दर सीमित थर्मल उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है।

4.26 वर्तमान समय में राज्य की कुल उपलब्ध क्षमता 11,971.42 मैगावाट है, इसमें 2,582.4 मैगावाट राज्य के अपने केन्द्रों से, 846.14 मैगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं (बी.बी.एम.बी.) से तथा शेष केन्द्रीय परियोजनाओं व स्वतंत्र निजी विद्युत परियोजनाओं में हिस्से से उपलब्ध है। 2018–19 के दौरान इन स्त्रोतों से विद्युत उपलब्धता 5,15,733 लाख किलोवाट थी। वर्ष 2018–19 के दौरान 4,07,090.10 लाख कलोवाट बिजली बेची गई थी। वर्ष–वार कुल स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली **तालिका 4.6** में दी गई है।

4.27 राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या वर्ष 2001–02 में 35,44,380 से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 65,77,058 हो गई है। श्रेणी–वार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या **तालिका 4.7** में दी गई है।

तालिका 4.6– राज्य में स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली

वर्ष	स्थापित उपत्पादन क्षमता* (मैगावाट)	कुल स्थापित क्षमता (मैगावाट)	उपलब्ध बिजली (लाख किलोवाट)	बेची गई बिजली (लाख किलोवाट)
1967–68	29	343	6010	5010.00
1970–71	29	486	12460	9030.00
1980–81	1074	1174	41480	33910.00
1990–91	1757	2229.5	90250	66410.00
2000–01	1780	3124.5	166017	154231.00
2010–11	4106	5997.83	296623	240125.00
2011–12	4106	6740.93	326473	266129.66
2012–13	4106	9839.43	343177	262576.03
2013–14	4060	9839.43	402779	288608.72
2014–15	4060	11102.32	438956	319972.00
2015–16	3611.37	11053.30	445111	322370.61
2016–17	3621	11065	454659	339931.52
2017.18	3621.37	11262.30	506044	382329.73
2018–19	3638.54	11750.72	515733	407090.10
2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक)	3428.54	11971.42	427315	313028.20

स्त्रोतः यू.एच.बी.वी.एन. लिमिटेड।

* इसमें राज्य की अपनी परियोजनाओं तथा संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं के हिस्से को दर्शाता है परन्तु केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं अर्थात एन.एच.पी.सी.,एन.टी.पी.सी., मारूति, मैग्नम, एन.ए.पी.पी.,आर.ए.पी.पी.एवं आई.पी.पी. (आई.जी.एस.टी.पी.एस., झज्जर, एम.जी.एस.टी.पी.एस., झज्जर तथा लघु हाईड्रों एवं सौर परियोजनाएं) आदि सम्मिलित नहीं है।

तालिका 4.7–राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्योगिक	नलकूप	अन्य	योग
2001–02	2759547	347437	66247	361932	9217	3544380
2005–06	3119788	387520	70181	411769	11402	4000660
2010–11	3684410	462520	85705	520391	34896	4787922
2011–12	3849779	479366	88821	540406	38593	4996665
2012–13	4020928	502912	91087	561381	41919	5218227
2013–14	4136499	522110	93839	582605	46076	5281129
2014–15	4266675	547395	96887	603797	47265	5562019
2015–16	4419364	573848	99195	613973	45790	5752170
2016–17	4569311	597063	101388	621571	50825	5940158
2017–18	4841143	623455	104124	630487	25328	6224537
2018–19	5150007	653356	109076	638191	26428	6577058
2019–20(नवम्बर, 2019 तक)	5329344	676166	110533	641566	27144	6784753

स्त्रोतः यू.एच.बी.वी.एन. लिमिटेड।

4.28 वर्ष 1967–68 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 57 यूनिटों से बढ़कर 2018–19 में 1,793.50 यूनिट हो गई है। राज्य में वर्ष 2018–19 के दौरान बिजली की खपत 4,07,090.10 लाख यूनिट (एल.यू.) थी। बिजली की अधिकतम खपत औद्योगिक क्षेत्र द्वारा 1,40,112.20 एल.यू. तथा इसके बाद कृषि क्षेत्र में 97,142.95 एल.यू. है। वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को 6,878.40 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान है। क्षेत्र–वार बिजली की खपत **तालिका 4.8** में दी गई है।

4.29 राज्य में लम्बित पड़े बिजली बिल दिसम्बर, 2019 में 5,295.74 करोड़ रूपये हो गए है। घरेलू क्षेत्र के अधिकतम लम्बित पड़े बिजली बिल 3,605.36 करोड़ रूपये है। क्षेत्र–वार लम्बित बिजली बिलों का विवरण **तालिका 4.9** में दिया गया है।

लम्बित बिजली बिलों का निपटान

4.30 यह योजना ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरेलू उपभोक्ताओं और 5 किलो वाट तथा उस से कम स्वीकृत लोड वाले गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। इस योजना के अनुसार मूल राशि की गणना डिफॉल्ट तिथि 30 जून, 2018 की अवधि के लिए की गई है। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के लिए पिछले 12 महीनों की मूल राशि देय होगी और शेष बकाया राशि माफ कर दी जाएगी। मूल राशि का भुगतान या तो मासिक या द्विमासिक किश्तों में या एकमुश्त राशि के रूप में किया जाना है। यह योजना चोरी के मामलों के निपटान के लिए भी लागू होती है, बशर्ते उपभोक्ता अधिभारित राशि का 50 प्रतिशत अधिभार के बिना जमा करें और कम्पाउंडिंग राशि पूर्ण रूप से जमा करें। 31–01–2019 तक योजना का विवरण **तालिका 4.10** में दिया गया है।

तालिका 4.8– राज्य में क्षेत्र–वार बिजली की खपत

(एल.यू.)

सैक्टर	2018–19	2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक)
औद्योगिक	140112.2	91735.48
घरेलू	96232.61	83526
कृषि	97142.95	80696.29
वाणिज्यिक	45479.36	35806.45
पब्लिक सर्विस (सार्वजनिक प्रकाश, सार्वजनिक जल घर)	11745.26	8537.84
रेलवेज	1014.06	754.01
विविध	15363.61	11972.15
कुल	**407090.10**	**313028.20**

स्त्रोतः यू.एच.बी.वी.एन. लिमिटेड।

तालिका 4.9 क्षेत्र–वार लम्बित बिजली बिल

(रूपये करोड़ में)

सैक्टर	2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक)
औद्योगिक	603.57
घरेलू	3605.36
कृषि	180.98
वाणिज्यिक	499.88
सरकारी विभाग एवं सेवाएं	405.95
कुल	**5295.74**

स्त्रोतः यू.एच.बी.वी.एन. लिमिटेड।

सरचार्ज वेव्वर स्कीम 2019

4.31 एपी उपभोक्ताओं जो 31–03–2019 को डिफाल्टर हैं, कि सहूलियत के लिए डिस्कॉमस द्वारा 11–09–2019 को सरचार्ज वेव्वर स्कीम 2019 शुरू की गई जिसके अर्न्तगत बकाया बिल राशि एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज राशि में शत प्रतिशत की छूट दी गई है। 31–12–2019 तक, 87,350 उपभोक्ताओं ने इस स्कीम का लाभ उठाया और 19.90 करोड़ की सरचार्ज राशि माफ की गई तथा 48.95 करोड़ रूपये उपभोक्ताओं द्वारा जमा कराये गये।

तालिका 4.10– उपभोक्ता के लम्बित बिजली बिलों का निपटान

डिस्कॉम का नाम	31–1–2019 तक चयनित उपभोक्ताओं की संख्या	स्कीम के तहत अदा कुल राशि (रूपये लाख में)	स्कीम के तहत माफ की गई कुल राशि (रूपये लाख में)
यू.एच.बी.वी.एन.	626555	18609.01	153926.91
डी.एच.बी.वी.एन.	734745	25143.20	226677.51
कुल	**1361300**	**43752.21**	**380604.42**

भविष्य की बिजली परियोजनाएं

4.32 राज्य में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय जैसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि, परिचालन कार्यकुशलता में सुधार, वितरण नेटवर्क का विस्तार एवं पुनर्गठन आदि किए गए हैं।

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

4.33 केन्द्र सरकार ने कर्ज में डूबी हुई बिजली कम्पनियों के लिए एक स्थाई समाधान सुनिश्चित करने व वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई है जिससे उनकी दक्षता में सुधार हो सके। राज्य सरकार ने यह योजना अपनाई है। आशा की जा रही है कि इससे राज्य के विद्युत निगमों के संचालन तथा वित्तीय क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। योजना के अन्तर्गत, हरियाणा सरकार ने पहले ही वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 17,300 करोड़ रूपये तथा वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 8,650 करोड़ रूपये के उदय बॉण्ड जारी किए हैं। हरियाणा डिस्कॉमस ने उदय बॉण्डस की आय से अपने उच्च लागत ऋण चुका दिए हैं। हरियाणा डिस्कॉमस के खातों में बचे शेष ऋण मुख्य रूप से नकद ऋण सीमा तथा कैपेक्स/पूंजीगत ऋण हैं। वर्ष 2018–19 तक 15 प्रतिशत ए.टी. एवं सी. हानियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत हानि कटौती प्लान (एल.आर.पी.) तैयार की गई है तथा लागू की जा रही है। ए.टी. एवं सी. हानियों को कम करने के लिए डिस्कॉमस द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान ए.टी. एवं सी. हानियों को 20.29 प्रतिशत से घटाकर 17.45 प्रतिशत किया गया है यानी पिछले वर्ष की तूलना में 2.84 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान, डिस्कॉम ने लक्ष्य से दो वर्ष पहले वित्तीय टर्न अरांउड हासिल किया है और 412.34 करोड़ रूपये का लाभ दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, डिस्कॉम ने 280.94 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया है।

नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा

ग्रिड आधारित रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम

4.34 योजना का उद्देश्य राज्य में बिजली के उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन करना है। सौर ऊर्जा एक हरित ऊर्जा है जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ–साथ उपयोगकर्ताओं के अनुकूल भी है और यह उपभोक्ताओं के बिजली के बिल को कम करने में भी मदद करती है। हरियाणा सौर नीति में वर्ष 2022 तक 1,600 मैगावाट की रूफटाप सौर उर्जा परियोजनांए स्थापित करने की योजना बनाई गई है। मार्च, 2019 तक राज्य में लगभग 126 मैगावाट संचयी क्षमता की रूफटाप सौर उर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान, 142 मेगावाट के ग्रिड से सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें से 50 मेगावाट रैसको के तहत, 60 मेगावाट बिना अनुदान के, 12 मेगावाट राज्य योजना के तहत, 10 मेगावाट सरकारी क्षेत्र के तहत कैपैक्स मोड पर और निजी क्षेत्र के लिए 10 मेगावाट सब्सिडी के तहत किया जायेगा। चालू वर्ष के दौरान राज्य में 20 मेगावाट क्षमता के जी.सी.आर.टी. बिजली संयंत्र (अनुदान सहित और बिना अनुदान) लगाया गया है।

सोलर वाटर पम्पिंग प्रोग्राम

4.35 किसानों की सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन एवं नवीनीकरण, उर्जा विभाग, हरियाणा तथा हरेड़ा ने राज्य में सौर जल पम्प प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई थी। वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान, 2 एच.पी. और 5 एच.पी. के 750 सौर पम्प 90 प्रतिशत अनुदान के साथ राज्य में स्थापित किए गए, जिसमें भारत सरकार से 30 प्रतिशत अनुदान शामिल है। वर्ष 2018–19 के दौरान, राज्य में 75 प्रतिशत राज्य अनुदान और 25 प्रतिशत उपयोगकर्ता शेयर के साथ 2,300 पम्प (2 एच.पी. से 10 एच.पी. क्षमता) स्थापित किए गए हैं। विभाग की राज्य में 3 एच.पी. से 10 एच.पी. क्षमता के 50,000 पम्प 75 प्रतिशत

अनुदान के साथ स्थापित करने की योजना है। यह पम्प दो चरणों में लगाये जायेगें। प्रथम चरण में 15,000 पम्प लगाये जाने हैं जिसमें से 2,000 पम्प वर्ष 2019–20 में तथा द्वितीय चरण में 15,000 और पम्प वर्ष 2020–21 में लगाए जायेगें।

एलईडी आधारित एस.पी.वी. होम लाईटिंग सिस्टम (मनोहर ज्योति)

4.36 जनता की प्रकाश ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभाग ने ''मनोहर ज्योति'' नाम से एल.ई.डी. आधारित एस.पी.वी. होम लाईटिंग प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई है। इस प्रणाली में 6 वाट के 2 एल.ई.डी. लयूमिनेयर, 9 वाट की एक एल.ई. डी. टयूबलाईट, 25 वाट का छत का पंखा और मोबाईल चार्जिंग के लिए एक यू.एस.बी पोर्ट का प्रावधान है। राज्य सरकार 15,000 रूपये प्रति प्रणाली अनुदान प्रदान कर रही है। वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य के लोगों को 16,666 मनोहर ज्योति प्रदान की जाएगी, जिसमें से 2,890 प्रणालियां पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

बायोमास पावर प्रोजैक्टस

4.37 हरियाणा सरकार हरियाणा जैव–ऊर्जा नीति, 2018 दिनांक 09–03–2018 द्वारा अधिसूचित किया है। इस नीति में 2022 तक 150 मेगावाट की बायोमास आधारित बिजली परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य है। राज्य के खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के चार धान प्रधान जिलों नामतः कुरूक्षेत्र, कैथल, जींद और फतेहाबाद में 49.8 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं पायलट आधार पर आबंटित की हैं। परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं व इनके वर्ष 2020 के मध्य तक पूरा हाने का अनुमान है तथा इनमें 5.70 लाख टन पराली को सालाना ईंधन के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम

4.38 गांवों में सोलर स्ट्रीट लाईटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग एल.ई.डी. आधारित सौर स्ट्रीट लाईटिंग योजना लागू कर रहा है। वार्षिक योजना 2019–20 में, 4,000 प्रति संयंत्र राज्य अनुदान के साथ स्टैंड स्ट्रीट संयंत्रों की स्थापना के लिए 4 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है।

सोलर इनवटर चार्जर प्रोग्राम

4.39 सौर ऊर्जा से मौजूदा इनवर्टर के बैटरी बैंक को चार्ज करने के लिए विभाग सौर इनवर्टर चार्जर जिसमें सौर पैनल और इंटरफेस चार्ज कंट्रोलर शामिल है, को बढ़ावा दे रहा है। 300 वाट और 500 वाट सिस्टम की अनुमानित लागत 14,750 रूपये और 21,000 रूपये प्रति सिस्टम है जिस पर 6,000 रूपये और 10,000 रूपये क्रमशः का अनुदान प्रदान किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन सरल पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों से ड्रा सिस्टम के माध्यम से संबंधित अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा किया गया है। पहली प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरा से एक किलोमीटर की सीमा से बाहर स्थित ढाणीयों में हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान, बजट में रूपये 21.664 करोड़ के प्रावधान के साथ, 22,500 प्रणाली यानी 2,084 के 300 वाट के तथा 500 वाट के 20,416 सिस्टम स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से लगभग 2,500 सिस्टम लगाए जा चुके हैं।

गोशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाना

4.40 हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी गौशालाओं में 80 से 85 प्रतिशत अनुदान के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। शेष का वहन गौ सेवायोग द्वारा किया जानाहै। 2019–20 के दौरान, पहले चरण में, राज्य की 334 गौशालाओं में 919 लाख रूपये के अनुदान के साथ 2 मेगावाट संचयी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

वास्तुकला

4.41 वास्तुकला विभाग, हरियाणा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अत्यधिक अल्पव्ययी, कलात्मक और आकर्षक शैली के सरकारी भवनों के वास्तुकला डिजाईन कार्य करने की हरियाणा सरकार की एक नोडल शाखा है। यह विभाग एक सेवा विभाग होने के कारण राज्य की महत्वपूर्ण जन–संरचना की योजना व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग राज्य के सभी सरकारी विभागों, निगमों तथा विश्वविद्यालयों को वास्तुकला संबंधी सेवाएं प्रदान करता है एवं संबधित विभाग से प्रतिपुष्टी प्राप्त करके सभी परियोजनाओं में नवीन डिजाईन समाधानों को विकसित करने के प्रयास करता है। भवनों के पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल डिजाईन बनाने में हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित हरियाणा भवन कोड, 2017 और ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को अपनाया गया है। विभाग ने विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया है जैसे कि नव प्रशासकीय खण्ड, न्यायिक परिसर, नागरिक अस्पताल व विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र, बस अड्डे, नव लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, राजकीय बहुतकनीकी, राजकीय महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अभियांत्रिक महाविद्यालय, राजकीय विद्यालय, स्टेडियम, कार्यालय परिसर, स्मारक भवन तथा विभिन्न तीर्थ स्थल इत्यादि।

सड़कें

4.42 सड़कें परिवहन का मूल साधन है। सड़कों का अर्थिक विकास तथा वृद्वि तथा सामाजिक महत्व में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा यातायात की जरूरतों के लिए सड़क नेटवर्क में सुधार/दर्जा बढ़ाना, बाईपासों का निर्माण, पुलों तथा सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण तथा उन सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करना, सड़क सुरक्षा, गड्डे भरना जिन पर पहले से काम चल रहा है पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क **तालिका 4.11** में दिया गया है।

4.43 वर्ष 2019–20 के दौरान सड़कों को चौड़ा, मजबूत, पुर्ननिर्माण, ऊंचा उठाने, सीमेंट कंक्रीट पेवमैंट/ब्लॉक प्रिमिक्स कारपेट तथा नालियां और पुलियां/रिटेनिंग वाल इत्यादि बनाने के अतिरिक्त, सड़कों की मरम्मत का कार्य हाथ में लिया है। नवम्बर, 2019 तक की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण **तालिका 4.12** में दिया गया है।

मुख्य पहल

4.44 विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिये तथा देरी को कम करने के लिये रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पुल बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। 40 रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पुल निर्माणाधीन हैं। रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पुल व पुलों के पूर्ण होने व प्रगति का ब्यौरा **तालिका 4.15** में दिया गया है।

तालिका 4.11– राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क

क्रम सं0	सड़क का प्रकार	लम्बाई कि.मी. में (31–3–2019 तक)	लम्बाई कि.मी. में (30–11–2019 तक)
1	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.–72 एन.एच.ए.आई. – 2583 कुल– 2655	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.– 72 एन.एच.ए.आई. – 3011 कुल–3083
2	राज्य उच्च मार्ग	1602	1491
3	मुख्य जिला सड़कें	1337	1337
4	अन्य जिला सड़कें	20714	20974
	कुल	**26308**	**26885**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.12– सड़कों की प्रगति व सुधारीकरण कार्यक्रम

(क) वित्तीय प्रगति

(रूपये करोड़ में)

क्र0 सं0	लेखा शीर्ष	बजट अलाटमैंट 2019–20	खर्चा (नवम्बर, 2019 तक)
1	प्लान– 5054 (सड़कें और पुल) नाबार्ड ऋृण और पी.एम.जी.एस.वाई. सहित)	2065.01	1233.63
2	नान प्लान –3054	535.03	383.91
3	केन्द्रीय सड़क कोष	150.00	147.00
4	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (प्लान)	106.43	106.43
5	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (नान प्लान)	–	–
6	डिपोजिट कार्य (एच.एस.आर.डी.सी. की सड़कें तथा पुलों के कार्य सहित)	70.00	35.02
	कुल	**2926.47**	**1905.99**

(ख) भौतिक प्रगति

क्र0सं0	मद	लम्बाई कि0मी0 में (नवम्बर, 2019 तक)
1	नया निर्माण	438
2	प्रिमिक्स कारपेट(राज्य सड़कें)	1392.55
3	चौड़ा तथा मजबूत करना (राज्य सड़कें)	1102.01
4	सीमैंट कंकरीट ब्लाक/पेवमैंट	315.69
5	साईड ड्रेन/रिटेनिंग वाल	181.26
6	पुर्ननिर्माण तथा ऊंचा उठाना	147.75
7	(क) चौड़ा (ख) मजबूत — राष्ट्रीय उच्च मार्ग	––

तालिका 4.13– वर्ष 2019–20 के दौरान स्वीकृत सड़क/पुल कार्य

(रूपये करोड़ में)

क्र0सं0	लेखा शीर्ष	कार्यो की संख्या	राशि (नवम्बर, 2019 तक)
1	प्लान–5054	248	881.00
2	नान प्लान–3054	318	402.00
3	नाबार्ड– सड़कें – पुल	40 –	138.33 –
4	केन्द्रीय सड़क कोष	–	–
5	प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना/भारत निर्माण – सड़कें – पुल	– –	– –
6	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	–	–
7	उपरगामी पुल/भुमिगत पुल (प्लान–5054)	5	29.00
8	पुल – प्लान –5054 नान प्लान–3054	12 02	84.00 3.00
	कुल	**625**	**1537.33**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.14– भवनों के निर्माण, मरम्मत तथा रख–रखाव के लिए आबंटन

(रूपये करोड़ में)

क्रं0 सं0	लेखा शीर्ष	बजट अलाटमैंट 2019–20	खर्चा (नवम्बर, 2019–20 तक)
1	राजस्व भवन	171.55	99.55
2	पूंजीगत भवन	1524.13	704.30
3	डिपोजिट भवन	300.00	279.62
	कुल	**1995.68**	**1083.47**

तालिका 4.15– रेल ऊपरगामी पुलों/भूमिगत पुलों का पूर्ण व प्रगति

क0सं0	विवरण	2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक)
1	ऊपरगामी/भूमिगत पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	4 40 (27 राज्य स्कीम+7एच.एस.आर.डी.सी. से सम्बन्धित+1 एन.एच.+3 सी.आर.एफ. स्कीम के अर्न्तगत+2 जी.एम.डी.ए. और यू.एल.बी.)
2	पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	6 38 (1 नाबार्ड स्कीम+29 आर.एंड.बी. 5054+5 सी.आर.एफ.+3 सिंचाई विभाग के अर्न्तगत)

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्य

4.45 वर्ष 2018–19 में, हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम पहले ही सड़क और पुलों के लिए 240 करोड़ एन.सी. आर.पी.बी. सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत और राज्य के एन.सी.आर. क्षेत्र में राज्य शीर्ष के तहत खर्च कर चुका है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 4 आर.ओ.बी. 1 नम्बर एलीवेटिड रोड़ प्रौजेक्ट और 2 नम्बर भवन (हस्पताल भवन, पानीपत और विश्वविद्यालय भवन, सोनीपत) 390 करोड़ रूपये की राशि के साथ पूरा हो गया है। 2 आर.ओ.बी. और 2 सड़क परियोजनाओं के लिए एन.सी.आर.पी.बी. ऋण योजना के तहत आबंटित किए गए थे और राज्य शीर्ष के तहत 11 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. परियोजनाओं के लिए 225 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सड़कों/आर.ओ.बी. की 15 परियोजनाएँ 999.35 करोड़ रूपये एन.सी.आर.पी.बी. ऋण योजना के तहत पाइपलाइन में हैं, जो एस.एफ. सी.– ''बी'' द्वारा अनुमोदित है और इस वित्तीय वर्ष यानी 2019–20 के दौरान आबंटित किए जाने की संभावना है। इसी प्रकार एन.सी.आर. क्षेत्र में आर.ओ.बी./आर.यू.बी. की 10 परियोजनाएँ राज्य शीर्ष के तहत 200 करोड़ रूपये पाइपलाइन में हैं और 2019–20 के दौरान आबंटित किए जाने की संभावना है। 200 करोड़ रूपये की एक सड़क परियोजना पहले ही एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और इस वित्तीय वर्ष के दौरान आबंटित किए जाने की संभावना है। क्षेत्रीय केन्द्र भवन, रेवाड़ी में एक और जींद में एक जमा कार्य के रूप में 25 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गये और इस वित्तीय वर्ष के दौरान पहले ही आबंटित किए जा चुके है। 19–08–2019 को सरकार द्वारा एच.एस.आर.डी.सी. को 2 नई भवन परियोजनाएं सौंपी गई हैं:–

क) सरकारी मेडिकल कॉलेज, जींदः अनुमानित लागत 524 करोड़ रूपये (फेज–1) और 139 करोड़ रूपये (फेज–2)।

ख) डेंटल कॉलेज, नलहर (नूंह): 150 करोड़ रूपये। हालांकि 268 करोड़ रूपये की डी.पी. आर. सरकार के पास विचाराधीन है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजनाएं आबंटित किए जाने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में आर.ओ.बी./आर.यू.बी. एवं भवन की 10–12 परियोजनाओं के लिए लगभग 500 करोड़ रूपये एन.सी.आर.पी.बी. व राज्य योजना के तहत अनुमोदित किए जाने की संभावना है।

नाबार्ड योजना

4.46 नाबार्ड योजना आर.आई.डी.एफ.–25 के अंतर्गत 40 सड़क जिसकी लम्बाई 296.32 कि.मी. और लागत 138.33 करोड़ रूपये है, नाबार्ड द्वारा स्वीकृत प्रदान कर दी गई हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान नाबार्ड योजना के तहत 145.50 कि.मी. सड़कों का सुधार 164.64 करोड़ रुपये की लागत से किया जा चुका है।

परिवहन

4.47 परिवहन विभाग हरियाणा के दो अंग है, जैस कि नियामक अंग व वाणिज्यक अंग (हरियाणा राज्य परिवहन) है।

वाणिज्यक अंग

4.48 सुनियोजित एवं कुशल बस सेवा का जाल विकासशील अर्थ–व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। परिवहन विभाग, हरियाणा राज्य के लोगों को पर्याप्त, सुव्यवस्थित, सस्ती, सुरक्षित आरामदायक एवं कुशल यात्री परिवहन सेवायें प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है।

4.49 हरियाणा राज्य परिवहन देश की अच्छी राज्य परिवहन सस्थाओं में से एक है। वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन के पास 3,651 (30–09–2019) बसें हैं, जो 24 डिपो व 13 उप–डिपो से संचालित की जा रही हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन औसतन 10.67 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तथा इनमें औसतन 9.49 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं।

4.50 हरियाणा राज्य परिवहन की प्रगति विभिन्न मापदण्डों के आधार पर बहुत अच्छी है जैसे कि बसों की औसत कर्मचारी व वाहन उत्पादकता, ईंधन की खपत परिचालन लागत प्रति कि.मी. (कर रहित) व दुर्घटना दर इत्यादि। हरियाणा राज्य परिवहन ने देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं के मुकाबले वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2012–13 तथा 2013–14 में सबसे कम दुर्घटना दर के लिये केन्द्रीय परिवहन मन्त्री ट्राफी व 1.50 लाख रूपये का प्रत्येक वर्ष नकद पुरस्कार प्राप्त किया है। हरियाणा राज्य परिवहन को वर्ष 2008–09 के लिए मैदानी क्षेत्र में वाहन उपभोक्ता में अधिकतम सुधार के लिए ए.एस.आर.टी.यू. ट्राफी का विजेता घोषित किया गया है।

4.51 हरियाणा राज्य परिवहन लोक परिवहन में अधिक सुधार के लिये कृत संकल्प है और बस सेवाओं व बस अड्डों पर जनता को दी जा रही सुविधाओं में और बढ़ौतरी के लिये कई कदम उठाये गये हैं। विभाग का प्लान बजट जो कि वर्ष 2004–05 में 56 करोड़ रूपये था वह 2018–19 में बढ़कर 145.25 करोड़ रूपये हो गया। बस बेड़े के आधुनिकीकरण तथा अन्य ढांचागत सुधारों के लिये वर्ष 2018–19 में 103.23 करोड़ रूपये खर्च किये गये। वार्षिक प्लान बजट वर्ष 2019–20 के लिए 253.55 करोड़ रूपये अनुमादित किये गये हैं, जिसमें से 3,317.76 लाख रूपये अप्रैल से सितम्बर, 2019 के दौरान खर्च किये जा चुके है। पिछले पांच वर्षो के कार्यक्रम/ योजनावार लक्ष्य और उपलब्धियां **तालिका 4.16** में दी गई है।

बस सेवाओं का आधुनिकीकरण

4.52 यात्रियों को आरामदायक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा 39 वॉल्वो/मरसडीज़ वातानुकुलित बसों का संचालन किया जा रहा है। चण्डीगढ़–गुरूग्राम, दिल्ली–चण्डीगढ़ बस सेवा को जनता द्वारा बहुत सराहा गया है। हरियाणा राज्य परिवहन

द्वारा फरीदाबाद, गुरूग्राम व पंचकूला शहरों में जनता को सुरक्षित व पर्याप्त यात्रा सेवा प्रदान करने हेतू शहरी बस सेवा शुरु कर दी गई है।

4.53 वर्ष 2018–19 में 183 बसों को नई डिजाईन की बसों में बदला गया। वर्ष 2019–20 में पुरानी बसों को नई बसों में बदलने तथा 547 नई बसें बस बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 500 स्टैण्डर्ड डीजल ईन्जन बसें तथा 150 पूर्णतया निर्मित एच.वी.ए.सी. मिनी बसों जो कि बी.एस.–4 एमिशन का मानदण्ड पूरा करती है, को बदलने/शामिल होने की उम्मीद हैं। प्रति किलोमीटर आधार पर परिचालन के लिए 190 बसों में से 166 मानक (नॉन–एसी) बसों को किराए पर लेने के लिए बोलीदाताओं/ऑपरेटरों के साथ अनुबंध किया गया है।

4.54 वर्ष 2018–19 में 22.17 करोड़ रूपये **(तालिका 4.16)** खर्च किए गये थे। वार्षिक योजनागत बजट वर्ष 2019–20 के लिए 100 करोड़ रूपये का अनुमोदित किये गये है, जिसमें से 6.50 लाख रूपये अप्रैल से सितम्बर, 2019 के दौरान खर्च किये जा चुके हैं। सभी 8 वर्ष पुरानी बसें, जो 7 लाख कि.मी. चल चुकी है को नये डिजाईन की आधुनिक बसों से बदला जा रहा है।

बस स्टैण्डों व कर्मशालाओं का निर्माण/नवीनीकरण

4.55 विभाग ने यातायात की दृष्टि से मुख्य स्थानों पर 125 बस स्टैण्डों का निर्माण किया हुआ है, जहां पर यात्रियों के लिये सभी मूल सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्तमान में चालू परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है:–

विभाग ने पी.पी.पी. मोड़ पर एन.आई.टी. फरीदाबाद बस टर्मिनल का विकास किया है, इसके अतिरिक्त पिपली (कुरूक्षेत्र) राजीव चौक, (गुरूग्राम) में पी.पी.पी. मोड़ पर बस अड्डे विकसित करना प्रस्तावित है। झज्जर, नलवा (हिसार) करनाल (नई साईट), असंध (करनाल), नूँह, बावल, (रेवाड़ी) में बस स्टैंड और झज्जर में कार्यशाला का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। हरियाणा के विभिन्न चिन्हित स्थानों पर नये बस स्टैंडों और कार्यशालाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सैक्टर–29, गुरूग्राम में अंतर शहरी बसों के लिए बस टर्मिनल के लिए प्लॉट जी.एम.डी.ए. को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है।

4.56 विभाग की भूमि एवं भवन कार्यक्रम के तहत नये बस स्टैण्ड/कर्मशालाओं के निर्माण के लिये वर्ष 2018–19 में 79.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। प्लान बजट वर्ष 2019–20 के लिए 150 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 3,296.20 लाख रूपये अप्रैल से सितम्बर, 2019 के दौरान खर्च किए जा चुके हैं।

कर्मशालाओं का आधुनिकीकरण

4.57 बसों के अच्छे रख–रखाव के लिये हरियाणा राज्य परिवहन की कर्मशालाओं का भी नवीनतम मशीनें, कलपुर्जे आदि उपलब्ध करवा कर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिये वर्ष 2018–19 में 8.32 लाख रुपये **(तालिका 4.16)** खर्च किये जा चुके हैं। वार्षिक प्लान बजट वर्ष 2019–20 के लिए 1 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 0.31 लाख रूपये अप्रैल से सितम्बर, 2018 के दौरान खर्च किए जा चुके हैं।

सड़क सुरक्षा

4.58 हरियाणा राज्य परिवहन प्रशासनिक व तकनीकी उपायों द्वारा दुर्घटनाओं/ब्रेक डाउन को कम करने के लिए कदम उठा रही है। हरियाणा राज्य परिवहन नये भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने व प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाणित करने के लिये 22 विभागीय चालक प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है। हल्के वाहन चालकों के लिए भी डी.टी.आई., मुरथल, हिसार, गुरूग्राम व महेन्द्रगढ़, में प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है तथा इस प्रशिक्षण को विभाग के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में भी शुरु किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2019–20 (अप्रैल से सितम्बर, 2019) के दौरान 19,764 उम्मीदवारों को अपनी कार्यकुशलता सुधारने के लिए व आवश्यक चालक लाईसैंस प्राप्त करने के लिए

भारी वाहन चालकों का प्रशिक्षण दिया गया है। वार्षिक प्लान बजट वर्ष 2019–20 के लिए 50 लाख रूपये अनुमोदित किये गये हैं, अधिक गति सीमा को रोकने के लिए सभी बसों में गतिरोधक यंत्र भी लगाए गए हैं।

हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कारपोरेशन को नया रूप देना

4.59 हरियाणा रोड़वेज़ इंजीनियरिंग कारपोरेशन, गुरूग्राम जो कि हरियाणा राज्य परिवहन के लिये बस बॉडी का निर्माण करती है, का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वार्षिक प्लान बजट वर्ष 2018–19 के लिए 5 लाख रूपये अनुमोदित किये गये, जोकि खर्च किए जा चुके है। वार्षिक प्लान बजट वर्ष 2019–20 के लिए 5 लाख रूपये अनुमोदित किये गये है।

कम्प्यूटरीकरण

4.60 विभाग के भिन्न–भिन्न कार्यकलापों को एक चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूट्रीकृत किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान कम्प्यूटरीकरण पर 85.30 लाख रूपये खर्च किए गए **(तालिका 4.16)**। वार्षिक प्लान बजट वर्ष 2019–20 के लिए 2 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 9.45 लाख रूपये अप्रैल से सितम्बर, 2019 के दौरान खर्च किए जा चुके है।

तकनीकी का प्रयोग

1. आनलाईन ट्रांसफर पॉलसी (लिपिकों, निरीक्षकों, उप–निरीक्षकों, चालकों और परिचालकों के लिए) को 31–03–2020 तक लागू किया जाना है।
2. आउटसोर्सिंग के आधार हरियाणा राज्य परिवहन की बसों के माध्यम से पार्सल के रूप में वस्तुओं के चलन को जून, 2020 के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
3. ई–टिकटिंग, आर.एफ.आई.डी. बस पास प्रणाली और जी.पी.एस. सिस्टम को अक्टूबर, 2020 के अन्त तक पूर्णतः लागू किया जाएगा।
4. गुणवत्ता, सुरक्षित विश्ववसनीय, स्वच्छ और सस्ती सार्वजनिक परिवहन प्रदान करके राज्य में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से निर्भया फंड स्कीम भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हाने पर प्रयोजना अनुमोदन तिथि से एक वर्ष के भीतर लागू कर दी जायगी।
5. विभाग ने प्रदुषक तत्वों के नकारात्मक प्रभावों से पर्यावरण की रक्षा के लिए शुन्य उत्सर्जन इलैक्ट्रिक बसों को शुरू किया है।
6. विभाग द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन की 300 बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगा दिए गए हैं तथा अक्टूबर, 2020 तक सभी बसों में सी.सी.टी.वी. लगाने का विभाग का प्रस्ताव है।
7. डयूटी रोटा और अवकाश प्रबंधन के.आई. ओ.एस.के. प्रणालीः–टच स्क्रीन आधारित 24x7 स्टाफ फ्रेंडली के.आई.ओ.एस.के. प्रणाली, जिसमें स्थानीय भाषा इंटरफेस और बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण होता है। वरिष्ठता और परामर्श यार्डस्टिकस पर आधारित स्वचालित डयूटी आंवटन, परिवहन, भ्रष्टाचार मुक्त और स्टीक अवकाश प्रंबधन मई, 2020 तक लागू किया जाएगा।

मुफ्त/रियायती परिवहन सुविधायें

4.61 हरियाणा राज्य परिवहन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत समाज के पात्र लोगों को मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधायें प्रदान कर रहा है, जैसे कि विद्यार्थी, साक्षात्कार के लिये जाने वाले बेरोज़गार युवक, 100 प्रतिशत विकलांग एक सहायक सहित, स्वतन्त्रता सैनानी मान्यता–प्राप्त संवाददाता, विधानसभा/लोकसभा के सदस्य (भूतपूर्व व वर्तमान), पुलिस व जेल कर्मचारी। उपरोक्त में जो अन्य इसमें शामिल हैंः–

- 100 प्रतिशत मूक व बधिर व्यक्तियों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा।
- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मुफ्त यात्रा सुविधा।

- रक्षा बंधन के दिन हरियाणा राज्य परिवहन में महिलाओं व बच्चों को मुफ्त यात्रा सुविधा।
- दिमागी तौर पर 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों मे हरियाणा राज्य के अन्दर एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा।
- हरियाणा राज्य परिवहन के मृतक कर्मचारी की विधवा को मृतक कर्मचारी की सेवा निवृति तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- छात्रों को 10 एकतरफा मासिक किराये की यात्रा सुविधा तथा छात्राओं को 01–01–2014 से मुफ्त यात्रा सुविधा।
- राष्ट्रीय केडिट कोर के कैडिटस को प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिये यात्रा के समय आम किराये में 50 प्रतिशत की छूट।
- हरियाणा राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं व 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष निवासियों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों की पहुंच दूरी तक किराये में 50 प्रतिशत की छूट।
- हरियाणा के नम्बरदारों को एक मास में दो दिन उनके निवास स्थान से गृह जिला मुख्यालय व दस दिन तहसील मुख्यालय तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- पैरालम्पिक्स स्पोर्टस के खिलाड़ियों को ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिये करवाई गई हों, में भाग लेने के लिये मुफ्त यात्रा सुविधा।
- कैन्सर से पीड़ित मरीजों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में उनके घर से कैन्सर संस्था तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- छात्राओं को अपने घरों से प्रशिक्षण संस्थान तक मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है और यात्रा की दूरी सीमा में 60 कि.मी. से 150 कि.मी. तक की बढ़ौतरी कर दी गई है। छात्राओं/महिलाओं के लिए 150 मार्गों पर विशेष बस सेवा प्रारभ्भ की है।
- आपातकाल के दौरान पीड़ित पति/पत्नी को परिवहन विभाग की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है तथा वोल्वो बसों में पति/पत्नी को किराए में 75 प्रतिशत की छूट व विधवा/विदुर पीड़ित होने की अवस्था में एक सहायक सहित यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

तालिका 4.16– पिछले 5 वर्षो के कार्यक्रम/योजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(रूपये लाख में)

वर्ष	योजना/स्कीम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
2014–15	1) भूमि और भवन	3500.00	2756.10	78.75
	2) बेड़े का अधिग्रहण	15250.00	13669.89	89.64
	3) कार्यशाला सुविधायें	50.00	4.57	9.14
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई.सी. में अंश पूंजी	0.00	0.00	0.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	10.00	7.31	73.10
	6) कम्प्यूटरीकरण	100.00	91.50	91.50
2015–16	1) भूमि और भवन	10000.00	9959.47	99.59
	2) बेड़े का अधिग्रहण	2200.00	2192.45	99.66
	3) कार्यशाला सुविधायें	50.00	35.87	71.74
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	10.00	8.45	84.50
	6) कम्प्यूटरीकरण	70.00	69.39	99.13
2016–17	1) भूमि और भवन	11000.00	9258.55	84.17
	2) बेड़े का अधिग्रहण	10000.00	1358.74	13.59
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	81.02	81.02
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	40.00	20.12	50.30
	6) कम्प्यूटरीकरण	200.00	194.85	97.42

2017–18	1) भूमि और भवन	13000.00	12846.04	98.82
	2) बेड़े का अधिग्रहण	12000.00	9571.99	79.77
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	3.83	3.83
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	18.99	37.98
	6) कम्प्यूटरीकरण	200.00	121.61	60.80
2018–19	1) भूमि और भवन	11830.00	7978.46	67.44
	2) बेड़े का अधिग्रहण	2340.00	2216.52	94.72
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	8.32	8.32
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	30.09	60.18
	6) कम्प्यूटरीकरण	200.00	85.30	42.65

स्त्रोतः– परिवहन विभाग, हरियाणा।

परिवहन विभाग की रैगुलेटरी विंग

4.62 परिवहन विभाग के नियामक शाखा (रैगुलेटरी विंग) पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988, सड़क अधिनियम, 2007 तथा हरियाणा मोटर वाहन कर अधिनियम, 2016 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वित्त वर्ष 2018–19 में 2,950 करोड़ रूपये की प्राप्तियों का लक्ष्य रखा गया था जिसके मुकाबले में 2,908 करोड़ रूपये की राशि एकत्रित की गई। चालू वित्त वर्ष 2019–20 में 3,500 करोड़ रूपये की प्राप्तियों का अनुमानित लक्ष्य रखा गया जिसके मुकाबले में दिनांक 31–12–2019 तक 2,110.45 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त की जा चुकी है।

वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 (दिनांक 31–12–2019 तक) के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां अर्जित की गई हैं:–

चालक कौशल में सुधार

4.63 तीन चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आई.डी.टी.आर.) बहादुरगढ़, रोहतक तथा कैथल में संचालित हैं और इसके अतिरिक्त 7 और चालक कौशल खोलने की सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा 22 चालक कौशल पहले ही स्थापित किए हुए है जोकि भारी वाहन ड्राईविंग की ट्रेनिंग प्रदान कर रहे है। इसके अतिरिक्त 247 ड्राईविंग ट्रेनिंग चालक कौशल प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा हल्के मोटर वाहन (गैर परिवहन) हेतू राज्य में चलाए जा रहे है।

सडक पात्रता में सुधार

4.64 मोटर वाहनों में सड़क पात्रता की जांच के लिए 14.41 करोड़ रूपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से रोहतक में स्वाचालित और कम्पयूट्रीकृत मशीनों से सुसज्जित एक निरीक्षण और परीक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र प्रति वर्ष 1.25–1.35 लाख वाहनों की सड़क पात्रता की जांच करने की क्षमता रखता है। इस केन्द्र का संचालन दिनांक 05–04–2017 से किया जा रहा है। अतः केन्द्र ने दिनांक 31–12–2019 तक 28,064 वाहनों को फिटनैस प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके अलावा राज्य में छह और प्रशिक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जोकि पी.पी.पी. मोड पर गुरूग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी, करनाल, अम्बाला में खोले जांऐगे। राज्य में 868 प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्रदूषण कंट्रोल के अन्तर्गत प्राधिकृत किया गया है।

दोपहिया वाहनों तथा कारों के लिए थर्ड पार्टी इन्श्योरैंस अनिवार्य (गैर–परिवहन तथा परिवहन)

4.65 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल के लिए और कारों के लिए तीन साल के लिए (परिवहन तथा गैर–परिवहन) थर्ड पार्टी इन्श्योरैन्स अनिवार्य कर दिया गया है। तदानुसार इस कार्यालय के द्वारा सभी सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों तथा लाईसैंसिंग एवं पंजीकरण अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना करने के लिए लिखा गया है।

होलोग्राम आधारित रंग स्टिकर को लगाना

4.66 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मै0 लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट्स प्रा0 लि0 को होलोग्राम आधारित रंग स्टिकर राज्य के एनसीआर क्षेत्रों में दिनांक 02–10–2018 के बाद पंजीकृत वाहनों पर दिनांक 27–04–2012 को हुए समझौते के नियमों व शर्तों के आधार पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.)

4.67 राज्य में सभी नागरिक सुविधाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतू मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) दिनांक 01–03–2017 से लागू किया गया है।

एकल खिड़की प्रणाली

4.68 राज्य में सभी पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारियों के कार्यालयों में एकल खिड़की प्रणाली दिनांक 14–03–2018 से लागू कर दी है।

4.69 नागरिक सेवाओं में सुधार

- रोड टैक्स का ई–भुगतानः विभाग द्वारा परिवहन वाहनों के रोड टैक्स के भुगतान के लिए वैकल्पिक आधार पर भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ई–पेमैंट की सुविधा शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी रोड की ई–पेमैंट के लिए स्वीकृत किया गया है।
- एस.एम.एस सुविधाः नागरिकों को पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किए गए रोड टैक्स की सूचना एस.एम.एस के माध्यम से दी जाती है।
- डीलर प्वांईट रजिस्ट्रेशनः हरियाणा राज्य में सभी स्थानों पर नए गैर परिवहन वाहनोंके पंजीकरण हेतू ऑन लाईन डीलर प्वांईट सुविधा को शुरू किया जा चुका है।
- पंजीकरण संख्या का क्रम रहित आबंटनः राज्य भर में पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण संख्या का आंबटन कम्पूटरीकृत क्रम रहित आबंटन प्रणाली द्वारा शुरू किया जा चुका है जिससे कार्यालय के कार्य में पारदर्शिता आएगी।
- कम्पयूटरीकरणः राज्य में सभी स्थानों पर इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है। राज्य भर में सभी पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में वाहन एवं सारथी साफटवेयर को लागू किया जा चुका है। सभी पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में फीस व कर की प्राप्तियां कम्पयूटर से जारी की जाती है।
- फाईल ट्रेकिंग सिस्टमः विभाग में फाईल ट्रेकिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है।
- सारथी और वाहन बेव संस्करण 4 का क्रियान्वयनः विभाग में सभी पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी में सारथी संस्करण 1 के स्थान पर सारथी संस्करण 4 को लागू किया जा चुका है जिसके लागू होने से लाइसेंस तथा पंजीकरण संबंधित सभी ऑनलाईन सुविधाएं आम जनता को दी जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी अंतर्राजीय व शहरी वाहन मालिकों को ऑनलाईन टैक्स के भुगतान की सुविधा 01–04–2017 से प्रदान की जा रही है। जिससे अनावश्यक डाटा को हटाए जाने से विभाग के कार्य की स्पष्टता, सटीकता में काफी सुधार हुआ है।
- आधारकार्ड के माध्यम से बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणालीः विभाग में मुख्यालय व सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आधार कार्ड के माध्यम से बायोंमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू कर दी गई है।

सड़क सुरक्षा

4.70 राज्य में वर्ष 2018 में हुई 11,238 दुर्घटनाएं जिन में 5,118 मौते हुई की संख्या वर्ष 2019 में कम होकर 10,944 हुई जिनमें 5,057 मौते हुई। राज्य में सडक सुरक्षा क्लब, स्कूल पाठ्यक्रम, ऑडियो–वीडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पहल की जा रही है। हरियाणा सड़क सुरक्षा कौश नियम 2018 के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 में 31 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की गई है। जिसमें से 10.85 करोड़ रूपये की राशि पुलिस तथा 10 करोड़ पी. डब्लयू.डी. बी. एंड आर. को आबंटित किए गए है इसके अतिरिक्त जिला रोड सेफटी कमेंटियों को उनकी आवश्यकता अनुसार समय–2 पर उपलब्ध कराये जाते है।

प्रवर्तन

4.71 पूरे राज्य में ई–चालान और वाहन और सारथी वेब संस्करण–4 लागू किया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए 22,081 वाहनों का चालान किया गया है और कम्पोजीशन शुल्क 76.24 करोड़ रुपये एकत्रित किये गये है।

पुराने डाटा का डिजिटलीकरण

4.72 पुराने डाटा का डिजिटलीकरण करने की परियोजना मै0 गुजरात इंफोटैक लिमिटेड को दिनांक 03–11–2014 को सौंपी गई है। वैन्डर ने अभी तक पुराने डाटा के स्कैनिंग का काम सभी जिलों में पूरा किया है। लगभग 35 लाख अंतिम प्रविष्टियां प्राधिकारियों को राष्ट्रीय रजिस्टर पर डालने हेतू दी गई है। पुराने डाटा का डिजिटलीकरण के कार्य की शीघ्र पूरा होने की संभावना है।

उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट(एच.एस.आर.पी.)

4.73 केन्द्रीय मोटर वाहन 1989 के नियम 50 के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की योजना शुरू की गई तथा जिसका कार्य लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट्स प्राईवेट लिमिटेड को सौंपा गया था। 27–04–2012 को समझोते पर हस्ताक्षर किये गये तथा प्लेटों के लगाने का कार्य मई 2012 में शुरू हुआ जिसके अंतर्गत दिनांक 31–03–2018 तक नए व पुराने वाहनों पर 32,55,248 डच सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें लगा दी गई। केन्द्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जो 04–12–2018 व 06–12–2018 को जारी की गई उसके अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स 01–04–2019 से ही डीलर द्वारा लगाई जा रही हैं। हालांकि मैसर्स लिक उत्सव को राज्य में पुराने वाहनो पर एच.एस.आर.पी. प्लेंटे लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।

नागरिक विमानन

4.74 सिविल विमानन विभाग, हरियाणा के द्वारा पांच सिविल हवाई पट्टियां पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी तथा नारनौल में हैं। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के दो विमानन् केन्द्र करनाल तथा पिजौंर में स्थित हैं, जिनमें लड़के तथा लड़कियों को फ्लांईग तथा ग्लाईडिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्राईवेट पायलट लाईसैंस, कमर्शियल पायलट लाईसैंस तथा इंस्ट्रक्टर रेटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल 84 लाईसैंस प्रशिक्ष्यु में से 62 प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रकार से पुरस्कृत किया गया जैसे एस पी.एल. (33),पी.पी.एल. (10), सी. पी.एल. (सी) (02), आई.आर. (05), पी.पी.एल. (05), आई.आर. (नवीकरण) (04) तथा ए.एफ.आई. आर. (03)।

***

5

शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

विकास योजना का मुख्य उद्धेश्य मानव विकास या सामाजिक कल्याण में वृद्धि और लोगों की भलाई करना है। विकासशील तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक हैं।

शिक्षा

5.2 हरियाणा सरकार द्वारा आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 तथा हरियाणा आर.टी.ई. नियम 3 जून, 2011 की अधिसूचि के तहत वर्ष 2019–20 के लिए सभी श्रेणियों के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क स्टेशनरी, सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल बैग तथा अन्य गतिविधियां जैसे क्यू.आई.पी. लागू करना, मासिक मूल्यांकन टैस्ट, एल.ई.पी. किताबों की छपाई, स्किल पासबुक, सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड, गणित को प्राथमिक स्तर से प्रोत्साहित करना, भाषा लैब का विकास, स्मार्ट कक्षा कमरा, डिजिटल बोर्ड, सफेद बोर्ड, विज्ञान की किट, सीखने के स्तर का सामान तथा अन्य गतिविधियां जो प्राथमिक स्तर पर ही सीखने के स्तर को बढावा देने के लिए 101 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है। आर.टी.ई. योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा विभाग के लाभ का ब्यौरा **तालिका 5.1** में दिया गया है।

मिड–डे–मील

5.3 मध्याह्न भोजन योजना एक केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय पोषण सम्बन्धित योजना है, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं (पहली से पांचवीं) और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (छठी से आठवीं) के बच्चों को पका हुआ गरम भोजन दिया जाता है। यह योजना राज्य के सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में 15 अगस्त, 2004 को शुरू की गई थी। यह योजना

तालिका 5.1–आर.टी.ई. अधिनियम के तहत प्रदान किये गये लाभ

मद	कक्षाएं	दर प्रति विद्यार्थी (रूपये में)	लाभार्थी (विद्यार्थी)	राशि (करोड़ रूपये में)
सभी श्रेणियों के छात्र – छात्राओं को निःशुल्क वर्दी (कक्षा 1 से 8)	कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 8	800 1000	1445012	126.60
सामान्य वर्ग के बच्चों को मुफ्त स्कूल स्टेशनरी	कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 8	100 150	854486	10.13
सामान्य वर्ग के बच्चों को मुफ्त स्कूल बैग,	कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 8	120 150	854486	11.20
सभी श्रेणियों के छात्र–छात्राओं को स्कूल फीस तथा फण्ड की प्रतिपूर्ति	कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 8	36 94	1445012	8.39

स्त्रोतः मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश 20–04–2004 के अनुपालन में लागू की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति में वृद्धि करके प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। योजना के तहत मुफ्त अनाज (गेहूं/चावल) भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारत के प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाता है। इन अनाजों द्वारा ताजा पका हुआ भोजन बच्चों को उपलब्ध करवाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए मध्याह्न भोजन योजना का बजट 60:40 सी.एस.एस. और राज्य योजना के अनुपात में 37,115 लाख़ रूपये है। यू.डी.आई.एस.ई. (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली) के अनुसार राज्य में कुल 14,398 सरकारी विद्यालय है जिसमें 14,48,024 छात्र नामांकित हैं। सरकारी स्कूलों तथा उनमें नामांकित छात्रों का विस्तृत विवरण **तालिका 5.2 और 5.3** में दिया गया है।

5.4 खाना पकाने की लागत क्रमशः प्राथमिक विद्यालय के छात्रों हेतू 4.48 रूपये और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 6.71 रूपये प्रति छात्र है। इस प्रकार हुए खर्च की लागत केन्द्र तथा राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन की जायेगी। इसके अतिरिक्त रसोईया–सह–सहायक को प्रतिमास 3,500 रूपये मानदेय दिया जा रहा है जिसमें केन्द्र का हिस्सा 600 रूपये तथा राज्य का हिस्सा 2,900 रूपये प्रतिमास है। बजट प्रावधान एवं व्यय **तालिका 5.4** में दिये गये है।

तालिका 5.2–सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों का विवरण

क्रम संख्या	मदें	सरकारी विद्यालय	एन.सी.एल.पी. (फरीदाबाद व गुरूग्राम)*	स्थानीय निकाय (अम्बाला)**	सहायता प्राप्त ***	कुल
1	प्राथमिक (1–5)	8679	57	5	2	8743
2	उच्च प्राथमिक(6–8) जी.एम.एस.	2402	0	0	1	2403
3	माध्यमिक (6–10)	1287	0	0	0	1287
4	उच्च माध्यमिक (6–12)	1965	0	0	0	1965
	कुल	**14333**	**57**	**5**	**3**	**14398**

* एन.सी.एल.पी. (राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना) फरीदाबाद और गुरूग्राम जिलों के विद्यालयों में चल रही है।

**स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित स्कूल अम्बाला जिले में चल रहे हैं।

***वर्तमान में मिड–डे–मील भिवानी जिले के वैश्य प्राईमरी स्कूल जो कि एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है, में प्रदान किया जाता है कुल 198 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है जिनमें 197 स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिया गया है।

तालिका 5.3–सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित छात्रों का विवरण

क्रम संख्या	मदें	विद्यार्थियों की संख्या	एन.सी.एल.पी.	स्थानीय निकाय	सहायता प्राप्त	कुल
1	प्राथमिक	882866	2934	745	259	886804
2	उच्च प्राथमिक	561186	0	0	34	561220
	कुल	**1444052**	**2934**	**745**	**293**	**1448024**

तालिका 5.4–मिड–डे–मील पर बजट प्रावधान एवं व्यय

(लाख रूपये में)

वर्ष	बजट प्रावधान	जारी निधियां	खर्च
2019–20	37115.00	21708.11	17369.02

स्त्रोतः मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

मिड डे मिल व्यंजन सूची में शामिल व्यजंन

5.5 स्कूल प्रमुखों को प्राथमिक कक्षा के बच्चों को न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन वाले 20 व्यंजन और उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों को न्यूनतम 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन वाले 20 व्यंजन विद्यालय दिवसों में वितरण करने के लिए कहा गया है। विद्यालयों द्वारा पकाये हुए भोजन की रेसिपी का विवरण **तालिका 5.5** में दिया गया है।

तालिका 5.5–विद्यालयों द्वारा वितरित व्यंजन

गेंहू आधारित	चावल आधारित	बाजरा आधारित व अन्य
मिसी रोटी और मौसमी सब्जी	पौष्टिक खिचडी	बाजरे के गुलगुले
हलवा और काले चने	राजमा और चावल	बाजरे की पुरी
रोटी और दाल/घिया/कददू/मिक्स वैजिटेबल	कढी पकौडा मिक्स और मौसमी सब्जी और चावल	बाजरे की खिचडी
मीठा दलिया	मीठे चावल	बाजरे के बिस्कुट
गेहूं और सोया पुरी और सफेद चना आलू	सब्जी और पुलाव/काला चना पुलाव	मूंगफली की टिक्की
पौष्टिक दलिया	नारियल चावल पुलाव	
चना उडद/मूंग दाल/साबुत मूंग दाल + रोटी		
चना दाल पराठां/सब्जी का पराठा		
मीठी पुरी और खीर		

स्त्रोतः मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

मीठा फ्लेवरड दूध

5.6 मिड–डे–मील के साथ–साथ हफ्ते में 3 दिन कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को 200 मिली लीटर फ्लेवरड मिल्क दिया जाता है। दूध 5 फ्लेवर यानी वेनिला, कार्डामन, रोज, बटर–स्कॉच और चॉकलेट में दिया जा रहा है। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड के सहयोग से दूध उपलब्ध कराया जा रहा है।

फॉर्टिफाइड आटा

5.7 यह निर्णय लिया गया है कि हैफेड 6 जिलों अम्बाला, कैथल, करनाल, करूक्षेत्र, पंचकूला तथा सोनीपत मे फॉर्टिफॉइड आटे की आपूर्ति करेगा और फॉर्टिफॉइड तेल की सभी जिलों में दिनांक 01–07–2019 से आपूर्ति करेगा। इसके उपरांत हैफेड 01–12–2019 से सभी अन्य जिलों में फॉर्टिफॉइड आटा तथा फॉर्टिफॉइड तेल की आपूर्ति मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत करेगा।

उपलब्धियाँ

5.8 1) हरियाणा सरकार में मिड–डे–मील की योजना के तहत काम करने वाले 29,630 कुक–कम–हैल्पर का मानदेय 2,500 रूपये प्रतिमाह (केन्द्र शेयर 600 रूपये+ राज्य शेयर 1,900 रूपये) से बढ़ाकर 3,500 रूपये (केन्द्र शेयर 600 रूपये + राज्य शेयर 2,900 रूपये) कर दिया गया है।

2) मिड–डे–मील योजना के तहत काम करने वाले कुक सह सहायकों को एक वर्ष में दो वर्दी की अनुमति है, प्रत्येक ड्रेस के लिए 300 रूपये मिलते हैं।

3) मिड–डे–मील योजना के तहत काम करने वाले कुक–सह–सहायकों को छहः महीने का मातृत्व अवकाश (बिना वेतन) दिया जाता है।

4) वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य भर में मिड–डे–मील योजना के तहत लगे 29,630 मे से 9,699 कुक–सह–सहायकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ट्रेनिंग तथा खाने की प्रतिस्पर्धा के लिए 12 लाख रूपये का बजट प्रदान किया गया है।

5) मिड–डे–मील सप्ताह राज्य के 22 जिलों में 25 से 29 नवम्बर, 2019 तक आयोजित किया गया था, जिसके दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल थीः–

- मिड–डे–मील योजना की स्टॉक जाँच।
- रसोई की सफाई।
- रसोईयों का मैडिकल चैकअप।
- एम.डी.एम. के निरीक्षण जैसे स्वास्थ्य विभाग के बुनियादी स्वास्थ्य मुद्दों के साथ समन्वय।
- शौचालयों का निरीक्षण।
- प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स।
- हाथ धोना और
- पेयजल सुविधा की जाँच की गई।

6) मास्टर ट्रेनरों को रिकार्ड, कैशबुक आदि के रख–रखाव पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

7) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा (एन.एच.एम.) के एक विशेषज्ञ द्वारा स्वच्छता और सफाई पर, हैफेड के प्रतिनिधि द्वारा खाद्यान्न के भंडारण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया तथा पोषण के बारे में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के विशेषज्ञ द्वारा गृह विज्ञान के अभिलेखों के रख–रखाव के बारे में व्याखान दिया गया है।

8) संक्रामक रोगों से पीड़ित कुक सह–सहायकों से बचने के लिए साल में दो बार इनकी चिकित्सकीय रूप से निःशुल्क जांच की जाती है।

9) एस.एच.जी. द्वारा नियुक्त रसोईयों, जो ज्यादातर उन बच्चों की माँ हैं, जो उस स्कूल में पढ़ते हैं। उनके द्वारा मिड–डे–मील बनाना और खिलाना एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसने छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समाज के प्रति माता–पिता और शिक्षकों की जवाबदेही को लागू किया है।

10) कुछ स्कूलों में किचन गार्डन भी शुरू किया गया है, एस.एच.जी. के सदस्यों और छात्रों को स्कूलों में उपलब्ध भूमि का प्रभावी ढंग से उपयोग करके सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित किया गया है। यह न केवल इस योजना के स्व–स्थापित बना देगी, बल्कि स्वयं सहायता समूहों और छात्रों के बीच आत्मनिर्भरता की आदत भी पैदा करेगा। वर्तमान में स्कूलों में 2,321 किचन गार्डन हैं।

11) तिथि भोजन महीने के हर तीसरे मंगलवार को छात्राओं के जन्मदिन को संयुक्त रूप से ''बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनन्दन'' के रूप में मनाया जाता है। इस मास में जन्म दिन आने वाली सभी लडकियों को बधाई दी जाती है तथा मध्यान्ह भोजन के दौरान उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। इससे राज्य में गिरते लिंग अनुपात में भी सुधार होंगें।

5.9 छात्रवृति योजनाएं

(i) कक्षा 1 से 8 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एक मुश्त नकद भत्ता योजना–इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को स्टेशनरी का सामान जैसे कि ज्योमैट्री बॉक्स, रंगीन पेंसिल इत्यादि खरीदने के लिए वर्ष में एक बार भत्ता प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019–20 में इस योजना के तहत 6,500 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है तथा लगभग 5,88,850 विद्यार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होगें। आज तक कुल 4,907.20 लाख रुपये खर्च किए गये हैं ।

(ii) कक्षा 1 से 8 बच्चों के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मासिक भत्ता योजना–इस योजना के तहत कक्षा पहली से आठवीं तक के अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को प्रति माह भत्ता दिया जाता है। वर्ष 2019–20 में इस योजना के तहत 15,000 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है तथा लगभग 5,88,850 विद्यार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होंगे। इस स्कीम में आज तक 7,224.79 लाख रूपये खर्च किए गये हैं।

(iii) कक्षा 1 से 8 के बी.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए मासिक भत्ता योजना–अनुसूचित जाति योजना के अनुसार सरकार इस स्कीम के तहत कक्षा पहली से आठवीं तक हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बी.पी.एल. के छात्र/छात्राओं को प्रति माह भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता त्रैमासिक (प्रति माह के आधार पर) दिया जाता है। वर्ष 2019–20 में बी.पी.एल. विद्यार्थियों के लिऐ 700 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है तथा लगभग 3,13,798 विद्यार्थी लाभान्वित होगें। इस योजना में आज तक 204.31 लाख रूपये खर्च किए गये हैं।

(iv) **कक्षा 1 से 8 के बी.सी.–ए विद्यार्थियों के लिए मासिक भत्ता योजना**– अनुसूचित जाति योजना के अनुसार सरकार इस योजना के तहत कक्षा पहली से आठवीं तक हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बी.सी.–ए छात्र/छात्राओं को प्रति माह भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता त्रैमासिक (प्रति माह के आधार पर) दिया जाता है। वर्ष 2019–20 में बी.सी.–ए विद्यार्थियों के लिऐ 6,000 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है तथा लगभग 32,000 विद्यार्थी इस योजना के तहत लाभान्वित होगें। इस योजना में आज तक 2,040.09 लाख रूपये खर्च किए गये हैं।

(v) **उत्कृष्ट शिक्षा प्रोत्साहन मिडल विद्यालयों के लिए राजीव गांधी छात्रवृति–** प्रत्येक विद्यालय की छठी से आठवीं कक्षा में प्रथम स्थान पर आने वाले एक लडके व एक लडकी को 750 रूपये वार्षिक की दर से छात्रवृति प्रदान की जाती है वर्ष 2019–20 के लिऐ 150 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है तथा लगभग 24,000 विद्यार्थी इस योजना के तहत लाभान्वित होगें। इस स्कीम में आज तक 148.86 लाख रूपये खर्च किए गये हैं।

(vi) **कक्षा 6 में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों (लडके व लडकियाँ) को निःशुल्क साईकिल प्रदान करना**–इस योजना के तहत अनुसूचित जाति से संबंधित छठी कक्षा (लड़के और लड़कियों) के छात्रों को साइकिलें वितरित की जाती हैं। वर्ष 2019–20 में इस योजना के तहत 350 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है तथा लगभग 11,600 विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिलें प्रदान की जाएंगी। इस स्कीम में आज तक 334.50 लाख रूपये सभी डी.ई.ई.ओ. को जारी किये गये हैं।

(vii) **निःशुल्क पाठय पुस्तकें–** वर्ष 2019–20 में इस योजना के तहत 1,200 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है तथा लगभग 14,39,332 विद्यार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभन्वित होंगे। वर्ष 2019–20 के दौरान सरकारी विद्यालयों में पढने वाले कक्षा 1 से 8 के सभी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, नये शैक्षिणिक सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में नई पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएंगी जिनमें मुख्य जोर ''गतिविधि आधारित अधिगम'' पर होगा। इस योजना के तहत पूर्ण बजट हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला को उनकी मांग अनुसार स्थानान्तरित कर दिया गया है।

समग्र शिक्षा अभियान

5.10 समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के कार्यन्वयन में सहायता प्रदान करना हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों के लर्निंग ऑउटकम को बढ़ाने तथा शिक्षा के सभी स्तरों पर निष्पक्षता एवं समावेश सुनिश्ति करना है।

संयुक्त विद्यालय अनुदान

5.11 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 14,355 स्कूलों (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक) को स्कूलों के नामांकन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विद्यालय अनुदान प्रदान किया गया जो कुल 5,870.75 लाख रूपये की स्कूल अनुदान राशि प्रदान की गई है। यह अनुदान राशि निम्नलिखित कार्य हेतु प्रदान की गई है:

i) गैर–कार्यात्मक स्कूल उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए और अन्य आवर्ती लागत जैसे उपभोग्य सामाग्रियों, खेल सामग्री, खेल उपकरण, प्रयोगशालाओं, बिजली शुल्क, इंटरनेट, पानी, शिक्षण सहायक सामग्री आदि के लिए।

ii) स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना और स्वच्छ कार्य योजना के तहत गतिविधियां करना।

iii) माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान किट।

पुस्तकालय अनुदान

5.12 एम.एच.आर.डी, भारत सरकार ने 11,075 प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अनुदान के लिए 672.75 लाख रुपये की राशि

और 492 लाख की राशि 3,280 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए पुस्तकालय अनुदान दिए गए। भारत सरकार द्वारा यह पुस्तकें एन.बी.टी., एन.सी.ई.आर.टी. या राज्य सरकार के प्रकाशनों से खरीदने का निर्देश दिया था।

खेल अनुदान

5.13 एम.एच.आर.डी, भारत सरकार ने 8,695 प्राथमिक व 2,380 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 672.75 लाख रूपये और 1,278 माध्यमिक व 2,002 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 820 लाख रूपये की राशि खेल अनुदान के लिए प्रदान की गई।

सिविल कार्य

5.14 प्राथमिक स्तर के विभिन्न बुनियादी ढ़ाचे के हस्तक्षेप के लिये एम.एच.आर.डी., भारत सरकार द्वारा 5,207.1 लाख रूपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई हैं। इसके तहत 202 अतिरिक्त कक्षा कक्ष (कक्षा 8 तक), 3,481 सी.डब्लयू.एस.एन. शौचालय (कक्षा 8 तक), 2,947 रैंप्स व हैंडड्रिल, 22 के.जी.बी.वी. में सोलर पैनल लगाने हेतु अनुमोदित किए गए। माध्यमिक स्तर पर, 144 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 547 आर्किटेक्चर की बाधाओं को हटाने, 500 सोलर पैनल लगाने हेतु 3,084 लाख रूपये तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 399.88 लाख रूपये 47 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण हेतु अनुमोदित किए गए हैं।

निःशुल्क वर्दी

5.15 एम.एच.आर.डी, भारत सरकार द्वारा 6,725.55 लाख रुपये का बजट 11,20,925 बच्चों को जिसमें कक्षा 1 से 8 की सभी लड़कियों, एस. सी. और बी.पी.एल. लड़कों को शामिल किये गये को मुफ्त वर्दी प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया। इसके तहत प्रत्येक बच्चे के लिए 600 रूपये प्रावधान करते हुए सभी योग्य बच्चों को समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार कवर किया गया। वर्दी अनुदान को विद्यार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया।

निःशुल्क पाठय पुस्तकें

5.16 समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार 4,674.81 लाख रुपये की राशि कक्षा 1 से 8 के 15,13,437 छात्रों को मुफ्त पाठय पुस्तकें प्रदान करने के लिए अनुमोदित की गई।

प्रवेश के लिए आउट–ऑफ–स्कूल बच्चों (ओ. ओ.एस.सी.) को आयु के अनुसार विशेष प्रशिक्षण

5.17 597.15 लाख रुपये की राशि 6 महीने के लिए 3,000 रुपये और 12 महीनों के लिए 6,000 रुपये योजना के मानदंडों के अनुसार क्रमशः गैर–आवासीय और आवासीय मोड के माध्यम से 19,705 आउट–ऑफ–स्कूल बच्चों के लिए अनुमोदित की गई।

विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण और बैठकें

5.18 एस.एम.सी. प्रशिक्षण के लिए 332.25 लाख रुपये का बजट प्रति एस.एम.सी. 3,000 रूपये प्रति वर्ष की दर से 11,075 मौलिक एस.एम.सी. सदस्यों और 98.40 लाख रुपये का बजट प्रति एस.एम.सी. 3,000 रूपये प्रतिवर्ष की दर से 3,280 माध्यमिक एस.एम.डी. सी. सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित किया गया था। भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य द्वारा हर तिमाही में एक बार एक ही अधिसूचित तिथि पर एस.एम.सी. बैठकें आयोजित करने का प्रावधान शामिल किया गया। एस.एम.सी. बैठक में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए नामित अभिभावकों को प्रोत्साहन देने के लिए व आयोजित बैठकों के संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट तथा स्कूल की स्थिति को एम.एच.आर.डी. द्वारा विकसित मोबाईल एप पर अपलोड किए गए।

गुणवत्ता हस्तक्षेप

5.19 इस घटक के तहत, 1,712.80 लाख रुपये की राशि 4,66,877 प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक सामग्री, शिक्षण गतिविधियों और पढ़ने एवं भाषा कौशल को बढ़ावा देने वाली अन्य गतिविधियों के लिए मंजूर की गई। माध्यमिक स्तर पर एल.ई.पी./

उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु 570.47 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। एल.ई.पी. का मुख्य उद्देश्य लर्निंग गैप्स की पहचान करना और विद्यार्थियों को विशेष ग्रेड के लिए उपयुक्त कोर सीखने की शर्तों से लैस करना है। इस घटक के तहत कक्षा तीसरी से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए रीडिंग प्रमोशन वीक, मैत्री भाषा दिवस, रिमेडियल टीचिंग, स्पेल–बी वर्तनी प्रतियोगिताओं जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय अविष्कार अभियान

5.20 प्राथमिक स्तर के लिये 202.58 लाख रूपये का परिव्यय और माध्यमिक स्तर के लिये 173.3 लाख रूपये का खर्च राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (आर.ए.ए) के तहत विभिन्न गतिविधियों जैसे उच्च संस्थानों, विज्ञान के कोनों के आयोजन के लिये अनुमोदित किया गया है। शिक्षण मंडलियां, विज्ञान और गणित ओलम्पियाड, विज्ञान और गणित क्लब, विज्ञान और गणित किट, विज्ञान प्रर्दशनी, क्वीज प्रतियोगिताओं/पुस्तक मेलें, राज्य के भीतर और बाहर की एक्सपोजर यात्राओं, वैदिक गणित और गणित मेला, विज्ञान और गणित किट और विभिन्न अन्य गतिविधियां करवाई जाती है जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिये विज्ञान और गणित सीखने का समर्थन करती है।

एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.21 एम.एच.आर.डी, भारत सरकार द्वारा 1,843.38 लाख रुपये का परिव्यय प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित किया गया और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की विभिन्न श्रेणियों के लिए 160.81 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

समावेशी शिक्षा

5.22 प्रारंभिक स्तर पर विभिन्न गतिविधियों (छात्रों को उन्मुख) के आयोजन के लिए 629.57 लाख रुपये की राशि तथा माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 228.86 लाख रुपये की राशि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियों (छात्रों के उन्मुख) के आयोजन के लिए जैसे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन शिविर, सहायता और उपकरणों का वितरण, ब्रेल पुस्तकें और बड़ी प्रिंट पुस्तकें और एस्कॉर्ट भत्ते आदि का प्रावधान करने हेतू प्रदान किया गया।

व्यावसायिक शिक्षा (माध्यमिक)

5.23 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का उद्देश्य शिक्षित और रोजगार पूरक युवाओं को तैयार करना है। स्कूली शिक्षा के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के तहत, कक्षा 9 से 12 तक के अकादमिक विषयों के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाते हैं। यहाँ कक्षा छठी से आठवीं तक के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रावधान भी है। इस घटक के तहत व्यावसायिक कौशल शिक्षा के डिजाइन, वितरण और मूल्यांकन में उद्योग की भागीदारी भी निर्धारित की गई है। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए, एम.एच.आर.डी., भारत सरकार ने 14 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरूआत के लिए 144.29 लाख रुपये (आवर्ती + गैर आवर्ती) के परिव्यय को मंजूरी दी है। इसके अलावा, 1,051 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए 17,447.06 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया।

5.24 गुणवत्ता हस्तक्षेप के तहत

i) **बैगलेस डे–जॉयफुल डेः–** यह राज्य द्वारा छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने और उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है, इसके अलावा उनके व्यकितत्व को बढ़ाने के लिए उन्हें शनिवार को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। छात्र पाठयेतर गतिविधियों जैसे पी.टी., गेम्स, डिबेट, पेंटिंग, क्विज और ड्राइंग आदि में भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य बैग रहित स्कूल बनाना है, जो बच्चों द्वारा ले जाने वाली पुस्तकों के बोझ को कम करता है। 2,975 स्कूलों के लिए 2,082.50 लाख रूपये का प्रावधान बैग रहित जॉयफुल स्कूल प्रोजेक्ट के अतंर्गत बाल

गतिविधियों, पीजनहालस एवं प्लेवे सामग्री इत्यादि के लिये किया गया था।

ii) **ग्रीष्मकालीन स्कूल कार्यक्रम (मौलिक):–** ग्रीष्मकालीन छुट्टी की अवधि को सीखने और मौज–मस्ती के समय में बदलने के लिए राज्य द्वारा समर स्कूल कार्यक्रम तैयार किया गया है। ग्रीष्मकालीन स्कूल कार्यक्रमों में संगीत, नृत्य, कला और शिल्प आदि जैसी कई गतिविधियों को शामिल किया जाता है। छात्र इस दौरान कला उत्सव की तैयारी भी करते हैं। 22 जिलों में बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन स्कूल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 3.96 लाख रुपये का एक परिव्यय अनुमोदित किया गया।

iii) **हुनरः–** राज्य द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को कैरियर के अवसर प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना का प्रस्ताव दिया गया। दिव्यांग छात्रों को कैरियर के अवसर प्रदान करने वाली दो परियोजनाओं के लिए 11 जिलों के लिए पायलट के रूप में 158.29 लाख रुपये का एक परिव्यय अनुमोदित किया गया।

माध्यमिक शिक्षा

5.25 राज्य सरकार को यह अच्छी तरह से विदित है कि 21वीं शताब्दी ज्ञान की शताब्दी के रूप में मानी गई है। शिक्षा ज्ञान की कुंजी है तथा राज्य सरकार ने ''शिक्षा सब के लिए'' वांछित शैक्षिक एवं ढांचागत सुविधाओं और आसानी से पहुंच के साथ बनाने के लिए लगातार गंभीर प्रयास किए हैं।

ई–गर्वनेन्स

5.26 ई–गर्वनेन्स योजना के अन्तर्गत निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद्, जिला प्राथमिक शिक्षा संस्थान, राजकीय प्राथमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान इत्यादि में कम्पयूटरीकरण, स्वचालन, जुड़ाव और नेटवर्क शामिल है। वर्ष के दौरान मुख्य लक्ष्य निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में नया हार्डवेयर लगाना, पुराने हार्डवेयर को बदलना तथा सॉफ्टवेयर का अपडेशन करना है। ई–गर्वनेन्स योजना के अंतर्गत अन्य गतिविधियों में वैबसाईट अपडेशन, पोर्टल व सॉफ्टवेयर का अपडेशन करना तथा लीज लाईन उपलब्ध करवाना शामिल है। नेटवर्किंग, सांख्यिकीय आंकड़ों के अपडेशन तथा निदेशालय के कर्मचारियों को कम्पयूटर शिक्षा प्रदान करने से निदेशालय की कार्यकुशलता में काफी सुधार हुआ है।

- राज्य सरकार के निर्णय अनुसार सभी जिलों के डिजीटल भुगतान के लिए डिजीटल वाउचर (जो पहले हाथ से हस्ताक्षर किये जाते थे) को लागू करने के लिए राज्य के सभी मुख्यालय तथा क्षेत्रीय दफतरों के सभी डी.डी.ओ. को डिजीटल सिग्नेचर फॉर फलाईंग बुकिंग ई–टोकन प्रदान किए गए है।
- मुख्यालय एस.सी.ई.आर.टी. तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी के दफतरों में एच.डी. वीडियों कान्फ्रेसिंग प्रणाली को स्थापित किया गया है।
- निदेशालय तथा प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी व खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में कम्पयूटर, प्रिन्टर व यू.पी.एस. लगाये गए। निदेशालय में कार्यरत तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अमले को समय–2 पर कम्पयूटर के बारे में ट्रेनिंग दी गई है।
- डी.आई.ई.टी., महेन्द्रगढ़ में स्मार्ट क्लास रूम प्रोजेक्ट हेतु ईंटरनेट लीज लाईन प्रदान की गई और डी.आई.ई.टी., गुरूग्राम में स्मार्ट क्लास रूम प्रोजेक्ट हेतु उच्च सुरक्षित सी.आई.एस.सी.ओ. अनुमार्गक लगाये गये।
- इंटरनेट लीज लाईन की मरम्मत और नवीनीकरण करवाई गई।

विस्तृत कम्पयूटर शिक्षा प्रणाली (आई.सी.टी.)

5.27 यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना 60:40 के अनुपात में केन्द्र व राज्य द्वारा पोषित है। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार विभाग ने कम्पयूटर फैकेल्टी को 15,000 रूपये व

प्रयोगशाला सहायकों को 9,000 प्रति माह का मानदेय देने के लिए अप्रैल, 2019 से जून, 2020 तक वर्क आर्डर आधार पर लगाया गया है। कुल 3,117 कम्पयूटर लैब है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 में 7,400 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई और वित्त विभाग ने अभी तक 5,246.68 लाख रूपये जारी किए है। विभाग द्वारा 3,438.94 लाख रूपये कम्पयूटर फैकेल्टी व लैब सहायकों के वेतन पर खर्च किए गए व 44.66 लाख रूपये, एस.ए.एन. मीडिया लिमिटेड, चेन्नई को उनका बकाया भुगतान किया गया है। बजट आबंटन तथा व्यय का विस्तृत विवरण **तालिका 5.6** में दिया गया है।

आरोही विद्यालय

5.28 भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर वित्त वर्ष 2011–12 में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों में आरोही मॉडल स्कूलों को खोलने की योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े हुए खण्डों के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा 75:25 के अनुपात में चलाई जा रही हैं। परन्तु वित्त वर्ष 2015–16 में यह योजना भारत सरकार से डी–लिंक होने के कारण राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस वित्त वर्ष 2019–20 के लिए राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए 54.30 करोड़ रूपये का बजट उपलब्ध करवाया गया है।

तालिका 5.6–विस्तृत शिक्षा प्रणाली (आई.सी.टी.) के अंतर्गत बजट आबंटन एवं व्यय

(लाख रूपये में)

वर्ष	आबंटन	व्यय	प्रतिशत उपलब्धियां
2014–15	956.43	243.87	25.50
2015–16	11514.00	9147.95	79.45
2016–17	2698.00	970.28	35.96
2017–18	3447.28	3379.61	98.04
2018–19	4800.00	3808.39	79.34
2019–20 (20–11–2019 तक)	7400.00	3483.60	47.07

स्त्रोतः माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

5.29 अध्यापक शिक्षा

तालिका 5.7–अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अतंर्गत वर्ष 2018–19 की योजनावार लक्ष्य तथा उपलब्धियां।

योजना का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियां	
"2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 105-शिक्षक प्रशिक्षण	**भौतिक**	**वित्तीय (लाख रूपये में)**	**भौतिक**	**वित्तीय (लाख रूपये में)**
जिला/राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी/मेलों का आयोजन	3	40.00	2	18.80
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	21	6250.00	21	5891.18
खण्ड शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (बाईट) की स्थापना	2	150.00	2	103.75
एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा गुरूग्राम की सुदृढता	1	30.00	1	24.39
एक स्वायत्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान झज्जर की स्थापना	1	1300.00	1	1133.43
सेवा में अध्यापकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण (माध्यमिक)	12000 टीचर्स	60.00	8040 टीचर्स	40.07
जुनियर बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटस (गैटी)	2	290.00	2	196.76
राज्य परिषद् शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण (एस.सी.ई.आर.टी)	1	739.10	1	739.10
कुल		**8859.10**		**8147.48**

स्त्रोतः माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

5.30 प्रोत्साहन योजना

तालिका 5.8– प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 की योजनावार लक्ष्य तथा उनकी उपलब्धियां

योजना का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये में)	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये में)
i) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए राजीव गांधी पुरस्कार योजना	17664	160.00	13789	137.87
ii) पंजाबी दूसरी भाषा	32	0.53	24	0.22
iii) हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृति योजना	1178	25.00	673	12.03
iv) कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना	250978	3100.00	196412	2847.96
v) कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं को मासिक छात्रवृति योजना	419169	7000.00	367924	6925.56
vi) नैशनल टैलेंट सर्च छात्रवृति योजना	27843	14.00	27843	13.56
vii) नैशनल–मीन्स–कम मैरिट छात्रवृति योजना।	12138	6.00	12138	5.92
viii) कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे बी.पी.एल. वर्ग के छात्रों/छात्राओं को मासिक छात्रवृति योजना	36245	500.00	29851	427.25
ix) कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे बी.सी.–ए वर्ग के छात्रों/छात्राओं को मासिक छात्रवृति योजना	226224	2500.00	183705	2490.22
x) स्वतन्त्रता सेनानियों के पौत्र–पौत्रियों एवं दौहता–दौहतियों को प्रोत्साहन देना	86	2.00	70	1.49
xi) कक्षा 9वीं से 11वीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं को मुफ्त साईकिलें उपलब्ध करवाना।	32000	400.00	18641	443.65
xii) मुफ्त लैपटाप प्रदान करना।	500	200.00	–	–
कुल		**13907.53**		**13305.73**

स्त्रोतः माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

5.31 बुक बैंक एवं खेल कूद

तालिका 5.9–बुक बैंक तथा खेल कूद की वर्ष 2018–19 के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

योजना का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये में)	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये में)
i) बुक बैंक/पुस्तकालय	3256 विद्यालय	240.00	3028 विद्यालय	223.08
ii) खेल और उपकरणों के प्रावधान तथा स्कूलों में खेल के मैदान का विकास	3256 विद्यालय	200.00	3223 विद्यालय	198.51
कुल		**440.00**		**421.59**

स्त्रोतः माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

उच्चतर शिक्षा

5.32 हमारे युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सेवा योग्य बनाना, राज्य सरकार का एक प्रमुख रुझान है। राज्य में उच्च शिक्षा प्रणाली ने हाल के वर्षो में प्रभावशाली वृद्धि देखी है और यह प्रवृति अगले वित्तीय वर्ष के दौरान जारी रहने के आसार है। उच्चत्तर शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा में क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने के लिए कई उपाय किये है। उच्च शिक्षा में प्रवेश, गुणवत्ता, निष्पक्षता और स्थिरता मार्गदर्शक सिद्वांत है, जिस पर राज्य सरकार का दृष्टिकोण आधारित है। हरियाणा मे उच्च शिक्षा

का दृष्टिकोण राज्य की मानव संसाधन क्षमता को निष्पक्षता और समावेशन के साथ पूर्ण रुप से महसूस करना है।

5.33 इस वर्ष के दौरान राजकीय महाविद्यालय फारुख नगर (गुरुग्राम), राजकीय कन्या महाविद्यालय, सैक्टर–52, (गुरुग्राम), राजकीय कन्या महाविद्यालय, पिल्लुखेडा (जीन्द), राजकीय महिला महाविद्यालय, घरौंडा (करनाल), राजकीय कन्या महाविद्यालय, बस्तली, (करनाल), राजकीय महाविद्यालय, बिस्सर अकबरपुर (नूंह), राजकीय कन्या महाविद्यालय, मोहाना (सोनीपत), राजकीय महाविद्यालय, सरस्वती नगर, (युमनानगर) नामक 8 नए राजकीय महाविद्यालय शुरु किए गये है।

5.34 कुल 157 राजकीय महाविद्यालयों में से 69 महाविद्यालय विशेष रुप से लड़कियों के लिए है। विभाग लड़कियों के लिए विशेष रुप से अधिक राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए प्रतिबद्व है ताकि उच्चतर शिक्षा अधिक से अधिक लड़कियों की पहुंच तक सुनिश्चित की जा सके। सरकारी सहायता प्राप्त 97 महाविद्यालय निजी तौर पर संचालित है जिनमे से 35 कॉलेज लड़कियों के लिए है।

5.35 उच्चतर शिक्षा विभाग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लैंगिक संवेदनशील वातावरण बनाना चाहता है। हरियाणा सरकार ने सरकार स्वामित्व वाली और संचालित डिग्री कॉलेजों और राज्य विश्वविद्यालयों के विस्तृत ढांचे के निर्माण में भारी संसाधनों का निवेश किया है साथ ही हमारे सामयिक और सक्रिय हस्तक्षेप ने निजी क्षेत्र को नागरिकों में शिक्षा फैलाने में सहयोग देने के लिए साझेदारी के लिए प्रोत्साहित किया है। राज्य के सभी कोनों में सभी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई।

5.36 उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के सभी राजकीय, अराजकीय सहायता प्राप्त एवं स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों में ऑनलाईन दाखिले किए गये। शैक्षणिक सत्र 2019–20 में 1,56,697 नए दाखिले किए गये। राज्य सरकार का ध्यान डिग्री कॉलेजों मे पढ़ाई करने वाले छात्रो की नियुक्तियों मे वृद्वि करने के लिए पूरी तरह केन्द्रित है। इसके अलावा विद्यार्थियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है।

तकनीकी शिक्षा

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.)

5.37 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना गांव किलोहड जिला सोनीपत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है, जिसकी अतिथि कक्षाएं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के परिसर में शैक्षिक सत्र 2014–15 से शुरू की गई थी। शैक्षिक सत्र 2019–20 से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रथम वर्ष की कक्षाएं राजीव गांधी एजूकेशन सिटी सोनीपत (आई.आई.टी., दिल्ली की का एक्सटैंशन कैम्पस) में शुरू की गई है। संस्थान की चार दीवारी का निमार्ण कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)

5.38 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान सैक्टर–23, पंचकुला कपड़ा मन्त्रालय, भारत सरकार के सहयोग से स्थापना की जा रही हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के अस्थाई परिसर (राजकीय बहुतकनीकी सैक्टर 26, पंचकूला के भवन) में अल्प अवधि कोर्स अगस्त, 2019 से शुरू किए गए है।

असेवित/अल्पसेवित जिलों में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान की स्थापना

5.39 एम.एच.आर.डी.,भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 में इस योजना के तहत

7 पॉलिटेक्निक अनुमोदित किए गए थे, जिनमें से 6 पॉलिटेक्निक को 2016 तक कार्यात्मक बना दिया गया है। पंचकुला जिले के नानकपुर (पिंजौर) मे 7वी पॉलिटेक्निक का निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है जो 2018–19 से कार्यात्मक है। इस योजना के तहत धन/अनुदान राशि 12.30 करोड रूपये (निर्माण कार्य के लिए 8 करोड़ रूपये और मशीनरी और उपकरण आदि के लिए 4.30 करोड़ रूपये) प्रत्येक पॉलिटेक्निक के लिए एम.एच.आर.डी. भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने हैं। इस योजना के अन्तर्गत भारत की एम.एच.आर.डी. द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता से ज्यादा धनराशि राज्य द्वारा प्रदान की जायेगी।

मौजूदा बहुतकनीकियों का उन्नयन/आधुनिकीकरण

5.40 इस सम्बन्ध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि 12 सरकारी बहुतकनीकियों को एम.एच.आर.डी./एम.एस.डी.ई. की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मौजूदा बहुतकनीकियों का अपग्रेडेशन नाम से कवर किया गया है, जिसमें एम.एच.आर.डी. द्वारा 200 लाख रूपये प्रति बहुतकनीकियों की प्रयोगशाला एंव कार्यशाला को अपग्रेड करने के लिए मशीनों एवं उपकरणों तथा कम्पयूटर सिस्टम आदि की खरीद के लिए रखा गया है। एम.एच.आर.डी. की तकनीकी समिति ने वर्ष 2014–15 में 12 बहुतकनीकियों के लिए 2,235 लाख रूपये अनुमोदित किये थे। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया जाता हैं कि एम.एच.आर.डी../एम.एस.डी.ई. ने अब तक 1,631 लाख रूपये जारी किये है। जिसमें से लगभग 700 लाख रूपये खर्च हो चुके है और बकाया राशि को डी.जी.एस. तथा डी., हरियाणा द्वारा मशीनों एवं उपकरणों की खरीद हेतू उपयोग किया जायेगा।

अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति

5.41 यह एस.सी.एस.पी. घटक के तहत कवर की गई राज्य सरकार की योजना है। लाईब्रेरी में पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें खरीदी जाती है और एस.सी. छात्रों को मुफ्त किताबें प्रदान की जाती है। वर्ष 2019–20 में इस योजना के तहत 100 लाख रूपये का बजट प्रावधान है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कम्पयूटर लैब्स की स्थापना

5.42 यह एस.सी.एस.पी. घटक के तहत कवर की गई राज्य सरकार की योजना है। वर्ष 2019–20 में इस योजना के तहत 100 लाख रूपये का बजट प्रावधान है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों के आई.टी. कौशल में सुधार के लिए कम्पयूटर लैब स्थापित करने के लिए कम्पयूटर सिस्टम और सम्बन्धित वस्तुओं की खरीद की जाती है।

समेकित कौशल विकास योजना (आई.एस.डी.एस.)

5.43 विभाग द्वारा समेकित कौशल विकास योजना कियान्वित की गई है। प्रशिक्षण की कुल लागत भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 75.25 के अनुपात में है। एन.एस.डी.सी. के सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा पानीपत, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, गुरूग्राम, अम्बाला तथा रोहतक में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए। इस योजना के अन्तर्गत 11,733 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण 31–03–2017 को पूरा हो गया है।

बहुतकनीकी माध्यम से समुदायिक विकास योजना (सी.डी.टी.पी.)

5.44 वर्तमान में 16 राजकीय/सरकारी सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुओं को विभिन्न ट्रेडस में 3 से 6 मास का अल्पावधि मॉडयूलर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इनमें हरियाणा की 15 जिलों में स्थापित कौशल केन्द्र भी शामिल है। यह एक शत–प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषित योजना है। वर्ष 2018–19 में 4,061 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम फेज–II

5.45 भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवता सुधार कार्यक्रम चरण–II केन्द प्रायोजित स्कीम थी। इसका मुख्य उद्देश्य

वर्तमान में इंजीनियरिंग शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार व गुणवता को बढ़ावा देना था। तकनीकी शिक्षा गुणवता सुधार कार्यक्रम चरण–II दिंनाक 06–08–2010 से लागू किया गया और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के परियोजना कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) की दिशा निर्देशों अनुसार लागू किया गया ।

5.46 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) की राष्ट्रीय संचालन समिति की सिफारिश एवं अनुमोदन के आधार पर इस परियोजना के सब कम्पोनेंट 1.1 एवं 1.2 के अर्न्तगत, हरियाणा राज्य से, निम्न 6 संस्थाएं प्रतियोगिता स्वरूप चयनित की गईः–

- विश्वविद्यालय इंस्टीच्यूट ऑफ इंन्जीनियरिंग एवं टैक्नोलोजी, कुरूक्षेत्र विश्विद्यालय, कुरूक्षेत्र (राजकीय संस्थान)।
- विश्वविद्यालय इंस्टीच्यूट ऑफ इंन्जीनियरिंग एंव टैक्नोलोजी, महाऋषि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (राजकीय संस्थान)।
- एन.सी. कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसराना (पानीपत) (प्राईवेट संस्थान)।
- फैक्लटी ऑफ सांईस, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र।
- फैक्लटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी, दीनबन्धु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एवं टैक्नोलोजी, मुरथल (सोनीपत)।
- फैक्लटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी, गुरू जम्मेशवर यूनिवर्सिटी ऑफ सांईस एवं टैक्नोलोजी, हिसार।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति

5.47 इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों को टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। स्कीम के अन्तर्गत डिप्लोमा के छात्रों के लिए वास्तविक टयूशन फीस या 20,000 रूपये जो भी कम हो तथा डिग्री (यू.जी./पी.जी.) छात्रों के लिए वास्तविक टयूशन फीस या 40,000 रूपये जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति उन छात्रों को की जाती है, जिनके अविभावकों की सभी साधनों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से 3.50 लाख रूपयें के बीच हो, हरियाणा निवासी हो और उन छात्रों का प्रवेश राज्य स्तर पर की गई काउंसलिंग के माध्यम से हुआ है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राज्य परिवहन सुविधाएं/ट्रेन पास की प्रतिपूर्ति

5.48 इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के वे छात्र ही लाभ के पात्र हैं जो तकनीकी पाठयक्रम के डिप्लोमा/यू.जी./पी.जी. स्तर के छात्र हैं तथा जिनके पास आधार/यू.आई.डी. नम्बर हैं। कैंपस, हॉस्टल में रहने वाले अनुसूचित जाति के छात्र इस योजना के लाभ के लिए पात्र नही होगें।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण

5.49 औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में 172 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (139 सह–शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 33 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान), 246 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों, के माध्यम से 1,01,381 विद्यार्थियों (राजकीय आई.टी.आई./आई.टी.आई.(महिला)– (69,541) + (निजी आई.टी.आई.–31,840) को हरियाणा राज्य में सर्टिफिकेट कोर्स हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन संस्थानों ने न केवल उद्योगों में कुशल शिल्पकार की आपूर्ति की है बल्कि स्व–रोजगार के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत किया है।

5.50 वित्त वर्ष 2019–20 में 172 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 74,040 सीटों की क्षमता के साथ चल रहे है। जिनमें 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए तथा शेष संस्थानों में सहशिक्षा है। इसमें से 30 प्रतिशत सीटें सभी व्यवसायों में लडकियों के लिए आरक्षित है। 246 प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी कार्य कर रहे हैं, जिनमें 47,216 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला

प्रशिक्षणार्थियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।

5.51 प्रशिक्षार्णिथियों के लिए प्रशिक्षण कार्य को अधिक उपयोगी बनाने के लिये 51 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अपग्रेडेशन हेतू 29 औद्योगिक भागीदारों द्वारा अंगीकृत किया गया है। इन संस्थानों के संचालन, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय स्वायत्ता प्रदान करने के लिये 71 सोसाईटियों का गठन किया गया, जिसमें 78 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल किये गये है।

5.52 सरकारी आई.टी.ओ.टी., रोहतक ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है तथा अगस्त, 2015 में इस संस्थान में 3 ट्रेडस के दाखिले हुये है। इस संस्थान की कुल क्षमता 120+120=240 (प्रति समैस्टर 120) है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत करवाया जाता है कि विश्व बैंक द्वारा आई.टी.ओ.टी. स्थापित करने के लिए प्रदान की गई सारी राशि प्रयोग कर ली गई है और अब यह संस्थान राज्य सरकार के अधीन चल रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

5.53 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया और इस के स्तम्भों के विजन के अनुरूप विभिन्न आईटी पहलों को शुरू किया जा रहा है। ई–गवर्नेंस के लिए विभाग का प्रमुख कार्य आईटी पहल के लिए फण्ड सोसाईटी है। हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन), हरियाणा नॉलेज निगम लिमिटेड (एच.के.सी.एल.) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) हरियाणा में डिजिटल इंडिया और इस के स्तम्भों के विजन को साकार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। आईटी प्रोफेशनलज का एक विशेषज्ञ काडर बनाया गया है और राज्य में विभाग/संगठन स्तर पर आयोजन, डिजाईन, क्रियान्वयन और आईटी पहलों के व्यापक प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करने के लिए इसे स्थापित किया गया है।

विभाग की महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं

5.54 स्टेट डाटा सेन्टर (एस.डी.सी.): हरियाणा में स्टेट डाटा सेंटर (एस.डी.सी.) की स्थापना अगस्त, 2012 में की गई थी और यह साझा पर्यावरण आवेदन आयोजित करने के साथ–साथ संकलन पर्यावरण के संदर्भ में राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों के लिए सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में विभिन्न विभागों/संगठनों और ई–जिला परियोजनाओं के 62 आवेदनों को डाटा सेंटर पर स्थापित किया गया है।

5.55 स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान): वर्ष 2007 में डाटा ट्रांसफर, वीडियो इत्यादि के लिए वर्टीकल रूप से सभी जिला मुख्यालयों, हरियाणा सिविल सचिवालय और हरियाणा भवन, नई दिल्ली, सभी खण्डों, उप–मंडलों, तहसीलों, उप–तहसीलों को राज्य मुख्यालय के साथ जोड़कर राज्य में स्वान लागू किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के कार्यालयों को इस नेटवर्क पर होरिजोन्टली जोड़ा गया। स्वान राज्य में पूरी तरह से संचालित है और इसका उपयोग जिला और विभाग स्तर पर अन्तर–विभागीय डाटा हस्तांतरण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचालन के लिए किया जा रहा है। जनवरी, 2015 से मैसर्स रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस नेटवर्क के संचालन का प्रबंधन कर रहा है। अब तक 143 साइटों के लिए शतप्रतिशत कनेक्टिविटी और विभागों के 1,134 होरीजोंटल साइटस के लिए 92 प्रतिशत सक्रिय अवधि हासिल की गई है। वर्टिकल साइटों के लिए सकल संयोजक्ता बी.एन.एम.सी. सहित बिंदु दर बिंदु लिंक से बढ़ कर एम.पी.एल.एस. हुई है।

5.56 भारत नेटः भारत नेट परियोजना का उद्देश्य खण्ड स्तर पर मध्यवर्ती फाइबर बिंदु से ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का विस्तार करके देश की सभी

2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस उद्देश्य के लिए स्थापित स्पेशल पर्पज वहिकल (एस.पी.वी.) जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी.बी.एन.एल.) के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से संचार विभाग द्वारा इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में भारत नेट परियोजना के तहत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड/भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा हरियाणा राज्य की 6,188 ग्राम पंचायतों को सेवाओं के लिए तैयार घोषित किया गया है।

5.57 रूरल वाई–फाई होटस्पोट्सः तृतीय स्तम्भ, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम के तहत सी.एस.सी., एस.पी.वी. भारत सरकार के माध्यम से भारतनेट सक्षम ग्राम पंचायतों में ग्रामीण वाई–फाई हॉटस्पॉट्स प्रदान किया जा रहा है। हरियाणा राज्य में 25–10–2017 को निर्णय लिया गया कि चरणबद्ध तरीके से 1,000 भारतनेट सक्षम ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रदान की जाएगी। वर्तमान में 10 जिलों की 928 भारतनेट सक्षम ग्राम पंचायतों को वाई–फाई सक्षम बनाया गया है।

5.58 पब्लिक वाई–फाई होटस्पोट्सः नौवें स्तम्भ अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम ''पब्लिक वाई–फाई होटस्पोट्स'' है। इस कार्यक्रम के तहत भारत में एक मिलियन पर्यटक स्थलों पर सार्वजनिक वाई–फाई होटस्पोट्स स्थापित किये जाने हैं। 18–11–2016 को निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक तौर पर जनहित/पर्यटन के 105 स्थलों (21 जिलों में 5–5 स्थलों) पर वाई–फाई होटस्पोट्स प्रदान किए जाएंगे। इस समय यह सुविधा 20 जिलों में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक महत्व के 76 स्थानों पर प्रदान की गई है।

5.59 अटल सेवा केंद्र (ए.एस.के.): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत साझा सेवा केंद्र (सी.एस.सी) योजना एक मिशन मोड परियोजना है। हरियाणा में साझा सेवा केंद्र को अटल सेवा केंद्रों के रूप में जाना जाता है। ये अटल सेवा केंद्र देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को बी 2 सी सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण योजनाएं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय, शिक्षा और कृषि सम्बधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पहुंच केन्द्र हैं। यह देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता सम्बधी सेवाएं प्रदान करने का एक अखिल भारतीय नेटवर्क है। इस प्रकार यह सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल रूप से समावेशी समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। वर्तमान में हरियाणा राज्य में 16,141 अटल सेवा केंद्रों (ग्रामीण क्षेत्रों में 10,930 और शहरी क्षेत्रों में 5,211) को पंजीकृत किया गया हैं, जिनमें से 11,500 सेवा केंद्र कार्य कर रहे है।

5.60 डिजिटल लॉकर एकीकरणः डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत डिजिटल रूप से दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने व सत्यापन करने का एक मंच प्रदान करने हेतू राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस डिवीजन (एन.ई.जी.डी.), इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.), भारत सरकार की एक पहल है इस प्रकार यह पेपरलेस शासन को सक्षम बनाता है। डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म जारीकर्त्ता, अनुरोधकर्त्ता, दस्तावेज के सत्यापनकर्त्ता और नागरिकों को एकल प्लेटफार्म पर लाता है और जारी किए गए दस्तावेजों की शुद्धता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है। हरियाणा सरकार नागरिकों के लिए पेपरलेस, कैशलेस और फेसलेस शासन को लक्षित कर रही है और राज्य भर में डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और सर्टिफिकेटस को जारी करने व सत्यापन करने के लिए डिजी लॉकर प्लेटफार्म को लागू करने की इच्छुक है। इस प्रकार हरियाणा राज्य में बड़े पैमाने पर वास्तविक रूप में दस्तावेजों के उपयोग को समाप्त कर कागज रहित शासन को बढ़ावा दे रहा है। इस समय 7 विभागों की प्रमाणपत्र आधारित 19 सेवाओं को भारत सरकार के डिजीलॉकर प्लेटफार्म के माध्यम से उपलब्ध

कराया गया है। हाल ही में राज्य के सभी विभागों में नागरिकों के लिए सभी दस्तावेजों को डिजीलॉकर पर जारी करने की अधिसूचना जारी की है।

5.61 त्वरित मूल्यांकन प्रणालीः इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.ई.आई.टी.वाई.), भारत सरकार के नैशनल ई–गवर्नेंस डिवीजन (एन.ई.जी.डी.), ने सरकार द्वारा एस.एम.एस., वेब, मोबाईल एप्प इत्यादि के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं के बारे में यूजर–नागरिक से फीडबैक लेने के लिए त्वरित आकलन प्रणाली (आर.ए.एस.), जोकि एक स्वचालित प्रणाली है, विकसित की है। देश भर में सरकारों द्वारा प्रदान की गई ई–सेवाओं पर नागरिकों से फीडबैक लेने के लिए आर.ए.एस. ऑनलाइन मैकेनिज्म प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह फीडबैक का विश्लेषण करने और उसमें से ज्ञान उत्पन्न करने की सुविधा प्रदान करता है, इससे सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने में यूजर्स/नागरिकों के अनुभवों को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। वर्तमान में हरियाणा में 33 विभागों की 390 सेवाओं को आर.ए.एस के साथ एकीकृत किया गया है। ताकि इन सेवाओं के एकीकरण से हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर रहे। इसके अतिरिक्त आर.ए.एस–आई.वी.आर.एस.,(एकीकृत अविकसित प्रतिक्रिया प्रणाली) का एकीकरण गो–लाइव के अंतिम स्तर पर है, जहां बाहर जाने वाली कॉल को फीडबैक लेने और फीडबैक प्रतिशतता बढ़ाने के लिए इस प्रणाली से शुरू किया जाएगा।

5.62 कैशलेस हरियाणाः डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और कैशलेस सोसाइटी की ओर बढ़ने के लिए भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप, हरियाणा में भी राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हरियाणा में, एक समेकित पोर्टल की आवश्यकता महसूस की गई जहां पर पूरे राज्य में किए जा रहे लेन–देन को समेकित और एकत्रित किया गया हो। इस प्रकार, इस पहल की परिकल्पना की गई और राज्य में डिजिटल अदायगी लेनदेन के विभिन्न तरीकों की प्रगति की निगरानी करने के लिए एकीकृत निगरानी उपकरण यानी "हरियाणा कैशलेस समेकित पोर्टल (एच.सी.सी.पी.)" विकसित किया गया। राज्य सरकार का उद्देश्य भारत सरकार की पहल के अनुरूप डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और पारदर्शी व कैशलेस समाज की ओर बढ़ना, प्रदेश में कैशलेस समाज यानि (धीरे–धीरे कैशलेस की ओर बढ़ने) की उपलब्धि हासिल करना है। इस समय सी.एस.सी, वी.एल.ई. द्वारा 4.3 लाख से अधिक व्यापारियों को भीम (बी.एच.आई.एम.) पर पंजीकृत किया गया है और 267 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं। अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इसी पोर्टल का अनुकरण किया गया है। वर्तमान में डिजिटल भुगतान लेनदेन में हरियाणा प्रति व्यक्ति आधार पर राज्यों में दूसरे स्थान पर है।

5.63 आधार नामांकनः वर्ष 2015 की जनसंख्या के आधार पर नामांकन परिपूर्णता 103.8 प्रतिशत के साथ देश में राज्य दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के आधार कवरेज 108.4 प्रतिशत के साथ हरियाणा पहले स्थान पर है।

5.64 सरलः डिजिटल इंडिया के फैसलेस, पैपरलेस और कैशलेस सेवा/योजना के विजन से जुड़े डिलीवरी मॉडल, अंत्योदय–सरल का उद्देश्य हरियाणा में 550 से अधिक सेवाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में बदलाव लाना है। अंत्योदय–सरल प्रदेशभर में सरकार से नागरिक (जी.2सी.) सेवाएं/योजनाएं प्रदान करना व उन्हें ट्रैक करने के लिए एकीकृत मंच है। वर्तमान में हरियाणा में सरल पोर्टल के माध्यम से 38 विभागों/बोर्डों/निगमों से संबंधित कुल 550 राज्य सरकार से नागरिक (जी.2सी.) सेवाएँ/योजनाएँ प्रदान की जा रही हैं।

5.65 इन्क्यूबेशन सेंटरः हरियाणा सरकार विभिन्न योजनाओं में वित्तीय लाभों के रूप में आवश्यक सहायता और उद्योग स्थापित

करने के लिए मंच प्रदान करके युवा पेशेवरों में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति मन में बैठाने की ओर कार्य कर रही है। इस दिशा में कुल 1,20,000 वर्ग फीट क्षेत्र पर हारट्रोन मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर (एच.एम.एस.डी.सी.) स्थापित किये गए है, जिसमें प्रदेश में नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेटरस को संचालित किया गया है। स्टार्ट–अप हरियाणा की भूमिका के रूप में हारट्रोन इन्क्यूबैशन और स्टार्ट–अप वेयरहाउस को गुरुग्राम में 45 से अधिक स्टार्ट–अप (30 प्रतिशत महिला उद्यमियों के साथ) तीन परिचालन इन्क्यूबेटरस नामतः आई.ए.एम.ए.आई 10 एक्स, एन.ए.एस.एस.सी.ओ. एम. 10 के स्टार्ट–अप्स और सी.ओ.ई.–आई.ओ. टी. के साथ स्थापित किया गया है। इसी वेयरहाउस में अन्य इन्क्यूबेटरस नामतः यू.एन.टी.आई.एल. (यूनाइटेड नेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब) स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों में सात इन्क्यूबेटरस सेंटरस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कार्य के लिए 4 विश्वविद्यालयों को फंड हस्तांतरित किया गया है।

5.66 ई–ऑफिस परियोजनाः इस परियोजना में हरियाणा सरकार के सभी विभागों में फाइलों और दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक आवाजाही शामिल है। इसमें विभाग से संबंधित परिपत्रों और अधिसूचनाओं के प्रकाशन के लिए प्रत्येक विभाग के लिए पोर्टल बनाने का कार्य भी शामिल होता है। यह ई–लीव, ई–टूर, ई–वेतन सहित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली को भी कवर करती है प्रदेश के 14 विभागों के कुछ कार्यालयों में पायलट आधार पर ई–ऑफिस लागू किया जा रहा है। ई–लीव, ई–टूर को हरियाणा के मुख्य सचिव और 38 अतिरिक्त मुख्य सचिवों के कार्यालयों के लिए पायलट आधार पर शुरू किया गया है।

5.67 भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्कः गुरुग्राम में एस.टी.पी.आई. केंद्र पहले से ही चालू है। पंचकूला में दूसरा एस.टी.पी.आई. केंद्र स्थापित किया जा रहा है जिसके लिए एस.टी.पी.आई. को भूमि हस्तांतरण हेतु हारट्रोन और एस.टी.पी.आई. के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

5.68 हैलरिसः हरियाणा राजस्व विभाग ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में एन.आई.सी. हरियाणा के साथ एक पूर्ण एकीकृत अद्योपांत सॉल्यूशन वेब–हैलरिस विकसित किया है, जिसमें दस्तावेजों का पंजीकरण, इन्तकाल, जमाबंदी रिकॉर्ड्स का रख रखाव, ई–खसरा गिरदावरी, अधिकार और आंतरिक व बाह्य संस्थाओं के साथ एकीकरण के रिकार्ड की प्रतियां जारी करना शामिल है। इस समय हरियाणा की 70 तहसीलों में इस सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित किया गया है।

5.69 अन्य प्रमुख आईटी परियोजनाएंः राज्य ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ई–टी.डी.एस. प्रणाली, बैंक के माध्यम से कर्मचारी ऋण का वितरण, इनहाऊस ई–स्टैम्पिंग सिस्टम, आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, सीएम विंडो, सीएम डैशबोर्ड, ई–पी.डी.एस., एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.), ई–गिरदावरी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और खजाने में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिल जमा करना लागू किया गया है।

भविष्य की पहलें

5.70 हाईपर कन्वर्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर (एच.सी.आई.) स्टेट डाटा सेंटर (एस.डी.सी.): हरियाणा सरकार इन सभी घटकों का लाभ उठाकर कम्प्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क और सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एस.डी.सी. को एच.सी.आई. में स्थापित करने की योजना बना रहा है।

5.71 ब्लॉकचैन के लिए सी.ओ.ई. हरियाणा सरकार एस.टी.पी.आई. गुरुग्राम में ''ब्लॉक चेन'' प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। सी.ओ. ई. लाईनैक्स फाउंडेशन के हाइपर लेजर फेब्रिक

और हाइपर लेजर कम्पोजर पर निर्मित आई.बी.एम. ब्लॉक चैन प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। सी.ओ.ई. ब्लॉक चैन प्रौद्योगिकी के लिए उभरते प्लेटफार्मस की खोज करेगा और केवल आई.बी.एम. प्लेटफार्म तक ही सीमित नहीं रहेगा।

5.72 साइबर सुरक्षाः राज्य सरकार साइबर सुरक्षा के डोमेन में तेजी से कार्य कर रही है। हरियाणा में साइबर सुरक्षा नीति के निर्बाध क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित पहलें पाइपलाइन में हैः–

- साइबर सुरक्षा नीति के क्रियान्वयन और सहायता के लिए जनशक्ति सेवाएं प्रदान करने हेतू पेशेवर एजैंसी को हायर करना।
- साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करने के लिए पेशेवर एजैंसी को हायर करना।

5.73 राजस्व रिकॉर्ड रूम का आधुनिकीकरणः हरियाणा राजस्व विभाग को एक व्यापक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने के लिए एन.आई.सी. हरियाणा ने स्कैन किए गए राजस्व रिकॉर्ड, अदालती मामलों और आधिकारिक फाइलों के स्वचालन भंडारण और पुनः प्राप्ति के लिए एक केंद्रीकृत सोल्यूशन विकसित किया है। जिसके लिए साफ्टवेयर विकसित किया गया है।

5.74 पाइपलाइन में अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएंः

- **ऑनलाइन मेडिकल बिलः** कर्मचारी पोर्टल पर ऑनलाइन मेडिकल बिल जमा कराने के लिए कर्मचारियों हेतु सुविधाजनक वेब पोर्टल होगा। इस प्रकार से विकसित पोर्टल का विभिन्न संबंधित विभागों और खजाना विभाग से एकीकरण होगा।
- **पैंशन पेपर प्रोसेसिंगः** पैंशन स्वीकृत अधिकारियों व कोषाध्यक्षों और पेंशनरों के लिए ई.पी.पी.ओ.एस. के डिजिटल हस्तांतरण के लिए स्वचालित सोल्यूशन उपलब्ध होगा। कर्मचारी पेन 1 व पेन 2 को इम्पलोई पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कराने में सक्षम होंगे।
- **सरकारी दस्तावेज भण्डारः** एकल वैब व इन्टरफेस के तहत सभी सरकारी दस्तावेजों का प्रावधान करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है ताकि सभी सरकारी एजैन्सियां के आदेशों, अधिसूचनाओं, नियमों, नीतियों इत्यादि सहित अपने सार्वजनिक दस्तावेजों को अपलोड करने में सक्षम हो सके।
- **आर.टी.आई. वैब पोर्टलः** एक वैब पोर्टल विकसित किया गया है ताकि आर.टी.आई. प्रश्नों को आन–लाईन अपलोड करने में नागरिकों को सक्षम बनाया जा सके। इसी तरह का पोर्टल जल्द ही लागू किया जायेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

5.75 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 1983 में स्थापित होने के बाद से ही राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उत्थान में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। इसके संरक्षण में दो संस्थाएं काम कर रही है, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् तथा हरियाणा राज्य अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), हिसार। हरियाणा में अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मूल विज्ञान विषय लेने के लिए आकर्षित करने तथा अपना कैरियर बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कई प्रोत्साहनों की पहल की है। मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैः–

- विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने बारे छात्रवृति योजना– इस योजना के अन्तर्गत विभाग मूल विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान विषयों में 3–वर्षीय बी.एस.सी./4–वर्षीय बी.एस./5–वर्षीय समन्वित एम.एस.सी./एम.एस. की शिक्षा ग्रहण करने वाले 150 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को 4,000 रूपये प्रतिमाह व 2–वर्षीय एम.एस.सी के लिए 50 उत्कृष्ट विद्याथिर्यो को 6,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मैरिट के आधार पर

प्रदान करता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 से आज तक 1,902 विद्यार्थियों को लगभग 2,255.50 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां दी गई है।

- हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज योजना– इस योजना के अन्तर्गत 1,500 उत्कृष्ट विद्यार्थियों जिसमें 1,250 छात्र हरियाणा शिक्षा बोर्ड के तथा 250 छात्र सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्ड के हों, को स्कालरशिप प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों का चुनाव राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज-I परीक्षा जो कि दसवीं के विद्यार्थियों के लिए एस.सी.ई.आर.टी., गुरूग्राम द्वारा आयोजित की जाती है के आधार पर होता है। चयनित छात्रों को 11वीं एवं 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेने पर 1,000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।
- पी.एच.डी. छात्रों के लिए फैलोशिप योजना–फैलोशिप कार्यक्रम जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जे.आर.एफ.) के लिए संयुक्त सी.एस.आई.आर.–यू.जी.सी. परीक्षा और एक वर्ष में दो बार सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित व्याखान की पात्रता पर आधारित है। जिन उम्मीदवारों ने जे.आर.एफ.-एन.ई.टी. (सी.एस.आई.आर–यू.जी.सी.) में उतीर्ण किया है, उन उम्मीदवारों को फैलोशिप के रूप में राशि 31,000 रूपये प्रति माह, जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जे.आर.एफ.) और 35,000 रूपये सीनीयर रिसर्च फैलोशिप (एस.आर.एफ.) के आधार पर दिए जाते है। जो उम्मीदवार एल.एस. –एन.ई.टी. में उतीर्ण हुए उन्हे फैलोशिप की राशि 18,000 रूपये प्रति माह जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जे.आर.एफ.) और 21,000 रूपये प्रति माह सीनीयर रिसर्च फैलोशिप (एस.आर.एफ.) और 20,000 रूपये की राशि पांच साल तक वार्षिक आकस्मिक अनुदान के रूप में दी जाती है।

5.76 आमजन और विद्यार्थियों में खगोलशास्त्र के प्रति जागरूकता लाने व वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्धेश्य से, कल्पना चावला स्मारक तारामण्डल, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के अधीन कार्य कर रहा है। तारामण्डल का उद्घाटन हरियाणा की बहादुर बेटी डॉ. कल्पना चावला की याद में 24 जुलाई, 2007 को किया गया था। तारामण्डल का गुम्बद 12 मीटर व्यास में 120 व्यक्तियों के एक साथ बैठने की क्षमता के लिए बनाया गया है। तारामण्डल में अग्रेंजी और हिंदी में खगोल विज्ञान से सम्बन्धित कार्यक्रमों को आने वाले दर्शकों को दिखाया जाता है। गैलरी व एस्ट्रोपार्क, तारामण्डल के दो अन्य आकर्षण हैं जिनमें खगोल से सम्बन्धित प्रदर्शनी लगाई गई हैं। भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का विवरण **तालिका 5.10** में दिया गया है।

तालिका 5.10–भौतिक और वितीय उपलब्धियां

वर्ष	कुल दर्शक	कुल राजस्व (रूपये में)
2014–15	135720	2926570
2015–16	139845	3192755
2016–17	142443	3291595
2017–18	135293	3097405
2018–19	135490	2859765

स्त्रोतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा।

5.77 हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक) को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। यह केंद्र राज्य में प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे के मानचित्रण, निगरानी और प्रबंधन में शामिल है। इसे सरकार द्वारा राज्य में रिमोट सेंसिंग (आर.एस.), भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की देखभाल के लिए एक नोडल एजैन्सी के रूप में अधिसूचित किया गया है। आज तक, हरसैक ने लगभग 200 परियोजनाएं पूरी की हैं और 32 परियोजनाएं चल रही हैं। वर्तमान में हरसैक में लागू प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैंः

1. हरियाणा में फसलों की समय श्रृंखला मानचित्रण।
2. हरियाणा में फसल स्टबल जलने की निगरानी।

3. अंतरिक्ष, कृषि–मौसम विज्ञान और भूमि आधारित निरीक्षण का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान (एफ.ए.एस.ए.एल.)।
4. भौगोलिक सूचना विज्ञान का उपयोग कर समन्वय बागवानी आकलन और प्रबंधन (चमन चरण –2)।
5. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ई.ओ.डी.बी.)।
6. हरियाणा स्थानिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर (एच.एस.डी.आई.) का विकास।
7. भिवानी के नगर क्षेत्र में संपत्ति कर के लिए यू.ए.वी. आधारित भू–स्थानिक मानचित्रण।
8. हरियाणा के सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर जी.आई.एस. लैब्स की स्थापना।
9. हरियाणा में पट्टी वनों का डिजिटाइजेशन।
10. अधिसूचित वन क्षेत्रों के वन घनत्व मानचित्रण और हरियाणा में वनों (टी.ओ.एफ.) के बाहर पेड़ों का आकलन।
11. पी.एच.ई.डी., हेड ऑफिस, सैक्टर–4, पंचकुला में जी.आई.एस. सेल का निर्माण और स्थापना।
12. एच.एस.पी.सी.बी., हेड ऑफिस, सैक्टर–6, पंचकुला में जी.आई.एस. सेल का निर्माण और स्थापना।
13. संयुक्त एस और एल बैंड डाटा का उपयोग कर फसल निगरानी और बायोफिजिकल पैरामीटर अध्ययन।
14. 2011–12 से 2014–15 की अवधि के लिए आई.डब्ल्यू.एम.पी. के वाटरशेड की निगरानी और मूल्यांकन।
15. जिला मुख्यालय, जींद में जी.आई.एस. लैब की स्थापना।
16. एम.सी., फरीदाबाद के लिए मौजूदा ट्यूबवैल जी.आई.एस. मैपिंग।
17. सैटेलाइट और मौसम डाटा का उपयोग करके गेहूं की फसल का खण्ड स्तर पैदावार आकलन।
18. करनाल में प्रस्तावित 220 के.वी.डी./सी. मुंडलिने और सोनीपत का 220 के.वी.डी./सी. लाइन के लिए मार्ग संरेखण।
19. हरियाणा और दिल्ली के लिए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और मूल्यांकन (चक्र–2)।
20. नूंह जिले में सभी गांवों के कैडस्ट्राल स्तर मृदा पोषण मानचित्र तैयार करना।
21. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
22. राज्य के विभिन्न आई.टी.आई. में भू–स्थानिक सहायक का एक साल का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।
23. एडुसैट कार्यक्रम।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उपलब्धियां

5.78 हरसैक, हरियाणा के विभिन्न लाइन विभागों के लिए आर.एस. और जी.आई.एस. से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने और समय–समय पर तकनीकी सहायता प्रदान करने में लगातार जुड़ा हुआ है। पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, अध्ययन, बुनियादी ढांचे इत्यादि से सम्बन्धित पिछले पांच वर्षों में लगभग 50 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। हरियाणा के विभिन्न लाइन विभागों के अधिकारियों के लिए कुल 30 शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, साथ ही अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) के नियमित एडुसैट कार्यक्रम भी संचालित किए गए हैं। हरसैक गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जी.जे.यू. एस. एंड टी.), हिसार के सहयोग से पूर्णकालिक एम.टेक–भू–सूचना (जी.आई.) विज्ञान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और कुल पांच बैचों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक पाठयक्रम पूरा किया है।

***

6

स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास

हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्व है। स्वास्थ्य विभाग भवनों, स्वास्थ्य अमला, उपकरणों, दवाओं को निरतंर तरीके से उपलब्ध कराने में अग्रसर है। स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों (शिशु, बच्चे, युवाओं, माताओं तथा आपातकालीन रोगियों) की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूर्ण करने में प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त संचारी व गैर–संचारी रोगों की भी सावधानीपूर्वक जांच तथा रिकार्डिंग, रिपोर्टिंग और योजना की मजबूत प्रणाली बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

स्वास्थ्य संरचना

6.2 राज्य सरकार राज्य के सभी नागरिकों को उच्च कोटि की एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्व है। संचारी एवं गैर–संचारी रोगों की सावधानीपूर्वक जांच तथा रिकार्डिंग, रिपोर्टिंग और योजना की मजबूत प्रणाली बनाये रखने के लिए निरतंर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री मुफ्त ईलाज योजना (एम.एम.आई.वाई.)

6.3 मुख्यमंत्री मुफ्त ईलाज योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में 7 प्रकार की सेवाएं नामतः सर्जरी, प्रयोगशाला जांच, डाईगनोसिस्ट (एक्सरे, ई.सी.जी. व अल्ट्रासाउंड सेवाएं), ओ.पी.डी–आई.पी.डी. सेवाएं, दवाईयां, रेफरल परिवहन और डेन्टल उपचार की मुफ्त सुविधा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त हिमोडाईलिसिस, सी.टी स्केन/एम.आर.आई तथा कैथ लैब की सेवाएं भी 7 श्रेणी के मरीजों को मुफ्त प्रदान की जा रही है जैसे बी.पी.एल., अनुसूचित जाति (एस.सी.), शहरी मलिन बस्ती के निवासी, विकलांग भत्ता प्राप्त करने वाले, हरियाणा सरकारी कर्मचारी एवं पैंशनर तथा उन पर आश्रित रोगी, पंहुच से बाहर सड़क के किनारे दुर्घटना के शिकार और गरीब रोगियों को, जो उक्त श्रेणियों से सम्बन्धित नहीं हैं।

सार्वजनिक निजी भागीदारी

6.4 सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत सरकार लोगों को सीटी स्कैन, एम.आर.आई., हेमोडायलिसिस और कैथ लैब सेवाएं प्रदान कर रही है। सी.टी. स्कैन सेवाएं 16 जिला सिविल अस्पतालों (भिवानी, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरूग्राम, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, यमुनानगर, पलवल, जीन्द, सिरसा, अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी, रोहतक और पानीपत) में उपलब्ध हैं। एम.आर.आई. सेवाएं 4 जिला सिविल अस्पतालों (पंचकूला, फरीदाबाद, गुरूग्राम और भिवानी) में उपलब्ध हैं। हेमोडायलिसिस की सेवाएं 19 जिला सिविल अस्पतालों कार्डियोलॉजी सर्विसेज अर्थात कैथ लैब और कार्डिएक केयर यूनिट और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसी सेवाओं के लिए 20 बिस्तरों वाला कार्डियक केयर यूनिट अम्बाला कैंट, पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सिविल अस्पतालों में स्थापित किये गये है।

सीमित नकद रहित चिकित्सा सेवा योजना

6.5 सरकारी कर्मचारियों और पैंशनधारियों के लिए वर्ष, 2017 को एक सीमित नकद रहित चिकित्सा सेवा योजना शुरू हुई थी जिसमें सीमित कैशलेस मैडिकल सुविधाएं जीवन की केवल 6 भयंकर स्थितियों, नामतः कार्डियक आपात स्थिति, दुर्घटना, तीसरे और चौथे चरण के कैंसर, कोमा, मस्तिष्क रक्तस्त्राव और इलैक्ट्रोक्यूशन के लिए लागू की गई है। यह योजना सभी सरकारी चिकित्सा महा–विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महा–विद्यालयों सभी जिला हस्पतालों तथा हरियाणा के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों तथा सभी निजी हस्पताल जोकि हरियाणा सरकार के अन्तर्गत सूचीबद्व है, में लागू की गई है। नियमित कर्मचारी, कर्मचारी के आश्रित तथा पैंशनभोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसमें इलाज के लिए कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

6.6 राज्य में 93.7 प्रतिशत संस्थागत प्रसव नवम्बर, 2019 तक दर्ज किए गये हैं। जन्म के समय लिंग अनुपात तेजी से बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दिखा रहा है जोकि वर्तमान में 923 (दिसम्बर, 2019, सी.आर.एस.) है।

6.7 गैरकानूनी लिंग निर्धारण को रोकने के लिए दोहराए गए प्रयासों में, गैरकानूनी लिंग निर्धारण को चलाने वाले 33 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को वित्त वर्ष 2019–20 तक पी.एन.डी.टी. अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया है। 6 कोर्ट केस गलत चिकित्सक के विरूद्व दर्ज किए गए थे। 19 एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। 4 लोगो को दोषी ठहराया गया।

गैर–संचारी रोग (एन.सी.डी.)

6.8 स्वास्थ्य विभाग भी गैर–संचारी रोगों (एन.सी.डी.) पर भी पूर्ण ध्यान दे रहा है। देशभर में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं एन.पी.सी.डी.सी.एस. के निवारण एवं नियंत्रण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए **हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।** सिविल हस्पताल अम्बाला कैंट में तृतीयक कैंसर देखभाल केन्द्र की स्थापना पूर्ण होने के करीब है। बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जिला नागरिक हस्पतालों में वरिष्ठ नागरिक कोर्नर की स्थापना की गई है। फिजियोथैरेपी इकाईयों को 18 जिला नागरिक हस्पतालों, 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 4 जिलों के 3 उप–प्रभागीय नागरिक हस्पतालों में कार्यात्मक बनाया गया है। सामान्य एन.सी.डी. (सामान्य मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्तन, सर्वाइकल और ओरल कैंसर) को 5 जिलों जिसमें अम्बाला, गुरुग्राम, पंचकुला, सिरसा और यमुनानगर शामिल हैं, को जनसंख्या पर आधारित स्क्रीनिंग के लिए चलाया जा रहा है। इस गतिविधि को राज्य के अन्य जिलों में भी शुरू किया गया है। इसके तहत 30 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या की सामान्य एन.सी.डी. (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर स्तन, गर्दन, ओरल कैविटी) की जांच की जाएगी।

6.9 राज्य सरकार के तहत 7 जिला नागरिक हस्पतालों, 3 सिविल हस्पतालों, 2 सी.एच.सी. और 63 पी.एस.सी./यू.पी.एच.सी. सहित 75 स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एन.क्यू.ए.एस.) के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया गया है जबकि 4 सुविधाओं को परिणामों की प्रतीक्षा है तथा 10 ने मान्यता के लिए आवेदन किया है।

- डी.सी.एच., पंचकुला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एन.क्यू.ए.पी.) में मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला नागरिक हस्पताल बन गया है।
- यू.पी.एच.सी., कृष्णा नगर गमरी राष्ट्रीय प्रमाणिकता पाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।
- जिला नागरिक हस्पताल, पंचकुला प्रयोगशाला सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रथम प्रयोगशाला बनी जिसको एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण मिला है।
- जिला नागरिक हस्पताल, रोहतक में राष्ट्रीय प्रमाणन में अधिकतम 96 प्रतिशत अंक प्राप्त करने का गौरव हासिल किया

और काजीरंगा (असम) में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन में सम्मानित किया गया।

- हाल ही में डी.एच., कैथल को 96 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर प्रमाणित किया हैं।
- ई–उपचार में 3 मैंडिकल कालेज और 1 आयुष मैडिकल कालेज सहित कुल 56 स्वास्थ्य संस्थानों की परिकल्पना की गई थी, इनमें से 30 स्वास्थ्य सुविधाएं (22 डी.सी.एच., 3 मैडिकल कालेज, 1 आयुष, 2 सी.एच., 1 सी.एच.सी. और 1 पी.एच.सी.) शामिल है। सभी डी.सी.एच. को मेरा हस्पताल एप्लीकेशन के साथ एकीकृत किया गया है (जो मरीज की संतुष्टि के लिए भारत सरकार की पहल है)।

गुणवत्ता आश्वासन

6.10 हरियाणा ने गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सराहनीय कदम उठाये हैं, जिसका नेतृत्व राज्य में राज्य गुणवत्ता आश्वासन इकाई के मुख्यालय तथा जिला गुणवत्ता आश्वासन इकाईयों के माध्यम से हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा किया जा रहा है। 4 जिला नागरिक हस्पतालों सहित 32 सुविधाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानको (एन.क्यू.ए.एस.) के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया गया है।

आयुष्मान भारत

6.11 योजना का पायलट लांच दिनांक 15–8–2018 को पूरे देश में किया गया था। पी.एम.जे.ए.वाई. योजना के तहत दावा करने वाला हरियाणा प्रथम राज्य था। योजना पात्रता के आधार पर है। परिभाषित सामाजिक, आर्थिक जनगणना–2011 डाटा बेस में अनुमानित प्रत्येक परिवार योजना के तहत लाभ का दावा करने का हकदार है।

6.12 भारत सरकार के दिशा–निर्देश में परिवार फ्लोटर के आधार पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये का उपचार प्रदान किया जाता है और 50 रूपये प्रति परिवार की परिचालन लागत से 15.50 लाख हरियाणा के लाभार्थी परिवारों (एस.ई.सी.सी., 2011 डाटा बेस के माध्यम से पहचान) को इसमें कवर किया गया है, जिसमें परिवार के साईज पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में लागत सांझा की जा रही है। लाभार्थियों की अतिरिक्त श्रेणी के मामले में सम्पूर्ण लागत हरियाणा राज्य द्वारा वहन की जायेगी।

6.13 अब तक 72,517 क्लेम के लिए 93.36 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 28–01–2020 तक 18,07,273 स्वर्ण रिकार्ड बनाये गये है। अब तक कुल 52 हस्पतालों (सार्वजनिक हस्पताल–155 और निजी हस्पताल–371) को आयुष्मान भारत, हरियाणा के अन्तर्गत इमपैनलड किये गये है।

भविष्य के कार्यक्रम

गैर–एस.ई.सी.सी. श्रेणी का समावेश

6.14 इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत योजना के तहत विशिष्ठ श्रेणियों के लिए राज्य योजना विचाराधीन है। इस वर्ग के कवरेज के लिए धन पूरी तरह से हरियाणा राज्य द्वारा वहन किया जायेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

6.15 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, निम्नलिखित पहलें की गई हैं:–

- हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू.) द्वारा 71.72 करोड़ रूपये का बोनस अर्जित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खडा हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के प्रदर्शन के लिए अधिकतम 13 प्रतिशत

प्रोत्साहन मिला (स्वास्थ्य सूचकांक जून, 2019–नीति आयोग)।

- एन.एच.एम., हरियाणा को अन्य राज्यों की तुलना में 6.55 अंकों के वृद्विशील प्रदर्शन में सबसे अधिक बढौतरी हुई (स्वास्थ्य सूचकांक जून, 2019–नीति आयोग)।
- भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा को "आउटलुक पोषण अवार्ड–2019" से सम्मानित किया।
- हरियाणा को 16 से 18 नवम्बर, 2019 को गांधीनगर (गुजरात) में आयोजित भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में माल और पुनः प्रयोज्य प्रथाओं और नवाचारों पर 6वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में प्रमाण–पत्र से सम्मानित किया गया है।

i वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान सशर्त ढांचें के अनुसार **गैर–उच्च फोकस के बीच पहली रैंक** हासिल करने का प्रमाण–पत्र।

ii ई.सी.डी. के सुधार के लिए एल.बी.डब्ल्यू. शिशुओं की सुविधा आधारित प्रबन्धन में सुधार के लिए बहुस्तरीय रणनीति का उपयोग करते हुए "सर्वोत्तम अभ्यास" शीर्षक के लिए मौखिक प्रस्तुति के लिए प्रमाण–पत्र।

- मातृत्व स्वास्थ्यः **एन.एच.एम., हरियाणा द्वारा विकसित और कार्यान्वित उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था प्रबन्धन नीति** को नीति आयोग और केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सराहा गया है और नीति आयोग द्वारा 4 और 5 जनवरी, 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित 115 पिछडे जिलों के सम्मेलन में प्रस्तुति के लिए **सर्वश्रेष्ठ अभ्यास** के रूप में चुना गया है। साथ ही हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 100 प्रतिशत नामधारित उच्च जोखिम वाले गर्भवति मामलो की पहचान करने के लिए "हाई रिस्क प्रैगनैंसी पोर्टल" नाम की एक अभिनव वैब पोर्टल को लागू किया है।
- राज्य में मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में काफी सुधार हुआ है। हरियाणा के नवीनतम एम.एम.आर., जो मई, 2018 में जारी हुआ है के अनुसार यह 3 अंक घटकर 98 (एस.आर.एस. 2015–17) हो गये हैं।
- बाल स्वास्थ्य और टीकाकरणः हरियाणा ने **5 मृत्युदर को कम करके 35 प्रति हजारवें जीवित जन्म के साथ उल्लेखनीय 10 अंकों की गिरावट** लाया है। हरियाणा ने अपने शिशु मृत्यु दर को 11 अंकों की कमी के साथ 41 से 30 अंक प्रति हजार, जीवित जन्मों के साथ–साथ नवजात मृत्यु दर में 26 से 21 प्रति हजार जीवित जन्मों (2018 में जारी एस.आर.एस. 2017) के 5 अंकों के साथ नीचे लाया है।
- हैल्थ एण्ड वैलनेस सैंटरः आयुष्मान भारत का एक प्रमुख घटक है, जिसके तहत मौजुदा उपस्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक सवास्थ्य केन्द्रों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला देने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 408 के लक्ष्य के खिलाफ राज्य में कुल 432 स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों को चालू किया गया। **हरियाणा राज्य ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में एच.डब्ल्यु.सी. के परचिालन के लिए एम.ओ.एच.डब्ल्यू./भारत सरकार द्वारा की गई रैंकिग के अनुसार देश में तीसरा स्थान हासिल किया।**
- हरियाणा ने दिसम्बर, 2019 तक 106 प्रतिशत पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त किया है। राज्य वित्तीय वर्ष 2019–20 में 100 प्रतिशत से अधिक कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्व है।
- सभी टी.बी. रोगियों के बेहतर उपचार, परिणाम और आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन के वास्तविक समय की निगरानी के लिए एन.आई.के.एस.एच.ए.वाई. औषधि के लिए प्रत्यक्ष लाभार्थी हंस्तारण (डी.बी.टी.) जैसी नई पहल पहले से ही प्रकिया में है।

आयुष

6.16 आयुर्वेद, योगा तथा नेचरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) औषधी प्रणाली इन सभी पद्वतियों की भारत वर्ष के सभी वर्गो में प्राचीन समय से मान्यता है। यह हजारों वर्षो तक उपयोग करके जॉची और परखी हुई पद्वतियां है, जिसमें ये रोगों की रोकथाम करने तथा रोगों को फैलने से बचाती है। आयुष औषध प्रणाली आजकल रहने के तौर–तरीकों से उत्पन्न होने वाले बहुत क्रोनिक रोगों के उपचार एवं रोकथाम में, जिनका ईलाज आधुनिक चिकित्सा में सम्भव नहीं है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन के रहने के तौर–तरीकों से उत्पन्न बहुत सी बीमारियों के बढ़ने के कारणों के हालातों को देखते हुए लोगो का रूझान आयुष पद्वति की तरफ, देश में तथा दूसरे देशों मे भी होने लगा है।

6.17 आयुष विभाग हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य बारे जागरूक कर रहा है। इस उद्वेश्य के लिए 4 आयुर्वेदिक हस्पताल, 1 युनानी हस्पताल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, 507 आयुर्वेदिक औषधालय, 19 यूनानी औषधालय एवं 23 होम्योपैथिक औषधालय तथा एक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान, सैक्टर–9, पंचकुला में स्थापित किया गया है।

6.18 इसके अतिरिक्त वर्ष 2009–10 में 33 आयुष औषधालय (29 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी एवं 2 होम्योपैथिक) 3 विशेष आयुष क्लीनिक (गुड़गाव, हिसार, अम्बाला) तथा 1 स्पैशलाईजड थैरेपी सैन्टर जीन्द में स्थानांतरित तथा अपग्रेड किये गए हैं। 22 आयुष विंग जिला हस्पतालों पर, 98 आयुष आई. पी.डी., सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तथा 109 आयुष ओ.पी.डी. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे है तथा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग ले रहे है। अधिकतर आयुष संस्थान ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य कर रहे है।

6.19 विभाग श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र के नेतृत्व मे श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, कुरूक्षेत्र तथा महिला भगत फूल सिंह मैमोरियल आयुर्वेदिक कालेज, खानपुर, सोनीपत के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त 9 आयुर्वेदिक तथा 1 होम्योपैथिक कालेज निजी क्षेत्रों में प्राइवेट मैनेजमैन्ट के द्वारा चलाये जा रहे है।

6.20 हरियाणा के राज्यपाल ने उप कुलपति और रजिस्ट्रार को नियुक्त किया है। ग्राम पंचायत फतहपुर ने आयुष विश्वविद्यालय के लिए 94 एकड, 5 कनाल, 1 मरला भूमि पट्टे के आधार पर प्रदान की है। राज्य मे आयुर्वेदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक और सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण ग्राम पट्टीकरा (नारनौल) मे किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने सरकार के भवन का उद्घाटन किया है। अस्पताल के लिए श्रम शक्ति को मंजूरी दी गई है।

6.21 देवरखाना (झज्जर) मे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना के लिए 163 कनाल, 11 मरला भूमि भारत सरकार को प्रदान की गई है। भारत की सरकार ने सिद्वांतिक रूप से विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री पहले ही गांव अकेरा जिला नूहं मे दिनांक 14–07–2018 को यूनानी कॉलेज और अस्पताल की आधाशिला रख चुके है। भारत सरकार ने 250 बेड वाले आई.पी.डी. (100 आयुर्वेद और 150 प्राकृतिक चिकित्सा) और हर साल 500 से अधिक छात्रों को कैटरिंग, यू.जी., पी.जी., पी.एच.डी. डिग्री प्रदान करने के साथ आयुर्वेदिक उपचार, शिक्षा और अनुंसधान के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है।

6.22 हरियाणा सरकार के साथ–साथ श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली को पट्टे पर श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, पचंकूला की 19.87 एकड जमीन प्रदान की है।

- हरियाणा राज्य ने एन.सी.आर. में 120 बैड के आई.पी.डी. के साथ एन.सी.डी. के लिए यूनानी चिकित्सा में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का भारत सरकार का प्रस्ताव है। हरियाणा सरकार ने सचिव आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली को यूनानी चिकित्सा पद्वति में 120 बैड वाली आई.पी.डी. के साथ राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत खेडी गुजरान जिला फरीदाबाद में 68 कनाल, 17 मरला (लगभग 9 एकड) की भूमि की पेशकश करने के लिए 1–09–2017 को पत्र दिया।
- माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने मेयर, हिसार में 50 बिस्तरों वाली एकीकृत सरकारी आयुष हस्पताल बनाने के लिए सहमति दी है। जिसके लिए 15 एकड और 7 मरले की भूमि की पहचान की गई है तथा इसे 33 वर्ष के लिए आयुष विभाग, हरियाणा के नाम पर एक रूपये प्रति एकड प्रतिवर्ष की दर से हस्तांतरित की गई है।

6.23 वित्त वर्ष 2018–19 में आयुष विभाग के लिए 117.48 करोड़ रूपये प्लान तथा नॉन–प्लान स्कीम के लिए तथा 44.93 करोड़ रूपये की राशि प्लान (नॉन रैंकरिंग/प्लान) के लिए खर्च की गई थी। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान प्लान (नॉन रैकरिंग/प्लान) स्कीम के लिए 198.43 करोड़ रूपये तथा प्लान (रेकरिंग/नोन प्लान) स्कीम के अन्तर्गत 138.77 करोड़ रूपये की राशि आयुष विभाग के लिए स्वीकृत की गई है। वर्ष 2020–21 के लिए 413.84 करोड़ रूपये का परिव्यय प्लान (नॉन रेकरिंग/प्लान) स्कीम तथा 164.08 करोड़ रूपये का परिव्यय प्लान (रेकरिंग/नोन प्लान) योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए है।

कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण

6.24 कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण के अर्न्तगत ई.एस.आई. एक्ट, 1948 के अधीन राज्य भर में 31.25 लाख बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को 7 अस्पताल (4 ई.एस.आई. राज्य अस्पताल 3 ई.एस.आई. कारपोरेशन अस्पताल) तथा 3 आयुर्वेदिक इकाईयों व 1 चल डिस्पैंसरी सहित 79 ई.एस.आई. डिस्पैंसरियों द्वारा विस्तृत चिकित्सा सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को प्राथमिक व द्वितीय स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। ई.एस.आई. हैल्थ केयर के अर्न्तगत अति विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं भी गैर सरकारी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इम्पैनल्ड) अस्पतालों के माध्यम से दी जा रही है।

6.25 मुख्य गतिविधियां/उपलब्धियां

- चरखी दादरी में 20–01–2020 तथा शाहाबाद (कुरूक्षेत्र) में 23–07–2020 तक बीमाकृतों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतू चिकित्सा बीमा व्यवसायी प्रणाली (आई.एम.पी.) को लागू कर दिया गया है।
- रोटरी अम्बाला कैंसर व सामान्य हस्पताल, अम्बाला कैन्ट को दिनांक 31–03–2020 या नया हस्पताल एम्पैनल होने तक (जो भी पहले हो) सी.जी.एच. एस. भाव दर अनुसार नकदी रहित आधार पर बीमाकृतों को द्वितीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतू पुनः विस्तार कर दिया गया है।
- सरकार द्वारा तरावड़ी (करनाल), कैथल व कुरूक्षेत्र में एक डाक्टर नई ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसकी कर्मचारी राज्य बीमा निगम से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जिसको शुरू करने बारे कार्यवाही की जा रही है।
- सरकार द्वारा नूंह (मेवात) में नई ई.एस. आई. डिस्पैंसरी खोलने की स्वीकृति

प्रदान कर दी गई है तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दो डाक्टर नई ई.एस. आई. डिस्पैंसरी खोलने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिसको शुरू करने बारे कार्यवाही की जा रही है।

- सरकार द्वारा नारायणगढ़ (अम्बाला) में नई ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा एक डाक्टर नई ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खोलने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिसको शुरू करने बारे कार्यवाही की जा रही है।

6.26 परियोजना/कार्यक्रम–2019–20

- चरखी दादरी में नई ई.एस.आई. डिस्पैसरी खोलना।
- बीमाकृतों एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा एम्पैन्लड प्राईवेट हस्पतालों के साथ सी.जी.एच.एस. भावदर अनुसार प्रतिपूर्ति आधार पर द्वितीय चिकित्सा सुविधा हेतू टाई–अप करना।
- बीमाकृतों एवं उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. भावदर अनुसार नकदी रहित आधार पर द्वितीय चिकित्सा सुविधा हेतू प्राईवेट हस्पताल टाई–अप करना।
- ई.एस.आई. डिस्पैंसरी न. 3, हिसार, रोहतक व करनाल को 30 बिस्तरीय हस्पताल में अपग्रेड करना।
- ई.एस.आई. डिस्पैंसरी न. 2 व डिस्पैंसरी न. 3, बहादुरगढ़ को दो डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी से तीन डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी में अपग्रेड करना।
- ई.एस.आई. डिस्पैंसरी पलवल को दो डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी से तीन डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी में अपग्रेड करना।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

6.27 चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग की स्थापना चिकित्सा शिक्षा के उन्नयन, विस्तार और नियमन हेतु राजकीय अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर, 2014 को की गई। हरियाणा राज्य विभिन्न चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थानों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। राज्य में मौजूदा कार्यशील संस्थानों का विवरण **तालिका 6.1** में दिया गया है।

तालिका 6.1–राज्य में मौजूदा वित्तीय चिकित्सा संस्थानों का विवरण

संस्थान	सरकारी	गैर सरकारी/निजी	कुल	कुल सीटें	
चिकित्सा महाविद्यालय	5	7	**12**	एम.सी.एच./डी.एम. एम.डी./एम. एस. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एम.बी.बी.एस.	7 393 27 1710
दंत महाविद्यालय	1	10	**11**	बी.डी.एस. एम.डी.एस.	1020 258
आयुर्वेदिक महाविद्यालय	2	10	**12**	बी.ए.एम.एस.	783
होमोपैथी महाविद्यालय	–	1	**1**	बी.एच.एम.एस.	50
फिजियोथेरेपी महाविद्यालय	3	10	**13**	बी.पी.टी. एम.पी.टी.	705 210
नर्सिग स्कूल	6	85	**91**	ए.एन.एम. जी.एन.एम.	2833 3620
नर्सिग कॉलेज	13	172	**185**	बी.एस.सी. पी.बी.बी.एस.सी. एम.एस.सी. एन.पी.सी.सी'	1780 1150 244 20
एम.पी.एच.डब्लयू. (एम)	2	25	**27**		**1620**

स्त्रोतः चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हरियाणा।

6.28 इसके अतिरिक्त, 3 सोसायटी/ट्रस्ट को आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा निजी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए 3 सोसायटी/ट्रस्ट को आश्य पत्र जारी किया गया है। मेडिकेयर की इस समग्र और व्यक्तिगत प्रणाली के भीतर चिकित्सा प्रणाली के महत्व को समझते हुए, सरकार ने इसके प्रचार के लिए कई कदम उठाए हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (यू.एच.एस.), करनाल

6.29 माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 13–12–2014 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ग्राम कुटेल, जिला करनाल में एक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तत्पश्चात, दिनांक 21–09–2016 को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को अधिसूचित किया गया तथा इसका संशोधन दिनांक 02–04–2018 को अधिसूचित किया गया तदानुसार विश्वविद्यालय का पुनः नामकरण किया गया। राज्य सरकार ने ग्राम कुटेल, (घरौंडा) में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ग्राम पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।

- ग्राम पंचायत, कुटेल ने स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग को 144 एकड़ 2 मरले जमीन पटटे पर दी है। परियोजना के क्रियान्वयन के कार्य को दिनांक 12–12–2018 को भारत सरकार की एक सी.पी.एस.यू., मेसर्स ब्रिज एंड रूफ कंपनी (आई) लिमिटेड को दिया गया है। नक्शे और डी.पी.आर. की राशि 750.42 करोड़ रुपये सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। क्रियान्वयन एजैंसी द्वारा विश्वविद्यालय के आवासीय और संस्थागत भवनों के निर्माण के लिए कार्य ठेकेदार को दे दिया गया। यह परियोजना 30 महीने में पूरी होगी।
- विश्वविद्यालय में 700 बेड के साथ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पोस्ट ग्रेजुएट/पोस्ट डॉक्टरल टीचिंग (डी.एम./एम.सी. एच. कोर्स) के लिए एकेडमिक ब्लॉक, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च मेडिसिन, प्रयोगात्मक चिकित्सा पद्वति, एडवांस रिसर्च सेंटर इन जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी और वायरोलॉजी जैसे रिसर्च डिपार्टमेंट्स के साथ एकेडमिक ब्लॉक होगा। इसमें अन्य शैक्षणिक संस्थानों जैसे डेंटल महाविद्यालय, फार्मेसी महाविद्यालय, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और खेल चिकित्सा भी होगा।
- विश्वविद्यालय के परिसर में नर्सिंग महाविद्यालय और फिजियोथेरेपी महाविद्यालय का निर्माण प्रीफैब टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2018–19 में नर्सिंग कॉलेज में 40 सीटों और फिजियोथेरेपी कॉलेज में 30 सीटों पर दाखिला दिया गया।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भिवानी

6.30 राज्य सरकार, भारत सरकार के केंद्र प्रायोजित योजना एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू. के तहत भिवानी में एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जो मौजूदा जिला अस्पताल को अपग्रेड करके बनाया जाएगा। निर्माण कार्य मेसर्स ब्रिज एंड रूफ, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दिया गया है। कार्यकारी एजैंसी द्वारा तैयार की गई ड्राईंग और डी.पी.आर. की राशि 524.95 करोड़ रुपये है। परियोजना को 27 महीने में पूरा किया जाएगा।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जींद

6.31 राज्य सरकार द्वारा जींद में एक और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत, हैबतपुर, जिला जींद, ने इस उद्देश्य के लिए चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग को 24 एकड़ जमीन दीर्घकालिक पट्टे पर दी है। पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) द्वारा स्थल पर चार दीवारी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह कार्य

एच.एस.आर.डी.सी.–हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम को दिया गया है। प्रथम चरण के लिए अनुमानित परियोजना लागत 524 करोड़ रुपये और द्वितीय चरण के लिए 139 करोड़ रुपये है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गुरुग्राम

6.32 गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, गुरुग्राम और श्री शीतला माता देवी श्राइन बोर्ड ने संयुक्त रूप से गांव खेड़की माजरा गुरुग्राम में निगम की 29 एकड़ जमीन पर एक नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अनुमानित परियोजना लागत 500 करोड़ रुपये है। परियोजना लागत 40:40:20 अनुपात के रूप में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, (जी.एम. डी.ए.) नगर निगम, (एम.सी.जी.) गुरुग्राम और श्री शीतला माता देवी श्राइन बोर्ड (एस.एम.एस. डी.एस.बी.) द्वारा साझा की जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण का कार्य उतर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यू.पी.आर.एन.एन.) को सौंपा गया है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नारनौल

6.33 राज्य सरकार ने ग्राम कोरियावास, जिला महेन्द्रगढ़ में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और 79 एकड़ भूमि को पटटे पर विभाग के नाम कर दी गई है। निर्माण कार्य हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) को दिया गया है। डिटेल प्रोजेक्ट रिर्पोट अनुमानित परियोजना लागत 598 करोड़ रुपये के साथ तैयार कर दी गई है।

शहीद हसन खान मेवाती, राजकीय दन्त महाविद्यालय, नलहर, नूंह

6.34 सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछडे जिले नूंह के लोगों के मौखिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए राज्य सरकार मौजूदा शहीद हसन खान मेवाती, राजकीय दन्त महाविद्यालय, नलहर, नूंह में एक दन्त महाविद्यालय स्थापित कर रही है। एच.एस.आर. डी.सी. ने 150 करोड़ रूपये की अनुमानित राशि से दन्त महाविद्यालय के निर्माण हेतु कियान्वयन एजैन्सी का चयन किया है।

रिवाड़ी में एम्स की स्थापना

6.35 केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिनांक 1–2–2019 को अपने बजट भाषण में हरियाणा में 22 वें एम्स की स्थापना की घोषणा की। ग्राम मनेठी, रिवाड़ी में उक्त उद्देश्य के लिए ग्राम पंचायत की 224 एकड़ भूमि की पहचान की गई है, चूंकि यह भूमि अरावली वृक्षारोपण क्षेत्र, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत लगाए गए घने वनस्पतियों और वृक्षों से आच्छादित है इसलिए इस परियोजना के लिए अन्य साइट की संभावना का पता लगाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है और इसके लिए सरकार की अधिसूचना दिनांक 02–08–2019 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

जिला फरीदाबाद, रिवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में सरकारी नर्सिंग कॉलेज

6.36 माननीय मुख्यमंत्री ने जिला फरीदाबाद, रिवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए घोषणाएँ की थीं। इन 6 नर्सिंग कॉलेजों के लिए भूमि सभी अतिक्रमणों से मुक्त है और विभाग के नाम पर पट्टे पर दी गई है। इन नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का कार्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) को आंबटित किया गया है। आरेख और मसौदा प्रस्ताव रिर्पोट राशि 194.30 करोड़ रूपये को शासन द्वारा अनुमोदित किया गया है। निष्पादन एजेंसी ने 6 नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण के लिए ठेकेदारों का चयन करके निर्माण कार्य सौंपा है। सभी साइटों पर काम शुरू हो गया है और इसे 22 महीने में पूरा किया जाएगा।

सफीदों, जीन्द में नर्सिंग कालेज की शुरूआत

6.37 सफीदो, जीन्द में 3 पाठयक्रम ए.एन.एम., जी.एन.एम. और बी.एस.सी. नर्सिंग में

60 सीटों के साथ नर्सिंग कालेज की भी शुरूआत की गई है।

एम्स, दिल्ली के तहत बाढ़सा झज्जर में नैशनल कैंसर इंस्टीट्यूट

6.38 नैशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, गांव बाढ़सा झज्जर में भारत सरकार की एक परियोजना है और इसे एम्स, नई दिल्ली द्वारा लागू किया गया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए एम्स, नई दिल्ली को 300 एकड़ भूमि आबंटित की है। 710 बिस्तरों वाला नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट भारत का सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है, जिसमें एकल अस्पताल में 2,035 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ NCI शीर्ष केन्द्र होगा, जिसमें कैंसर से बचाव और उपचार के लिए अनुसंधान होगा। यह संस्थान उत्तरी भारत में कैंसर के इलाज के लिए उन्नत प्रोटॉन सुविधा प्रदान करने वाला पहला केंद्र होगा। एम्स नई दिल्ली ने अब नैशनल कैंसर इंस्टीटयूट, झज्जर में आउट पैंशेट सुविधाओं को 18–12–2018 से और इन पैंशेट सुविधाओं को 14–01–2019 से बेसिक ऑन्कोलॉजी के ट्रायल रन की शुरुआत की है। इसका पहला चरण पूर्णतया शुरू हो चुका है। ग्राम बाढ़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर का उद्घाटन 12–02–2019 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था।

6.39 विभाग की अन्य उपलब्धियां

(i) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कोर्सों में प्रवेश के लिए केन्द्रीकृत संयुक्त परामर्श–विभाग केन्द्रीकृत संयुक्त परामर्श के माध्यम से ऑनलाईन सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के लिए प्रवेश आयोजित कर रहा है। एम.डी./एम.एस./एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. पाठयक्रमों के लिए प्रवेश आयोजित कर लिये गये हैं।

(ii) हरियाणा नर्स और नर्स मिडवाइव्स काउंसिल–राज्य में नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा और पंजीकरण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, इस सरकार ने एक नया अधिनियम "हरियाणा नर्स और नर्स मिड वाइव्स एक्ट, 2017" लागू किया और हरियाणा नर्स और नर्स मिड वाइव्स काउंसिल की स्थापना की, जिसने तत्कालीन मौजूदा हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल (एच.एन.आर.सी.) की जगह ले ली है और अब हरियाणा नर्स और नर्स मिड वाइव्स काउंसिल हरियाणा राज्य में नर्सिंग शिक्षा का नियमन कर रही है। इससे पहले हरियाणा नर्स पंजीकरण परिषद (एच.एन. आर.सी.) ने पंजाब नर्स पंजीकरण अधिनियम, 1932 को अपनाया था और एच.एन.आर.सी. के कार्यकारी निकाय शासी निकाय की संरचना में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व बहुत सीमित था। एच.एन.आर.सी. अपने सीमित जनादेश के साथ कार्यात्मक था और नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ती मांगों का सामना करने में सक्षम नहीं था। इसलिए, यह महसूस किया गया कि हरियाणा राज्य में एक सुसंगत और व्यापक अधिवास निकाय बनाने की आवश्यकता है।

(iii) **आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन**–विभाग ने आयुष्मान भारत मिशन को सफलतापूर्वक सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में लागू किया है। पहले चरण में, यह योजना सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों अर्थात् पी.जी. आई.एम.एस., रोहतक, के.सी.जी.एम.सी., करनाल बी.पी.एस.जी.एम.सी. (डब्ल्यू.) खानपुर कलां, सोनीपत, एस.एच.के.एम.जी.एम.सी., नलहर, नूंह और एम.ए.एम.सी., अग्रोहा में लागू की गई है। पूरे देश में योजना के तहत इलाज किए गए रोगी के लिए पहला सफल दावा के.सी.जी.एम. सी., करनाल द्वारा किया गया है।

(iv) उपचार के लिए सस्ती दवा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (ए.एम.आर.आई.टी.)– ए.एम.आर.आई.टी. फार्मेसी राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में खोले गए है और पूर्णतयाः कार्यरत है।

(v) प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा

महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं जो पूर्णतः कार्यरत है।

6.40 कार्यात्मक चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्धियां

(i) पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थय विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक

- स्वास्थय विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक को फरवरी, 2017 में एन.ए.ए.सी. ग्रेड–ए से सम्मानित किया गया और यह देश के सभी स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों में द्वितीय रैंक पर है।
- पी.जी.आई.एम.एस. को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अनुमोदित किया गया है। स्पोर्ट्स दवाईयों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जल्द ही शुरू किए जाएंगे।
- सीटी स्कैन और एम.आर.आई सुविधाओं को वर्ष 2017 में एन.ए.बी.एच द्वारा मान्यता प्राप्त हुई।
- बायो–केमिस्ट्री लैब को वर्ष 2017 में एन.ए. बी.एल. द्वारा मान्यता प्राप्त हुई।
- स्टेट ऑफ द आर्ट 120 बेड धवन्तरी एपेक्स ट्रॉमा सेंटर जनवरी, 2018 से 5 आधुनिक ओ.टी, 22 बेडेड आई.सी.यू, ट्राइएज एरिया में 30 बेड और एक 3 टेस्ला एम.आर.आई के साथ चालू किया गया है। पिछले 6 महीनों में 50,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है।
- 200 बिस्तर वाला मातृ और शिशु शीर्ष अस्पताल को हाल ही में चालू किया गया है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा एम.सी.एच. है।
- कैंसर उपचार के लिए लिनियर एक्सीलेटर की सुविधा का निर्माण प्रक्रियाधीन है।
- विश्वविद्यालय में कैंसर और विकिरण ऑन्कोलॉजी पर अध्ययन के लिए इंडो जापानी सहयोग की तरह विभिन्न विदेशी संगठन हैं, जार्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्मार्ट हेल्थ एक्सटेंड प्रौजेक्ट है।
- श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों के लिए बहु–मंजिला, नई आवासीय विंग व विभिन्न निर्माण परियोजनाएं जैसे मुर्दाघर, खेल चोट केंद्र प्रक्रियाधीन हैं।

(ii) भगत फूल सिंह महिला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत

- विभिन्न विशिष्टताओं में संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं।
- वायरोलॉजी लैब आई.सी.एम.आर. के तहत स्थापित की जा रही है और जल्द ही यह कार्यशील हो जाएगी।
- महाविद्यालय अस्पताल में एक डायलिसिस यूनिट स्थापित की गई है।

(iii) शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नलहर नूंह मेवात

- मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए सी.बी.एन.ए.ए.टी. मशीन लगाई गई है।
- योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना नवम्बर, 2017 में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी के सहयोग से की गई है।

(iv) कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल

- अस्पताल दिनांक 13–04–2017 से कार्यात्मक हो गया और 100 एमबीबीएस छात्रों के प्रथम बैच को शैक्षणिक सत्र 2017–18 में प्रवेश दिया गया।
- एम.आर.आई. 1.5 टेस्ला मशीन और 64 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है।

(v) महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय अग्रोहा, हिसार

- चिकित्सा महाविद्यालय को एम.बी.बी.एस. सीटों में 50 से 100 की वृद्धि की अनुमति मिल गई है और कई विशिष्टताओं में संस्थान में विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं।
- पी.पी.पी. मोड पर कैथ–लैब 1 अगस्त, 2018 से कार्य कर रही है। ट्रामा सेंटर और कैंसर संस्थान की स्थापना पाईपलाइन में है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन

खाद्य खण्ड

6.41 राज्य खाद्य प्रयोगशाला, हरियाणा, चण्डीगढ के नवीनीकरण हेतू 8.05 करोड़ रूपये एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा स्वीकृत किए गए है तथा इसके अतिरिक्त 3.36 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए है। इसके अतिरिक्त दूसरी जिला खाद्य प्रयोगशाला, करनाल के नवीनीकरण हेतू 18.11 करोड़ रूपये का प्रस्ताव एफ.एस.एस.ए.आई. को भेज दिया गया है।

लाईसैंस/पंजीकरण

6.42 दिनांक 30–09–2019 तक खाद्य कारोबारकर्ताओं को 9,224 खाद्य लाईसैंस तथा 31,479 पंजीकरण पत्र जारी कर दिए गए है।

खाद्य नमूने

6.43 वित्त वर्ष 2018–19 में कुल 2,992 खाद्य नमूने लिए गए। जिनमें से 590 खाद्य नमूने एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 अनुसार मानक के अनुरूप नहीं पाए गए जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गुटका पान मसाला पर प्रतिबन्ध

6.44 आयुक्त खाद्य सुरक्षा, हरियाणा के आदेश द्वारा दिनांक 07–09–2018 से हरियाणा राज्य में गुटका पान मसाला के निर्माण/बिक्री एवं भण्डारण पर एक वर्ष के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

तरल नाइट्रोजन पर प्रतिबन्ध

6.45 खाद्य सुरक्षा, आयुक्त हरियाणा द्वारा हरियाणा में खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के मिश्रण पर पूर्ण प्रतिबन्ध आगामी आदेश आने तक लगा दिया गया है।

मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला

6.46 एफ.एस.एस.ए.आई., नई दिल्ली द्वारा दो मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध करवाई गई है। दोनों मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (कलस्टर 1 और कलस्टर 2) द्वारा राज्य में आम जनता को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

औषधि विंग

6.47 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में ऐसे हानिकारक हुक्काबारों जोकि युवाओं को निकोटीन युक्त तम्बाकू सीरा को परोसते हैं, इनके विरूद्व कार्यवाही करते हुए औषधि और कॉस्मेटिक धारा, 1940 के अर्न्तगत 38 कानूनी मुकदमें दायर किये गये हैं।

6.48 विभाग की सयुक्त टीमों द्वारा राज्य भर में लगभग 410 छापे मारे गये। लगभग 2,992 कैमिस्टो की दुकानों के लाईसैंस रद्द व 1,036 दुकानों के लाईसैंस निलम्बित किये गये और 63 मुकदमे दायर किये। उक्त अवधि के दौरान 16,278 पर इकाईयों का निरीक्षण किया गया तथा 3,259 सैम्पल लिये गये।

6.49 विभाग द्वारा दवा निर्माण के 12 लाईसैंस, 42 सौंदर्य प्रसाधन निर्माण के लाईसैंस, 21 रक्त कोष के लाईसैंस जारी किये गये और 84 अस्पतालों को आवश्यक मादक औषधियों के प्रयोग के लिए आर.एम.आई. सर्टिफिकेट जारी किये गये।

6.50 हरियाणा राज्य औषधि प्रयोगशाला के निर्माण हेतु 1 एकड भूमिखण्ड सैक्टर–3 पचकूला मे आवंटित की गई है तथा सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु 21.15 करोड़ रूपये का अनुमान स्वीकृत करते हुए 10 करोड़ रूपये राशि का प्रावधान किया है।

जन स्वास्थ्य

6.51 हरियाणा राज्य में 31 मार्च, 1992 तक सभी गांवों में कम से कम एक सुरक्षित स्त्रोत द्वारा पेयजल सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। उसके पश्चात गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए गए बुनियादी ढांचों की बढ़ौतरी पर ध्यान केन्द्रित किया गया। गांवों में पेयजल स्तर जनसंख्या की कवरेज के अनुसार से आंका

जाता है। वर्तमान में राज्य में पानी की कमी वाले उन गांवो में जहां पानी का स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम हो गया है, उनमें पीने के पानी की आपूर्ति के स्तर में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 226 चिन्हित गांवों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 15 जनवरी, 2020 तक पहचान किए गए 70 गांवों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है।

6.52 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए राज्य योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के केन्द्रीय हिस्से के साथ साथ नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत 1,490.58 करोड़ रूपये पूंजी परिव्यय राज्य के अर्न्तगत प्रदान किए गए हैं,15 जनवरी, 2020 तक 1,027.22 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

6.53 ग्रामीण पेयजल बढ़ौतरी कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में मौजूदा पेयजल सुविधाओं को 55/70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन बढ़ाने के लिए सुधार एवं सुदृढ़ करना है। गांवों में अतिरिक्त टयूबवैल लगा कर, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं में बढ़ौतरी, नए नहर आधारित जल घरों का निर्माण, बुस्टिंग स्टेशनों का निर्माण, मौजूदा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके सुधार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के दौरान 380 करोड़ रूपये का प्रावधान है। 15 जनवरी, 2020 तक 335.91 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

6.54 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की बढ़ौतरी के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य वर्ष 2000–01 से विभिन्न परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से धनराशि प्राप्त कर रहा है। इस समय 954.92 करोड़ रुपये की लागत से आर. आई.डी.एफ.–XXI, XXII, XXIII व XXIV के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई 12 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। नाबार्ड परियोजनाओं का विस्तृत विवरण **तालिका 6.2** में दिया गया है।

6.55 नाबार्ड द्वारा पेयजल आपूर्ति की बढ़ौतरी की दो योजना जिन की कुल लागत 120.48 करोड़ रूपये है, आर.आई.डी.एफ. XXV के अन्तर्गत हाल ही में अनुमोदित की गई है और इन परियोजनाओं का विवरण **तालिका 6.3** में दिया गया है। तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा के 122 गांवों के लिए 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढाकर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने के लिए नहर आधारित पेयजल योजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जबकि तहसील एवं जिला हिसार, हरियाणा में चौधरीवाली माईनर की आर.डी. 20000-एल. से 7 जलघरों के लिए कच्चे पानी के प्रबन्ध करने का कार्य जल्द ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा और अगले वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह कार्य तीव्र गति से प्राप्त कर लेगा।

6.56 स्पेशल कंपोनैंट सब प्लान के अन्तर्गत जिन गांवों/बस्तियों में ज्यादातर जनसंख्या अनुसूचित जाति के घर हैं, उन में अतिरिक्त नलकूप लगा कर, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं की बढ़ौतरी एवम नए नहर आधारित जलघर बनाकर, बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण कर के तथा मौजुदा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाकर पर्याप्त मात्रा में पेयजल प्रदान की जाती है। वर्ष 2019–20 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है जिस पर 15–01–2020 तक 9.83 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.57 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और सवंर्धित वातावरण के लिए माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि महाग्राम योजना के अन्तर्गत 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले बडे गांवों में मल निकासी प्रणाली प्रदान की जाए। यह योजना एक विशालकाय़ योजना है और इसे लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता होगी। समस्या की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को चरणों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। चरण–I में 20 गांवों को कवर किया जाएगा चरण–II में 37 गांव शामिल होंगे तथा चरण–III में अतिरिक्त 71 गांव कवर करने का लक्ष्य है। इस के अलावा परियोजना के गांवों में पानी की आपूर्ति भी 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन + 15 प्रतिशत (यू.ए.डब्ल्यू.) तक बढ़ाई जाएगी।

तालिका 6.2–राज्य में नाबार्ड परियोजनाओं का विस्तृत विवरण

क्रम सं0	परियोजना का नाम	आर. आई डी. एफ.	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)	15–01–2020 तक किया गया कुल खर्च (रुपये लाख में)
1	5 मौजूदा जलघरों, जिनमें 24 गांव शामिल हैं, के लिए नहरी पानी की बढौतरी तथा बुधपुर, चिमनावास, में नए जलघरों का निर्माण।	XXI	9285.81	8022.05
2	62 ढाणियों को पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा एस.बी.एस, आई,बी,एस, से जोड़ना।	XXI	776.68	651.39
3 (क)	3 जलघरों नामतः उगालन, भकलाना व धर्मखेड़ी के लिए पम्पिंग द्वारा कच्चे पानी काप्रबन्ध करना।	XXII	522.16	536.72
3 (ख)	6 जलघरों, नामतः खेड़ी लोचब, जालब, नारा, किन्नर, राखी खारा और शाहपुर, के लिए पम्पिंग द्वारा कच्चे पानी का प्रबन्ध करना।	XXII	1026.50	821.49
3 (ग)	मदनहेडी जलघर के लिए पम्पिंग द्वारा कच्चे पानी का प्रबन्ध करना।	XXII	246.39	224.87
4	4 जलघरों नियाना, खरड़ अलीपुर, कुलाना तथा मयड़ के लिए पम्पिंग द्वारा कच्चे पानी का प्रबन्ध करना।	XXII	699.88	484.25
5	पृथला और पलवल खण्डों के 84 गुणवत्ता प्रभावित गांवों में बढ़ोतरी जल आपूर्ति योजना।	XXII	18430.62	12129.93
6	14 गांवो व 1 ढाणी, के लिए गांव खलेटा में नहर आधारित जलघर बनाकर जल आपूर्ति में बढ़ोतरी।	XXIII	4439.00	3297.55
7	11 जलघरो के 15 गांवो मे जल आपूर्ति में बढ़ोतरी व कच्चे पानी का प्रबन्ध करना।	XXIII	2847.35	2817.86
8	25 गांवो मे जल आपूर्ति में बढ़ौतरी (ब्लाक सतनाली)।	XXIII	12443.00	6064.02
9	80 गांवों फिरोजपुर झिरका व नगीना बलॉक में यमुना फल्ड प्लेन मे गांव अटबा में रैनीवैल लगाकर जल आपुर्ति।	XXIII	21090.00	17194.75
10	25 गांवों व 3 ढाणियों के लिए गांव रधुनाथपुरा समूह में नहर आधारित जलघर प्रदान करना।	XXIV	6602.60	3081.43
11	23 गांवों व 4 ढाणियों के लिए गांव सांपली व कसौला में नहर आधारित जलघर प्रदान करना।	XXIV	5612.40	3165.52
12	तहसील अटेली मण्डी के 61 गांवों के लिए, गांव भालकी में नहर आधारित जलघर बनाकर पानी की बढौतरी करना ।	XXIV	11470.00	4409.45
	कुल राशि		**95492.39**	**62901.30**

तालिका 6.3–जलापूर्ति परियोजनाओं में संवर्धन

क्रम सं0	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
1	तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा के 122 गांवों के लिए 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से बढाकर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने के लिए नहर आधारित पेयजल योजना में बढ़ौतरी करना।	9494.25
2	तहसील एवं जिला हिसार हरियाणा में चौधरीवाली माईनर की आर.डी.20000. एल. से 7 जलघरों के लिए कच्चे पानी का प्रबंधन करना।	2554.15
	कुल राशि	12048.40

स्त्रोतः जन–स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा।

6.58 इसके अलावा इस योजना में सीवेज (मल) के उपचार और इसके सुरक्षित

निपटान के लिए मल शोधन संयन्त्रों के निर्माण की भी परिकल्पना की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना के गांवों में जल आपूर्ति बढ़ाने और मल निकास प्रणाली बिछाने के लिए प्रत्येक पर 5,000 लाख रूपये की धनराशि मंजूर की गई है। कुल 10,000 लाख रूपये की धन राशी के विरूद्ध अब तक 2,355.34 लाख रूपये की धनराशि खर्च की गई है। 15 परियोजनाओं के गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आपूर्ति में वृद्धि का कार्य प्रगति पर है जब कि इतने ही गांवों में मल निकास प्रणाली बिछाने का काम भी चल रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान पायलट प्रोजैक्ट के रूप में 9 गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति के साथ–साथ 9 गांवों में मल निकासी सुविधाओं के साथ प्रदान करने का प्रस्ताव है। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अपनी प्रारंभिक अवस्था में है लेकिन अगले वित्तीय वर्ष से इस कार्य पर तेजी लाने और गति प्राप्त करने की संभावना है।

6.59 भारत सरकार द्धारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू कनैक्शन (एफ.एच.टी.सी.) प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन (जे.जे.एम) प्रारम्भ किया गया है। हरियाणा में 53.47 प्रतिशत ग्रामीण घरों के भीतर पानी कनैक्शन हैं। 16–07–2019 तक पाइप्ड वाटर सप्लाई (पी.डब्ल्यू.एस.) के साथ कुल घरेलू कनैक्शन के प्रतिशत के मामले में हरियाणा वर्तमान में देश में चौथे स्थान पर है। हरियाणा राज्य में जल जीवन मिशन प्रारम्भ किया जा चुका है तथा इस लक्ष्य को वर्ष 2022 तक पूर्ण करना तय किया गया है। राज्य जल एवम सीवरेज मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) जिला जल एवं सीवरेज मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) और ग्राम जल एवं सीवरेज समिति (वी.डब्ल्यू.एस.सी.) को 13–12–2019 को अधिसूचित किया गया है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पंचायतों को घरों के कवरेज के लिए पूंजी कार्य कियावन्यन करने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। एक बड़े नीतिगत बदलाव में नई जल आपूर्ति परियोजनाओं के साथ–साथ ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के क्रियान्वयन में ग्राम जल एवं सीवरेज समिति (वी.डब्ल्यू.एस.सी.) की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्थानीय शासन को सशक्त बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

6.60 जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जो अब तक कार्यन्वयन कर्ता का कार्य करता था वह अब पंचायती राज संस्थानों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा। जिला जल एवं सीवरेज मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) के अध्यक्ष होने के नाते जिला उपायुक्तों से अनुरोध किया गया है कि वे कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए मासिक प्रगति की समीक्षा बैठकें आयोजित करें तथा उन मुद्दों को हल करें जो योजना के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

6.61 कुल 92 शहरों में से 87 शहरों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्धारा पेयजल आपूर्ति एवम् मल निकासी सेवाओं का रखरखाव किया जा रहा है। सभी 87 शहरों में पाईपों द्धारा पेयजल आपूर्ति प्रदान की जा चुकी है। चालू–वित वर्ष के दौरान चुने हुए शहरों तथा शहरों की अनुमोदित हुई कालोनियों में जल वितरण तथा बढौतरी के कार्यों को करने के लिए 14,706 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15–01–2020 तक 9,621.86 लाख रूपये इस्तेमाल किए जा चुके हैं जबकि 5,084.14 लाख रूपये की शेष धनराशि 31–03–2020 तक उपयोग होने की संभावना है।

6.62 जहां तक मल निकासी योजनाओं का सम्बन्ध है राज्य में मल निकासी की सुविधाएं 87 शहरों के मुख्य भागों में प्रदान की जा चुकी है। जबकि 4 शहरों में जल निकासी सुविधाएं प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है तथा हाल ही में अधिसूचित 5 शहरों में अभी कार्य शुरू किया जाना है। चालू वित्त–वर्ष के दौरान शहरी क्षेत्रों में मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 20,505 लाख रूपये की धनराशि अनुमोदित की गई है और 15 जनवरी,

2020 तक 16,867.65 लाख रूपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा शेष 3,637.35 लाख रूपये 31–03–2020 तक उपयोग होने की संभावना है।

6.63 भारत की राजधानी पर बड़े पैमाने पर जनसंख्या भार को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) उपग्रह शहरों में पेयजल आपूर्ति एवं मल निकासी की बुनियादी संरचनाओं को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। इस का उद्देश्य राजधानी से सटे शहरों में लगभग समान सेवाएं प्रदान करना और देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या को कम करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा वित्तपोषित योजनाएं 75:25 के शेयरिंग पैटर्न पर लागू की जाती है। जिस में 75 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड से तथा 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य का होता है।

6.64 वर्तमान में 9 शहरों नामतः गन्नौर, खरखौदा, झज्जर, होडल, कलानौर, सापंला, सोहना, बेरी एवं समालखा में मल निकासी योजनाओं में सुधार के लिए 72.09 करोड़ रूपये की लागत की 9 परियोनाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई हैं तथा यह योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा 30 करोड़ रूपये मजूंर किए गए हैं तथा इस पर 15 जनवरी, 2020 तक 7.02 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.65 मानसून के दौरान विभिन्न शहरों मे कई स्थान प्राकृतिक ढलान के कारण बाढ़ के लिए अति संवेदनशील हैं। प्रभावित इलाकों में बाढ़ की रोकथाम के लिए बरसाती पानी की निकासी के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचो के निर्माण की आवश्यकता होती है। पिछले तीन दशकों के दौरान बाढ से प्रभावित अति संवेदनशील प्रमुख शहरों में एक काफी मजबूत और लचीला बरसाती पानी की निकासी के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान जो कार्य प्रगति पर हैं उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए 20 करोड़ रूपये की धनराशि आबंटित की गई है और 15 जनवरी, 2020 तक 6.35 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की गई है। शेष राशि को 31–03–2020 तक खर्च करने की संभावना है।

6.66 शहरी क्षेत्रों के लिए स्पेशल कंपोनेट सब प्लान (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जल आपूर्ति/मल निकासी सुविधाएं प्रदान तथा अपग्रेड की जा रही हैं। इन धनराशियों का उपयोग इंदिरा गांधी पेयजल आपूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत बनाई गई सरंचनाओं की देख–रेख के लिए भी किया जा रहा है। शहरों की अनुसूचित जाति की अधिक आबादी वाली बस्तियों/कालोनियों में मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान पेयजल के लिए 294 लाख रूपये और मल निकासी के लिए 995 लाख रूपये की धनराशि निर्धारित की गई है। 15 जनवरी, 2020 तक स्पेशल कंपोनेंट सब प्लान के अन्तर्गत शहरी पेय जल योजनाओं एवं शहरी मल निकासी योजनाओं पर क्रमशः 196.56 लाख रूपये और 507.60 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.67 जन स्वास्थय अभियात्रिंकी विभाग ने 124 मल शोधन संयन्त्रों का निर्माण किया हैं जिनमें वह मल शोधन संयन्त्र भी शमिल हैं जो की घग्गर तथा यमुना कैचमैन्ट क्षेत्र में आते है। तथा जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग ने कमियों की पहचान की है और नई स्वीकृत कालोनियों मे सीवर बिछाने के अलावा नये मल शोधन संयन्त्रों के निर्माण और मौजुदा मल शोधन संयन्त्रों के नवीनीकरण को 31–12–2020 तक पूरा करने की तैयारी कर ली गई है।

6.68 भूमिगत जल भण्डार में चितांजनक कमी को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने उपचारित गैर पीने योग्य जल के पुनः उपयोग पर नीति को अधिसूचित किया है जो काफी व्यापक है और बेकार पानी को उपयोग

में लाने के लिए, स्टैंडर्ड परिचालन प्रक्रिया के अनूसार सम्बन्धित परियोजना निर्माण के लिए सृजन डेटाबेस, निगरानी और कार्यन्वयन के लिए एक विशेष सैल का गठन शामिल है। इस सम्बन्ध में सम्भावित गैर पीने योग्य पानी के उपयोग से सम्बन्धित बडे उपभोक्ताओं अर्थात विद्युत संयन्त्रों नगर निगम, उद्योगों और सिंचाई की पहचान कर ली गई है तथा सभी हितधारकों के साथ प्रारंम्भिक बैठकें की जा रही हैं। उपचारित गैर पीने योग्य/अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिये व्यापक कार्य योजना भी तैयार की गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

6.69 महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वचनबद्व है। विभाग का मुख्य उद्वेश्य/लक्ष्य, नीतियों और प्रोग्रामों द्वारा महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना, बच्चों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सीखने की क्षमता बढ़ाना, पोषण, संस्थानिक समर्थन इत्यादि है। विभाग का बजट वर्ष 2014–15 में 1,114.15 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 1,496.98 करोड़ रूपये हो गया है। इस वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2019 तक 790.55 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों पर व्यय की गई है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

6.70 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत पानीपत में की गई थी जिसका उद्देश्य पक्षपाति लिंग जांच को रोकना, लडकियों व बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा राज्य के 12 जिलों को चुना गया जिनका शिशु लिंग अनुपात असंतुलित था। इसके पश्चात वर्ष 2016 में यह कार्यक्रम शेष 8 जिलों में तथा मार्च, 2018 में मेवात जिले में अग्रेषित किया गया। राज्य सरकार ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वन के लिए सभी समुदायों, सामाजिक संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों को एक सांझा मंच पर लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए। हरियाणा में शिशु लिंग अनुपात दर जो वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 830 था, वर्ष 2019 में बढ़कर 923 तक पहुँच गया है। दिनांक 08–03–2016 को राज्य सरकार को शिशु लिंग अनुपात में सुधार लाने हेतु सम्मानित किया गया। जिला यमुनानगर को दिनांक 24–01–2017 को बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने जिला सोनीपत के उपायुक्त को दिनांक 08–03–2018 को बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ की तीसरी वर्षगाांठ के अवसर पर पी.सी. तथा पी.एन.डी.टी. अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सम्मानित किया गया। हरियाणा राज्य को पूर्ण रूप से समर्थन, मार्ग दर्शन, देखरेख तथा बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सम्मानित किया गया। जिला करनाल को प्रभावशाली सामुदायिक गठबन्धन, जिला कुरूक्षेत्र को पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी. अधिनियम को लागू करने और जिला झज्जर को कन्या शिक्षा के लिए योग्य बनाने पर दिनांक 24–01–2019 को सम्मानित किया गया। हरियाणा राज्य को बेहतर प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया और जिला महेन्द्रगढ और भिवानी को पिछले 5 वर्षों में शिशु लिंग अनुपात में उत्कृष्ठ कार्य के लिए दिनांक 07–08–2019 को सम्मानित किया गया।

प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)

6.71 भारत सरकार द्वारा 01–01–2017 से इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदल कर प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया गया है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में चलाई जा रही है जिसका

खर्चा केन्द्र व राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में है। यह योजना गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार और पोषण में सुधार लाने में मदद करेगी ताकि कुपोषण के प्रभाव को कम किया जा सके, जैसे कि स्टंटिंग, वेस्टिंग और अन्य संबंधित समस्याएं। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 5,000 रूपये की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। योजना के शुरू होने से अब तक 3,43,946 लाभपात्रों पर 147.03 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई है।

वन स्टॉप केन्द्र (सखी)

6.72 हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चरणबद्व तरीके से एक छत के नीचे सभी सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, अस्थाई आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्वेश्य से वन स्टॉप केन्द्र की स्थापना की गई है। राज्य में महिलाओं के लिये वन स्टॉप केन्द्र ''सखी'' की स्थापना प्रथम चरण में जिला करनाल, गुरूग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रिवाडी, भिवानी एवं नारनौल में की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 में शेष जिलों में 15 वन स्टॉप केन्द्र चलाए गए। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में अब तक कुल 6,061 (महिलाएं उनके बच्चों सहित) केसों का निपटान किया जा चुका है। इस योजना के तहत अब तक 254.27 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है।

आपकी बेटी–हमारी बेटी

6.73 हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2015 में घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए आपकी बेटी–हमारी बेटी योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई। जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये तथा सभी वर्ग के परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये की राशि दी जाती है। यह राशि बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर (लगभग 1 लाख रूपये) उसके उपयोग के लिए दी जायेगी। हरियाणा सरकार द्वारा तीसरी बेटी के जन्म पर भी यह लाभ देने का प्रावधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत मास दिसम्बर, 2019 तक 2,03,385 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा चुका है।

हरियाणा कन्या कोष

6.74 हरियाणा कन्या कोष राज्य में मार्च, 2015 को बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास व उन्नति के लिये गठित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोष के तहत प्राप्त राशि की देखरेख की जायेगी। इस कोष के बैंक खाते में अब तक 69.88 लाख रूपये की राशि जमा की गई है। आयकर विभाग द्वारा आयकर एक्ट की धारा 12 ए ए के अन्तर्गत चैरिटेबल सोसाईटी का पंजीकरण तथा धारा 80जी के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। दिसम्बर, 2019 तक 52.41 लाख रूपये की राशि बालिकाओं एवं महिलाओं के उत्थान के लिए व्यय की गई है।

सुकन्या समृद्वि खाता योजना

6.75 यह योजना 22–01–2015 को चलाई गई थी जिसका उद्देश्य असंतुलित लिगांनुपात की समस्या से निपटने तथा बेटी के जन्म के प्रति लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना है। योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक खाता खोला जा सकता है। राज्य में अब तक कुल 4,90,081 खाते खुलवाये जा चुके है।

पोषण अभियान

6.76 पोषण अभियान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च, 2018 को राजस्थान के झुंझनु जिले में शुरू किया गया। पोषण अभियान का लक्ष्य 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार करने से है। पोषण अभियान राज्य के सभी जिलों में चरणबद्व तरीके से लागू हैं। पोषण अभियान के पहले चरण में 2 जिले (नूह व पानीपत) को शामिल किया गया तथा दूसरे चरण में 10 जिलों नामतः कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, भिवानी, यमुनानगर, गुरूग्राम, पलवल,

रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत को चयनित किया गया, बाकी जिलों को तीसरे चरण के तहत समाविष्ट किया गया। सामुदायिक आधारित कार्यक्रमों को प्रत्येक महीने के 8वें और 22वें दिन प्रत्येक आंगनवाड़ी में आयोजित किये गए। ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस महीने के 15वें दिन स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायत के अभिसरण में नियमित तौर पर आयोजित किए गए। विभिन्न स्तर पर अभिसरण कार्य योजना बनाने के लिए राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समन्वय कमेटियों का गठन किया गया।

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)

6.77 समेकित बाल संरक्षण एम्ब्रैला योजना है जिसके अन्तर्गत जरुरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को समाविष्ट किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी (एच. एस.सी.पी.एस.) के माध्यम से चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता मे जिला बाल संरक्षण समिति (डी.सी.पी.यू.) तथा जिला बाल संरक्षण कमेटी का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत जरुरतमंद बच्चों को उनकी देखरेख, सुरक्षा, विकास तथा पुनर्वास उपलब्ध करवाई जा रही है। 82 बाल देखरेख संस्थायें सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। ये संस्थाएं राज्य में 47 खण्डों में 3,500 बच्चों को कवर कर रही है। हरियाणा में सभी जिलों में किशोर न्याय समिति और बाल कल्याण समिति कार्य कर रही है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना

6.78 समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.) सरकार की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 0–6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक विकास में सुधार करना तथा मृत्युदर, कुपोषण एवं स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है। वर्तमान में आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत 148 परियोजनायें (127 ग्रामीण + 21 शहरी) 25,962 आंगनवाड़ी केन्द्रों जिनमें 512 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र भी शामिल हैं, के माध्यम से चलाई जा रही हैं। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माप दण्डो के अनुसार पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है जो गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को 600 कैलोरी व 18–20 ग्राम प्रोटीन, बच्चो को 500 कैलोरी व 12–15 ग्राम प्रोटीन तथा कुपोषित बच्चो को 800 कैलोरी और 20–25 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। पूरक पोषाहार की दरो को 7 रूपये से 9.50 रूपये प्रति माता, 6 रूपये से 8 रूपये प्रति बच्चा व 9 रूपये से 12 रूपये प्रति कुपोषित बालक प्रतिदिन कर दिया गया है। पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 8.06 लाख बच्चो व 2.56 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को समाविष्ट किया गया है। बच्चों और महिलाओं को प्रदान किये जा रहे पूरक पोषण के पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए निम्न पहल की गई है।

- फोर्टीफाईड तेल सभी जिलों में व दोनों पंजीरी प्लांट में हैफेड के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- फोर्टीफाईड गेंहू का आटा 6 जिलों नामतः अम्बाला, करनाल, सोनीपत, कैथल, कुरूक्षेत्र, पंचकूला हैफेड के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- पंजीरी प्लांट गुरूग्राम व घरौण्डा द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों के लिए फोर्टीफाईड पंजीरी तैयार की जा रही है।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों में राशन बनाने के लिए डबल फोर्टीफाईड नमक का प्रयोग किया जा रहा है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण

6.79 आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण योजना का आरम्भ वर्ष 2002–03 में इस उद्देश्य के साथ हुआ किं बच्चों व आई.सी.डी.एस. की लाभार्थी महिलाओं को स्वच्छ साफ सुथरा वातावरण प्रदान करने के लिए परिसम्पति सृजित करना है। वर्तमान में एक आंगनवाड़ी

केन्द्र का निर्माण 9.95 लाख रूपये की लागत से करवाया जा रहा है। यह कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा करवाया जाता है। वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 के बजट में आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण के लिए 13,000 लाख रूपये का प्रावधान है। वर्ष 2014–15 से अब तक 3,788 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 48,478.92 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। इस अवधि के दौरान 2,731 आंगनवाडी केन्द्रों का निर्माण पूरा हो चुका है।

***

7

पंचायती राज तथा ग्रामीण एवं शहरी विकास

विकास एवं पंचायत विभाग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कियान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की निगरानी तथा पंचायती राज संस्थाओं के कियाकलापों का नियमन तथा तालमेल के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीण विकास हेतू सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण

7.2 हरियाणा राज्य में स्वच्छ भारत मिशन सोसाईटी, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सफल व कियावयन के अर्न्तगत विकास एवं पंचायत विभाग मे पंजीकृत किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा निधिकरण अनुपात 60:40 किया गया है। इस का मुख्य उद्धेश्य साफ–सफाई, स्वच्छता मे सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लागु किया गया है। इस स्कीम के अर्न्तगत वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 6,31,866 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करवाया गया है और हरियाणा राज्य खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है।

ठोस तरल कचरा प्रबन्धन

7.3 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अर्न्तगत ठोस तरल कचरा प्रबन्धन प्रोजैक्ट के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में घरों की कुल संख्या के आधार पर अधिकतम 7 लाख रूपये, 12 लाख रूपये, 15 लाख रूपये व 20 लाख रुपये उन ग्राम पंचायतों के लिए है जिनमें घरों की कुल संख्या कमशः 150, 300, 500 और 500 से अधिक है, निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त लागत की पूर्ति राज्य/ग्राम पंचायत, दूसरे स्त्रोत जैसे वित्त कमीशन फण्ड, सी.एस. आर., स्वच्छ भारत कोष और पी.पी.पी. मॉडल के द्वारा की जानी है। सभी 22 जिलों के 390.57 करोड़ रुपये की राशि के 1,395 ठोस तरल कचरा प्रबन्धन प्रोजेक्ट के लिए राज्य योजना स्वीकृति कमेटी (एस.एस.एस.सी.) द्वारा स्वीकृत हो चुके है, जिसमें से 722 ठोस कचरा प्रबंधन व 555 तरल कचरा प्रबंधन की परियोजनायें पूरी हो चूकी है व 172 ठोस कचरा प्रबंधन व 412 तरल कचरा प्रबंधन की परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2019–20 में वार्षिक कियान्वयन योजना (ए.आई.पी.) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा ठोस व कचरा तरल प्रबंधन की 1,377 परियोजनाओं हेतू 198.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये है जिसमें से 119.39 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्सा व 79.59 करोड़ रुपये राज्य सरकार का हिस्सा होगा।

खुले में शौच मुक्त पंचायत

7.4 हरियाणा राज्य दिनांक 22–06–2017 को खुले मे शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। अब स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का जोर ओ.डी.एफ. + जोकि खुले में शौच मुक्त की स्थिति को बनाये रखने एवं ठोस तरल कचरा प्रबधन पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वर्ष 2019 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में हरियाणा राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जिला फरीदाबाद व रिवाड़ी को भी देश भर में दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

ग्राम सचिवालयों की स्थापना

7.5 ग्राम पंचायतों को संस्थागत रूप देने और साथ ही उनके काम–काज में पारदर्शिता लाने के लिए, विकास एवं पंचायत

विभाग ने 2015–16 के दौरान सभी ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सचिवालय योजना बनाई थी। ग्राम सचिवों के स्वीकृत पदों को ध्यान में रखते हुए, सभी ग्राम पंचायतों को 2,294 समूहों (प्रत्येक समूह मे 3–4 ग्राम पंचायत) में रखा गया है। इस प्रयोजन के लिए राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत घर या किसी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध अन्य उपयुक्त समुदाय ईमारत को उन्नत किया जाएगा और बुनियादी आई.टी सुविधाएं (बुनियादी ढांचे और हार्डवेयर) ग्राम सचिवालय स्थापित करने के क्रम में प्रदान किये जायेंगे। दिनांक 30–10–2019 तक 1,855 ग्राम सचिवालय राज्य मे स्थापित किये जा चुके है। पांच वर्षों के प्रथम चरण में ग्राम सचिवालय क्लस्टर स्तर पर स्थापित किये जायेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में ग्राम सचिवालय शेष ग्राम पंचायतों में स्थापित किये जायेंगे। ग्राम सचिवालय की योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत और सभी विभागों के ग्राम–स्तर के पदाधिकारियों को एक छत के नीचे बेहतर कामकाज और समन्वय लाने के लिए रखा गया है। यह योजना ग्राम पंचायत और अन्य ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में लगी एजैंसियों के काम–काज में क्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना

7.6 इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित पिछड़ी जाति, पिछडे श्रेणी (क) एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट मुफ्त अलाट किए जा रहे है। जिस भूमि पर प्लॉट आंबटित किये जाने है, वहां जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पीने का पानी एवं पक्की गलियां एवं नालियां विकसित की जाएंगी। इस योजना के तहत 3.87 लाख परिवारों को उपहारनामा के माध्यम से स्वामित्व का अधिकार 30–11–2014 तक प्रदान किया जा चुका है। जिन ग्राम पंचायतों में शामलात भूमि उपलब्ध है, उनमें शेष पात्र परिवारों को प्लॉट उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे गांवों, जिनमें प्लॉट आंबटन के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, उनमें पंचायतों की भूमि का निजि भूमि से तबादला करके अथवा भूमि अधिग्रहण करके भूखण्ड अलाट किये जाएंगे। सरकार का इन बस्तियों में पानी की पाईपलाईन और बिजली की लाईनों को बिछाने हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करने का इरादा है। वर्ष 2018–19 के लिए 5,000 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित है जिसमें से अब तक 1,099.38 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। वर्ष 2019–20 के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है, जिसमें से अब तक 14.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

स्वर्णजयंती महा ग्राम विकास योजना

7.7 सरकार द्वारा योजनाबद्ध विकास के लिए 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव में ग्रामीण जनसंख्या को शहरी आबादी की ओर विस्थापित होने से रोकने हेतू एक नई योजना 'स्वर्णजयंती महा ग्राम विकास योजना' शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह योजना वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए तय की गई है। स्कीम का उद्देदश्य बड़े गावों को व्यापार, विपणन सुविधा, सामाजिक एंव ढांचागत विकास, शिक्षण संस्थान एंव मानव विकास आदि से विकसित करना है, ताकि ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर विस्थापित होने से रोका जा सके। इन गावों में सीवरेज की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जायेगी। स्कीम की कुल अनुमानित लागत 1,46,100 लाख रुपये है। स्कीम का अनुमोदन वित्त विभाग द्वारा करवा लिया गया है। वर्ष 2017–18 के लिये 13,500 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 8,405.91 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2018–19 के लिये वित्त विभाग द्वारा बजट की राशि का प्रावधान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के बजट में किया गया है।

हरियाणा ग्रामीण विकास योजना

7.8 योजना का उद्देश्य आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवा कर तथा उनमें सुधार करके जैसे गलियों का पक्का करना, गंदे पानी की उचित निकासी, सामुदायिक भवनों/

चौपालों का निर्माण एवं मुरम्मत इत्यादि का वर्तमान में उचित तरीके से मानचित्रण और आई.टी. आधारित प्रणाली का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। वर्ष 2018–19 के लिये 45,000 लाख रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया हैं, जिसमें से 44,930 लाख रुपये की राशि अब तक जारी की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2019–20 के लिये 50,000 लाख रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया हैं, जिसमें से 99.94 लाख रुपये की राशि अब तक जारी की जा चुकी है।

स्वच्छता में सुधार हेतू ग्राम पंचायतो को वित्तीय सहायता स्कीम

7.9 गावों की स्वच्छता में सुधार लाने हेतू ग्राम पंचायतों द्वारा 10,229 से अधिक ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगाये गये थे। सफाई कर्मचारियों को भत्ता प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्य के लिये आरम्भ में अक्तुबर, 2007 से प्रत्येक सफाई कर्मचारी को 3,525 रुपये प्रति माह मिलते थे, जिसे बार–बार संशोधित करके दिनांक 12–09–2019 को 12,500 रूपये प्रतिमाह किया गया है। वर्ष 2017–18 के लिये 13,100 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 12,580 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 2018–19 के लिये 14,000 लाख रूपये की राशि प्रस्तावित की गई है, जिसमें से 12,649.87 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। वित्त वर्ष 2019–20 कि लिये 130 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है, जिसमें से 83.04 करोड़ रुपये की राशि अब तक जारी की जा चुकी है।

ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

7.10 यह योजना राज्य के समस्त जिलों में 1 अप्रैल, 2008 से ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवारों के व्यस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का अकुशल गारन्टी रोजगार मुहैया करवाने हेतू लागू की जा रही है। कुल रोजगार का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस योजना में कार्य कर रहे श्रमिकों को 284 रुपये प्रति दिवस न्यूनतम मजदूरी दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से दी जा रही है जो कि देश में सबसे अधिक है।

7.11 इस कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु अन्य विभागों जैसे कि वन, कृषि, सिंचाई, स्कूल शिक्षा, महिला व बाल विकास, पंचायत, मत्स्य, जन–स्वास्थ्य, विपणन निगम, भवन एवं सड़क निर्माण तथा रेलवें इत्यादि से तालमेल करके गांवो में उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करना है। इस योजना के अन्तर्गत 9 जनवरी, 2020 तक 279.42 करोड रुपये की राशि व्यय करके 58.94 लाख मानव दिवसों (59 प्रतिशत) का सृजन किया जा चुका है, जिनमें से 26.45 (45 प्रतिशत) लाख मानव दिवस अनुसूचित जातियों के लिए व 30.11 लाख (51 प्रतिशत) महिलाओं के लिए सृजित किए गए हैं। इस योजना के अंन्तर्गत वार्षिक योजना 2020–21 के लिए 350 करोड़ का परिव्यय केन्द्र व राज्य सरकार के 90:10 के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई. जी.)

7.12 इस योजना के अन्तर्गत समाजिक आर्थिक गणना–2011 के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाती है व वे परिवार जिनके पास 0,1,2 कमरों का कच्चा मकान हो। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कुल 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मैदानी क्षेत्रों में तथा 1.30 लाख रुपये पहाड़ी व कठिन क्षेत्रो में उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त 0.12 लाख रुपये की राशि शौचालय निर्माण व मैदानी क्षेत्रों में 90 दिन तथा पहाड़ी व कठिन क्षेत्रो में 95 दिनों तक मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी मकान के निर्माण हेतू उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 0.18 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि तीसरी किश्त के साथ दी जाती है।

7.13 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 9 जनवरी, 2020 तक कुल 4,549 मकानों का निर्माण किया गया है व 5,860 मकान निर्माणाधीन है तथा कुल 43.67 रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वार्षिक योजना 2020–21 के लिए 170 करोड़ रुपये का परिव्यय केन्द्र व राज्य सरकार के 60:40 के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.लैडस)

7.14 यह योजना भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर, 1993 में लागू की गई। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक लोक सभा, राज्य सभा तथा मनोनित सदस्य को एक वर्ष में 5 करोड़ रुपये की राशि प्रगति कार्यो के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2019 तक 19.50 करोड़ रुपये व्यय करके 414 कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है तथा 729 कार्य प्रगति पर हैं।

विधायक आदर्श ग्रम योजना

7.15 विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सरकार ने हर वर्ष प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को 2 करोड़ रुपये की राशि देने का निर्णय लिया है। यह राशि एक या एक से अधिक गांवो में खर्च की जा सकती है। यदि किसी गांव की आबादी 5,000 तक है तो (उसे 0.50 करोड़ रुपये, यदि आबादी 5,000–10,000 तक है तो ऐसे में 1 करोड़ रुपये तथा यदि आबादी 10,000 से अधिक है तो उस गांव को 2 करोड़) रुपये 'विधायक आदर्श ग्राम योजना' के तहत दिये जाते है। इस योजना के अंतर्गत वित वर्ष 2019–20 में 64.53 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

7.16 माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि प्रत्येक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि के कार्य करवा सकते है। इन कार्यों को करवाने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिये गये है कि विधायको द्वारा उपलब्ध करवाई गई विकास कार्यो की सूची अनुसार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त करवाये। वार्षिक योजना 2020–21 के लिए 180.20 करोड़ रुपये का परिव्यय राज्य सरकार के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

7.17 भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की शुरूआत दिनांक 21 फरवरी, 2016 को किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करते हुए देश का स्थायी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। 'रुर्बन क्लस्टर' मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 आबादी वाले तथा मरूभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी वाले भौगोलिक रूप से एक–दूसरे के समीप बसे गांवों का एक क्लस्टर होगा। सभी चयनित क्लस्टरों का 3 से 5 वर्षों के अंतर्गत विकास किया जाएगा।

7.18 इस योजना के तहत राज्य के 3 चरणों में 10 चयनित समूहों के 152 गांवों की पहचान की गई है। इन समूहों के सीमावर्ती गावों को 3 से 5 वर्षों में आर्थिक गतिविधियां, इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, कौशल विकास एवं स्थानीय उद्यमिता प्रदान करके विकसित किये जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019–20 तक कुल 377 कार्य दिसम्बर, 2019 तक आरम्भ किये गये है व 32 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा कुल 70.43 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक योजना 2020–21 के लिए 245 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र व राज्य के हिस्से के रुप में राशि प्रस्तावित की गई है।

समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम

7.19 यह कार्यक्रम प्राकृतिक संसाधन जैसेकि मिट्टी, वनस्पति और पानी का उपयोग, संरक्षण व विकास के द्वारा पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने के लिए अनिवार्य है। जिसके फलस्वरूप मिट्टी का क्षरण, प्राकृतिक वनस्पति के उत्थान व भूजल के स्तर को कम होने से बचाव करना है। यह कार्यक्रम राज्य के

13 जिलों क्रमशः अम्बाला, भिवानी, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, मेवात, महेन्द्रगढ, पलवल, पंचकुला, रोहतक, रिवाड़ी, सोनीपत व यमुनानगर में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2019–20 में 16.03 करोड़ रुपये की राशि नवम्बर, 2019 तक खर्च की जा चुकी है।

जल संरक्षण और जल संचयन योजना

7.20 यह योजना वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य में भूजल के अतिदोहन होने वाले खण्डों में अधिसूचित जल संरक्षण और जल संचयन के लिए कार्यान्वित की गई है। इस योजना के तहत केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा 21.22 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने 11 जिलों के 22 अतिदोहन खण्डों को अधिसूचित किया है। इस नई योजना का कार्य भूजल के अतिदोहन वाले खण्डों में जल संरक्षण व जल संचयन करने के लिए अनिवार्य है ताकि भूमिगत जल का स्तर बढाया जा सके। इस योजना में वर्ष 2019–20 में नवम्बर, 2019 तक 4.49 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके है।

सिंचाई दक्षता निधि–नाबार्ड

7.21 इस नई योजना को वित्तीय वर्ष 2019–20 से राज्य के पहचान किये गए 36 पिछडे और महत्वपूर्ण खंडों में भूजल को रिचार्ज करने के लिए संरक्षण व कटाई के कार्य करने के लिए लागू किया जाएगा। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2020–21 के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र एवं राज्य के हिस्से के रुप में प्रस्तावित की गई है।

दीन दयाल अन्तयोद्य योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.जी.एल.एम.)

7.22 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 01–04–2013 से राज्य में चरणबद्व तरीके से लागू किया गया है। वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक 10,040 नये स्वयं सहायता समूह बनाये गए हैं तथा कुल 42.58 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

दीन दयाल उपाध्याय योजना–ग्रामीण कौशल योजना (जी.के. वाई.)

7.23 यह योजना भारत के ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रदान करने के लिए है। इसके अन्तर्गत सामान्य लागत मानको के रूप में सदस्यता लेने वाले प्रशिक्षण और नियुक्ति से संबंधित लागत को कार्यक्रम के तहत अनुमति दी जाती है और धन की गणना एक परियोजना के लिए आंवटित लक्ष्य के अनुसार की जाती है। यह योजना पीपुल प्रोजेक्ट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करती है और यह राशि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से दी जाती है। वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक 8.44 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना

7.24 यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा खण्ड बवानी खेड़ा (भिवानी), मातनहेल (झज्जर) व नारनौंद (हिसार) में प्रारम्भिक आधार पर शुरु की गई है। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक प्रबंधित सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को (सी.एम.एस.ए.) को बढ़ावा देने के माध्यम से छोटे और सीमांत धारक कृषि को मजबूत करने के लिए (सी.एम. एस.ए.) स्थानीय रुप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का सबसे अच्छा लाभ लेना शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2019 तक कुल 0.39 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

स्टार्ट–अप विलेज एंट्रेप्रीन्योरशिप प्रोग्राम

7.25 यह एन.आर.एल.एम. की एक उप–योजना है जो ग्रामीण युवाओं के उद्यमों को शुरु करने और उनकी सहायता करने के लिए है। इस योजना का कुल उद्देश्य ग्रामीण उद्यमों को शुरु करने, सहायता करने के लिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने एवं गरीबी व बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को लागू करना है। वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक 1.97 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। वार्षिक योजना 2020–21 के लिए इन परियोजनाओं के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र व राज्य सरकार के हिस्से के रूप में प्रस्तावित की गई है।

शहरी बुनियादि ढ़ांचागत विकास

7.26 शहरी स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण स्वायत्तशासी संस्थायें हैं जोकि शहरी क्षेत्रों में भौतिक मूल ढांचा और नागरिक सुविधाऐं प्रदान करती हैं। वर्तमान में राज्य की 35 प्रतिशत से अधिक आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) शहरी क्षेत्रों में रहती है। राज्य में 87 पालिकाएं है जिनमें से 10 नगरनिगम, 19 नगरपरिषदें तथा 58 नगर पालिकाएं हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्व है कि राज्य में सभी नगर पालिकाएं सरकार को मजबूत करने और मजबूत संस्थानों के रुप मे उभरती है, सरकार का उद्वेश्य नगर निगमों को समर्थन और सुविधा प्रदान करना, ताकि नगर निगम आत्मनिर्भर और अपने स्तर पर विकास निर्णय लेने मे सक्षम हो।

7.27 शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बजट व्यवस्था में पिछले वर्षो की अपेक्षा काफी वृद्वि हुई है। वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान शहरी आधारभूत संरचना व मूलभूत सुविधाओं पर बल देते हुए राज्य बजट में 4,619.37 करोड़ रुपये राशि की व्यवस्था की गई है।

स्मार्ट सिटी

7.28 भारत सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन शुरु किया गया। भारत सरकार द्वारा यह केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप मे संचालित किया जाएगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रति शहर 100 करोड़ रुपये की वित्तिय सहायता देने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा भी समान राशि के रुप स्मार्ट सिटी में योगदान किया जाना है। फास्ट ट्रैक स्मार्ट शहरों के अन्तर्गत 21 मई, 2016 को फरीदाबाद का चयन किया गया तथा दिनांक 28–06–2017 तीसरे दौर में करनाल को बतौर स्मार्ट सिटी चयनित किया गया।

फरीदाबाद स्मार्ट सिटी

7.29 विशेष उद्वेश्य वाहन नामतः फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड दिनांक 20–09–2016 को स्थापित किया गया था, जोकि कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पी.एम.सी.) नियुक्त कर दिए गए है।

- फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कुल 390 करोड़ रुपये जारी किए गए है। जिसमें 196 करोड़ रुपये भारत सरकार के हिस्से के रूप में व 194 करोड़ रुपये राज्य सरकार के हिस्से के रुप में शामिल है।
- नगर निगम फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में 2 घटक शामिल है, अर्थात विकासात्मक प्रस्तावों पर अधारित क्षेत्र और पैन सिटी प्रस्ताव।
- फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कुल 49 परियोजनाएं है जिनकी कुल लागत 2,580.93 करोड़ रुपये है।

उपलब्धियां

7.30 49 परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं स्मार्ट शौचालय (10 स्थल) और ओपन एयर स्मार्ट जिम (5 स्थल) को पूरा कर लिया गया है और 595.85 करोड़ रुपये की लागत वाली अन्य 15 परियोजनायें शुरु की गई हैं व कार्य प्रगति पर है। दिनांक 08–09–2019 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रमुख परियोजनाओं में से इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का उदघाटन किया गया है। प्रमुख सम्मानित परियोजनाओं के विवरण में ओपन एयर स्मार्ट जिम, रेन वाटर हारवेस्टिंग, स्मार्ट पार्क (सैक्टर–21 बी). राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के 5 इन्टर सेक्शनों का सौंदर्यकरण, बडखल रोड का विकास (बडखल मोड से बायपास मोड तक). एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी.) और बरही नक्षत्र वाटिका आदि का निर्माण शामिल है जबकि 7 परियोजनाएं जिसकी लागत 190.86 करोड़ रुपये अर्थात डिजाइन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन, विकास, कार्यान्वयन, ऑपरेश्न तथा स्मार्ट सिटी के आपदा वसूली बादल का रख–रखाव, बडखल झील कायाकल्प भाग ए–लेक बेड ट्रीटमेंट, बडखल झील कायाकल्प, मुख्य बंद को मजबूत बनाना तथा ई.पी.सी. आधार पर

चौड़ीकरण, डिजाइन, अभियांत्रिकी, खरीद तथा बस डिपो का निर्माण, ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन नेटवर्क के निर्माण के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन, सिटी बस संचालन के लिए निजि ऑपरेटर के चयन के लिए योग्यता और प्रस्ताव के लिए अनुरोध करना तथा सरकारी प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करना, संत नगर निविदा चरण के अन्तर्गत है।

करनाल स्मार्ट सिटी

7.31 करनाल स्मार्ट सिटी के लिए विशेष उद्देश्य वाहन का गठन 01–08–2017 को किया गया था तथा के.एस.सी.एल. कम्पनी अधिनियम के तहत 08–12–2017 को पंजीकृत किया गया है। एस.पी.वी. ने के.पी.एम.जी. को परियोजना प्रबन्धन सलाहकार के रुप में दिनांक 10–08–2018 को नियुक्त किया एवं दिनांक 01–10–2018 को के.पी.एम.जी. के साथ समझौता किया गया।

- करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कुल 110 करोड़ रुपये जिसमें 60 करोड़ रुपये भारत सरकार के हिस्से के रूप मे शहरी विकास मंत्रालय द्वारा व 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए है।
- नगर निगम करनाल के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में 2 घटक शामिल है, अर्थात विकासात्मक प्रस्तावों पर आधारित क्षेत्र और पैन सिटी प्रस्ताव।
- करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कुल 57 परियोजनाएं है जिनकी कुल लागत 1,171.83 करोड़ रुयये है।

उपलब्धियां

7.32 57 परियोजनाओं में से 5 परियोजनाएं, जिसकी लागत 21.15 करोड़ रुपये है, जिसमें करण पार्क में लाइट और साउंड शो, करण ताल में म्युजिकल फांउनटेन, शहर की निगरानी का कार्य व सीटी बस सर्विस और कन्वेंशन हॉल का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 17 परियोजनाएं जिसकी लागत 167.13 करोड़ रुपये जिनमें ओपन एयर स्मार्ट जिम व मेडिटेशन क्षेत्र, स्मार्ट यूटिलिटी, निर्धारित साइकिल ट्रैक, सांझी साइकिल (पी.बी.एस.), नालियां, रोड, पार्क में वाई–फाई इत्यादि प्रगति पर है। हालांकि 2 परियोजनाएं अर्थात मुगल नहर में वाणिज्यिक स्थान का निर्माण और पुरानी सब्जी मंडी में भूमिगत पार्किंग का विकास जिसकी लागत 293.83 करोड़ रुपये है, टेडरिंग स्टेज में है।

हरियाणा नगर निगम विज्ञापन, 2016

7.33 हरियाणा राज्य ने विज्ञापनो के नियमन के लिए हरियाणा नगर निगम विज्ञापन, 2016 की अधिसूचना दिनांक 23–03–2018 को अधिसूचित किया, जो नगरपालिकाओं के लिए राजस्व का एक बडा स्त्रोत है। बेहतर विनियमन के लिए एक संशोधन 13–02–2019 को अधिसूचित किया गया।

सिटी बस सेवा फरीदाबाद की स्थिति

7.34 सिटी बस सेवा परियोजना को सी.ओ.एस.आई और सी.सी.आई द्वारा अनुमोदित किया गया है। फरीदाबाद ट्रांसपोर्ट सर्विस सिटी लिमिटेड (एफ.टी.एस.सी.एल.) नामक विशेष प्रायोजन वाहन का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 को एक संशोधन अधिसूचित किया गया था।

1. सिटी बस सेवा नियोजन–डिमांड एसेसमेट के आधार पर दो प्रकार की बस सेवाओं नामतः फीडर सर्विसेज 2 मैट्रों स्टेशनों और इंट्रा सिटी के तहत प्रस्तावित है।

   फीडर बस सेवा–69 किलोमीटर की कुल रुट लंबाई के 10 मार्गो पर और प्रत्येक मार्ग 3–4 मिनट के हेडवे पर कम से कम एक मेट्रो स्टेशन की सेवा करता है, जो आमतौर पर 40 सेमी–लो–फलोर (650 एम.एम. मंजिल उंचाई) के बेडे के आकार के साथ मेट्रो हेडवे के साथ सिंक्रनाइज किया जाता है। सी.एन.जी. ईधन वातानुकूलित मिनी बसे।

   इंर्टा सिटी आपरेशन–50 सेमी–लो फलौर (650 एम.एम. मंजिल ऊंचाई) सी.एन.जी के साथ लगभग 10 मिनट

के 97 किलोमीटर की कुल रुट लंबाई वाले 10 मार्गो पर सी.एन.जी ईधन गैर वातानूकूलित मिनी बसे।

2. 595 बसों के बेडे के लिए 2031 तक 463 करोड रुपये की कुल अनुमानित लागत तय की गई है। निजि आपॅरेटरों द्वारा बसों के बेडे को अपनी लागत पर खरीद, संचालित और रखरखाव किया जाएगा, बस टर्मिनलों को प्रधिकरण द्वारा विकसित किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन स्कीम

7.35 स्वच्छ भारत मिशन का उद्धेश्य प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार समुदाय को गुणात्मक सफाई सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्व है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 71,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लक्ष्यों के विरुद्व 64,884 (91 प्रतिशत) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्मित किए गए है। 4,081 सीटो के लक्ष्य के विरुद्व 4,011 (98 प्रतिशत) सामुदायिक शौचालय सीटो का निर्माण किया गया है। 6,313 सार्वजनिक शैचालयों के लक्ष्य के विरुद्व 6,808 (108 प्रतिशत) सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।

- हरियाणा के 4 शहर (करनाल, पंचकुला, रोहतक और गुरुग्राम) शहरी स्थानीय निकाय स्वच्छ सर्वेक्षण–2019 में भारत के शीर्ष 100 शहरों की रैंकिंग में है।
- हरियाणा राज्य के सभी 80 शहरी स्थानीय निकायों को ओ.डी.एफ. (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया जा चुका है।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 12 शहरी स्थानीय निकाय (सोनीपत, बहादुरगढ, झज्जर, तरावडी, थानेसर, नारनौल, तावडू, महम, रिवाडी, बवानीखेडा, जीन्द और सांपला) को ओ.डी.एफ.+ घोषित किया है।
- 11 शहरी स्थानीय निकाय (गुरुग्राम, करनाल, रोहतक, अम्बाला, गन्नौर, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, घरौण्डा, हिसार तथा रादौर) को ओ.डी.एफ.++ घोषित किया गया है।
- करनाल शहरी स्थानीय निकाय को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 तथा 2020 में कचरा मुक्त शहर के लिए 3 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है।
- पहली तिमाही में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के दौरान नगर पालिका बेरी ने 25,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी, 2020 से शुरु हुआ है और पिछले वर्ष की कमियों का मूल्यांकन करने के बाद, स्वच्छ सर्वेक्षण–2020 में रैंकिंग में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
- इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 122.69 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 169.75 करोड़ रुपये जारी किए गए है।
- चालू वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
- हरियाणा सरकार ने त्वरित स्वच्छता कवरेज को बढ़ावा देने और राज्य के शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रथा को खत्म करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने और प्रेरित करने के उद्धेश्य से स्वच्छ भारत योजना शुरु की है। नगर निगम वार्ड के लिए 2 लाख रुपये, नगर परिषद वार्ड के लिए 1 लाख रुपये तथा नगर पालिका समिति के लिए 0.50 लाख रुपये हर 3 महीने के बाद सर्वश्रेष्ठ वार्ड को दिए जाएगें। यह पुरस्कार योजना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएश्नों की उपलब्धियों की भी पहचान सम्मिलित करती है, जिन्होनें शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता पुरस्कार के लिए ईमानदारी से प्रयास किए है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का चयन

जिला स्तरीय स्वच्छता समिति और 50,000 रुपये की राशि प्रत्येक जिले के एक चौथाई में आर.डब्ल्यू.ए. को पुरस्कार राशि के रुप में प्रदान किया जाएगा।

ठोस कूडा प्रबन्ध

7.36 राज्य के नागरिकों को वैज्ञानिक प्रबन्धन, ठोस कूडा कर्कट निष्पादन और स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए सभी 87 शहरी स्थानीय निकायों में 4 अपशिष्ट से उर्जा और 10 अपशिष्ट से खाद बनाने के लिए कुल 14 समेकित ठोस अपशिष्ट समूहों का गठन किया गया है जिसमें से 2 समूहों नामतः गुरुग्राम–फरीदाबाद और सोनीपत–पानीपत में सभी शहरी स्थानीय निकायों को कवर करने तथा कचरे का पृथकीकरण और निपटान सुविधाओं के साथ परिकल्पना की गई है।

- गुरुग्राम–फरीदाबाद और सोनीपत–पानीपत 2 समूहों के लिए कार्य प्रदान किया गया है। डोर टू डोर कलेक्शन और ट्रांसपोटेशन दोनों समूहों गुरुग्राम और फरीदाबाद में किया जा रहा है।
- पंचकुला कलस्टर में नीलामी प्रकिया पूरी हो गई है, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन किया गया है और परियोजना को सी.ओ. एस.आई. और सी.सी.आई.से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।
- सितम्बर, 2019 में रिवाडी, भिवानी, फतेहाबाद और पुन्हाना कलस्टर के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। रिवाडी, फतेहाबाद और पुन्हाना समूहों के लिए एकल बोली प्राप्त हुई है और एकल बोली पर विचार करने और खोलने के लिए फाइल को मंजूरी दी जा रही है।
- 1,427 वार्डो में डोर टू डोर कलेक्शन शुरु हुआ अैर 975 वार्डो में सोर्स सेग्रीगेशन शुरु हुआ।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (ए.एम.आर.यू.टी.)

7.37 आवास और शहरी मंत्रालय, भारत सरकार की अमृत योजना के तहत यह उल्लेख किया गया है कि इस योजना के तहत चयनित शहरों के शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्रों के विकास के साथ जल निकासी प्रणाली, हर घर में पीने के पानी की आपूर्ति और एक सीवरेज कनेक्शन देने का आश्वासन दिया गया है। शहरी परिवर्तन और कायाकल्प के लिए अटल मिशन अमृत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो हरियाणा के 18 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करती है। भारत सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के लिए 2,565.74 करोड़ रुपये वार्षिक कार्य योजना हेतु मंजूर किए गए है। इस योजना का उद्देश्य जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली के नेटवर्क को मजबूत करना और शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ उचित जल निकासी प्रणाली है। इस योजना के तहत 2,493.05 करोड़ रुपये की लागत वाले कार्य प्रगति पर है और इस साल पूरा होने की संभावना है।

7.38 सभी अमृत शहरी स्थानीय निकायों के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) एप्लिकेशन–आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना प्रगति पर है और इस साल पुरा होने की संभावना है। इस योजना का उद्देश्य भोगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) का उपयोग करके सामान्य डिजिटल जियों–संदर्भित आधार मानचित्र और भूमि उपयोग मानचित्र विकसित करना है। जिससे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी।

- हरियाणा में 18 शहरी स्थानीय निकाय जैसे गुरूग्राम, पंचकुला, अम्बाला शहर–सदर, यमुनानगर–जगाधरी, करनाल, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत, कैथल, रिवाडी, भिवानी, थानेसर, सोनीपत, बहादुरगढ, पलवल, सिरसा और जीन्द को इस योजना के तहत कवर किया गया है, जहां आज तक काम चल रहा है।

- इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 470.21 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है तथा अगले वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 1,026.29 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान की मांग की गई है।
- 18 अमृत कस्बों में शासन सुधार के लिए, आनलाईन बिल्डिंग प्लान की अनुमति, ऑनलाईन बेसिक सिटीजन सर्विसेज जैसे कुछ महत्वपूर्ण सुधारों को शामिल करने का कार्य अर्थात जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, भूमि का म्यूटेशन, ऑनलाईन टेंडरिंग प्रकिया के लिए ऑनलाईन–खरीद, नगरपालिका कर का ऑनलाईन भुगतान, पानी/सीवरेज शुल्क लागू किया गया है। योजना के तहत सभी पालिकाओं की वेबसाइटें बनाई और चालू की गई है। सभी अमृत शहरों की क्रेडिट रेंटिंग भी नामित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के माध्यम से आंकी गई है, जिसके द्वारा अमृत शहरों की ऋण योग्यता आंकी जाती है। भारत सरकार द्वारा 20.79 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि राज्य में सुधार करने के लिए प्रदान की गई है।

ऑनलाइन नागरिक सेवाएं

7.39 शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सरल पोर्टल पर 135 सेवाओं को ऑनलाईन आरम्भ किया है, आरम्भ की गई प्रमुख सेवाएं है, जन्म और मृत्यु, विवाह पंजीकरण, भवन निर्माण योजना की स्वीकृति, अग्निशमन सेवाएं, जल और सीवर कनेक्शन व बिलिंग और विभिन्न व्यवसाय लाइसेंस।

- प्रमुख आगामी सेवाएं,
- भूमि उपयोग में परिवर्तन
- विज्ञापन
- प्रमुख सेवाओं की योजना
- रास्ते का अधिकार
- किराया और पटटा
- दफन/दहन–भूमि

कार्य प्रबंधन प्रणाली

7.40 विकसित किए गए प्रमुख मॉडयूल परियोजना की परिभाषा, अनुमान तैयार करना एंव स्वीकृति, प्रशासनिक और बजट अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति, विक्रेता पंजीकरण, कार्य आबंटन, ई–मापन पुस्तक, बिल प्रसंस्करण है। सभी मॉडयूल का विकास इन हाउस आईटी सेल द्वारा किया गया था और कार्यक्षमता फीडबैक के लिए 8 नगर पालिकाओं में पायलट प्रोजैक्ट पुरा किया गया है। सिस्टम वर्तमान में सिक्योरिटी ऑडिट के अधीन है और सिक्योरिटी ऑडिट पूरा होने के बाद लॉन्च किया जाएगा। कार्य प्रबंधन प्रणाली के लाभ निम्न प्रकार से है:–

- शहरी स्थानीय निकायों का पूरा डाटा, अनुमोदन, भुगतान एक ही मंच पर उपलब्ध होगा
- धन के उपयोग की पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाएगा।
- कागजरहित कार्य जो अनुमोदन के लिए समय की बचत करेगा।
- मुख्यालय द्वारा कार्य की प्रगति की ऑनलाइन निगरानी।
- सडकों, भवनों, पार्कों आदि के विकास कार्यों का पूराना लेखा जोखा, मामूली और प्रमुख मुरम्मत कार्य करने के उदश्ेय से बनाया जाएगा।

जी.आई.एस.–आधारित संपत्ति कर सर्वेक्षण

7.41 राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में केद्रीकृत जी.आई.एस. आधारित संपत्ति कर सर्वेक्षण 04–10–2018 को शुरु किया गया है। प्रोपर्टी सर्वे हाई रेजूलेशन, ड्रोन इमेजरी और सैटेलाईट इमेजरी के आधार मानचित्र के रुप में सर्वेक्षण किया जा रहा है। हर घर में एक विशिष्ट संपत्ति आई.डी. (हाउस नंबरिंग) होगा। जी.आई.एस.–आधारित संपत्ति कर सर्वेक्षण के लाभ निम्न प्रकार से है।

- शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का डाटा एन.आई.सी. क्लाउड पर होस्ट किया जाएगा जिसे मुख्यालय द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संपत्ति कर के संग्रह के लिए मुख्यालय द्वारा निगरानी करना।
- छूट के प्रभाव के आकलन में मदद करेगा।
- इस प्रणाली के परिणामस्वरुप मौजूदा राजस्व की तुलना में संपत्ति आधारित कर राजस्व में 30–40 प्रतिशत की वृद्वि होगी।
- सभी संपतियां जियो टैग की जाएगी जो योजना और दिन प्रतिदिन के विकास कार्यो के लिए सहायक होंगी।
- डाटा की आनलाइन उपलब्धता नागरिकों को अपने संपत्ति कर को देखने में मदद करेगी, संपति कर का आकलन स्वयं कर सकती है, ऑनलाइन भुगतान कर सकती है।
- इससे संपत्ति कर के संग्रह में पारदर्शिता और तेजी से निपटान होगा।
- डाटा से पालिकाओं का आकलन होगा और नीतियों के कार्यान्वित का समय–समय पर विश्लेषण।

डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम

7.42 विभाग राजस्व संग्रह और बजट नियोजन की दक्षता में सुधार करने के लिए राज्य के सभी नगर पालिकाओं में नकदी आधारित लेखांकन से एकीकृत आधारित (डबल एंट्री लेखा) वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में स्थानांतरित करने की प्रकिया में है। ऑनलाइन आवेदन के विकास के लिए एजेंसी के चयन के लिए आर.एफ.पी. पहले से ही आमंत्रित किया जा चुका है और प्रकियाधीन है। सी.ए. फर्मो के चयन के लिए आर.एफ.पी. पहले से ही आमंत्रित किया जा चुका है और प्रकियाधीन है। मई, 2020 के अंत तक, विभाग नकदी आधारित लेखांकन से राज्य की सभी पालिकाओं में एकीकृत क्रमिक आधारित (दोहरी प्रविष्टि लेखांकन) वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में स्थानंतरित हो जाएगा। क्रमिक आधारित डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के लाभ निम्न प्रकार से हैः–

- सभी प्रकार के लेनदेन का शहरी स्थानीय निकायों वाईज दर्ज करने की ऑनलाइन व्यवस्था होगी।
- यह शहरी स्थानीय निकायों की वास्तविक वित्तिय प्रदर्शन और वित्तिय स्थिति को दिखाएगा।
- सिस्टम शहरी स्थानीय निकायों के लिए अपने निवेश को प्राथमिकता देने के लिए भागीदारी बजट को सक्षम करेगा।
- शहरी स्थानीय निकायों अपनी क्रेडिट रेटिंग के आधार पर नगरपालिका बांड फलोट जारी करने की स्थिति में होगे।
- बैलेंस शीट वास्तविक समय के आधार पर जारी की जाएगी।
- शहरी स्थानीय निकायों की सभी परिसंपत्तियों का डाटा आधारित (डबल एंट्री लेखा) प्रणाली में दर्ज किया जाएगा जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकायों में उपलब्ध नहीं है।
- सिस्टम शहरी स्थानीय निकायों में एक समान बजट हैड प्रयोग में मदद करेगा।

एच.आर.एम.एस.

7.43 विभाग राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए ऑनलाइन एच.आर. एम.एस. लागू करने की प्रकिया में है। विभाग द्वारा एन.आई.सी. ऑनलाइन ऐपलीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। प्रक्रिया विभाग द्वारा शुरु की गई है और फरवरी, 2020 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। एच.आर.एम.एस. के लाभ निम्न प्रकार से हैः–

- शहरी स्थानीय निकायों के सभी कर्मचारियों के लिए सेवा पुस्तिका के विवरण सहित सेवा रिकार्ड डिजिटल प्रारुप में ऑनलाइन एच.आर.एम.एस. पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
- मानव संसाधन प्रबंधन–अनुप्रयोग मानव संसाधन प्रबंधन जीवन चक्र का पूर्ण स्वाचलन सुनिश्चित करेगा–नियोजित कार्यबल की समग्र उत्पादकता में सुधार करने के लिए राज्य भर के नगरपालिकाओं के भीतर किराया से रिटायर तक किया जायेगा।

- लीव मैनेजमेंट, अटेंडेस मैनेजमेंट, ए.सी.आर., ट्रांसफर और पोस्टिंग, प्रमोशन आदि को ऑनलाइन किया जाएगा।
- भरे गए और रिक्त पदों का डाटा हेड ऑफिस को उपलब्ध होगा जो सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्टाफिंग का अध्ययन करने में मदद करेगा।

सभी नगर पालिकाओं के लिए वेबसाईट

7.44 सभी शहरी स्थानीय निकायों की वेबसाईटें हेड आफिस द्वारा विकसित की जा रही है, जो सामग्री प्रबंधन प्रणाली में विभाग की वेबसाइट के साथ एकीकृत है। हेड ऑफिस सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों की वेबसाइट सिक्योरिटी ऑडिट के तहत है और सिक्योरिटी ऑडिट सर्टिफिकेट मिलने के बाद लॉन्च की जाएगी। सभी वेबसाइटों को एन.आई.सी. क्लाउड पर होस्ट किया जाएगा जिसे हेड ऑफिस द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। सभी नगर पालिकाओं के लिए वेबसाईट के लाभ निम्न प्रकार से है।

- सभी ऑनलाइन सेवाओं को वेब पोर्टल के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
- हैड ऑफिस द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सभी जानकारी/निर्देश/सूचनाएं/आदेश आदि स्वचालित रुप से भी शहरी स्थानीय निकायों की वेबसाइटों पर प्रदर्शित किए जाएगे।
- होस्टिंग वेबसाइट की लागत, निजी वेबसाइटों के संचालन और रख–रखाव की लागत के प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों के खर्च को कम करेगा।

14वें केन्द्रीय वित्त आयोग

7.45 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अर्न्तगत वर्ष 2019–20 के लिए 905.27 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान (576.91 करोड़ रुपये नगर निगमों तथा 328.36 करोड़ रुपये नगर परिषदों/नगर पालिकाओं के लिए) किया गया है तथा नगर पालिकाओं को 730.11 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

राज्य वित्त आयोग

7.46 राज्य वित्त आयोग योजना में चालू वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 1,200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया तथा नगर पालिकाओं को 540 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

अग्निशमन सेवाएं का सुदृढ़ीकरण

7.47 चालू वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान हरियाणा राज्य में अग्निशमन सेवा को सुदृढ़ीकरण करने के लिए अग्निशमन उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए 4.65 करोड़ रुपये खर्च किए गये है। आगाामी वित्त वर्ष 2020–21 में 25 करोड़ रुपये की राशि 30 छोटे फायर टेंडर, 20 फोम कैश टेंडर, 20 एडवांस रेस्क्यू टेंडर, 32 मेटस, 2 हाईड्रोलिंक प्लेटॅफार्म की खरीद व 55 मीटर की उचाई और 2 टर्न टेबल लैडर के उपकरण हेतू बजट प्रावधान की मांग की गई है।

राज्य शहरी विकास प्राधिकरण

प्रधान मंत्री आवास योजना

7.48 प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों मे रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को घर निर्माण/खरीद या विस्तार हेतू सहायता प्रदान करना है। लाभार्थियों की कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश के 1.50 लाख रुपये के अतिरिक्त, राज्य अंश 1 लाख रुपये तक (विस्तार इकाईयों के अतिरिक्त) की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया है।

7.49 डिमांड सर्वे में 3,61,365 लाख आवेदन–पत्र प्राप्त हुए तथा सत्यापन उपरान्त 2,48,657 ई.डब्ल्यू.एस. लाभार्थियों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (बी.एल.सी. 67,411 डी.यूज. + ए.एच.पी. 1,80,879 डी.यूज़. + आई.एस.एस.आर. 367 डी.यूज़.) राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुकी हैं, जिसके लिए कुल 5,880.72 करोड़ रूपये की वित्तीय

सहायता का प्रावधान है जिसमें से 3,612.34 करोड़ रुपये केन्द्रीय अंश तथा 2,268.38 करोड़ रुपये के राजकीय अंश हैं।

7.50 दिनांक 31–12–2019 तक लाभार्थी द्वारा स्वयं निर्मित घटक के अर्न्तगत, 49,691 घरों/लाभार्थियों की जियोटैगिंग की जा चुकी हैं तथा 35,156 घरों की जियोटैगिंग स्वीकृत कर दी गई है। 605 ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय ईकाईयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 7,398 आवासीय ईकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त किफायती मकान घटक के अन्तर्गत, टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग ने 6,973 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स के लिए पी.एम.ए.वाई. स्वीकृत लाभार्थियों से आवेदन आमन्त्रित किये थे जिसके एवज में 6,083 आवेदन प्राप्त हुयें हैं। बी.एल.सी. घटक के सभी 67,411 लाभार्थियों के मकान 31–12–2020 तक बन जाने की आशा है तथा 1,80,879 सस्ते घरों/ फ्लैट्स का निर्माण मिशन अवधि 2022 तक पूर्ण होने की आशा है। बैंको द्वारा 4,262 सी.एल.एस.एस. आवेदकों को अनुदान ऋण प्रदान करने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

7.51 भारत सरकार द्वारा 342.62 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंश राज्य सरकार को जारी किए गये हैं तथा राज्य सरकार द्वारा 212.74 करोड़ रुपये संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को जारी कर दिये हैं। योजना के अन्तर्गत 31–12–2019 तक 76.40 करोड़ रुपये की अनुदान राशि डी.बी.टी.–पी.एफ.एम.एस. माध्यम से लाभार्थियों को जारी की जा चुकी की है। वित्तीय विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में योजना के अर्न्तगत 355 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दीन दयाल अंत्योदया योजना (एन.यू.एल.एम.)

7.52 गरीबों की सुदृढ़ आधारभूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से शहरी गरीब परिवारो की गरीबी एवं विषमताओ को लाभकारी स्वरोजगारों एवं कुशल परिश्रमिक रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को सुलभ बनाकर उनकी आजीविका में स्थायी सुधार करना है। मिशन विभिन्न चरणों में शहरी निराश्रितो को सुसज्जित एवं आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसके अतिरिक्त मिशन शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका हेतू उन्हें युक्त स्थान उपलब्ध कराने, संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने एवं सामाजिक सुरक्षा और कौशल उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केन्द्रित करता है ताकि उनकी पहुंच बढ़ते हुए बाजार तक हो सके।

7.53 दिनांक 31–12–2019 तक 518 स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का गठन किया जा चुका है, 3,982 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है, 2,481 उम्मीदवार प्रशिक्षणाधीन हैं तथा 2,667 उम्मीदवारों को प्रमाणित किये गये, 218 लाभार्थियों तथा 6 समूहों को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु ब्याज अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया गया है। राज्य के 80 शहरों में टाऊन वैंडिग कमेटीज़ का गठन किया जा चुका है। राज्य में सर्वे के दौरान 80 शहरों में 1,01,950 शहरी पथ विक्रेताओं की पहचान की गयी है तथा टाऊन वैण्डिंग कमेटी की स्वीकृति के बाद स्वीकृत शहरी पथ विक्रेताओं को वैंडिग की जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। एक अन्य सर्वे में राज्य में 19,015 शहरी बेघर व्यक्तियों की पहचान की गई है। राज्य में 103 अस्थायी/स्थायी रैनबसेरे के अतिरिक्त शहरी बेघरों के राहत हेतु 39 पोर्टा केबिन शैल्टर स्थापित किए गए हैं तथा शहरी बेघर व्यक्तियों के आश्रय हेतु 30 नए प्री–फैब्रिकेटेड शैल्टर्स का निर्माण किया जा रहा है जिसमें से 24 प्री–फैब्रिकेटेड शैल्टर्स का निर्माण हो चुका है। राज्य के बजट 2019–20 में इस योजना के अर्न्तगत 87.93 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

आवास

7.54 आवास बोर्ड़, हरियाणा द्वारा स्थापना वर्ष, 1971 से लेकर 31–12–2019 तक 95,687 विभिन्न श्रेणी के मकानों के निर्माण का कार्य किया गया। जिसमें से 71,852 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिए है।

7.55 दिनांक 26–10–2014 से 31–12–2019 तक विभिन्न वर्गों के लिए 19,925 फलैटस का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। जिसमें से 18,115 ई.डब्ल्यू.एस. मकान बी.पी.एल. परिवारों के लिए, 279 फ्लैटस सेवारत व भूतपूर्व सैनिकों एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए और 1,531 मकान अन्य वर्ग के लिए बनाये गये है। 26–10–2014 से 30–11–2019 तक मकानों के निर्माण कार्यों पर कुल 609.09 करोड़ रुपये खर्च किये गये है। दिनांक 01–04–2019 से 31–12–2019 तक 268 मकान बनाये गये है जिन्हें बनवाने में 41.44 करोड़ रुपये की लागत लग चुकी है।

7.56 अब 6,590 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य विभिन्न स्थानों पर प्रगति पर है जिनमें से 1,058 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 4,872 मकान बी.पी.एल. वर्ग के लोगों के लिए तथा 660 मकान अन्य वर्ग के लिए हैं।

7.57 आवास बोर्ड हरियाणा ने 11,239 प्लाट नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा से अर्जित किये हैं इन प्लाटों पर बी.पी.एल./ ई.डब्ल्यू.एस. परिवारों के लिए तीन मंजिला फलैटस बनाये जा रहे है। 24,205 मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 4,872 ई.डब्ल्यू.एस. मकान बी.पी.एल. परिवारों के लिए निर्माणाधीन है।

7.58 आवास बोर्ड हरियाणा ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) से 192.02 एकड भूमि हिसार, फतेहाबाद, अग्रोहा, करनाल, चीका, चरखी दादरी, जगाधरी, सफीदों, सिरसा, गोहाना एवं झज्जर में ई.डब्ल्यू.एस. तथा दूसरे वर्ग के निर्माण के लिए अर्जित की है। बोर्ड ने 50.96 एकड भूमि फरीदाबाद, झज्जर, महेन्द्रगढ, रोहतक, पंचकुला, पिंजौर, पलवल व रिवाडी में सेवारत व भूतपूर्व सैनिकों एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए भी मकान बनाने के लिए भी अर्जित की है।

7.59 आवास बोर्ड हरियाणा ने हरियाणा शहरी निकाय विभाग से 27.24 एकड़ भूमि करनाल, चीका, चरखी दादरी तथा जुलाना में ई.डब्ल्यू.एस. तथा दूसरे वर्ग के निर्माण के लिए भी अर्जित की है। आवास बोर्ड हरियाणा ने शहरी निकाय विभाग से 35.69 एकड़ भूमि विभिन्न स्थानों पर सेवारत व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों के लिये मकान बनाने के लिए गुरूग्राम, पलवल व सांपला में अर्जित की है।

7.60 आवास बोर्ड हरियाणा करनाल एवं हिसार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लिये 4,254 ई.डब्लयू.एस. फ्लैटस का निर्माण शुरू करेगा। आवास बोर्ड हरियाणा 3,306 टाईप–ए तथा 2,869 टाईप–बी के फ्लैटस फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, पिंजौर, रिवाडी, महेन्द्रगढ व गुरूग्राम में सेवारत व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये भी निर्माण शुरू करेगा।

***

8

सामाजिक क्षेत्र

विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि एवं जनता की भलाई के साथ मानव विकास है। किसी भी विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण

8.2 हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछडे वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतया वचनबद्व है तथा इनके सामाजिक–आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास हेतू विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम, 2018 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के सम्बंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच और पूछताछ के लिये राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग ने राज्य में सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिये कार्य करना शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

8.3 ''मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना'' के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति, अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को अपनी या अपनी बेटी की शादी के अवसर पर 11,000 रूपये से 51,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। महिला खिलाडियों को भी उनकी शादी के लिये इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है। यदि दुल्हा/दुल्हन हरियाणा का निवासी है तो सामुहिक विवाह के लिए भी इस स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 13–12–2019 से 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2019–20 के लिये 10,000 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 6,883.36 लाख रुपये की राशि 20,592 विवाहों पर 30–11–2019 तक खर्च की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री सामाजिक–समरसता अर्न्तजातीय विवाह शगुन योजना

8.4 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिये उनके साथ अंर्तजातीय विवाह करने वाले दम्पत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है। ''मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंर्तजातीय विवाह शगुन योजना'' के तहत ऐसे विवाहित जोडों को 2,50,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। 30–11–2019 तक ऐसे 258 जोडों पर 381.45 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। इसी प्रकार दिव्यांगजन के साथ विवाह करने पर प्रोत्साहन देने के लिये भी योजना विचाराधीन है।

डा0 बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना

8.5 ''डा0 बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना'' के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमन्तु एवं टपरीवास जाति के व्यक्तियों को उनके घर की मरम्मत के लिये 50,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2019–20 के लिये 5000 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है तथा 2,729.20 लाख रुपये की राशि 6,256 लाभार्थियों पर 30–11–2019 तक खर्च की जा चुकी है।

8.6 अनुसूचित जाति तथा पिछडे वर्ग के मेधावी एवं गरीब छात्रों को प्रोत्साहित करने तथा अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिये ''डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना'' तथा केंद्रीय प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति एंव पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से सिविल सेवायें परीक्षा, बैंकिंग/रेलवे/ एस.एस.सी./एच.टी.ई.टी. एवं एन.ई.ई.टी./ जे.ई.ई. आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

8.7 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना है। निगम इस समय तीन प्रकार की स्कीमों नामतः बैंकों के सहयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.ए.फ.डी.सी.) के सहयोग से, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.ए.फ.डी.सी.) के सहयोग से परिचालन कर रहा है।

8.8 भारत सरकार की हिदायतोंनुसार, निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को जिनकी वर्तमान में वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 49,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 60,000 रुपये तक हो तथा उसका नाम बी.पी.एल. सर्वे लिस्ट में हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसे भैंस पालन, भेड़ पालन, पशु चालित गाड़ियां, चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, करियाना की दुकान, चाय की दुकान, चूड़ियों की दुकान, आटा चक्की, बढ़ईगिरी, साइबर कैफे, फोटोग्राफी, ऑटो–रिक्शा आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही (एच.एस.ए.फ.डी.सी.) योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये तक तथा 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के आवेदकों को, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए ऋण दिया जाता है। एन.एस.एफ.डी.सी. योजनाओं के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है, पात्रता के लिए केवल व्यवसाय ही आधार है।

बैंकों के सहयोग

8.9 निगम बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही आय उपार्जन योजनाओं, जिनकी योजना लागत 1.50 लाख रुपये तक हो, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एच.एस.ए.फ.डी.सी.) योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है तथा 10 प्रतिशत सीमान्त धन तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.)

8.10 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत निगम एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.एफ.डी.सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक होता है। एन.एस.एफ.डी.सी. के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप

में उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से

8.11 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत निगम एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस. के.एफ.डी.सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.के.एफ. डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक का होता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी. से सम्बन्धित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।

8.12 निगम द्वारा वर्ष 2019–20 में (माह सितम्बर, 2019 तक) 1,261 लाभभोगियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार हेतू 1,137.66 लाख़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें 72.63 लाख़ रुपये की अनुदान राशि शामिल है। निगम द्वारा 15,000 परिवारों को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के अंतर्गत 15,281.50 लाख रुपये, जिसमें 1,497.50 लाख रुपये की अनुदान राशि शामिल है, जो कि आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2016–17 से 2018–19 के कार्यक्रम/स्कीमवार लक्ष्य और उपलब्धियाँ **तालिका 8.1** में दर्शायी गई है।

तालिका 8.1– वर्ष 2016–17 से 2018–19 के कार्यक्रम/स्कीमवार भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ

कार्यक्रम/स्कीम का नाम	2016–17		2017–18		2018–19	
	भौतिक	वित्तीय (लाख़ रुपये)	भौतिक	वित्तीय (लाख़ रुपये)	भौतिक	वित्तीय (लाख़ रुपये)
1. कृषि एवं सहायक क्षेत्र						
क) पशुपालन	3355	1827.90	3143	1705.74	2579	1411.18
ख) मूर्गी पालन					1	0.50
ग) भेड पालन	90	66.24	103	77.90	80	66.80
घ) सुअर पालन	85	44.40	60	31.00	33	20.20
ड़) झोटा बुग्गी/ऊँट गाड़ी/रेड़ा/खच्चर गाडी	9	6.10	12	9.40	6	4.60
च) मधुमक्खी पालन					1	1.50
2. औद्योगिक क्षेत्र	135	92.45	103	68.60	40	34.45
3. वाणिज्य एवं व्यापार क्षेत्र	1426	992.77	1332	969.67	1262	988.05
4. व्यवसायिक एवं स्वरोजगार क्षेत्र						
क) विद्युत चालित			1	1.00	5	6.60
ख) कानूनी पेशा	2	2.00			4	5.40
ग) फोटाग्राफी			4	3.60	1	1.00
5. एन.एस.एफ.डी.सी. से सहायता प्राप्त स्कीम	103	198.50	123	304.33	82	231.50
6. एन.एस.के.एफ.डी.सी. से सहायता प्राप्त स्कीम	15	20.21	13	20.75	34	29.15
कुल	**5220**	**3250.57**	**4894**	**3191.99**	**4128**	**2800.93**

स्त्रोतः– अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, हरियाणा।

हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

8.13 हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग लोगों के आर्थिक उत्थान हेतू कार्य कर रहा है। निगम द्वारा वर्ष 2019–20 में 5,000 पिछड़े वर्ग के लोगों को 25 करोड़ रुपये, 3,000 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 15 करोड़ रुपये तथा 2,000 निःशक्त लोगों को 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है परन्तु वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निगम को राष्ट्रीय निगम द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। निगम द्वारा 283 पिछड़े वर्ग के लोगों को

1.91 करोड़ रुपये, 158 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 1.32 लाख रुपये तथा 357 निःशक्त लोगों को 2.89 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2018–19 के फण्ड में से 30–09–2019 तक वितरित की जा चुकी है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना

8.14 ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो अपने साधनों से जीवनयापन करने में असमर्थ हों और वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सरंक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भिक स्तर पर संयुक्त पंजाब के समय 01–04–1964 से वृद्धावस्था पैंशन योजना शुरू की गई थी। पैंशन की दर, जो योजना प्रारम्भ होने के समय 15 रुपये मासिक थी, में समय–समय पर बढ़ौतरी की गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना 01–11–1966 से अपनाई गई और 2,382 लाभपात्रों को कुल 24,680 रुपये की राशि की पैंशन की अदायगी की गई। वर्ष 1987 में वृद्धावस्था पैंशन का उदारीकरण करते हुए 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 17–06–87 से 100 रुपये मासिक दर से पैंशन की अदायगी की गई थी।

8.15 राज्य सरकार द्वारा इस योजना का और उदारीकरण करते हुये ''वृद्धावस्था पैंशन योजना–1991 से प्रारम्भ की गई जिसे अब ''वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना'' का पुर्ननाम दिया गया है। यह योजना 1 जुलाई, 1991 से चालू की गई। इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति, जिनकी पति/पत्नी की सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो, को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों जैसे कृषि मज़दूर, ग्रामीण दस्तकार, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों के सदस्यों व लघु तथा मध्यमवर्गीय किसानों आदि को, वृद्धावस्था भत्ता का लाभ देना सुनिश्चित करना है। वर्ष 1991 से अक्तूबर, 1999 तक 100 रुपये मासिक दर से पैंशन दी जाती थी, जो नवम्बर, 1999 से बढ़ाकर 200 रुपये मासिक कर दी गई थी। नवम्बर, 2004 से इसमें और बढ़ौतरी करते हुये 300 रुपये मासिक एवं 1 मार्च, 2009 को 500–700 रुपये प्रतिमास तथा इसमें और बढ़ोतरी करते हुए 01–01–2014 से 1,000 रुपये प्रतिमास पैंशन की गई थी। दिनांक 01–01–2015 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की दरें बढ़ाकर 1,200 रुपये, दिनांक 01–01–2016 से 1,400 रुपये, दिनांक 01–11–2016 से 1,600 रुपये, दिनांक 01–11–2017 से 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है तथा दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्ष 2019–20 में 4,070 करोड़ रुपये के बजट में से 1,918.53 करोड़ रुपये की राशि 30–09–2019 तक खर्च की गई है। इस योजना के तहत वर्षवार लाभार्थियों का विवरण **तालिका 8.2** में दिया गया है।

तालिका 8.2–वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना व दिव्यांगजन पैंशन योजना के तहत वर्षवार लाभार्थियों का विवरण

(करोड रुपये)

वर्ष	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना		विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना		दिव्यांगजन पैंशन योजना	
	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा
2015–16	1419026	2065.01	610321	875.16	141462	203.73
2016–17	1439020	2518.25	632691	1101.46	144226	252.43
2017–18	1512436	2965.55	666808	1305.77	151932	296.78
2018–19	1569616	3479.01	695455	1540.44	160433	352.94
2019–20 (30–9–2019 तक)	1639045	1918.53	716795	843.52	166817	195.21

स्त्रोत: - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन

8.16 वर्ष 1980–81 में हरियाणा में "विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना" प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्वेश्य ऐसी महिलाओं को, जोकि स्वयं अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों तथा उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पैंशन की दर, जोकि योजना के प्रारम्भ में 50 रुपये प्रतिमास थी, समय–समय पर बढ़ाई गई। पैंशन की दर 01–01–2014 से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई। दिनांक 01–01–2015 से पैंशन 1,200 रुपये प्रतिमास की गई थी। दिनांक 01–01–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए पैंशन 1,400 रुपये, दिनांक 01–11–2016 से पैंशन 1,600 रुपये, दिनांक 01–11–2017 से 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है तथा दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्ष 2019–20 में 1,653 करोड़ रुपये के बजट में से 843.52 करोड़ रुपये की राशि 30–09–2019 तक खर्च की गई है। इस योजना के तहत वर्षवार लाभार्थियों का विवरण **तालिका 8.2** में दिया गया है।

हरियाणा दिव्यांगजन पैंशन

8.17 दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1981–82 में "हरियाणा दिव्यांगजन पैंशन योजना" आरम्भ की गई थी। इस योजना का उद्वेश्य ऐसे दिव्यांग, जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों और जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पैंशन की दरें, जो योजना के प्रारम्भ में 50 रुपये मासिक थी, में 01–11–1999 से बढ़ौतरी करते हुए 300 रुपये प्रतिमास की गई। सरकार द्वारा 100 प्रतिशत निःशक्त की पैंशन 01–01–2006 से बढ़ाकर 300 रुपये से 600 रुपये प्रतिमास की गई तथा इसमें और बढौतरी करते हुए 60 प्रतिशत दिव्यांग की पैंशन 500 रुपये एवं 100 प्रतिशत दिव्यांग की पैंशन 750 रुपये प्रतिमास की गई है। पैंशन की दर में 01–01–2014 से और वृद्धि करते हुए सभी दोनों श्रेणियों की पैंशन बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमास कर दी गई। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 01–01–2015 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रतिमास किया गया था। दिनांक 01–01–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढाते हुए पैंशन 1,400 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई थी। अब दिनांक 01–11–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढाते हुए पैंशन 1,600 रुपये तथा दिनांक 01–11–2017 से पैंशन 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है तथा दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्ष 2019–20 में 405 करोड़ रुपये के बजट में से 195.21 करोड़ रुपये की राशि 30–09–2019 तक खर्च की गई है। इस योजना के तहत वर्षवार लाभार्थियों का विवरण **तालिका 8.2** में दिया गया है।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता

8.18 हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़की/लड़कियां है, के लिए दिनांक 01–01–2006 से 'लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना' शुरू की गई है। प्रारम्भ में 300 रुपये प्रतिमास प्रति परिवार पैंशन दी जाती थी। इस योजना के अन्तर्गत माता अथवा पिता के 45वें जन्मदिन से 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता है। माता अथवा पिता में से एक की मृत्यु होने पर दूसरा पार्टनर को इस योजना का लाभ दिया जाता है। दिनांक 01–04–2007 से सरकार द्वारा पैंशन की दर में 300 रुपये से 500 रुपये की वृद्धि की गई तथा पात्रता के लिए आयु सीमा 55 वर्ष से घटा कर 45 वर्ष की गई है। दिनांक 01–04–2014 से भत्ता की दर में वृद्धि करते हुए 1,000 रुपये प्रतिमास की गई थी। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 01–01–2015 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रतिमास किया गया था।

तालिका 8.3–लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम/निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता स्कीम के तहत लाभार्थियों का विवरण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम		निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता	
	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा
2015–16	27988	40.80	162111	101.49
2016–17	29765	51.23	183687	123.04
2017–18	32718	62.77	205023	182.99
2018–19	37350	79.11	133739	251.70
2019–20 (30–9–2019 तक)	39720	45.77	139783	146.53

स्त्रोत: - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

दिनांक 01–01–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए भत्ता 1,400 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दिया गया है। अब दिनांक 01–11–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए पैंशन 1,600 तथा दिनांक 01–11–2017 से पैंशन 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है तथा दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्ष 2019–20 में 99.25 करोड़ रुपये के बजट में से 45.77 करोड़ रुपये की राशि 30–09–2019 तक खर्च की गई है। इस योजना के तहत वर्षवार लाभार्थियों का विवरण **तालिका 8.3** में दिया गया है।

निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता

8.19 यह राज्य सरकार की योजना है, जिसके अन्तर्गत बच्चे की 21 वर्ष तक की आयु तक उसके माता–पिता/सरंक्षक को जोकि नीचे दर्शाये विभिन्न कारणों के कारण निराश्रित है, को 01–03–2009 से 200 रुपये प्रतिमास प्रति बच्चा वित्तीय सहायता दी जाती थी तथा एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2014 से 500 रुपये प्रतिमास प्रति बच्चा की वित्तीय सहायता दी जा रही थी। अब दिनांक 01–11–2016 से 700 रुपये दिनांक 01–11–2017 से 900 रुपये प्रतिमास प्रति बच्चा की वित्तीय सहायता दी जा रही है तथा दिनांक 01–11–2018 से 1,100 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्ष 2019–20 में 254 करोड़ रुपये के बजट में से 146.53 करोड़ रुपये की राशि 30–09–2019 तक खर्च की गई है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का विवरण **तालिका 8.3** में दिया गया है।

कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता

8.20 जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित होकर राज्य के विभिन्न शहरों में रह रहे कश्मीरी परिवारों को, 1,000 रुपये प्रतिमास प्रति सदस्य की दर से अधिकतम 5,000 रुपये प्रति परिवार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 01–04–2006 से प्रारम्भ की गई है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत 9 लाभपात्र लाभ प्राप्त कर रहे है। वर्ष 2019–20 में 3 लाख रुपये का बजट प्रावधान है जिसमें से 0.54 लाख रुपये की राशि 30–09–2019 तक खर्च की गई है।

बौना भत्ता योजना

8.21 हरियाणा राज्य के विभिन्न शहरों में रह रहे बौने व्यक्तियों को 1,600 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से भत्ता दिया जाता है। पुरूष आवेदक के लिए कद 3 फुट 8 इंच या इससे कम तथा महिला आवेदक के लिए कद 3 फुट 3 इंच या इससे कम (60 प्रतिशत दिव्यांगता के बराबर) मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए योग्य है। यह योजना 01–06–2006 से लागू की गई है और प्रारम्भ में 300 रुपये प्रतिमास भत्ता दिया जाता था। दिनांक 01–01–2016 से सरकार द्वारा भत्ता की दर बढाकर 1,400 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दिया गया था। अब दिनांक 01–11–2016 से सरकार द्वारा भत्ता की दर बढ़ाकर 1,600

रुपये, दिनांक 01–11–2017 से पैंशन 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है तथा दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्ष 2019–20 में 10 लाख रुपये के बजट में से 3.88 लाख रुपये की राशि 30–09–2019 तक खर्च की गई है।

किन्नर भत्ता योजना

8.22 हरियाणा राज्य के विभिन्न शहरों में रह रहे किन्नरों को, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो और सिविल सर्जन द्वारा आवेदक के किन्नर होने बारे जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जायेगा। यह योजना 01–06–2006 से लागू की गई है और प्रारम्भ में 300 रुपये प्रतिमास भत्ता दिया जाता था। दिनांक 01–01–2016 से सरकार द्वारा भत्ता की दर बढ़ाकर 1,400 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दिया गया था। अब दिनांक 01–11–2016 से सरकार द्वारा भत्ता की दर बढाकर 1,600 रुपये दिनांक 01–11–2017 से पैंशन 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है तथा दिनांक 01–11–2018 से पैंशन 2,000 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है। वर्ष 2019–20 में 10 लाख रुपये के बजट में से 3.80 लाख रुपये की राशि (30–09–2019) तक खर्च की गई है।

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना

8.23 हरियाणा सरकार द्वारा 01–04–2006 से राजीव गांधी परिवार बीमा योजना राज्य में कियान्वित की जा रही है। योजना के तहत हरियाणा का प्रत्येक अधिवासी, जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो और उसका नाम वोटर लिस्ट एवं राशन कार्ड में दर्ज हो, दुर्घटनावश मृत्यु और स्थाई रूप से पूर्ण दिव्यांग होने की अवस्था में हरियाणा राज्य या बाहर भी लाभपात्र को बीमित या लाभपात्र की सभी संसाधनों से सकल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो। वर्ष 2019–20 का बजट प्रावधान 8.75 करोड़ रुपये रखा गया है, जोकि बैकलॉग और अदालत के मामलों को निपटाने के लिए किया गया है।

ड़ा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना

8.24 इस योजना के तहत एक लाख रुपये की राशि का लाभ दिया जाता है 18 से 70 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को इस योजना के तहत 1 लाख रुपये दुर्घटना में मृत्य, 1 लाख रुपये पूर्ण एवं दोनों आंखों के नुकसान या दोनो, हाथों या पैरों की हानि या एक आंख के एवं हाथ या पैर के दुर्घटना में नुकसान कवर किया जाता है। वर्ष 2019–20 का बजट प्रावधान 3,500 लाख रुपये के विरूद्व 1,374 लाख रुपये की राशि (30–09–2019) तक खर्च की गई है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

8.25 यह योजना भारत सरकार की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया के जीविकोपार्जक (पुरुष या महिला) सदस्य की मृत्यु होने के उपरान्त पीड़ित परिवार को, जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, 20,000 रुपये की राशि एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2019–20 का बजट प्रावधान 13 करोड़ रुपये के विरूद्व 4.27 करोड़ रुपये की राशि (30–09–2019) तक खर्च की गई है।

मन्दबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता

8.26 यह योजना वर्ष 2008–09 से प्रारम्भ है। हरियाणा राज्य में औपचारिक शिक्षा से वंचित ऐसे मन्दबुद्धि बच्चों जिनकी बौद्धिक क्षमता (आई.क्यू.) 50 से कम अथवा न्यूनतम दिव्यांगता 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक एवं आयु 18 वर्ष से कम है तथा जिनके माता पिता की मासिक आय न्यूनतम मासिक दर अथवा कम है, को मास नवम्बर, 2016 से 1,000 रुपये प्रतिमास की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2019–20 का बजट प्रावधान 1,490 लाख रुपये के विरूद्व 958.80 लाख रुपये की राशि (30–09–2019) तक खर्च की गई है।

तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता

8.27 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं तथा लड़कियों को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ने हेतू ''तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता'' हेतू वर्ष 2019–20 के बजट प्रावधान के तहत 20 लाख रुपये के विरूद्व 1.87 लाख रुपये की राशि (30–09–2019) तक खर्च की गई है।

स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण

8.28 हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों/उनकी विधवाओं को दी जाने वाली राज्य सम्मान पैंशन 01–04–2014 से 20,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमास (750 रुपये प्रतिमास नियत चिकित्सा भत्ता सहित) कर दी गई है। स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनकी पत्नियों की मृत्यु के बाद उनको मिलने वाली राज्य सम्मान पैंशन उनकी बेरोजगार अविवाहित लड़कियों तथा 75 प्रतिशत विकलांग अविवाहित बेरोजगार लड़कों को प्रदान की जाएगी। अगर उनके एक से अधिक योग्य बच्चे हैं तो वे सभी पैंशन में बराबर के हकदार होंगे। सम्मान पैंशन के अतिरिक्त विभिन्न अन्य योजनाएं/सुविधाएं भी राज्य में स्वतन्त्रता सैनानियों/उनके आश्रितों की भलाई के लिए चल रही है जो निम्न प्रकार से है:–

- राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी की मृत्यु पर दाह संस्कार के खर्च के लिए वित्तीय सहायता 03–07–2009 से 1,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रूपये कर दी गई है।
- हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी/आई.एन.ए. कार्मिकों तथा उनकी विधवाओं को उनकी पुत्री, पोती तथा आश्रित बहनों की शादी हेतू दी जाने वाली वित्तीय सहायता 20–08–2009 से 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये प्रत्येक शादी के लिए कर दी गई है चाहे एक वर्ष में एक से अधिक शादी क्यों न हो।

राज्य सैनिक बोर्ड

8.29 राज्य सरकार देश के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई देश सेवा और उनके परिवारों द्वारा दिए गए सर्वोतम बलिदान के एवज़ में इनके कल्याण के लिए वचनबद्व है। राज्य सरकार द्वारा शौर्य पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को जो नकद राशि (युद्व के दौरान और शान्ति के समय) उपलब्ध करवाई जा रही है उसे **तालिका 8.4** में दर्शाया गया है।

8.30 राज्य सरकार दिनांक 5–10–2007 से पूर्व के वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्रतिवर्ष शौर्य पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाती है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली राशि **तालिका 8.5** में दर्शाया गया है।

8.31 राज्य सरकार द्वारा सभी सैनिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को **तालिका 8.6** में दर्शाया गया है।

8.32 राज्य सरकार द्वारा युद्व सेवा पदक/असाधारण सेवा पुरस्कार विजेताओं को राशि एक मुश्त नकद पुरस्कार के रूप में दी जाती है उसे **तालिका 8.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.4–शौर्य पुरस्कार एवं विजेताओं को प्राप्त होने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार की राशि

(राशि रूपये में)

क्र0सं0	युद्ध के समय शौर्य पुरस्कार	एक मुश्त नकद पुरस्कार
1	परमवीर चक्र	2,00,00,000
2	महावीर चक्र	1,00,00,000
3	वीर चक्र	50,00,000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	21,00,000
5	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	10,00,000
शान्ति के समय शौर्य पुरस्कार		
1	अशोक चक्र	1,00,00,000
2	कीर्ति चक्र	51,00,000
3	शौर्य चक्र	31,00,000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	10,00,000
5	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	7,50,000

तालिका 8.5–शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली वार्षिक पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र0स0	शौर्य पुरस्कार	वार्षिक पुरस्कार राशि
1	परमवीर चक्र	3,00,000
2	अशोक चक्र	2,50,000
3	महावीर चक्र	2,25,000
4	कीर्ति चक्र	1,75,000
5	वीर चक्र	1,25,000
6	शौर्य चक्र	1,00,000
7	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	50,000
8	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	30,000

तालिका 8.6–सैनिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता

(राशि रूपये में)

क्र0 सं0	वित्तीय सहायता	राशि
1	भूतपूर्व सैनिक की विधवाओं को और 60 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी) द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत सैनिकों को और उनकी विधवाओं को वित्तीय सहायता	4,200 10,000
2	पैरा/टेट्रा होम प्लेजिक भूतपूर्व सैनिक (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	4,200
3	भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	4,200
4	अयोग्य भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	4,200
5	अन्धे हुए भूतपूर्व सैनिको को वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	4,200
6	आर.आई.एम.सी. को सहायता अनुदान तथा कैडेट/अगंरक्षक जिन्होंने एन.डी.ए./ओ.टी.ए./आई.एम.ए. नवल तथा वायु सेना अकादमी या अन्य राष्ट्रीय स्तर की रक्षा अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उन्हें वित्तीय सहायता	50,000 1,00,000
7	युद्ध में मारे गये सेना के सैनिकों की विधवाओं के आश्रितों को पारिवारिक पैंशन जो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर रहे है। (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	4,200

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.7–युद्ध सेवा पदक विजेता को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र0सं0	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार
1	सर्वोतम युद्ध सेवा मैडल	7,00,000
2	उत्तम युद्ध सेवा मैडल	4,00,000
3	युद्ध सेवा मैडल	2,00,000
4	परम विशिष्ट सेवा मैडल	6,50,000
5	अति विशिष्ट सेवा मैडल	3,25,000
6	विशिष्ट सेवा मैडल	1,25,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.8–सेना मैडल विजेता एवं उनके आश्रितों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र0सं0	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार	वर्षिक पुरस्कार राशि
1	सेना मैडल, असाधारण सेवा/काम के प्रति निष्ठा को जो पुरस्कार 31–03–2008 के बाद और 19–02–2014 से पहले दिया गया।	34,000	3,500
2	सेना मैडल, असाधारण सेवा/ निष्ठा से काम करने पर पुरस्कार जो 19–02–2014 के बाद दिया गया।	1,75,000	–

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.33 हरियाणा सरकार सैनिकों को सेना मैडल, असाधारण सेवा/निष्ठा से कार्य करने वाले रक्षा सैनिकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है जिसे **तालिका 8.8** में दर्शाया गया है।

8.34 आजादी से पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा मौद्रिक अनुदान/पैंशन दिया जाता है जो **तालिका 8.9** में दर्शाया गया है।

तालिका– 8.9 आजादी से पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को मौदिक अनुदान/पैंशन

(राशि रूपये में)

क्र0स0	पुरस्कार का नाम	राशि
1	विक्टोरिया क्रॉस	15,000
2	मिलीटरी क्रॉस	10,000
3	मिलीटरी मैडल	5,000
4	इंडियन आर्डर आफ मैरिट	3,000
5	भारतीय असाधारण सेवा मैडल	2,000
6	मैंशन इन डिस्पैच (केवल आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार)	2,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका– 8.10 आजादी से पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को मौद्रिक अनुदान/पैंशन

(राशि रूपये में)

क्र0स0	शौर्य पुरस्कार का नाम	राशि
1	अशोक चक्र	17,00,000
2	कीर्ति चक्र	10,00,000
3	शौर्य चक्र	7,00,000
4	सेना मैडल (गलैंट्री)	3,50,000
5	पुलिस मैडल (गलैंट्री)	1,50,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.35 राज्य सरकार पैरा मिलीटरी फोरसिस और पुलिस कर्मियों को एक मुश्त नगद पुरस्कार की राशि उपलब्ध करवाती है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं का प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि **तालिका 8.10** में दर्शायी गई है।

8.36 राज्य सरकार अनुगृह आधार पर रक्षा बलों के शहीदों के आश्रित को द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सरकारी सेवा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार उन शहीदों के आश्रितों को अनुगृह राशि भी प्रदान करती है। यह अनुदान राशि सरकारी हिदायतोंनुसार उन सभी "युद्ध में घायल" मामलों में प्रदान की जाती है जो भारत सरकार द्वारा 24–03–2016 के बाद से अधिसूचित एवं रक्षा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी कार्यवाही या किसी विशेष क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान घटित हुई है को यह अनुगृह राशि 50 लाख रुपये दी जाती है, व 5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की अनुगृह राशि उन निःशक्तों को, उनकी निःशक्त प्रतिशता के आधार पर प्रदान की जाती है जो युद्ध, उग्रवादी, आई.ई.डी. विस्फोट व कार्यवाही एवं विशेष कार्यवाही के दौरान युद्ध में घायल को भारत सरकार की अधिसूचना अनुसार प्रदान की जाती है। यह राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी।

8.37 अब राज्य सरकार द्वारा अर्ध सैनिक बलों के शहीदों आश्रित को अनुगृह राशि भी प्रदान की जाती है जो विषम परिस्थितियों में शहीद होते है या अपने सरकारी तैनाती के कारण युद्ध या आंतकी हमले में निःशक्त हो जाते है। 50 लाख रुपये अनुगृह राशि निःशक्त होने की परिस्थिति में व 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक उनकी निःशक्ता के आधार पर दी जानी है जो प्राकृतिक आपदा, चुनाव, बचाव कार्य, आन्तरिक सुरक्षा आदि के दौरान निःशक्त हो जाते है।

रोजगार

8.38 रोजगार विभाग प्रार्थियों का पंजीकरण, अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध सम्प्रेषण, रोजगार इच्छुकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में प्रार्थियों के समायोजन तथा संगठित संस्थापनाओं से मानव शक्ति के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करता है।

सक्षम युवा योजना

8.39 हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव पर पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता व 100 घंटे मानद कार्य के लिए मानदेय प्रदान करने के लिए "शिक्षित युवा भत्ता और मानेदय योजना–2016" को 1 नवम्बर, 2016 से शुरू किया गया। यह योजना सक्षम युवा योजना के नाम से लोकप्रिय है। पंजीकृत विज्ञान, इन्जीनियरिंग, विज्ञान समकक्ष, वाणिज्य, कला स्नातकों को भी बाद में इस योजना में शामिल कर लिया गया। अगस्त, 2019 से 10+2 पास को भी इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

8.40 इस योजना के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 3,000 रुपये तथा पात्र स्नातक बेरोजगारों को 1,500 रुपये तथा 10+2 पास बेरोजगारों को 900 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता एवं 100 घण्टे कार्य करने के एवज में 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में दिनांक 31–12–2019 तक कुल 1,41,528 (स्नातकोत्तर 46,583 व स्नातक 61,757 तथा 10+2 पास 33,188) आवेदन अनुमोदित किए गए। योजना के प्रारंभ से 31 दिसम्बर, 2019 तक कुल 94,807 (स्नातकोत्तर 43,248, स्नातक 48,900 तथा 10+2 पास 2,659) सक्षमयुवाओं को विभिन्न विभागों में मानद कार्य प्रदान किया गया है। योजना के प्रारम्भ से 31–12–2019 तक कुल 346.33 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ते एंव 292.39 करोड़ रुपये मानदेय के लिए वितरित किए जा चुके हैं। योजना के तहत 10,906 सक्षम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बेरोजगारी भत्ता योजना

8.41 विभाग 10+2, स्नातक व समकक्ष युवा जोकि सक्षम योजना के अधीन पात्र नहीं है के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। वित्त वर्ष 2019–20 में अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2019 तक 26,592 लाभार्थियों को कुल 15.76 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जा चुका है।

8.42 30 नवम्बर, 2019 तक रोजगार के इच्छुक 7,51,210 प्रार्थियों ने विभाग की वेबसाईट www.hrex.gov.in के माध्यम से विभाग में अपना पंजीकरण करवाया है और 2,824 प्रार्थियों को सी.एन.वी.एक्ट, 1959 के अधीन अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित किए गए हैं।

सक्षम सारथि/सक्षम रक्षक

8.43 विभाग ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न निजी संस्थानों के साथ भागीदारी की है। सक्षम हरियाणा अभियान के अन्तर्गत 57,185 युवाओं को ड्राइवर (सक्षम सारथि) तथा सुरक्षा गार्ड (सक्षम रक्षक) के रूप में ओला, उबर तथा जी4एस, जमैटो और स्वीगी के साथ एम.ओ.यू. के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

8.44 विभाग ने सेवा प्रदाता के साथ अनुबन्ध के अधीन करनाल, पलवल तथा नारायणगढ में किए गए 4 महा रोजगार मेलों के माध्यम से 7,403 बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। इसके अतिरिक्त 504 विभागीय रोजगार मेलों के आयोजन से 34,108 युवाओं का समायोजन निजी क्षेत्र में करवाया गया। वर्ष 2019–20 में विभाग प्रत्येक जिले में त्रैमासिक रोजगार मेलों के अनिवार्य आयोजन के माध्यम से न्यूनतम 10,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

8.45 वर्तमान में विभाग की 8 सेवाएं सरल पोर्टल पर आनलाईन की जा चुकी हैं। विभाग दो पोर्टलों www.hrex.gov.in व www.hreyahs.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन कार्य कर रहा है।

व्यावसायिक मार्गदर्शन

8.46 व्यावसायिक मार्गदर्शन शिक्षित युवाओं के व्यक्तित्व विकास का सशक्त साधन है। इसी क्रम में 30–11–2019 तक व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत 5,046 व्यावसायिक प्रवचनों के माध्यम से 1,38,164 प्रार्थियों को व्यवसायिक मार्गदर्शन दिया जा चुका है।

मॉडल कैरियर सैन्टर

8.47 वर्ष 2015 में 100 प्रतिशत केन्द्र अनुदानित योजना के अन्तर्गत मॉडल कैरियर सैन्टर, हिसार की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं का सशक्तिकरण है, ताकि वे अपने कौशल का विकास कर अपने व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। मॉडल कैरियर सैंटर, हिसार ने अब तक 11 रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं जिसमें 464 नियुक्तियाँ निजी क्षेत्र में करवाई गई है।

रोजगार कार्यालयों की इन्टरलिंकिग

8.48 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर रोजगार कार्यालयों की इन्टरलिंकिग हेतु 267 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति हरियाणा सरकार को दी गई है। वित्त वर्ष 2019–20 में विभाग का कुल बजट 470.20 करोड़ रुपये है।

श्रम कल्याण

8.49 श्रम विभाग का मुख्य कार्य राज्य में औद्योगिक शान्ति एवं सामंजस्य बनाए रखना तथा कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना है।

8.50 श्रम विभाग श्रमिकों की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये वर्ष में दो बार जनवरी व जुलाई माह में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन की दरें संशोधित करता है। राज्य में अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01–11–2015 को 7,600 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी तथा वर्तमान में दिनांक 01–07–2019 से हरियाणा राज्य में न्यूनतम

वेतन की दरें अकुशल 9,024.24 रुपये, अर्धकुशल (ए) 9,475.43 रुपये, अर्धकुशल (बी) 9,949.19 रुपये, कुशल (ए) 10,446.65 रुपये, कुशल (बी) 10,969 रुपये तथा उच्च कुशल 11,517.45 रुपये निम्न अनुसार निर्धारित की गई हैं।

8.51 राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों में बढौतरी हेतु सूचना एवं प्रोद्यौगिकी तथा इससे सम्बन्धित संस्थानों को पंजाब दुकानात एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य करने की छूट प्रदान करता है। यह छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को कार्य घंटों के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं यातायात के साधनों की पूर्ण उपलब्धता करवायेगा। इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत 01–01–2019 से 18–10–2019 तक कुल 23 संस्थाओं में छूट प्रदान की गई जिससे 1,412 महिला श्रमिक लाभान्वित हुईं।

8.52 बेसहारा एवं प्रवासी बच्चों के लिये जिला पानीपत तथा यमुनानगर में 2 पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन पुर्नवास केन्दों में प्रवासी व बेसहारा बच्चों को मुफ्त रहने, व्यवसायिक शिक्षा एवं खाने पीने की सुविधा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 60 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

8.53 प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु वाला कोई भी असंगठित श्रमिक इस योजना में शामिल हो सकता है। यह योजना कार्यशील आयु के दौरान छोटी सस्ती राशि के मासिक योगदान 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये की एक निश्चित पैंशन प्रदान करती है। जिसकी अधिसूचना दिनांक 07–02–2019 को जारी की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (पी.एम.–एल.वी.एम.वाई.)

8.54 ''प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना के तहत 18 से 40 की आयु वाला कोई भी असंगठित श्रमिक इस योजना में शामिल हो सकता है। यह योजना केवल ऐसे लघु व्यापारियों के लिए होगी जिनका स्वंय घोषित वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये के मासिक योगदान 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये की एक निश्चित पैंशन प्रदान करती है। जिसकी अधिसूचना दिनांक 22–07–2019 को जारी की जा चुकी है।

कारखाना अधिनियम, 1948

8.55 लघु उद्योगों को सुविधा देने के लिये हरियाणा सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को सरल बनाने हेतू इस संशोधन का प्रस्ताव किया है। संशोधन के उपरान्त/अनुसार 20 श्रमिकों से कम वाले कारखाने (विद्युत शक्ति के साथ) तथा 40 श्रमिकों से कम वाले कारखाने (विद्युत शक्ति के बिना) कारखाना अधिनियम, 1948 के दायरे में नहीं आयेंगे। इस संशोधन में ओवर टाईम कार्य का समय 75 घण्टे से 150 घण्टे बढ़ाने का प्रावधान है। यह संशोधन पहली बार पाई गई उल्लंघनाओं/अपराध को कम्पाउंडिंग करने की सुविधा प्रदान करता है तथा उद्योगों में रात्रि पाली के दौरान महिला श्रमिकों को काम करने की छूट प्रदान करता है। कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 हरियाणा विधान सभा में पारित हो चुका है और माननीय राष्ट्रपति महोदय को अनुमति हेतू भेजा गया है।

कारखानों के प्लानों के नक्शों का ऑनलाइन जमा करना

8.56 व्यापार करने में आसानी के प्रावधानों की अनुपालना तथा भौतिक स्पर्श को खत्म करने के लिए, सरकार ने फैसला लिया है कि कारखाना अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत पास होने वाले नक्शों को हरियाणा उधम संवर्धन केन्द्र की एकल खिडकी प्रणाली के माध्यम से विभाग की साईट **hrylabour.gov.in** पर आटोकैड अथवा अन्य संगत प्रारूप में सिर्फ आनलाइन जमा होंगे।

श्रम अधिनियमों के तहत जॉच सूची अनुसार निरीक्षण

8.57 व्यापार सुघार कार्ययोजना/व्यापार करने में आसानी के प्रावधानों की अनुपालना में, सरकार ने फैसला लिया है कि पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली के तहत सभी श्रम अधिनियमो में किये जाने वाले निरीक्षण, श्रम आयुक्त अथवा मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा स्वीकृत जांच सूची के अनुसार किये जायेंगें।

एकल वार्षिक रिटर्न

8.58 श्रम विभाग, हरियाणा सरकार ने नियमों का सरलीकरण करने के लिये बहुत कदम उठाये हैं जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करते हुए मौजूदा कानूनों को सरल बनाया जाये। व्यापार सुधार योजना, 2016 सुगमय व्यापार, जिसके औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का अनुसरण करते हुए श्रम विभाग ने सभी श्रम कानून के तहत एकल वार्षिक रिटर्न भरने को मंजूरी दी है।

भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996

8.59 भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 की धारा 2(i) के तहत आने वाली सभी सरकारी संस्थाओं में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे सभी सरकारी विभाग जो ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्य करवाते हैं ऐसे सभी विभाग उनके अधीन चल रही सभी संस्थाओं/निर्माण कार्यो तथा उनमें कार्यरत निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करेगें। श्रम विभाग ने इस सम्बन्ध में सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों एवं कुलपतियों को दिशानिर्देश जारी किये हैं।

व्यापार करने में आसानी के सुधार

8.60 व्यवसाय सुधार कार्य योजना की परिपालना में और निरीक्षण अधिकारियों द्वारा कारखानों में जाकर भौतिक जांच द्वारा पंजीकरण रिर्पोट भरने की जरूरत तथा कारखाना नक्शे का सत्यापन करना समाप्त किया गया है। व्यापार करने में आसानी के सुधार के प्रोत्साहन के लिए कारखाना नक्शों की स्वीकृति के लिए अग्नि शमण विभाग तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूर्व प्राप्त किये जाने वाले अनापति प्रमाण पत्र की प्रथा को समाप्त किया गया है।

बजट

8.61 विभाग का वर्ष 2019–20 का नान–रैकरिंग स्वीकृत बजट 302 लाख रुपये है जिसमें से 157.95 लाख रुपये सितम्बर, 2019 तक खर्च किये जा चुके हैं। विभाग का वर्ष 2020–21 के लिए नान–रैकरिंग बजट आवश्यकता अनुसार योजना विभाग को भेजा जाना है।

हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की उपलब्धियां

8.62 हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे कि मातृत्व लाभ, पितृत्व लाभ, शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता, कन्यादान योजना, औज़ार खरादने हेतू सहायता, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, सिलाई मशीन योजना, साईकिल योजना, बच्चों की शादी पर सहायता पैतृक पर जाने पर किराया, मुफ्त भ्रमण सुविधा, अपंग/अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता, अपंगता सहायता/पैंशन, चिकित्सा, घातक बिमारियों के लिये वित्तीय सहायता, मकान खरीदने के लिये वित्तीय सहायता, पारिवारिक पैंशन, मृत्यु सहायता, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, दाह संस्कार सहायता, अपंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता, क्रैच व चलती–फिरती शौचालय और लेबर शैड इत्यादि योजनाएं चलाई जा रही हैं।

8.63 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2018–19 में बी.ओ.सी.डब्लयू. के लाभार्थियों के रूप में 63,843 को 7,42,37,305 रुपये, 1,94,283 को 37,37,15,675 रुपये, 1,64,541 को 74,47,60,270 रुपये, 61,622 को 1,43,37,02,477 रुपये और 1,24,082 को 2,59,21,67,305 रुपये क्रमशः कल्याण योजना

के अन्तर्गत वितरित किये गए। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा लाभार्थियों की संख्या व वितरित की गई राशि का विवरण वर्षवार **तालिका 8.11** में दिया गया है।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की उपलब्धियां

8.64 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रमिकों व उनके आश्रितों के लिए विभिन्न 22 कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थीं तथा दिनांक 15–01–2019 से बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में संशोधन व तीन नई योजनाओं जैसे कि (श्रमिक के लड़के व उसकी स्वयं की शादी पर शगुन के रूप में वित्तीय सहायता, श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत श्रमिकों को अधिक से अधिक श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ दिलवाने वाले प्रबंधकों को पुरस्कार व कोचिंग फीस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को व्यवसायिक कोर्सों में परीक्षाओं की कोचिंग व यू.पी.एस.सी. एवं एच.पी. एस.सी. की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा तैयारी हेतू वित्तीय सहायता) का संचालन किया गया है विभिन्न योजनाओं के तहत 01–01–2019 से 15–10–2019 तक श्रमिकों को 66,651 लाभों के वितरण पर 31.26 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। श्रमिकों को समय पर बोर्ड की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बोर्ड की कल्याणकारी गतिविधियों की सेवाएं तथा उक्त अधिनियम के तहत अंशदान की प्राप्ति को ऑनलाईन कर दिया गया है तथा अंशदाताओं का डाटा श्रम विभाग, हरियाणा के वैब पोर्टल hrylabour.gov.in पर ऑनलाईन फीड किया जा रहा है जिसके तहत 34,27,582 अंशदाताओं का डाटा उक्त वैब पोर्टल पर फीड हो चुका है। कल्याणकारी योजनाओं के ऑनलाईन होने से योजनाओं के लाभ का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से श्रमिकों के आधार सीडिड खातों में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सिलीकोसिस पुर्नवास नीति के तहत बोर्ड द्वारा 7.84 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा लाभार्थियों की संख्या व वितरित की गई राशि का विवरण **तालिका 8.11** में दिया गया है।

तालिका 8.11–भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा लाभार्थियों की संख्या व वितरित की गई राशि का विविरण वर्षवार

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	वितरित की गई राशि (रुपये)
2014–15	63843	74237305
2015–16	194283	373715675
2016–17	164541	744760270
2017–18	61622	1433702477
2018–19	124082	2592167305

स्त्रोत: श्रम विभाग, हरियाणा।

खेल तथा युवा मामले

8.65 हाल में हरियाणा के खिलाडियों ने अंर्तराष्ट्रीय खेल जगत में देश का गौरव बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है। हरियाणा के खिलाडियों ने अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन करके देश का गौरव बढ़ाया है। वर्ष 2019–20 में विभाग का बजट प्रावधान 468.69 करोड़ रुपये किया गया है। राज्य के 3,122 खिलाडियों को उनकी वर्ष 2016–17, 2017–18 व 2018–19 (31–12–2018 तक) की राष्ट्रीय तथा अंर्तराष्ट्रीय स्तर की खेल उपलब्धियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 में 150.40 करोड़ रुपये (31–10–2019 तक) की राशि ईनाम के रूप में प्रदान की गई है।

खेल महाकुंभ

8.66 वर्ष 2019–20 में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा जिला स्तरीय खेल महाकुम्भ का आयोजन 15 खेलों में ओपन कैटेगरी (पुरूष एवं महिला) दिनांक 31–10–2019 से 2–11–2019 तक करवाया गया। इन खेलों के आयोजन के लिए 4.09 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जानी है। वर्ष

2019–20 में विभाग द्वारा राज्य स्तरीय खेल महाकुम्भ का आयोजन 15 खेलों में (पुरूष एवं महिला) दिनांक 8–11–2019 से 10–11–2019 करवाया गया। इस प्रतियोगिता के आयोजन हेतू 1.33 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जानी है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय मैमोरियल कब्बड्डी प्रतियोगिता

8.67 पंडित दीन दयाल उपाध्याय मैमोरियल कब्बड्डी प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 22–02–2019 से 24–02–2019 तक हिसार में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीमों ने हिस्सा लिया। यह देश में सबसे अधिक ईनामी राशि वाली कब्बड्डी प्रतियोगिता है जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली टीम को क्रमश 1 करोड़, 50 लाख, 25 लाख तथा 11 लाख रुपये की राशि ईनाम के रूप में दी गई।

राज्य स्तरीय अखाड़ा प्रतियोगिता

8.68 विभाग द्वारा राज्य स्तरीय अखाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 25 से 27 फरवरी, 2019 तक कैथल (महिला) तथा फरीदाबाद (पुरूष) में करवाया गया। इसके आयोजन पर लगभग 23 लाख रुपये खर्च किये गये। हरियाणा केसरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 1,51,000 रुपये, द्वितीय को 1,00,000 रुपये व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 51,000 रुपये तथा हरियाणा कुमार अरेना में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 51,000 रुपये, द्वितीय को 31,000 रुपये तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 21,000 रुपये की ईनाम राशि दी गई।

अखिल भारतीय फ्री–स्टाईल कुश्ती प्रतियोगिता

8.69 अखिल भारतीय फ्री–स्टाईल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 22 से 24 मार्च, 2019 तक शहीदी दिवस पर पानीपत (महिला तथा पुरूष) में करवाया गया जिसमें भारत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों ने हिस्सा लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली टीम को क्रमश 1 करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये तथा 10 लाख रुपये की ईनाम राशि दी गई जो कि पूरे देश में किसी भी कुश्ती प्रतियोगिता में विजेताओं को दी जाने वाली सबसे बडी ईनाम राशि है ।

योग प्रतियोगिता

8.70 जिला स्तरीय योग प्रतियोगिताऐं मास अगस्त, 2019 में सभी जिलों में आयोजित करवाई गई तथा इस पर 2,20,000 रुपये खर्च किए गये और प्रत्येक जिले को 10 हजार रुपये की राशि दी गई ।

खेल सरंचना

8.71 राज्य के 19 जिलों में से प्रत्येक जिले को सुविधा केन्द्रों के निर्माण का कार्य पूर्ण करने के लिए लगभग 3.25 करोड़ रुपये की राशि दी गई। अम्बाला छावनी खेल स्टेडियम में फुटबॉल सिंथेटिक सरफेस व एथलैटिक्स ट्रैक पैवेलियन व अन्य कार्यों को पूर्ण करने के लिए लगभग 85 करोड़ रूपये की अग्रिम राशि दी गई। अम्बाला छावनी खेल स्टेडियम में लगभग 12.96 करोड़ रुपये की लागत से खेल छात्रावास का कार्य भी प्रगति पर है। अम्बाला में लगभग 13.70 करोड़ रुपये की लागत से आलवैदर स्वीमिंग पूल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। जिला हिसार के 5 गांवों नामतः कापड़ो, माढा, महजद, खेड़ी जालब तथा बुड़ाना हेतू प्रत्येक को लगभग 3 करोड़ रुपये, जिला कैथल के गांव दुसैन तथा मुनारेहड़ी के 2 खेल स्टेडियम प्रत्येक को लगभग 3 करोड़ रुपये, जिला कुरूक्षेत्र के गांव समाणा बाहू तथा माजरा रोड़ान में 2 खेल स्टेडियम प्रत्येक को लगभग 3 करोड रूपये की लागत से निर्माण कार्य के लिए राशि जारी की गई।

8.72 जिला रोहतक (सिलाना), चरखी दादरी (समसपूर), पानीपत (सिवाह), जीन्द (नरवाना) को लगभग 19.77 करोड़ रुपये, 20.79 करोड रुपये, 27.53 करोड रुपये और 6.88 करोड रुपये की लागत से खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है जिसके लिए 5 करोड़ रुपये 3 जिलों (रोहतक, चरखी दादरी व पानीपत) तथा 2 करोड रुपये जीन्द के लिए स्वीकृति जारी की गई है। भिवानी, फरीदाबाद, करनाल तथा

कुरूक्षेत्र में सिंथेटिक एथलैटिक ट्रैक का निर्माण पूर्ण हो चुका है जबकि फतेहाबाद, अम्बाला, हिसार व कैथल के खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2019–20 खेल उपकरणों की खरीद के लिए 10 करोड रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। खेल उपकरणों की खरीद निदेशक, स्पलाईज व डिसपोजल विभाग हरियाणा द्वारा की जानी है।

खेल नर्सरी व खेल अकेडमी

8.73 उभरते युवा खिलाडियों को खेल प्रशिक्षण देने हेतु सरकारी तथा निजी स्कूलों में खेल नर्सरियां अलॉट की गई हैं। वर्तमान में राज्य के भिन्न–भिन्न जिलों में 446 खेल नर्सरियां और 3 आवासीय खेल अकेडमी चल रही हैं।

युवा कार्यक्रम एवं साहसिक गतिविधियां

8.74 वर्ष 2019–20 में विभाग ने कई युवा कार्यक्रम एंव साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया। 10 दिवसीय जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यशाला का आयोजन 1 से 30 जून के मध्य राज्य के प्रत्येक जिले में किया गया, जिसमें कुल 1,100 युवक व युवतियों ने हिस्सा लिया, जिस पर 15.40 लाख रुपये खर्च हुए। नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों पर राज्य के प्रत्येक जिले में 2 दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन 27 व 28 मई, 2019 को किया गया जिसमें 2,200 युवाओं ने भाग लिया। इन विचार गोष्ठीयों के आयोजन पर 5.28 लाख रुपये का खर्च आया। जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 03–10–2019 से 04–10–2019 (दो दिन) में राज्य के प्रत्येक जिले में आयोजित करवाया गया जिसके लिए 38.66 लाख रुपये की वित्तीय राशि में से 1.76 लाख रुपये प्रत्येक जिले के लिए प्रदान किए गए। मानदेय तथा अन्य भत्तों हेतू 9.74 लाख रुपये की राशि राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष को प्रदान की गई। "नवतंरग शहीदों को नमन" युवाओं के कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 10–08–2019 को चरखी दादरी में आयोजित करवाया गया। डाक्यूमेंट्री फिल्म बनाने और रेडियो जिन्गल के कार्यक्रम के लिए 8.07 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 20,000 युवाओं ने प्रतिभागिता की। जिला खेल कौंसिल चरखी दादरी को इस कार्यक्रम के लिए 80 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। कोडियाला, ऋषिकेश में दिनांक 20–04–2019 से 12–06–2019 तक 4 रीवर राफ्टिंग कैम्पों का आयोजन किया गया जिनमें 168 युवक व युवतियों ने भाग लिया।

8.75 क्षेत्रीय जल क्रीडा संस्थान, पौंग डैम, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में 2 बेसिक वाटर स्पोर्टस कोर्सों का आयोजन 11–06–2019 से 08–07–2019 तक किया गया जिसमें 77 युवक व युवतियों ने भाग लिया। मैक्लोडगंज, धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में 14 से 21 सितम्बर व 22 से 29 सितम्बर, 2019 तक 2 कैम्पों का आयोजन पर्वतारोहण, ट्रैकिंग तथा रॉक कलाईम्बिंग हेतु किया गया जिनमें 76 युवक व युवतियों ने भाग लिया।

पर्यटन

8.76 हरियाणा पर्यटन ने पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के पर्यटन के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है। पर्यटन विभाग का मुख्य कार्य राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। हरियाणा पर्यटन ने पूरे राज्य में राजमार्गों पर पक्षियों के नाम पर 44 पर्यटक स्थल स्थापित किये हैं जोकि पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। इनमें से कुछ पर्यटन केंद्र धरोहर स्थलों, झीलों, पक्षी अभ्यारण और गोल्फ कोर्स के निकट स्थित हैं। ये पर्यटन केंद्र पर्यटकों को विस्तृत किस्म की पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं जिनमें मल्टी कजन रेस्तरां, स्वास्थ्य क्लब, फास्ट फूड केंद्र, नौकायन कानफ्रैंस बच्चों के पार्क आदि शामिल हैं। इनमें से कुछ रिजोर्ट तो कई एकड में फैले हुये है। हरियाणा पर्यटन के पास वर्तमान में 857 वातानुकूलित कमरे, 14 डौरमेटरी और 55 सम्मेलन केन्द्र/समारोह/

बहुउद्धेशीय हॉल हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा पर्यटन के पास 42 रेस्तरां, 5 फास्ट फूड केंद्र और 31 बार भी हैं। हरियाणा पर्यटन विभिन्न पर्यटक स्थलों पर 14 पैट्रोल पम्प भी चला रहा है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां होटल प्रबन्धन से सम्बन्धित पांच संस्थान कुरूक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, फरीदाबाद व यमुनानगर में कार्यरत है जो कि देश के सत्कार शिक्षा के सर्वोच्च निकाय, नैशनल कांउसिल फार होटल मैनेजमैंट व कैटरिंग टैक्नोलॉजी, नोएडा (जिसकी स्थापना पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है) से सम्बन्धित है।

कृष्णा सर्किट

8.77 कुरूक्षेत्र को मुख्य पर्यटन गंतव्य के रुप में विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने आधारभूत पर्यटन संरचना विकसित करने के लिए कृष्णा सर्किट के तहत चिन्हित किया है। तदानुसार इस प्रोजैक्ट के अर्न्तगत ब्रहम्सरोवर, ज्योतिसर नारकातरी, सन्नहित सरोवर आदि स्थानों पर पर्यटन सम्बन्धित आधारभूत संरचना को विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग, हरियाणा द्वारा इस परियोजना में श्रीमद्भगवत गीता व महाभारत थीम पर आधारित 3–डी मल्टीमीडिया शो, परिक्रमा पथ पर मुराल पेंटिंग और महाभारत सम्बन्धित आर्टफैक्टस, ब्रहम्सरोवर पर लाईट एण्ड सांउड शो, ज्योतिसर पर महाभारत युद्ध क्षेत्र के 48 कोस थीम आधारित पार्क स्थल को इसमें सम्मिलित किया गया है।

8.78 इस योजना को भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की वित्त सहायता से पूरा किया जायेगा जिसका एक विस्तृत प्रस्ताव/ परियोजना रिपोर्ट राशि 99.51 करोड़ रुपये की तैयार कर भारत सरकार को भेजी गयी थी। जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय ने 97.34 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई व 77.88 करोड़ रुपये की राशि सूचना केन्द्र, गजिबो, पार्किंग, साइनेज बोर्ड, बैंचों, प्रकाश व्यवस्था, शौचालयों और घाट इत्यादि के निर्माण के लिए जारी कर दी गई है।

8.79 स्वदेश दर्शन योजना के कृष्णा सर्किट चरण–2 के तहत राशि 97.06 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) जो कि श्रीमदभगवत गीता और महाभारत से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पर्यटन/तीर्थ स्थलों जोकि कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल, पानीपत और मेवात आदि जिलों में स्थित है, पर पर्यटन सम्बन्धी बुनियादी ढांचे के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 22–03–2018 को भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 33.45 करोड़ रुपये की राशि की एक अन्य डी.पी.आर. (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करके संग्रहालय ग्रांट स्कीम के अर्न्तगत गीता ज्ञान, संस्थान, कुरूक्षेत्र के विकास के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 23–05–2018 को स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है।

हैरिटेज सर्किट रिवाडी–महेन्द्रगढ–माधवगढ

8.80 स्वदेश दर्शन योजना के अंर्तगत हैरिटेज सर्किट में रिवाडी–महेन्द्रगढ–माधोगढ में पर्यटन आधारित आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए 99.75 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव दिनांक 27–03–2017 को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतू भेजा गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर साइट पर यात्रा कर ली गई है व अब पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने कुछ टिप्पणियां भेजी हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महेन्द्रगढ–किले के विकास के लिए व रानी महल, बावड़ी के आंतरिक व बाहरी क्षेत्र के विकास के लिए तथा माधोगढ किले को छोडकर किले के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए 29.60 करोड़ रुपये की राशि की परियोजना माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा स्वीकृति की जा चुकी है तथा 29.60 करोड़ रुपये विकास कार्य के लिए जारी की जा चुकी है। दोनों के विकास कार्य प्रगति पर है।

पी.आर.ए.एस.ए.डी. स्कीम के अर्न्तगत परियोजनाएं

8.81 दिनांक 31–10–2018 को पीलग्रीमेज रीजूवेनेशन एण्ड स्प्रीचुअल आयुगमेंटेशन ड्राईव स्कीम के अर्न्तगत भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को नाडा साहब गुरूद्वारा परियोजना के विकास के लिए 11.12 करोड़ रुपये की एक पी.पी.आर. प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट विचार व अनुमोदन के लिए भेजी गई थी। दिनांक 27–11–2018 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ इस बारे एक बैठक भी हो चुकी है। विचार विमर्श उपरान्त मंत्रालय ने उपरोक्त परियोजना को मंजूरी दे दी है व राज्य सरकार को इस परियोजना पर संशोधित डी.पी.आर. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है दिनांक 03–05–2019 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को 72.29 करोड़ रुपये की राशि की संशोधित डी.पी.आर. भेजी गई है जिसमें माता मन्सा देवी मंदिर, पंचकूला व काली माता मंदिर, कालका को भी शामिल किया गया था। इस प्रोजेक्ट पर विचारविमर्श व प्रस्तुतिकरण के उपरान्त मंत्रालय ने काली माता मंदिर को इस प्रस्ताव मे से हटा दिया है। इसके बाद दिनांक 05–09–2019 को 44.90 करोड की एक संशाधित पी.पी.आर. पर्यटन मंत्रालय को मंजुरी व राशि जारी करने हेतू भेजी हुई है।

प्रकाश और ध्वनि शो

8.82 केंद्र सरकार की 5.40 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद से रोहतक में एक प्रकाश और ध्वनि शो आई.टी.डी.सी. द्वारा स्थापित किया गया है। जिसका उदघाटन भारत सरकार के पर्यटन मंत्री ने दिनांक 12–09–2018 को किया था। इसी प्रकार आई.टी.डी.सी. के द्वारा ही यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में भी प्रकाश और ध्वनि शो स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के कियान्वयन हेतू पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने 6 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करते हुए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 3 करोड़ रुपये की राशि आई.टी.डी.सी. को जारी कर दी है।

स्वर्ण जयन्ती सिन्धु दर्शन व मानसरोवर यात्रा

8.83 हरियाणा सरकार ने सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा स्कीम, 2017 हेतू 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति/तीर्थ–यात्री, कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतू 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति/तीर्थ यात्री और गुरु दर्शन योजना के लिए श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा (नंदेड साहिब), श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुण्ड साहिब तथा श्री पटना साहिब हेतू 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति/तीर्थ यात्री वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह राशि 50 व्यक्तियों/तीर्थ यात्रियों को प्रोत्साहन के रुप में दी जाएगी। जिसके लिए विभागीय वार्षिक योजना 2019–20 में 40 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

मेले/त्यौहार

8.84 भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प को बढावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुण्ड शिल्प मेला हर वर्ष फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। इस मेले में घरेलू और विदेशी दोनों मिलाकर लगभग 12 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। हर साल 1,000 से अधिक शिल्पकार मेले में भाग लेते हैं और अपने उत्पादों को सफलतापूर्वक प्रदर्शित/बेचते हैं। 1989 से भारत के सभी राज्यों को उनके शिल्प, व्यंजन व कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। मेले का 33वां संस्करण 1 फरवरी, 2019 से 18 फरवरी, 2019 को आयोजित किया जा चुका है। मेले में महाराष्ट्र ने थीम राज्य के रुप में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, थाईलैण्ड ने मेले के लिए पार्टनर देश के रुप में भाग लिया।

8.85 यादविंद्रा गार्डन, पिंजौर में 6 व 7 जुलाई, 2019 को एक वार्षिक मैंगो मेले का आयोजन किया गया। यह फलों के राजा के प्रेमियों के लिए एक सुनहरा मौका था। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड के बहुत सारे आम उत्पादकों ने इसमें भाग लिया। विभिन्न आमों की प्रसिद्ध किस्मों जैसे कि दशहरी, चौसा, लंगडा, आम्रपाली, बाम्बेग्रीन, रैटोल, मल्लिका और रामकेला (एक अचार की किस्म) इत्यादि और

आमों से बनाए गए उत्पाद इस मेले में प्रदर्शित किये गए। विश्वप्रसिद्व यादविन्द्रा गार्डन, पिंजौर में 21 दिसम्बर से 22 दिसम्बर, 2019 तक हैरिटेज मेले का आयोजन किया गया।

8.86 अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव प्रत्येक वर्ष कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है। इस 7 दिसम्बर, से 23 दिसम्बर, 2018 तक गीता जंयती महोत्सव का अयोजन कुरूक्षेत्र में किया गया है। इस वर्ष 13 व 14 अप्रैल, 2019 को यादविन्द्रा बाग, पिंजौर में बैसाखी मेले का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर व 27 सितम्बर को क्रमशः हरियाणा पर्यटन दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हरियाणा पर्यटन दिवस पर अलग–2 पर्यटन स्थलों पर स्कूलों के विद्यार्थियों की विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पर्यटन के विकास हेतू विभागीय योजना में राशि 3,940 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

8.87 एन.ए.पी.सी.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना विभिन्न सरकारी विभागों से परामर्श के बाद तैयार किया गया है और जिसके लिए पर्यावरण विभाग नोडल एजैंसी है। राज्य संचालन समिति ने राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को पहले ही मंजूरी दे दी है। वर्ष 2019–20 के दौरान 25 लाख रुपये की राशि वित्त विभाग द्वारा दी गई।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य स्तरीय प्लान का सृजन

8.88 परस्पर विभागों की कार्यशालाओं और एस. ए. जी. की बैठको से निम्नलिखित दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिन्हें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुमूलन कोष से लागू किया जाएगा।

- हरियाणा में जलवायु रेजिलेन्ट कृषि को ऊपर उठाने के लिए हरियाणा राज्य द्वारा 250 जलवायु स्मार्ट गांव स्थापित करने के लिए 22.09 करोड की राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के तहत कृषि विभाग हरियाणा राज्य के 10 जिलों नामतः करनाल, सिरसा, कैथल, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, जींद, पानीपत और सोनीपत में 100 जलवायु स्मार्ट गांवों का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्वेश्य बढते तापमान, कम होते पानी के स्तर और अन्य कारकों के

  कारण कृषि पर जलवायु के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करना है। इस परियोजना का मुख्य कारण उद्देश्य किसानों का जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे कि बढते तापमान, कम होते पानी के स्तर और अन्य कारकों पर काबू पाना है।
- ग्रामीण क्षेत्रों पर क्लाइमेट चेंज रैसिलैंस बिल्डिंग के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 27.14 करोड रुपये की राशि मंजूर की गई है जिसमें से 7.56 करोड रुपये की राशि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 03–05–2018 को कृषि विभाग को जारी कर दी गई है।
- राज्य स्टीरिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित 2 परियोजनाओं को अनुमति दे दी गई है जो कि अब इन परियोजनाओं को एन.ए. एफ.सी.सी. के तहत फंडिग के लिए पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन को आगे भेज दिये गये है–:

1. पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा सी.सी.एस., एच.ए.यू.,आई.सी. ए.आर.–सी.आई.आर.बी., हिसार द्वारा कृषि जैव विविधता पार्क के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये तक की फंडिग की गई।
2. जलवायु परिवर्तन वातानुकूलित हरियाणा की तैयारी के लिए पर्यावरण मंत्रालय, वन एंव जलवायु परिवर्तन को 18 करोड़

रुपये की फंडिग एच.ए.आर.एस.ए.सी., सी.सी.एस.,एच.ए.यू., हिसार द्वारा प्रस्तुत की गई है।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना का संशोधन

8.89 जलवायु परिवर्तन (एस. ए. पी. सी. सी.) पर कार्य योजना सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, वन एंव जलवायु परिवर्तन द्वारा वांछित के रूप में लक्षित राष्ट्रीय निर्धारित अशंदान (आई.एन.डी. सी.) के तहत किए गए प्रतिबद्वताओं के प्रकाश में संशोधन की प्रक्रिया के तहत है। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य के संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना के पुर्नरीक्षण के मामले में जलवायु परिवर्तन पर राज्य सलाहकार समूह की बैठक में पहले ही चर्चा हो चुकी है। आई.एन.डी.डी.सी के लक्ष्यों के अनुसार जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के पुनरीक्षण के लिए 8 कार्य समूह का गठन किया गया।

विशेष पर्यावरण न्यायालय, फरीदाबाद तथा कुरूक्षेत्र

8.90 पर्यावरण सम्बन्धित मामलों का निपटारा करने के लिए फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में दो विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थापित किये गए है और जो कि जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1981, पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीवन अधिनियम और पंजाब भूमि रोकथाम अधिनियम (पी.एल.पी.ए.) के मामलों को देखते है। वर्ष 2018–19 में 201.30 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। विशेष पर्यावरण न्यायालय, फरीदाबाद–कुरूक्षेत्र के संस्थापित तथा निपटाएं गए केसों का विवरण **तालिका-8.12** में दिया गया है।

तालिका 8.12–विशेष पर्यावरण न्यायालय, फरीदाबाद– कुरूक्षेत्र में संस्थापित तथा निपटाएं गए केसों का विवरण

विशेष पर्यावरण न्यायालय	2017–18		2018–19		2019–20	
	संस्थापित केसों की संख्या	निपटाएं गए केसों की संख्या	संस्थापित केसो की संख्या	निपटाएं गए केसों की संख्या	संस्थापित केसों की संख्या	निपटाएं गए केसों की संख्या
फरीदाबाद	315	519	168	320	136	236
कुरूक्षेत्र	93	282	428	385	209	198

स्त्रोतः निदेशक, पर्यावरण विभाग, हरियाणा।

स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

8.91 विभाग ने आई.एम.टी. मानेसर में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 1 एकड़ का प्लाट लगभग 8 करोड़ रुपये में खरीदा है ताकि पर्यावरण से सम्बन्धित समस्याओं से निपटाने के लिए विभिन्न हितधारको को जागरूक करके योग्यता के स्तर को बढाया जा सके। प्लाट का कब्जा ले लिया गया है और संस्थान का नक्शा आर्किटेक्चर विभाग द्वारा तैयार कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग (बी एण्ड आर) से 15.65 करोड़ रुपये का रफ अनुमान भेजा गया है, जिसमें से लगभग 7.82 करोड़ रुपये विभाग देगा और लगभग 7.82 करोड़ रुपये हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये जाएंगें। 2019–20 के दौरान 500 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है जो कि लोक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.) को भवन निर्माण हेतू स्थानान्तरित की गई है।

पर्यावरण प्रशिक्षण, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम

8.92 पर्यावरण विभाग पर्यावरणी प्रदूषण के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए सैमीनार व कार्यशाला आयोजित कर रहा है और पर्यावरण सरंक्षण एंव प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। वर्ष

2019–20 में लोगों को जागृत करने के लिए 50 लाख रुपये की राशि वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण

8.93 राज्य स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समिति का गठन तीन वर्ष के लिए दिनांक 30–01–2019 से 29–01–2021 तक किया गया था। वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए 135 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य रणनितिक ज्ञान मिशन केन्द्र की स्थापना करना

8.94 विज्ञान एवं प्रद्यौगिक मंत्रालय ने हरियाणा राज्य में राज्य रणनितिक ज्ञान मिशन केन्द्र पर जलवायु परिवर्तन की स्थापना करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की मंजूरी के लिए समझौता किया गया है। यह प्रोजैक्ट पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। स्टाफॅ भर्ती का कार्य प्रकिया में है।

राज्य नमभूमि प्राधिकरण की स्थापना

8.95 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी वेटलैंड (सरक्षण और प्रबन्धन) नियम, 2017 के तहत राज्य स्तरीय स्टेट वेटलैंड अथारिटी का गठन किया गया है जिसमें वेटलैंड के सरक्षण और प्रबन्धन के लिए राज्य स्तर पर पहचान दी जाएगी। राज्य स्तरीय स्टेट वेटलैंड अथारिटी के 13 मैम्बर है। वेटलैंड (सरक्षण और प्रबन्धन) नियम 2017 के तहत तकनीकी समिति और शिकायत समिति भी बना दी गई है।

एनवीस

8.96 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 5,82,962 रुपये से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा में पर्यावरण सूचना प्रणाली हब की स्थापना की गई है।

पारिस्थितिक क्लब की स्थापना

8.97 राज्य सरकार ने राज्य के 22 जिलों में 5,250 इको क्लब स्थापित किये है। ये इको क्लब वृक्षारोपण की तरह राज्य भर में विभिन्न क्रियाकलाप कर रहे हैं, आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है। वर्ष 2019–20 में 150 लाख रुपये की राशि विभाग को प्राप्त हुई है जो कि राज्य के 5,250 इको क्लबों में 2,000 रुपये प्रति इको क्लब के लिए वितरित की जायेगी।

स्वच्छता कार्य योजना

8.98 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वच्छता कार्य योजना के लिए 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। मंत्रालय से पूंजी प्राप्ति हेतू अलग से खाता खुलवाया गया है और नदियों की सफाई के लिए जागरूकता अभियान शीघ्र ही शुरू किये जाएगें।

सहकारिता

8.99 योजना विभाग ने राज्य योजनाओं (कल्याण और विकास योजनाओं) के तहत 1,47,709.50 लाख रुपये का परिव्यय आबंटित किया है जो कि वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। सहकारिता विभाग द्वारा 28 राज्य योजनाएं और 7 एन.सी.डी.सी. प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

8.100 सरकार ने गन्ने की अगेती, मध्यम, पछेती किस्मों का राज्य सुझावित मूल्य क्रमशः 340 रुपये, 335 रुपये, 335 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है पानीपत सहकारी चीनी मिल्ज का स्थानांतरण, विस्तार और आधुनिकीकरण, करनाल सहकारी चीनी मिल्ज का विस्तार और आधुनिकीकरण तथा शाहाबाद सहकारी चीनी मिल्ज में 60 के.एल.पी.डी. इथेनॉल संयंत्र की स्थापना क्रमशः 355 करोड़ रुपये, 263 करोड़ रुपये व 99 करोड रुपये की लागत से शुरू की गई है। जींद और पलवल सहकारी चीनी मिलों की पिराई क्षमता में वृद्धि की प्रक्रिया चल रही है।

8.101 पिराई सीजन 2018–19 में सभी सहकारी चीनी मिलों ने 354.96 लाख क्विंटल प्रतिशत चीनी वसूली प्राप्त की। पिराई सीजन 2018–19 के दौरान सभी सहकारी चीनी मिलों द्वारा 1,206.15 करोड़ मूल्य के 355.17 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की गई तथा सभी सहकारी चीनी मिलों द्वारा समस्त गन्ना राशि का भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त 350 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपरान्त गन्ना किसानों को कर दिया गया है। दिनांक 30–10–2019 तक, हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों द्वारा राज्य सरकार को 2,549.49 करोड़ रुपये देय है जो कि सरकार द्वारा बकाया गन्ने के भुगतान हेतू वर्ष 2007–08 से ऋण के रूप में दिए गए।

अपेक्षित कारोबार एवं लाभ

8.102 वित्त वर्ष 2018–19 के लिए हैफेड का अपेक्षित कारोबार एवं लाभ क्रमशः 12,307 करोड़ रुपये और 41.47 करोड़ रुपये (कर के बाद) है। रबी 2019 सीजन के दौरान हैफेड ने 39.18 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जो कि प्रदेश की सभी एजेंसियों द्वारा की जाने वाले कुल खरीद का लगभग 42 प्रतिशत था। हैफेड ने आई.एम.टी., रोहतक में मेगा फूड प्रोजैक्ट की स्थापना के लिए परियोजना 179.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ शुरू की है। जिसके लिए हैफेड ने पहले ही 75 साल की लीज़ पर एच.एस.आई.आई.डी.सी. से 50 एकड़ जमीन ली है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन दिनांक 21–2–2018 को प्राप्त हुआ है और इस परियोजना को अनुमोदित तिथि से 30 महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना

8.103 "मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत 33.30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। सहकारी दुग्ध उत्पादकों को दूध की गुणवत्ता के अनुसार 4 रूपये प्रति लीटर या 5 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि का वितरण सीधे खाते में दिया जाता है। सभी 6 दुग्ध संयंत्रों गन्ने की पिराई करके 35.72 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया तथा औसत 10.06 के नवीनीकरण/सुधारीकरण करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फन्ड योजना के अन्तर्गत 5,421.25 लाख रुपये की स्वीकृति दे दी है।

8.104 दूध और दुग्ध उत्पादों के खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के पहलुओं पर खरा उतरने वाले 3 मिल्क प्लांटो बल्लभगढ़, जीन्द और रोहतक को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा क्वालिटी मार्क प्रदान किया गया है। "दुग्ध सहकारी समितियों को सहायता योजना" के अन्तर्गत सहकारी समितियों के लिए वर्ष 2018–2019 के दौरान 700 डी.पी.एम.सी.यू. खरीदे जा चुके है। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में पहले से लगे हुए डी.पी.एम.सी. यूज./ए.एम.सी.यूज. को भी ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर के लिए उपकरण दिए जा रहे है। वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अन्तर्गत 127 विजी कूलर, 132 डीप फ्रीजर तथा 44 फैब्रीकेटिड मिल्क बूथ खरीदे जा चुके है।

8.105 श्रम एवं निर्माण प्रसंघ (लेबरफैड) के प्रयासों से, प्राथमिक सहकारी श्रम और निर्माण समितियों ने 01–04–2018 से 31–03–2019 के दौरान 468.55 करोड रुपये के कार्य निष्पादित किए हैं। राज्य श्रम एवं निर्माण प्रसंघ ने सहकारी समितियों द्वारा 500 करोड़ रुपये के कार्य का लक्ष्य वर्ष 2019–20 में निर्धारित किया है। सहकारी श्रम और निर्माण समितियों द्वारा किया गए कार्य का विवरण **तालिका 8.13** में दिया गया है।

हरियाणा राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लिमिटेड

8.106 हरियाणा राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लि0 (हरको बैंक) ने दिनांक 01–04–2019 से 31–12–2019 तक 6,318.27 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए हैं। राज्य सरकार ने हरको बैंक को 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के

प्रावधान अनुसार 19 में से 13 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को 10 प्रतिशत सी.आर.ए.आर. बनाए रखने के लिए 90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। वर्तमान में 19 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों और हरको बैंक के पास पर्याप्त सी.आर.ए.आर. है।

8.107 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लि0 (एच.एस.सी.ए. आर.डी. बी.) ने दिनांक 01–04–2019 से 31–12–2019 तक 4,073.37 लाख रुपये के ऋण प्रदान किए हैं। समय पर ऋण अदायगी ब्याज माफी प्रोत्साहन योजना के तहत दिनांक 27–08–2014 से 31–03–2019 तक 74,649 लगभग ऋणदाता किसानों ने 67.92 करोड़ रुपये का लाभ उठाया है। एकमुश्त ब्याज राहत योजना (ओ.टी.एस.) 2019 के तहत, 10,003 डिफॉल्टर्स ऋणियों ने 78.44 करोड रुपये का लाभ उठाया है।

तालिका 8.13– सहकारी श्रम और निर्माण समितियों द्वारा किए गए कार्यो के वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

(करोड रूपये मे)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां	(प्रतिशतता)
2014–15	335	178.98	53.42
2015–16	250	170.86	68.34
2016–17	300	252.32	84.11
2017–18	350	431.14	123.18
2018–19	450	468.55	104.12

***

अनुलग्नक 1.1–वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12=100)

समुह विवरण		भार	सूचकांक		
			2013-14	2014-15	2015-16
10	खाद्य उत्पादो का निर्माण	83.50	109.9	135.4	170.2
11	पेय उत्पादो का निर्माण	12.57	75.9	78.5	79.3
12	तम्बाकू उत्पादो का निर्माण	0.75	105.0	112.9	120.8
13	कपडा उत्पादो का निर्माण	40.43	169.7	203.8	198.1
14	परिधान उत्पादो का निर्माण	49.68	101.7	119.0	123.2
15	चमडे एवं इससे सम्बन्धित उत्पादो का निर्माण	27.44	94.6	98.9	103.9
16	फर्नीचर को छोड़कर लकडी और कॉर्क के उत्पादनों का निर्माण व स्ट्रॉ और प्लाटिंग सामग्री के उत्पादो का निर्माण	3.09	209.6	186.3	177.1
17	कागज एवं कागज उत्पादो का निर्माण	9.27	101.7	103.9	119.1
18	छपाई और रिकॉर्डेड मीडिया की प्रजनन उत्पादो का निर्माण	4.16	155.7	160.6	156.7
19	कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादो का निर्माण	0.41	83.7	91.0	110.5
20	रासायनिक और रासायनिक उत्पादो का निर्माण	23.19	124.2	113.7	108.7
21	फार्मास्यूटिकल्स एवं औषधीय रसायन और वनस्पतीय उत्पादो का निर्माण	13.34	112.2	120.9	132.2
22	रबड़ और प्लास्टिक उत्पादो का निर्माण	22.53	88.2	86.8	90.3
23	अन्य गैर धातु उत्पादो का निर्माण	18.73	89.7	112.6	108.2
24	आधारभूत धातुओं का निर्माण	48.60	104.5	104.7	100.4
25	मशीनरी और उपकरणों को छोडकर, गढे हुए धातु उत्पादो का निर्माण	32.54	126.8	145.9	123.5
26	कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादो का निर्माण	11.16	101.1	121.2	125.2
27	बिजली के उपकरणों का निर्माण	58.22	111.2	115.1	118.2
28	मशीनरी उपकरणों का निर्माण	106.63	130.9	125.3	170.3
29	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों उत्पादो का निर्माण	230.72	105.2	109.9	111.4
30	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	121.25	118.3	115.1	116.2
31	फर्नीचर का निर्माण	0.41	72.5	77.5	93.0
32	अन्य विनिर्माण	9.21	219.9	135.8	138.7
	विनिर्माण	**927.83**	**114.7**	**120.3**	**128.7**
	बिजली	**72.17**	**109.7**	**119.5**	**92.5**
	सामान्य सूचकांक	**1000**	**114.4**	**120.3**	**126.1**

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 1.2–औद्योगिक उत्पाद वर्गो में वृद्धि

(औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011–12=100)

औद्योगिक समुह		भार	सूचकांक		
			2013-14	2014-15	2015-16
वर्ष 2015–16 के दौरान 10 % से अधिक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग					
10	खाद्य उत्पादो का निर्माण	83.50	14.0	23.2	25.7
17	कागज एवं कागज उत्पादो का निर्माण	9.27	2.5	2.2	14.7
19	कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादो का निर्माण	0.41	–15.6	8.8	21.4
28	मशीनरी उपकरणों का निर्माण	106.63	4.0	–4.2	35.8
31	फर्नीचर का निर्माण	0.41	–23.3	6.9	20.0
वर्ष 2015–16 के दौरान 5 % से 10 % वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग					
12	तम्बाकू उत्पादो का निर्माण	0.75	6.5	7.6	7.0
15	चमडे एवं इससे सम्बन्धित उत्पादो का निर्माण	27.44	2.7	4.5	5.1
21	फार्मास्यूटिकल्स एवं औषधीय रसायन और वनस्पतीय उत्पादो का निर्माण	13.34	2.7	7.7	9.4
वर्ष 2015–16 के दौरान 5 % से कम वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग					
11	पेय उत्पादो का निर्माण	12.57	–13.2	3.4	1.0
14	पहनने उत्पादो का निर्माण	49.68	3.3	17.0	3.5
22	रबड़ और प्लास्टिक उत्पादो का निर्माण	22.53	15.6	–1.6	4.1
26	कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादो का निर्माण	11.16	–11.7	19.9	3.2
27	बिजली के उपकरणों का निर्माण	58.22	10.3	3.6	2.6
29	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों उत्पादो का निर्माण	230.72	6.6	4.5	1.4
30	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	121.25	2.0	–2.8	1.0
32	अन्य विनिर्माण	9.21	81.3	–38.2	2.2
वर्ष 2015–16 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग					
13	कपडा उत्पादो का निर्माण	40.43	24.4	20.1	–2.8
16	फर्नीचर को छोड़कर लकडी और कॉर्क के उत्पादनों का निर्माण व स्ट्रॉ और प्लाटिंग सामग्री के उत्पादो का निर्माण	3.09	48.3	–11.1	–4.9
18	रिकॉर्डेड मीडिया की छपाई और प्रजनन उत्पादो का निर्माण	4.16	14.0	3.1	–2.4
20	रासायनिक और रासायनिक उत्पादो का निर्माण	23.19	19.4	–8.5	–4.4
23	अन्य गैर धातु उत्पादो का निर्माण	18.73	–7.1	25.5	–3.9
24	आधारभूत धातुओं का निर्माण	48.6	–2.3	0.2	–4.1
25	मशीनरी और उपकरणों को छोडकर, गढे हुए धातु उत्पादो का निर्माण	32.54	28.8	15.1	–15.4

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 2.1–हरियाणा सरकार की प्राप्तियां

(करोड़ रूपयें)

मदें	2016–17	2017–18	2018–19 (स.अ.)	2019–20 (ब.अ.)
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	**52496.82**	**62694.87**	**76828.11**	**82219.41**
क) राज्य के अपने स्त्रौत (अ+आ)	**40221.80**	**50212.23**	**60066.16**	**61129.95**
अ) राज्य का अपना कर राजस्व (i से ix)	**34025.71**	**41099.38**	**50946.00**	**51105.00**
i) भू –राजस्व	16.09	18.07	20.00	25.00
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	4613.13	4966.21	6450.00	7000.00
iii) बिक्री कर	23488.41	15608.92	11290.00	10900.00
iv) मोटर वाहनों पर कर	1583.06	2777.56	2950.00	3500.00
v) स्टाम्प तथा रजिट्रेशन	3282.64	4192.49	6000.00	6500.00
vi) माल तथा यात्रियों पर कर	594.59	2317.47	21.00	0.00
vii) बिजली पर कर तथा शुल्क	275.69	306.03	330.00	330.00
viii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	172.10	79.19	125.00	100.00
ix) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)	-	10833.44	23760.00	22750.00
आ) राज्य का अपना गैर–कर राजस्व (i से v)	**6196.09**	**9112.85**	**9120.16**	**10024.95**
i) ब्याज प्राप्तियां	2309.79	2227.82	1862.08	1622.58
ii) लाभांश तथा लाभ	5.90	7.53	24.97	25.64
iii) सामान्य सेवाएं	318.50	656.37	531.62	523.51
iv) सामाजिक सेवाएं	1455.41	3896.79	4138.34	4656.55
v) आर्थिक सेवाएं	2106.49	2324.34	2563.15	3196.67
ख) केन्द्रीय स्त्रोत (इ+ई)	**12275.02**	**12482.64**	**16761.95**	**21089.46**
इ) केन्द्रीय करों का भाग	6597.45	7297.52	8254.60	11216.64
ई) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	5677.57	5185.12	8507.35	9872.82
2. पूंजीगत प्राप्तियां (i से iii)	**27284.61**	**25495.28**	**25950.98**	**29689.43**
i) कर्जे की प्राप्तियां	973.23	6340.93	5378.32	5449.44
ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	26.27	39.87	40.00	1778.00
iii) उधार तथा अन्य ऋण	26285.11	19114.48	20532.66	22461.99
कुल प्राप्तियां (1+2)	**79781.43**	**88190.15**	**102779.09**	**111908.84**

स.अ.: संशोधित अनुमान
ब.अ.: बजट अनुमान
स्त्रोतः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.2–हरियाणा सरकार का व्यय

(करोड़ रूपयें)

मदें	2016–17	2017–18	2018–19 (स.अ.)	2019–20 (ब.अ.)
1. राजस्व व्यय (क+ख़+ग)	**68403.43**	**73257.35**	**85334.81**	**94241.90**
क) विकासात्मक (i+ii)	**46348.70**	**46168.16**	**55393.74**	**58884.53**
i) सामाजिक सेवाएं	25473.49	28061.34	33034.86	36114.22
ii) आर्थिक सेवाएं	20875.21	18106.82	22358.88	22770.31
ख) गैर–विकासात्मक (i से v)	**21630.78**	**26698.67**	**29715.35**	**35357.37**
i) राज्य की विधाएं	818.43	934.06	1089.18	1456.62
ii) वित्तीय सेवाएं	392.30	432.87	602.94	666.27
iii) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवाएं	10541.91	11961.27	13846.56	16632.62
iv) प्रशासनिक सेवाएं	4178.55	4572.76	5695.51	5934.33
v) पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	5699.59	8797.71	8481.16	10667.53
ग) अन्य*	**423.95**	**390.52**	**225.72**	**0.00**
2. पूंजीगत व्यय (घ+ड)	**11378.00**	**14932.80**	**17444.28**	**17666.94**
घ) विकासात्मक (i से ii)	**10915.66**	**14395.53**	**16194.53**	**16087.12**
i) सामाजिक सेवाएं	1592.36	3237.39	4809.01	4467.12
ii) आर्थिक सेवाएं	9323.30	11158.14	11385.52	11620.00
ड़) गैर विकासात्मक (i से ii)	**462.34**	**537.27**	**1249.75**	**1579.82**
i) सामान्य सेवाएं	399.37	480.90	1197.13	1471.82
ii) सरकारी कर्मचारी के आवास को छोडकर कर्जे	62.97	56.37	52.62	108.00
3. कुल व्यय (1+2=4+5+6)	**79781.43**	**88190.15**	**102779.09**	**111908.84**
4. कुल विकासात्मक व्यय (क+घं)	**57264.36**	**60563.69**	**71588.27**	**74971.65**
5. कुल गैर–विकासात्मक व्यय (ख+ड़)	**22093.12**	**27235.94**	**30965.10**	**36937.19**
6. अन्य* (ग)	**423.95**	**390.52**	**225.72**	**0.00**

स.अ.: संशोधित अनुमान

ब.अ.: बजट अनुमान

* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

स्त्रोतः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.3–हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपयें)

मदें	2016–17	2017–18	2018–19 (स.अ.)	2019–20 (ब.अ.)
1. अर्थ शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क) महालेखाकार	(-)733.40	426.73	(-)489.58	(-)327.75
ख) भारतीय रिर्जव बैंक	(-)736.51	433.96	(-)525.49	(-)363.66
2. राजस्व लेखा				
क) प्राप्तियां	52496.82	62694.87	76828.11	82219.41
ख) खर्च	68403.43	73257.35	85334.81	94241.90
ग) अधिशेष/घाटा	(-)15906.61	(-)10562.48	(-)8506.70	(-)12022.49
3. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	26.27	39.87	40.00	1778.00
4. पूंजीगत परिव्यय	6863.09	13537.91	15963.65	16259.67
5. लोक ऋण				
क) लिया गया ऋण	28169.52	21489.76	34772.66	42767.35
ख) पुनः अदायगी	5275.84	6338.85	17596.31	20257.15
ग) निवल	22893.68	15150.91	17176.35	22510.20
6. कर्जे और पेशगियां				
क) पेशगियां (अग्रिम)	4514.91	1394.89	1480.63	1407.27
ख) वसूलियां	973.23	6340.93	5378.32	5449.44
ग) निवल	(-)3541.68	4946.04	3897.69	4042.17
7. अर्न्तराज्य समायोजन	-	-	-	-
8. आकस्मिक निधि का वनियोजन	-	-	-	-
9. आकस्मिक निधि (निवल)	-	-	-	-
10. लघु बचतें, भविष्य निधि आदि (निवल)	1114.89	1226.31	802.00	453.00
11. जमा तथा पेशगियां आरक्षित निधि और उचत तथा विविध (निवल)	3379.02	1846.04	2723.14	(-)303.01
12. प्रेषण (निवल)	57.66	(-)25.09	(-)7.00	(-)50.00
13. निवल (वर्ष के दौरान लेन–देन)	1160.14	(-)916.13	161.83	148.20
14. वर्ष का इति शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क. महालेखाकार	426.73	(-)489.58	(-)327.75	(-)179.55
ख. भारतीय रिर्जव बैंक	433.96	(-)525.49	(-)363.66	(-)1215.46

स.अ. : संशोधित अनुमान
ब.अ. : बजट अनुमान
स्त्रोतः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.4–आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

(करोड़ रूपयें)

मदें	2016–17	2017–18	2018–19 (स.अ.)	2019–20 (ब.अ.)
I प्रशासकीय विभाग (1 से 7)	**74515.93**	**83041.19**	**97544.97**	**104294.33**
1. उपभोग व्यय (i+ii+iii)	24822.84	29240.42	34327.00	38094.01
i) कर्मचारियों का प्रतिभार	21640.00	26116.37	28510.90	30516.38
ii) वस्तुओं तथा सेवाओं की निवल खरीद रख–रखाव सम्मिलित है	2939.21	2847.74	5303.04	7124.97
iii) उदार हस्तांतरण	243.63	276.31	513.06	452.66
2. चालू हस्तांतरण*	27292.58	30797.39	36690.77	41319.28
3. सकल पूंजी निर्माण	3950.13	6507.72	8809.46	8700.27
4. पूंजीगत हस्तांतरण	11948.15	9147.22	10239.86	10093.65
5. वित्तीय परिसम्पतियों की निवल खरीद	1965.66	5709.94	5598.67	4205.33
6. कर्ज तथा अग्रिम	4514.92	1394.89	1480.63	1407.27
7. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	21.65	243.61	398.58	474.52
II. विभागीय वाणिज्यक उपक्रम (1 से 6)	**4328.17**	**4911.83**	**6086.86**	**6320.68**
1. वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद जिसमें रख–रखाव सम्मिलित है	1269.68	1328.38	1595.94	1632.33
2. कर्मचारियों का प्रतिभार	1548.89	1833.67	2540.17	2643.91
3. स्थिर पूंजी का क्षय (अवमूल्यन)	40.88	43.89	43.91	43.92
4. ब्याज	662.99	664.65	680.17	680.16
5. सकल पूंजी निर्माण	716.47	975.62	1147.52	1225.36
6. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	89.26	65.62	79.15	95.00
कुल व्यय (I+II)	**78844.10**	**87953.02**	**103631.83**	**110615.01**

स.अ.: संशोधित अनुमान,

ब.अ.: बजट अनुमान

*चालू हस्तातरण में अनुदान एवं ब्याज भी सम्मिलित है।

स्त्रोतः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस/अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।